प्रकाशक
सोसाइटी फार पार्लेमेन्टरी स्टडीज
१८ डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद रोड
नई दिल्ली–१
६७ मरीन ड्राईव
फोर्ट बंबई–१

मूल्य
६ रुपये

नेशनल प्रिंटिंग वर्क्स,
१० दरियागंज,
दिल्ली

प्राक्कथन

मैं सरदार वल्लभभाई पटेल को पहले से जानता था। जब वह भारतीय संविधान परिषद् के सदस्य थे तो मेरा उनसे अच्छा परिचय बढ गया। वहा दिये हुए उनके भाषणो का मुझे अच्छी तरह स्मरण है। वह कम बोलते थे, किन्तु जो कुछ भी वह बोलते थे वह दृढ तथा असदिग्ध ढग का होता था। उनकी वाणी राष्ट्र की आवाज होती थी, जिसके सम्बन्ध में न तो कोई अशुद्धि कर सकता था और न भ्रान्ति हो सकती थी। वह कम बोलते, किन्तु कार्य करने में दृढ थे। सरदार इस प्रकार के व्यक्ति थे।

जब वह बम्बई के बिडला भवन में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे तो मुझे स्मरण है कि मैं सोवियत सघ जाते समय उनसे विदा लेने गया था। उन्होने मुझे चेतावनी दी थी कि यह कार्य बडे-बडे प्रसिद्ध व्यक्तियो को असफलता दे चुका है, किन्तु साथ ही उन्होने यह भी कहा कि "जहा अन्य व्यक्ति असफल हो चुके है, वहा आप सफल होगे।" वास्तव में सरदार के उक्त शब्द मास्को में मेरे राजदूत काल भर मुझे स्मरण बने रहे। मैं आपको यह बतला रहा हू कि वह किस प्रकार परिस्थिति के निर्णायक, भावी रूप के विधाता तथा सुदूर भविष्य को ठीक-ठीक देख लेने की क्षमता रखते थे। जब तक वर्तमान भारत जीवित है, उनका नाम वर्तमान भारत के ऐसे राष्ट्र निर्माता के रूप में सदा स्मरण किया जाता रहेगा, जिन्होने सभी ६०० भारतीय देशी राज्यो का एक मात्र सघ बनाया। उनका यह कार्य हमारे देश के एकीकरण की दिशा में अत्यधिक स्थायी कार्य था। इस विषय में उनके कार्य को हम कभी नही भूल सकते। जैसा कि मैंने कहा है, जब तक भारत जीवित है, वर्तमान भारत के निर्माता के रूप में उनका नाम सदा स्मरण किया जाता रहेगा।

नेफा में भारतीय सेनाओ के पीछे हटने को दु ख, लज्जा तथा अपमान की बात समझना चाहिए। हमको अपन खोए हुए सम्मान को पुन प्राप्त करना है। आज भारत की स्वतन्त्रता, सुरक्षा तथा सम्मान सभी खतरे में है। साहस, विनयानुशासन तथा सगठित दृढ निश्चय की—जिनको सरदार वल्लभभाई ने अपने जीवन में चरितार्थ किया—आज राष्ट्र को महती आवश्यकता है। इसी से उस लज्जा का प्रतिशोध लिया जा सकेगा।

डा० एस० राधाकृष्णन्
भारत के राष्ट्रपति

गुजरात-केशरी

बारदोली-वीर
सरदार पटेल के स्वागत में

स्वागत है ! प्रभुवर बार बार ।

ओ ! शांति सरलता के मूर्तिचित्र,
ओ ! पतित जनों के परम मित्र ।
ओ ! सेवा के सागर विशाल,
ओ ! भारत के लाडले लाल ।
आओ मन - मन्दिर में आओ,
है खुले पड़े सब हृदय-द्वार ॥ स्वागत०

अति आनंदित है आज अचल,*
लहरें लेता है मचल मचल ।
गुजरात - केशरी को विलोक,
है मिटते जाते सभी शोक ।
उर में भी आज उठ रहे हैं,
कैसे कैसे उत्तम विचार ॥ स्वागत०

था दुखी बारडोली महान,
सब पिसे जा रहे थे किसान ।
लख उन पर अत्याचार अतुल,
था बजा दिया संग्राम - बिगुल ।
वह बड़ा सत्य का किया युद्ध,
जिसमें विपक्ष की हुई हार ॥ स्वागत०

है दीन देश में कहा फूल,
है केवल काले कठिन शूल ।
है कालदेव का कर कराल,
कैसे गूथ पाती फूल माल ।
यो अर्पित करता हू प्रभुवर !
टूटा फूटा यह हृदय-हार ॥ स्वागत०

सेवक,
नवाबसिंह चौहान 'कंज'
जवाँ (अलीगढ)

अलीगढ, ४ नवम्बर १९३४

*—अचल नाम का अलीगढ शहर में एक तालाब (Tank) है।

द्वितीय संस्करण की भूमिका

इस ग्रन्थ का प्रथम संस्करण प्रकाशित होने के लगभग सात वर्ष पश्चात् यह द्वितीय संस्करण पाठको के हाथों में देते हुए हमको अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। प्रथम संस्करण के लिखने का संकल्प सन् १९४९ में किया गया था। किन्तु उसकी सामग्री जुटाने में लगभग सात वर्ष लगने पर भी वह संस्करण हमारे मन के अनुकूल न निकल सका। हमारे ग्रन्थ के चरित्रनायक के उन दिनो नई दिल्ली में रहने के कारण ग्रन्थ लिखने का संकल्प करते समय हमको उनके परिवार से सहायता मिलने की आशा थी। किन्तु कुमारी मणिबेन से हमको सहयोग मिलना तो दूर पूर्णतया निराश होना पडा। बाद में पता चला कि कुमारी मणिबेन के हमारे साथ असहयोग का कारण था उच्च राजनीतिक क्षेत्रों का यह निश्चय कि सरदार का जीवन चरित्र प्रकाशित करने का अधिकार अहमदाबाद के प्रमुख प्रकाशक नवजीवन ट्रस्ट को ही दिया जावे।

महात्मा गांधी की इच्छा थी कि सरदार के जीवन चरित्र विभिन्न दृष्टि-कोण से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखे जाते। उन्होंने अंतिम बार जेल से आने पर कहा कि श्री एस० के० पाटिल तथा श्री के० एम० मुशी जैसे व्यक्तियों को इस कार्य को करना चाहिये। महादेव भाई देसाई ने उनका जीवन चरित्र लिखने के लिये सामग्री एकत्रित भी की थी। किन्तु उनके स्वर्गवास के कारण यह कार्य उनके हाथो न हो सका।

नवजीवन ट्रस्ट ने सरदार के जीवन चरित्र को प्रकाशित करने का उत्तर-दायित्व लिया था। श्री डाह्या भाई तथा कुमारी मणिबेन ने उनको सरदार के व्यक्तिगत पत्र व्यवहार आदि के सभी कागज पत्र सरदार के स्वर्गवास के बाद दे दिये थे। उन्होने सरदार पटेल की वह अमूल्य वस्तुएं—सोने तथा चादी के अशोक स्तम्भ तथा सोने तथा चांदी की मंजूषाएँ आदि भी—जो कई लाख रुपये की सम्पत्ति थी—नवजीवन ट्रस्ट को दे दी थी। यद्यपि ट्रस्ट ने उन सब वस्तुओ को सम्भाल कर रखा हुआ है, किन्तु सरदार के जीवन चरित्र को प्रकाशित करने के सम्बन्ध में उनकी उदासीनता का अर्थ समझ में नही आता। आरम्भ में नवजीवन ट्रस्ट ने श्री नरहरि पारिख द्वारा लिखा हुआ १९४२ तक की घटनाओ का सरदार का जीवन चरित्र गुजराती में प्रकाशित किया। फिर उसने श्री एच० एम० पटेल आई०सी०एस० द्वारा किये हुए उसके इंगलिश अनुवाद को तथा बाद में उसके हिन्दी अनुवाद को भी प्रकाशित किया। श्री एच० एम० पटेल ने अपने कार्य के लिये न तो ट्रस्ट से कोई पारिश्रमिक मागा

और न ट्रस्ट ने ही उनको कुछ दिया। इसके पश्चात् ट्रस्ट ने सरदार के जीवन चरित्र को प्रकाशित करने में एकदम उदासीनता अपना ली। वास्तव में नवजीवन ट्रस्ट की इस विषय में उदासीनता का कारण था उसके प्रबन्ध में श्री मुरार जी देसाई की मुख्यता। इसीलिये जिस किसी ने भी सरदार का जीवन चरित्र लिखने के लिये नवजीवन ट्रस्ट से उस सामग्री को देखने को मागा उसे कभी भी कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला। इसी से सरदार का एक सर्वांगपूर्ण जीवन चरित्र आज तक भी प्रकाशित नही किया जा सका। श्री एच० एम० पटेल—जो सरदार के जीवन काल में भारत सरकार के रक्षा सेक्रेटरी थे और बाद में मुख्य वित्त सचिव रहे—इसके एक अच्छे उदाहरण हैं। उन्होंने भारत सरकार की सेवा से अवकाश ग्रहण करते ही सरदार का जीवन चरित्र लिखने की इच्छा से नवजीवन ट्रस्ट से उस सामग्री को मागते हुए इस बात का आश्वासन दिया कि वह अपने व्यय से आवश्यक सामग्री की फोटो प्रतिलिपि करा कर उस सामग्री को नवजीवन ट्रस्ट को वापिस कर देंगे। किन्तु ट्रस्ट ने उनकी बात को टाल दिया। इसी प्रकार अन्य कई व्यक्तियों के प्रयत्न भी निष्फल गए और इसी लिये सरदार का कोई सर्वांगपूर्ण जीवन चरित्र आज तक भी प्रकाशित नही किया जा सका। ट्रस्ट ने श्री पटेल को उनके अनुवाद कार्य की कृतज्ञता के बदले में भी उस मूल सामग्री को देखने तक की अनुमति नहीं दी। श्री डाह्याभाई पटेल ने तो बाद में उस सामग्री की नक्ल करने के लिये ट्रस्ट के पास दस सहस्र रुपये तक जमा करने का प्रस्ताव किया, किन्तु ट्रस्ट के कान पर इससे भी जू न रेंगी।

यद्यपि इतनी अधिक बाधाए मार्ग में आने पर भी हमने अपना सकल्प न बदला, किन्तु प्रथम सस्करण में हम सरदार के जीवन चरित्र की १९२८ के बाद की व्यक्तिगत घटनाओ को न दे सके। वास्तव म भारतीय स्वतन्त्रता सग्राम के इतिहास में १९२८ के बाद की घटनाओ को सरदार पटेल के जीवन से पृथक् नही किया जा सकता। अतएव हमने इस काल के लिये उन घटनाओ को देकर ही अपने ग्रन्थ को पूर्ण किया।

इसका प्रथम सस्करण पाठको को इतना अधिक पसद आया कि उसकी सभी २२०० प्रतिया छपने के एक वर्ष के अन्दर अन्दर ही समाप्त हो गईं और हमको उसके दूसरे सस्करण की तैयारी करनी पडी। किन्तु उतनी ही सामग्री को दुबारा प्रकाशित करना हमको स्वीकार नही था।

सौभाग्यवश सरदार पटेल के सुपुत्र ससद-सदस्य श्री डाह्याभाई पटेल ने इस सम्बन्ध में हमारी कठिनाई सुनकर हमको पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस सम्बन्ध में उन्होने न केवल अपनी व्यक्तिगत जानकारी का हमको पूर्ण लाभ दिया, वरन् सरदार के सम्बन्ध में अधिकारी व्यक्तियों

द्वारा लिखे हुए ग्रन्थ भी हमारे लिये सुलभ किये, जिसके लिये हम उनके आभारी हैं।

श्री डाह्याभाई पटेल ने हमारी भेंट भी सरदार के कई पुराने साथियो से कराई।

श्री डाह्याभाई पटेल ने इस ग्रन्थ की सामग्री के सकलन में हमको इतनी अधिक सहायता दी कि हमने उनसे प्रस्ताव किया कि वह इस ग्रन्थ के रचयिता के रूप में हमारे साथ अपना नाम भी दे दें। किन्तु उन्होने हमारे इस निमन्त्रण को नम्रतापूर्वक अस्वीकार करते हुए निम्नलिखित उत्तर दिया।

'यह ग्रन्थ वास्तव में आपकी ही रचना है। भाषा तो पूर्णतया आपकी है। मेरा तो हिन्दी भाषा पर अधिकार भी नही है। मैंने जो कुछ सहायता आपको दी है, वह उस महान् व्यक्ति का पुत्र होने के नाते दी है, जिसकी स्मृति को स्थायी बनाने में आप योगदान कर रहे हैं।'

कुछ व्यक्तियो का कहना है कि सरदार के जीवन चरित्र के प्रकाशित करने का समय—उनका तेरह वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुकने पर भी—अभी नही आया है। किन्तु हमारी तुच्छ सम्मति मे यह विचार इसलिये ठीक नहीं है कि इससे उनके सम्बन्ध मे ऐसी भ्रान्तिया फैलाई जा रही हैं, जैसी मौलाना आजाद अथवा डा० हुमायू कबीर के नाम से लिखे हुये इगलिश ग्रन्थ 'इण्डिया विन्स फ्रीडम' द्वारा फैलाई गई हैं। अतएव उनके जीवन चरित्र को पाठको के हाथ में देने में अब भी बहुत विलम्ब हो गया है।

सरदार १९४२ से लेकर १९४५ तक जेल में रहे। वह कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों के साथ अहमदनगर किले मे दो वर्ष तक रहे। यह दो वर्ष उन्होने किस प्रकार व्यतीत किये इस सम्बन्ध में बहुत कम लिखा गया है। इस काल के उनके विचार, उनकी दिनचर्या तथा उनके हास्य विनोद का कुछ भी वर्णन मिल सकता तो वह बडा उपयोगी होता। उनके अहमदनगर किले के साथियों में से आचार्य कृपलानी, नेहरूजी तथा श्री हरेकृष्ण मेहताब के अतिरिक्त आज अधिकाश व्यक्ति गुजर चुके हैं। उन्होंने अपने वार्तालाप में इसका थोडा-सा उल्लेख करने के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में कोई भी उल्लेखनीय रचना नही की है। यदि यह सामग्री मिल जाये तो वह साहित्य तथा इतिहास की अक्षय निधि हो सकती है। स्वर्गीय महादेव भाई देसाई ने जिस प्रकार महात्मा गाधी तथा सरदार पटेल की यरवडा जेल की घटनाओं की दैनिक डायरी लिखी है, उस प्रकार की रचना तो निश्चय से ऐतिहासिक महत्व प्राप्त कर लेगी। भारत सरकार के खाद्य सेक्रेटरी तथा एक सीनियर आई०सी०एस० आफिसर श्री के० एल० पजाबी ने-जिन्होंने डा० राजेन्द्रप्रसाद की एक अच्छी जीवनी भी लिखी

है—सरदार के सम्बन्ध में १९६१ में एक ग्रन्थ लिखा था। उन्होंने अपने उस ग्रन्थ की प्रस्तावना में लिखा है :

"आधुनिक भारत के तटस्थ विचारक यह सदेह किये बिना नही रह सकते कि उनकी स्मृति को मिटाने के उद्देश्य से उनके सम्बन्ध में मौनावलम्बन का एक षड्यंत्र जैसा किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रो में उनको अवाछनीय व्यक्ति बतलाकर उनको प्रतिक्रियावादी तथा साम्प्रदायिक व्यक्ति तक के रूप में चित्रित किया गया है। भारतीय समस्याओ के सम्बन्ध में 'सरदार पटेल' नामक उनके व्याख्यानो का सग्रह ग्रन्थ—जिसे भारत सरकार ने प्रकाशित किया था—आज लगभग दस वर्ष से अप्राप्त है। फिर भी उसे दोबारा प्रकाशित करने का कोई यत्न नही किया गया।"

सरदार के जीवन काल में ही पडित नेहरूजी के सबध में उनके मतभेद की घटनाए सार्वजनिक चर्चा का विषय बन चुकी थी। हमने इस सम्बन्ध में अपनी ओर से कुछ भी न देकर अधिकारी व्यक्तियो की पुस्तको के कुछ अवतरण दिये हैं। आशा है इससे पाठको को उसके समझने में सहायता मिलेगी।

वास्तव में नेहरूजी की धर्म-तटस्थता अपना 'सेक्यूलर' शब्द की परिभाषा बडी विचित्र है। उनके लिये हिन्दुत्व विरोधी प्रत्येक बात 'सेक्युलर' तथा हिन्दुत्व की ओर रुझान वाली प्रत्येक बात साम्प्रदायिक है। जबकि सरदार का राजनैतिक दृष्टिकोण सदा ही वास्तविक रूप में 'सेक्युलर' रहा है।

फिर राजनीति में आदर्शवाद तब तक असफलता ही देता जाता है, जब तक उसके साथ उससे कम से कम दस गुनी व्यवहारिकता न हो। भारत की १९५४ की तिब्बत की हत्या करने की अनुमति देने वाली भारत-चीन सन्धि तथा काश्मीर प्रश्न को सफलता के निकट पहुच कर भी सयुक्त राष्ट्र सघ को सौंपना तथा आज पूर्वी सीमात पर जो कुछ हो रहा है वह नेहरूजी की भावुकता तथा आदर्शवाद के उदाहरण हैं।

नेहरूजी का हृदय अन्तर्राष्ट्रीयता मे रग कर इतना महान बन गया है कि वह मनुष्य जाति के काल्पनिक व्यापक लाभ के लिये भारत के राष्ट्रीय हितो के बलिदान को भारत का गौरव मानते हैं। इसलिये वह किसी एक राष्ट्र के प्रधान मन्त्री बनने की अपेक्षा उस समाजवादी विश्व सरकार के प्रधान मन्त्री बनने के अधिक योग्य है, जिसकी स्थापना के लिये विश्व के प्रत्येक भाग में प्रयत्न किया जा रहा है।

इसमें सन्देह नही कि राष्ट्रवाद अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग की बाधा है। राष्ट्रवाद का बलिदान किये बिना अन्तर्राष्ट्रीयता की स्थापना नही की जा

है—सरदार के सम्बन्ध में १९६१ में एक ग्रन्थ लिखा था। उन्होंने अपने उस ग्रन्थ की प्रस्तावना में लिखा है :

"आधुनिक भारत के तटस्थ विचारक यह संदेह किये बिना नही रह सकते कि उनकी स्मृति को मिटाने के उद्देश्य से उनके सम्बन्ध में मौनावलम्बन का एक षड्यंत्र जैसा किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रो में उनको अवाछनीय व्यक्ति बतलाकर उनको प्रतिक्रियावादी तथा साम्प्रदायिक व्यक्ति तक के रूप में चित्रित किया गया है। भारतीय समस्याओ के सम्बन्ध में 'सरदार पटल' नामक उनके व्याख्याना का सग्रह ग्रन्थ—जिसे भारत सरकार ने प्रकाशित किया था—आज लगभग दस वर्ष से अप्राप्त है। फिर भी उसे दोबारा प्रकाशित करने का कोई यत्न नही किया गया।"

सरदार के जीवन काल में ही पडित नेहरूजी के सबध में उनके मतभेद की घटनाए सावजनिक चर्चा का विषय बन चुकी थी। हमने इस सम्बन्ध में अपनी ओर से कुछ भी न देकर अधिकारी व्यक्तियो की पुस्तका के कुछ अवतरण दिये हैं। आशा है इससे पाठका को उसके समझने में सहायता मिलेगी।

वास्तव में नेहरूजी की धर्म-तटस्थता अपना 'सेक्यूलर' शब्द की परिभाषा बडी विचित्र है। उनके लिये हिन्दुत्व विरोधी प्रत्येक बात 'सेक्युलर' तथा हिदुत्व की ओर रुझान वाली प्रत्यक बात साम्प्रदायिक है। जबकि सरदार का राजनैतिक दृष्टिकोण सदा ही वास्तविक रूप म 'सेक्युलर' रहा है।

फिर राजनीति में आदर्शवाद तब तक असफलता ही देता जाता है, जब तक उसके साथ उससे कम से कम दस गुनी व्यवहारिकता न हो। भारत को १९५४ की तिब्बत की हत्या करने की अनुमति देने वाली भारत-चीन सन्धि तथा काश्मीर प्रश्न को सफलता के निकट पहुच कर भी सयुक्त राष्ट्र सघ को सौंपना तथा आज पूर्वी सीमात पर जो कुछ हो रहा है वह नेहरूजी की भावुकता तथा आदर्शवाद के उदाहरण हैं।

नेहरूजी का हृदय अन्तर्राष्ट्रीयता में रग कर इतना महान बन गया है कि वह मनुष्य जाति के काल्पनिक व्यापक लाभ के लिय भारत के राष्ट्रीय हितो के बलिदान को भारत का गौरव मानते हैं। इसलिये वह किसी एक राष्ट्र के प्रधान मन्त्री बनने की अपेक्षा उस समाजवादी विश्व सरकार के प्रधान मन्त्री बनने के अधिक योग्य हैं, जिसकी स्थापना के लिये विश्व के प्रत्येक भाग में प्रयत्न किया जा रहा है।

इसमें सन्देह नही कि राष्ट्रवाद अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग की बाधा है। राष्ट्रवाद का बलिदान किये बिना अन्तर्राष्ट्रीयता की स्थापना नही की जा

प्रेरक स्मरण दिवस ! सरदार मृत्युजय साबित हुए हैं। जीवन में वह जितने याद नहीं आए, उससे कई गुना अधिक वह आज याद आ रहे हैं। राष्ट्रविपत्ति में लोगों की आंखों के सामने अनायास ही सरदार की वज्रमूर्ति चित्रित हो जाती है। द्रोह और शैथिल्य की स्थितिया में वज्रबाहु सरदार आंखों की श्रद्धा में झूलने लगते हैं। सकट-काल में जिसकी याद आए, जिसकी अनुपस्थिति मन में मायसी उत्पन्न करे, उसे मृत्युजय न कहें तो क्या कहे ?

सरदार पटेल ने भारत की भाग्यलिपि अपनी लोह-कर्मठता में लिखी है। वह लिपि देश का अखण्ड-अनश्वर भूगोल बन कर उनके नतृत्वकौशल का जयजयकार करती है। गाधीजी ने राष्ट्र-जागरण का जो शख फूंका था, सरदार ने उस घोष को अपने जीवन में प्रवृत्ति-रूप देकर राष्ट्र की विविध-मुखी शक्तियों को एक प्रबल प्रवाह में सगठित किया था। इस प्रवाह में इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य ही नहीं बह गया, देश की अकर्मण्यता और हीनताए भी वह गई। शक्तिस्रोत से निकले शक्ति-प्रवाह राष्ट्र की रगो में प्रवाहित हो कर निर्जीव-मूल्यों को फिर से लहलहाने लगे। मुक्ति के विचार-आकाश के साथ सरदार ने अपनी मातृभूमि को ऐसे नर-रत्न भी गढ़ कर दिये, जिन्होंने अपने प्रशासन-कौशल से ससार को चकित कर दिया। सरदार स्वभाव से सेनापति तो थे ही, वे अपने उसी स्वभाव में सेनापति निर्माता भी थे। महादेव भाई उन्हें मजाक में अक्सर "नेताओं की फसल बोने वाला किसान" कहा करते थे। ८्जलाल पटेल

जीवन काल में कमायी महत्ता और कीर्ति, वास्तव में परम काम्य है, किन्तु अक्षय अमर महत्ता तो वही है जो मृत्यु के बाद भी फलती फूलती रहे। पुरुषार्थियों को ही ऐसी महत्ता और कीर्ति नसीब होती है—ऐसे पुरुषार्थियों को, जिन्होंने काल के वज्रदाता को अपने प्रचण्ड पराक्रम से तोड़ा है। सरदार पटेल इसी कोटि के पुरुष-पुगव थे—उनकी सिर से पैर तक की सारी देह यष्टि शौर्य के स्वर्ण से बनी थी। अग्नि परीक्षाओं में यह स्वर्ण और भी निखरता गया। कीर्ति के के लिये मृत्यु सब से भयानक एव कठोर अग्नि परीक्षा होती है। सरदार इस परीक्षा में भी खरे उतरे हैं, मृत्यु के बाद वह अपने 'स्वर्ण' में और भी तेजस्वी होते जा रहे हैं। आज देश उन्हीं अद्वितीय 'सरदार' को श्रद्धा भक्ति के साथ शीश नवाता है।"

इस ग्रन्थ के लेखन में हमको जिन जिन व्यक्तियों तथा पुस्तकालयों से सहायता मिली है, हम उन सब के आभारी हैं। पार्लियामेंट पुस्तकालय, नई दिल्ली तथा सप्रू हाऊस नई दिल्ली के पुस्तकालयों से हमको वास्तव में अमूल्य सहायता मिली है।

इस ग्रन्थ का कार्य हाथ में लेते समय हमारा स्वास्थ्य निर्बल होते हुए भी

सतोषजनक था। किन्तु नवम्बर १९६२ से हमारा स्वास्थ्य इतना अधिक गिरता जा रहा है कि अब ५० कदम पैदल चलना भी हमारे लिये असभव हो गया है। यद्यपि इस ग्रन्थ की रचना में उपलब्ध सभी ग्रन्थों का हमने यथावत् अध्ययन किया तथा सरदार के पुराने साथियो को उनके तथा अपने सतोषयोग्य पूर्ण समय देकर हमने उस सब सामग्री का इस ग्रन्थ में उपयोग किया है, फिर भी हमारी यह धारणा है कि यदि हमारा स्वास्थ्य इन दिनो न बिगडता तो इस ग्रन्थ को कुछ अधिक अच्छा बनाया जा सकता था। फिर भी हम को इस बात का सतोष है कि हमने सरदार के जीवन के सम्बन्ध में शोध (Research) करके इसमें इतनी अधिक सामग्री दी है कि सरदार का विस्तृत जीवन-चरित्र लिखने वाले भावी लेखको को इससे पर्याप्त मार्ग-प्रदर्शन मिलेगा।

अपने पाठको से हमको एक बात के लिए और भी क्षमा मागनी है। बात यह है कि हमारे दोनो नेत्रो मे मोतियाबिन्द का पानी उतर आने के कारण हमारी प्रूफ पढने की क्षमता पर्याप्त कम हो गई है। प्रत्येक लेखक को कम से कम एक अन्तिम प्रूफ—प्राय आत्मसतोष के लिए—अवश्य देखना पड़ता है। हमारी धारणा है कि उसमें हमसे कुछ अशुद्धिया अवश्य रह गई होगी। आशा है इस ग्रन्थ के पाठक तथा आलोचक न केवल उनको सुधार कर पढ़ेंगे, वरन् उन अशुद्धियों से हमें भी सूचित करेंगे, जिससे अगले सस्करण में उनको सुधारा जा सके।

सरदार पटेल का जीवन महान है, उनकी अपेक्षा हमारी लेखनी अत्यधिक तुच्छ है। फिर भी हमको आशा है कि हिन्दी ससार हमारे अन्य लगभग एक सौ ग्रन्थो के समान इस ग्रन्थ का भी समुचित आदर करेगा।

४५६६, बाजार पहाड़गज, नई दिल्ली-१। आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री

१५ दिसम्बर, १९६३—(सरदार की १३वी पुण्यतिथि)

प्रथम संस्करण की भूमिका

सरदार पटेल का नाम ससार के महान् राष्ट्र-निर्माताओं में सदा ही श्रद्धा के साथ लिया जाएगा। एक सामान्य घराने में जन्म लेकर भी उन्होंने अपनी निर्भीकता, देशभक्ति तथा सगठन-शक्ति के बल से अपने जीवन में यह कार्य कर दिखलाया, जो बड़े से बड़े राजनीतिज्ञो के लिए भी सुगम न था।

वास्तव में सरदार का गौरवशाली जीवन बारडोली के सत्याग्रह से आरम्भ होता है। उनके उससे पूर्व के कार्य इतने अधिक महत्वशाली नहीं थे कि उनकी ओर जनता का ध्यान सामूहिक रूप में आकर्षित होता। किन्तु बारडोली में उन्होंने देहात के उन भोले-भाले किसानो में वह सगठन-शक्ति भर दी कि भारत की तत्कालीन नौकरशाही सरकार को उनके सत्याग्रह आन्दोलन के सामने घुटने टेकने को विवश होना पडा। वास्तव मे उनका सरदार नाम भी वही से पडा।

इसके बाद तो उन्होंने देश को स्वतन्त्र कराने मे इतना अधिक महत्वपूर्ण भाग लिया कि सत्याग्रह-विशेषज्ञ के रूप में उनका नाम महात्मा गाधी के बाद देश-भर में लिया जाने लगा।

भारत सरकार के गृहमन्त्री के रूप में उन्होंने अपने को वास्तव में एक लोहपुरुष सिद्ध कर दिया। किन्तु उनका सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य था भारत के देशी राज्यो की समस्या को सुलझाना।

वास्तव में देशी राज्यो की समस्या इतनी भीषण थी कि काग्रेस को उस समस्या की ओर देखने का भी साहस न होता था। एक बार महात्मा गाधी ने राजकोट के ठाकुर साहिब के किसी कार्य के विरुद्ध १९३९ में अनशन करके असफलता का मुख देखा था। पडित नेहरू भी एक बार शेख अब्दुल्ला के पीछे काश्मीर में गिरफ्तार हुए थे। किन्तु देशी राज्यो की समस्या को उनमें से कोई भी बलिदान छू तक न पाया और काग्रेस ने विवश हो कर यह निश्चय किया कि देशी राज्यो से अग्रेजो को भारत से निकालने के बाद सुलटा जाएगा।

अग्रेजो ने जब भारत को छोडने की घोषणा की तो उन्होंने सब ५५२ देशी राज्यों को स्वतन्त्र करने की घोषणा भी की। इससे भारत में एक पाकिस्तान के अतिरिक्त ५५२ और भी स्वतन्त्र भाग बनने की सभावना हो गई। किन्तु सरदार पटेल ने उनकी समस्या को इतनी कुशलता से सुलझाया कि आज सभी देशी नरेश अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति से नीचे उतर कर साधारण जनता के अग बन गए हैं और उनकी प्रजा भी स्वतन्त्रता का आनन्द अन्य सभी भारत-वासियो के समान उठा रही है। वास्तव में सरदार पटेल के एक इसी कार्य ने उनको ससार के महान् राष्ट्र-निर्माताओ की कोटि में पहुँचा दिया।

विषय सूची

राष्ट्रनिर्माता सरदार पटेल

अध्याय १

आरम्भिक जीवन

"वल्लभभाई बरफ से ढका हुआ ज्वालामुखी है" स्वर्गीय मौलाना शौकत अली का यह वाक्य सरदार वल्लभभाई के व्यक्तित्व का संक्षेप में सुन्दर वर्णन करता है। वह देखने में बरफ के समान शान्त थे। किन्तु उनका उग्र स्वभाव तथा उनकी योद्धा प्रकृति उनके वास्तविक रूप की द्योतक थी, जो उन्हे अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। सरकार का लम्बा, सुडौल और भरा हुआ शरीर उनकी योद्धा-प्रकृति का परिचायक था। उनकी चमकती हुई आँखें यह प्रकट करती थी कि वह न केवल मनुष्य की अंतर्वृत्ति को झांक कर देख लेंगी, वरन् अपने निश्चय को पूर्ण करके ही छोड़ेंगी। आप एक वीर सेनापति तथा शासक थे।

वल्लभभाई स्पष्ट वक्ता थे। यदि इस स्पष्टवादिता पर भीतर-बाहर से विचार किया जाय तो यह गुण भी है, और दोष भी। स्पष्टवादिता यद्यपि गंभीरता और विवेक की कमी को सूचित करती है, किन्तु वल्लभभाई इसके भी अपवाद थे। वैसे वह बोलते बहुत कम थे, किन्तु जब बोलते थे तो हृदय खोलकर रख देते थे। नोआखाली कांड के पश्चात् आपका मेरठ कांग्रेस में दिया हुआ भाषण इसका एक उदाहरण है। इस भाषण में आपकी स्पष्टवादिता पर कांग्रेसी मुसलमानों ने भी विरोध प्रकट किया था। वल्लभभाई बोलते कम थे, करते अधिक थे। वाक्शूर उन्हें लुभा नही सकते थे। उन्हे व्याख्यान झाड़ने का व्यसन नही था, आत्म प्रदर्शन पसन्द नही था, भले ही उसमे अच्छा काम बनता हो। विज्ञापनबाजी भी उन्हें पसन्द नही थी। और थी भी, तो आवश्यकता भर, बहुत कम। उसमें भी व्यक्तित्व का विज्ञापन तो लेशमात्र भी नहीं। वह गरजने वाले मेघ नही, वरन् बरसने वाले घुआधार थे। वे ठोस वीरता के पुजारी थे, लल्लो चप्पो के शब्द उन्हे आकर्षित नही कर सकते थे। स्पष्टवादिता में एक बड़ा गुण है कि वह मनुष्य को ईर्ष्या, द्वेष और धोखे से मन ही मन में बातें रखकर पिशाच होने से बचा लेती है। स्पष्टवादी के हृदय में तूफान आता है और चला जाता है और साथ ही उसके हृदय का मैल भी निकल जाता है। वह मन में ही पड़ा रहकर कीचड़, काई और सड़ाद उत्पन्न नही करता।

स्वामी रामतीर्थ ने लिखा है—"क्षत्रिय वह है, जो देश के लिये अपना जीवन

दे डालता है।" सरदार इसी प्रकार के सच्चे क्षत्रिय थे। उन्होंने अपना समग्र जीवन देश के लिए समर्पित किया हुआ था।

महात्मा लूथर ने कहा है—

"एक वीर और बहादुर सरदार अपने सहस्रो शत्रुओं के प्राण लेने की अपेक्षा एक नागरिक के प्राणो की रक्षा करना अपना धर्म समझता है। अतएव एक सच्चा सेनापति हल्के दिल से कभी लडाई नहीं छेडता, और न बिना कारण युद्ध-घोषणा करता है। सच्चे सिपाही और सरदार बढ-चढ कर बातें नहीं किया करते, वरन् वह जब बोलते हैं, तो काम फतह ही समझिए।"

महात्मा लूथर के ये शब्द सरदार वल्लभभाई की विशेषता का थोडे से शब्दो मे अच्छा परिचय कराते हैं।

भारतीय इतिहास मे इस प्रकार के क्षत्रिय, ऐसे अमर योद्धा अनेक मिलते हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में हसते हसते अपने प्राण दे दिए। प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल तथा अन्य अनेक राजपूत तथा मराठा वीरो की अमर गाथा आज मेवाड, राजस्थान, महाराष्ट्र, बुन्देलखण्ड आदि भारत के सभी राज्यो के घर-घर में गाई जाती है। भारत राष्ट्र के निर्माण कार्य मे सन् १८५७ से लेकर आज तक सहस्रो ही नही, वरन् लाखो योद्धा अपने प्राणो की बलि दे चुके है। उन योद्धाओं की अस्थिया आधुनिक भारत की नींव में गारे के रूप में गल चुकी है। वास्तव में वे इस देश के गगन के चमकते हुए नक्षत्र है। देश की भावी सतति सदा उनकी पूजा करेगी। किन्तु सरदार वल्लभभाई की जीवन-गाथा उनमे से किसी से कम महत्त्वपूर्ण नही।

वश परिचय—गुजरात में कुरमी नामक एक क्षत्रिय जाति है। उसमे लेवा और कदवा नाम की दो उपजातिया है। कहा जाता है कि यह दोनो जातिया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् रामचन्द्र के पुत्र लव और कुश की वशज है। लेवा जाति को लव की वशज एव कदवा जाति को कुश की वशज माना जाता है। सरदार वल्लभभाई ने इनमें से लेवा जाति को अपने जन्म से ३१ अक्तूबर १८७५ को अलकृत किया था।

सरदार वल्लभभाई पटेल के माता पिता गुजरात के बोरसद ताल्लुके के करमसद नामक एक गाव में रहते थे। उनके यहाँ कृषिकार्य किया जाता था। उनके पास अपनी दस एकड भूमि भी थी। वल्लभभाई के पिता श्री झवेरभाई बडे साहसी, सयमी और वीर पुरुष थे। सन् १८५७ के स्वतन्त्रता युद्ध के प्रथम प्रयास मे उन्होंने अत्यन्त उत्साहपूर्वक भाग लिया था। आप उन दिनों भारत मे स्वतन्त्रता का प्रयत्न आरम्भ हुआ देखकर इतने अधिक उत्साहित हुए कि उसमें भाग लेने के

के लिए घरवालो को बिना बतलाए ही घर से भाग गए। इसके पश्चात् घरवालों को तीन वर्ष तक उनका पता न चला। उन्होंने झांसी की वीर रानी लक्ष्मीबाई तथा नाना साहिब धूं धू पत की सेनाओ की गतिविधि देखते हुए तथा उनमें भाग लेते हुए समस्त उत्तरी भारत का भ्रमण किया। घर से भागते समय उनकी आयु कुल बीस वर्ष की थी। उन्होने झांसी की वीर रानी लक्ष्मीबाई की सेना में भर्ती हो कर अग्रेजो के साथ युद्ध किया। झवेरभाई को मल्हार राव होल्कर ने इंदौर में कैद कर लिया। वह शतरज के अच्छे खिलाड़ी थे। शतरंज का प्रेम मल्हार राव को भी कम नही था। उन्होने झवेरभाई को इस बात की अनुमति दे दी कि वह हाथ-पैर बंधवा कर उनको शतरंज खेलते हुए देखते रहे। महाराजा के खेल के समय उन्होने कुछ ऐसी चाल सुझाई कि महाराजा उनकी शतरंज की योग्यता पर मुग्ध हो गए। उन्होंने उनको स्वतन्त्रता प्रदान कर इंदौर में रहने का निमन्त्रण दिया। किन्तु वह वहां न रह कर अपनी भूमि जोतने के लिए अपने गाव चले आए। गदर का पूर्णतया दमन हो चुकने पर तथा देशभर में शान्ति स्थापित हो जाने पर वह तीन वर्ष बाद घर लौट आए।

श्री झवेरभाई स्वामी नारायण के भक्त थे। वह अपनी ५५ वर्ष की आयु से रातदिन उनकी सेवा में ही लगे रहते थे। उन दिनो वह घर पर केवल एक बार भोजन के लिए आकर अपना शेष समय भजन पूजन में ही व्यतीत किया करते थे। उस समय के साधुओं का जीवन अत्यन्त पवित्र हुआ करता था, किन्तु साम्प्रदायिकता से वह भी अछूते न थे। उनके हृदय में प्राचीन हिन्दूमत की स्थापना तथा यवन विरोधी भावना बराबर कार्य करती रहती थी और वह जनता को अपनी इस विचारधारा का अनुसरण करने के लिये प्रेरित भी किया करते थे। श्री झवेरभाई पर भी उनके जीवन का बहुत प्रभाव पडा था।

श्री झवेरभाई प्राकृतिक नियमो के बड़े भक्त थे। वह प्रात काल ब्राह्ममुहूर्त में उठकर हीं अपने नित्यकर्म से निवृत्त हो जाया करते थे। वह प्रतिदिन मुट्ठीभर कच्चे चावल और बाजरा चबाया करते थे। यह क्रम उनका जीवन के अतिम समय तक चलता रहा। इसी से उनका स्वास्थ्य भी अन्त तक बहुत उत्तम बना रहा। उनका स्वर्गवास मार्च १९१४ में ८५ वर्ष की आयु में हुआ।

श्री वल्लभभाई की पूजनीया माता लाड़बाई भी उनके पिता के समान ही संयमी, धर्मशीला, कष्टसहिष्णु एवं देश-भक्त थी। उनका सारा समय दिनभर भजन पूजन और चरखा कातने में ही व्यतीत होता था। उनका स्वर्गवास ८५ वर्ष की आयु मे १९३२ में हुआ।

माता-पिता के इन गुणो का प्रभाव श्री वल्लभभाई के चरित्र पर भी पड़ा। उनके जीवन में संयम, सादगी, कष्ट सहन, साहस आदि गुणों का बड़ा व्यापक

प्रभाव पडा । सच्चाई और दृढता उनके प्रमुख गुण थे । बडे से बडे खतरे में भी पीछे हटना वे जानते ही नही थे । बारडोली सग्राम के अवसर पर श्री वल्लभभाई की दृढता का परिचय देशभर को मिला । भाई बहिनों में वे पाच भाई थे तथा उनकी एक बहिन थी, जिनके नाम क्रमश ये थे—सोमाभाई, नरसिहभाई, विट्ठलभाई, वल्लभभाई तथा काशीभाई । बहिन डाहीबा सबसे छोटी थी । वह १९१६ में गुजर गई ।

विद्यार्थी जीवन—श्री वल्लभभाई का बाल्यकाल माता-पिता के साथ गाव में ही व्यतीत हुआ । पिता रोज सवेरे बालक वल्लभ को अपने साथ खेत पर ले जाते और रास्ते में आते जाते पहाडे याद कराते । इसके उपरान्त श्री वल्लभभाई फिर पेटलाद आए, जहा उन्होंने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त की । माध्यमिक शिक्षा के लिए उन्हे नडियाद और बडौदा जाना पडा । बालक वल्लभ अन्य छात्रो की भाति आलसी और दब्बू न थे । उनकी इस प्रकृति के कारण उनका बाल जीवन बडा मनोरम बन गया । इस प्रकार बाल जीवन में ही उनके भावी गुण प्रकट होने लगे ।

जब श्री वल्लभभाई नडियाद में पढते थे उन्होंने स्कूल में एक आदोलन खडा किया । बात यह थी कि एक मास्टर पाठ्य पुस्तको का व्यापार करते थे । वह छात्रो पर दबाव डालते कि पुस्तके बाहर से न खरीद कर उन्ही से खरीदी जाय । वल्लभभाई ने आन्दोलन किया कि कोई लडका उनसे पुस्तके न खरीदे । इससे लडको म बडी उत्तेजना फैली और स्कूल पाच छ दिनो तक बद रहा । अन्त में मास्टर जी को झुकना पडा और श्री वल्लभभाई ने भी हडताल का अत करवा दिया ।

इसके बाद मैट्रिक के लिये श्री वल्लभभाई बडौदा पहुचे । यहा आपने सस्कृत में रुचि न होने के कारण मैट्रिक में गुजराती ली । छोटेलाल नामक एक मास्टर, जो गुजराती पढाते थे सस्कृत के बडे भक्त थे । इसलिये वे सस्कृत न लेने वाले विद्यार्थियो से चिढते थे । श्री वल्लभभाई कक्षा में पहुचे तो उन्होंने व्यगपूर्वक कहा, "आइए महा पुरुष ! कहा से पधारे ।" इस पर बालक वल्लभ ने शातिपूर्वक उत्तर दिया, "नडियाद" से ।

मास्टर ने कहा कि सस्कृत छोड कर गुजराती ले रहे हो । क्या तुम्हे नहीं मालूम कि बिना सस्कृत के गुजराती शोभा नही देती ?

इस पर श्री वल्लभभाई ने जवाब दिया कि "मास्टर जी ! यदि हम सभी सस्कृत पढने तो फिर आप किसे पढाते ?"

अब शिक्षक और बालक दोनों में मनोमालिन्य पैदा हो गया । दिनभर क्लास की पिछली बेंच पर खडे रहने की आज्ञा दी गई और प्रतिदिन घर से पहाडे लिखकर

लाने की भी। एक बार वल्लभभाई पहाडे लिख कर नही लाए। मास्टर के उसका कारण पूछने पर आपने कहा 'पाडे भाग गए,' पाडे भैंस के बच्चे को भी कहते हैं। मास्टर छोटेलाल ने इस उत्तर से चिढ कर आपकी शिकायत हेडमास्टर से की तो बालक वल्लभ ने बडी निर्भीकता से उत्तर दिया कि "यह मास्टर जी मुझ से व्यर्थ ही पहाडे लिखवाते हैं। यदि पढने की पुस्तक में से कुछ लिखवाए तो मुझे लाभ भी हो। इन पहाडो से मुझे क्या लाभ ?" हेडमास्टर ने बिना कुछ कहे सुने बालक को छोड दिया। इस घटना के दो माह बाद ही आप का दूसरे शिक्षक से झगडा हो गया और तब आप बडौदा स्कूल से निकाल दिये गए। आप अब नडियाद आये और वही से मैट्रिक परीक्षा पास की। इसी स्पष्टवादिता में क्या हमारा भावी सरदार नही छिपा हुआ था ? आपने नडियाद हाई स्कूल से सन् १८९७ में लगभग २२ वर्ष की आयु में मैट्रिक पास किया।

मुख्त्यारकारी—श्री वल्लभभाई की इच्छा ऊची शिक्षा प्राप्त करने की थी। किन्तु माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण आपने कालेज जाने का विचार छोड दिया। साहित्यिक शिक्षा का आपको शौक था ही नही। हा, विलायत जाकर बैरिस्टरी पास करने के स्वप्न आप बचपन में ही देखा करते थे। अत आपने मुख्त्यारकारी की परीक्षा पास की और सन् १९०० से गोधरा में मुख्त्यारकारी करने लगे। श्री वल्लभभाई के पास फौजदारी के मुकदमे अधिक आते थे। अपनी कार्यपटुता एव बुद्धि-कौशल के कारण आप थोडे ही समय में अपने जिले में प्रख्यात हो गये। उन दिनो फौजदारी के अधिकारी तथा पुलिस आदि अन्य हाकिमों पर भी श्री वल्लभभाई का बडा रोब था। अधिकारीगण उनसे कापते रहते थे।

एक बार आपने हस्वण्ड नामक एक अगरेज को एक कत्ल के मामले में खूब छकाया। इस बात का स्मरण करके श्री वल्लभभाई बाद में खूब हसा करते थे। अपनी मुख्त्यारकारी के दिनो म आपने कई कलक्टरों और मैजिस्ट्रेटो को खूब तग किया। बात यह थी कि उनमें मानव स्वभाव की जाच, व्यवहार कुशलता, प्रमाण पटुता और जिरह करने की अधिक शक्ति विद्यमान थी। इसलिये आपको सफलता प्राप्त होती थी।

एक बार गोधरा में बडी भयानक प्लेग फैली। अदालत के नाजिर का लडका बीमार पड गया। श्री वल्लभभाई ने उसकी पर्याप्त सेवा-सुश्रूषा की, किन्तु वह उसे बचा न सके। श्मशान से लौटते ही आप भी प्लेग के चगुल में फस गये। किन्तु आप घबराये नही। गाडी में बैठकर आनन्द से चले आए और अपनी पत्नी से कहा कि तुम करमसद जाओ, मैं नडियाद जाता हू। ऐसी अवस्था में कौन सी पत्नी अपने पति का साथ छोडना चाहेगी। परन्तु श्री वल्लभभाई ने अत्यन्त आग्रहपूर्वक

अपनी पत्नी को करमसद भेज दिया। आप नडियाद आए और ईश्वर की अनुकम्पा से शीघ्र ही ठीक हो गए। आपका विवाह झवेर बा के साथ १८ वर्ष की आयु में हुआ था, उनसे अप्रैल १९०४ में मणिबेन का तथा नवम्बर १९०५ में डाह्याभाई का जन्म हुआ था।

उधर करमसद में आपकी पत्नी बीमार पडी। श्री वल्लभभाई उन्हे आपरेशन के लिए बम्बई पहुचा आये। आपके पास प्रतिदिन आपरेशन का समाचार आता ही था। थोडे दिनो बाद आपकी पत्नी की अवस्था बिगडने लगी। एक दिन आप अदालत में मुकदमा लड रहे थे कि तार से पत्नी के निधन का समाचार मिला। आपने बडी शान्तिपूर्वक तार पढकर मेज पर रख लिया। जब काम समाप्त होने पर बाहर निकले तब मित्रो से उसकी चर्चा की। उनकी पत्नी का स्वर्गवास ११ जनवरी १९०९ को हुआ। उस समय आपकी आयु ३४ वर्ष की थी।

इससे श्री वल्लभभाई के धैर्य का पूर्ण परिचय मिलता है। जीवन की एकमात्र सहचरी के शरीरान्त का तार पाने पर भी आपके मुख पर लेशमात्र भी उदासीनता नही आई। वह निरन्तर अपने कार्य में व्यस्त रहे। वीरता, साहस, धैर्य आदि गुण आपके अन्दर स्वयमेव अपना कार्य करते रहते थे।

बडे भाई के लिए त्याग—श्री वल्लभभाई की विलायत जाने की इच्छा आरम्भ से ही थी। समय पाकर उन्होंने उसके लिये यत्न भी आरम्भ कर दिया। वे मुख्तारी करते हुए भी बैरिस्टरी की तैयारी के लिये पैसा जमा करने में लगे हुए हुए थे। जिस कम्पनी से विदेश यात्रा के सम्बन्ध में आपका पत्र-व्यवहार चल रहा था, विदेशयात्रा का प्रबध करने वाली उस कम्पनी की अन्तिम चिट्ठी आपके बडे भाई श्री विट्ठलभाई पटेल के हाथ लग गई। इग्लिश में दोनो का नाम वी० जे० पटेल होने के कारण यह गडबड हो गई। श्री विट्ठल भाई ने कहा कि मैं तुमसे बडा हूँ पहिले तुम मुझे ही जाने दो। किन्तु तुम्हारे लौट आने के बाद मेरा जाना न हो सकेगा। आपने यह स्वीकार कर उनके खर्च का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर ले लिया।

बैरिस्टरी के लिये विलायतयात्रा—इस घटना के पन्द्रह-बीस दिन पश्चात् ही श्री विट्ठलभाई पटेल इगलैण्ड चल दिये। तीन वर्ष बाद सन् १९०८ में वह वापिस लौटे। फिर श्री वल्लभभाई ने सन् १९१० में विलायत यात्रा की। वहा पहुचते ही वह पढाई में जुट गए। प्राय आजकल के नवयुवको का जीवन विदेश से लौटने पर बदल जाता है। वह विलासिता के चक्कर में पड जाते हैं। किन्तु इस समय तक श्री वल्लभभाई को ससार का व्यवहारिक ज्ञान पूर्णतया हो चुका था। अपना लाभ-हानि सोचने की उनमें पर्याप्त क्षमता थी। अत उनके पथ-भ्रष्ट होने की कोई सम्भावना न थी।

सरदार के आरभिक जीवन के चित्र

सरदार अपनी माता तथा भाइयों सहित—विट्ठल भाई सोमा भाई (सब से बड़े), माता लाड बाई, नरसिंह भाई (दूसरे), सरदार, तथा काशी भाई (सब से छोटे, खड़े हुए)

यद्यपि श्री वल्लभभाई के स्वभाव से अभी तक चचलपन विदा नही हुआ था, किन्तु विलायत पहुचते ही वे एकदम गम्भीर एव सौम्य विद्यार्थी बन गए। उन्होने बडे परिश्रम से पढना आरम्भ कर दिया। श्री वल्लभभाई के निवास स्थान से टेम्पल का पुस्तकालय लगभग ग्यारह मील दूर था। किन्तु श्री वल्लभभाई सवेरे ही पुस्तकालय पहुच जाते और जब पुस्तकालय का चपरासी पुस्तकालय के बद होने की सूचना देता तब आप वहा से उठते। पुस्तकालय में ही दूध और रोटी मगवा कर खा लेते। इन दिनो आपने कभी कभी लगातार सतरह घटो तक अध्ययन किया। इस परिश्रम के अनुसार ही आपको फल भी मिला।

इगलैण्ड में वह एक मकान मालकिन के यहा रहते थे। मई १९११ में उनके पैर में नहरुआ का रोग हो गया। नहरुआ एक बहुत पतला तथा बहुत लम्बा ऐसा कीडा होता है जो शरीर के अन्दर बराबर घुसता जाता है। यदि वह खेचने में टूट जावे तो अन्य कई स्थानो में भी फैल जाता है। उसको आपरेशन द्वारा बडी कठिनता से अन्दर से निकाला जाता है। वहा के एक भारतीय विद्यार्थी डा. पी. टी. पटेल की सम्मति से आप वहा एक नर्सिंग होम मे भरती हो गये, जहा दो दो बार उनका आपरेशन करने पर भी नहरुआ पूर्णतया बाहर नही निकला और रोग बढता रहा। सरजन ने कहा कि जान बचानी हो तो पैर काटना पडेगा। इस पर डा पी. टी. पटेल ने अपने एक प्रोफेसर को रोग समझा कर उससे आपरेशन करवाया। आपने यह आपरेशन बिना क्लोरोफार्म के करवाया और अन्त तक सिसकारी तक भी न भरी। डा. चकित होकर बोला, "ऐसा साहसी रोगी हमको प्रथम बार मिला है।" इस आपरेशन से आपका नहरुआ पूर्णतया निकल गया।

आप बैरिस्टरी की अन्तरिम परीक्षा मे प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण हुए। अतएव आप को पचास पौड का एक नकद पारितोषिक मिला और चार्टर्ड की फीस मुआफ हो गई। आपके उत्तरो को पढकर परीक्षकों को बडा आश्चर्य हुआ। एक ने तो श्री वल्लभभाई की सिफारिश के लिये उनको एक पत्र भी दिया कि श्री वल्लभभाई को ऊची से ऊची जगह दी जावे। आप परीक्षोपरान्त एक दिन को भी सैर सपाटे के लिये इगलैंड न ठहरे। वरन् दूसरे ही दिन स्वदेश को प्रस्थान कर दिया। वह १३ फरवरी १९१३ को वापिस बम्बई आए।

श्री वल्लभभाई की बैरिस्टरी आते ही चमक उठी। श्री विट्ठलभाई पटेल की वकालत भी बम्बई में अच्छी तरह चल निकली थी। इधर श्री वल्लभभाई के सामने पुराने वकील बैरिस्टरो की पूछताछ कम हो चली थी। अहमदाबाद में तो श्री वल्लभभाई की अच्छी धाक जम गई थी। इस समय कीर्ति तथा ऐश्वर्य दोनो ही श्री वल्लभभाई के सामने हाथ बाधे खड़े थे। उन्होने १९१९ के अत तक वकालत की।

अध्याय २

सार्वजनिक जीवन का आरम्भ

समय समय पर दोनो भाइयो की बातचीत देश की वर्तमान अवस्था पर भी हुआ करती थी। एक दिन दोनो ने विचार किया कि देश की स्वतन्त्रता के लिये जीवनोत्सर्ग करने वाले युवको की आवश्यकता है। अत एक भाई घर का काम सम्भाले और दूसरा देश के लिये जीवन अर्पित करे। घरबार सम्भालने की जिम्मेवारी श्री वल्लभभाई के कन्धो पर पडी और श्री विट्ठलभाई लोक-सेवा के सन्यासी बने। थोडे ही समय तक श्री वल्लभभाई इस गृहस्थ सम्बन्धी उत्तरदायित्व को निभा पाए थे कि खेडा के किसानो ने अपना दुख लेकर श्री वल्लभभाई के पास आना आरम्भ कर दिया। इससे बैरिस्टरी का नशा श्री वल्लभभाई पर न ठहर सका और वे दिन दिन देश-सेवा की ओर अधिकाधिक आकर्षित होने लगे। इस समय श्री वल्लभभाई का कार्य सुचारु रूप से चल रहा था, किन्तु देश में महात्मा जी ने हलचल मचा रखी थी। महात्मा जी की दलीलो को आरम्भ में श्री वल्लभभाई भी व्यर्थ समझ कर उनकी हसी उडाते थे। एक दिन तो अपने मित्रो के साथ बैठे कह रहे थे कि "गाधी जी इन लोगो के सामने ब्रह्मचर्य की बातें क्यो कर रहे है ? यह तो भैस को भागवत सुनाने की-सी बात है।"

म्युनिसिपैलिटी में—सरदार पटेल महात्मा गाधी के सपर्क से बहुत पहले से सार्वजनिक क्षेत्र मे आ चुके थे। पहिले वह १९१७ में अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के सदस्य चुने गये। फिर उनको म्युनिसिपैलिटी में सैनिटरी कमेटी का चेयरमैन चुना गया। सन् १९१७ में भारत के अन्य स्थानो के समान अहमदाबाद में भी प्लेग का इतना भीषण प्रकोप हुआ कि प्रतिदिन सैकडों व्यक्ति मरने लगे। यहा तक कि सारे स्कूल तथा न्यायालय तक बन्द हो गये। इस समय आपन अत्यन्त साहस प्रदर्शित करते हुए नगर से सारी जनसख्या को निकाल कर बाहर जगलो मे ले जाकर रखा और इस प्रकार इस आपत्ति से नगर की रक्षा की। यद्यपि सरदार ने इस समय जनता को नगर के बाहर भिजवा दिया, किन्तु वह स्वय नगर में ही रह कर अपने निरीक्षण में नगर की सफाई करवाया करते थे। इससे म्युनिसिपिल्टी के स्वास्थ्य कर्मचारियो को प्रेरणा मिली और उन्होने अधिक तत्परता से नगर की सफाई की। अगले वर्ष १९१८ में जब सारे भारत में इन्फ्लुएजा का प्रकोप हुआ तो अहमदाबाद भी उसकी चपेट में आ गया। इस समय वल्लभभाई ने घर घर में इन्फ्लुएजा मिक्श्चर नि शुल्क बटवाया और जनता को उसके उपयोग की शिक्षा देने का व्यापक प्रबन्ध किया।

सरदार म्युनिसिपिलटी के लिये प्रथम वार एक उपचुनाव में निर्वाचित किये गये थे। किन्तु इतने अल्पकाल में भी अपनी कर्त्तव्यपरायणता तथा नि स्वार्थ सेवा से वह अन्य सदस्यो के श्रद्धाभाजन वन गये। अगले सार्वजनिक निर्वाचन में भी वह अत्यधिक बहुमत से चुने गये। इस निर्वाचन के बाद म्युनिसिपैलिटी के पर्याप्त सदस्य उनके अनुयायी वन गये। उनकी सहायता से सरदार ने म्युनिसिपैलिटी के लिये एक आचार सहिता तैयार की, जिसकी मुख्य बाते यह थी -

१–म्युनिसिपैलिटी का प्रयोग स्थानीय स्वराज्य की प्रथम भूमिका के रूप में किया जावे

२–म्युनिसिपिल सस्थाओ का उपयोग जनता के लिये निर्भयता से किया जाये।

३–उन्होंने एक ऐसी परिपाटी चलाई कि स्वराज्य के तत्व की स्थापना के लिये सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यो को किसी भी कमेटी मे नही लिया गया।

४–उन्होने सरकारी व्यक्तियो को अधिक सम्मान या मानपत्र देने की प्रथा को बन्द कर दिया।

५–उन्होंने म्युनिसिपिलटी के हरिजन कर्मचारियों के लिये नए मकान बनवा कर दिये।

जुलाई १९१७ मे श्री वल्लभभाई तथा श्री हरिलाल देसाई गुजरात क्लब के सेक्रेटरी तथा श्री मावलकर सयुक्त सेक्रेटरी चुने गये। एक दिन उन्होने क्लब में यह समाचार सुना कि मोतीहारी (बिहार) के मैजिस्ट्रेट ने गाधी जी के यूरोपियन प्लाटरो के श्रमिको की जाच करने के कार्य पर जो पाबन्दी लगाई थी, उसको मानने से उन्होंने इन्कार कर दिया। महात्मा जी का सविनय अवज्ञा की कार्य प्रणाली का भारत मे यह प्रथम कार्य था। गाधी जी ने पाबन्दी की आज्ञा को मान कर जाच बन्द करने की अपेक्षा जेल जाना बेहतर समझा। गाधी जी के सम्बन्ध में इस समाचार से क्लब में उपस्थित सभी के हृदय में बिजली-सी दौड गई। दीवान बहादुर हरिलाल देसाई तो एकदम उछल पडे और हाथ हिलाते हुए बाले, "मावलकर ! यह वीर पुरुष है। हमको इसे अपना अध्यक्ष बनाना चाहिये।" इस अवसर पर वल्लभभाई भी गुजरात क्लब के कार्यों में अधिकाधिक भाग लेने लगे थे। गाधी जी ने सभापति बनने का उनका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। इस प्रकार वल्लभभाई गाधी जी के सम्पर्क में प्रथम बार आये। फिर तो वह उनके अधिकाधिक निकट होते गये। ज्यो-ज्यो महात्मा गाधी गुजरात के राजनैतिक कार्यों में अधिकाधिक भाग लेते गए, श्री वल्लभभाई भी उनकी ओर आकर्षित होते गए। अब उन्हें आशा हो गई कि प्रात के विषय में ठोस एव विधायक मार्ग बनेगा। इसी समय महात्मा जी के सभापतित्व में गोधरा में प्रातीय राजनैतिक परिषद हुई। उसमे रचनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। उसको

कार्यरूप में परिणत करने के लिये एक मण्डल स्थापित किया गया। श्री वल्लभभाई को उसका मंत्री बनाया गया।

बेगार बन्द कराना—बापू जी तो बेगार बन्द करने का कार्यक्रम निश्चित करके चम्पारन चले गए। अत जिम्मेवारी श्री वल्लभभाई के कन्धों पर आ पडी। उन्होंने बडे उत्साह व लगन से कार्य करना प्रारम्भ किया। प्रथम तो उन्होंने कमिश्नर से लिखा-पढी की। किन्तु कमिश्नर का उत्तर न पाने पर उसको आपने सात दिन का नोटिस दे दिया और साथ ही यह भी कहला दिया कि यदि इसका उत्तर न मिला तो हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर बेगार को गैरकानूनी ठहरा कर लोगों को बेगार बन्द करने की सूचना दे दी जायगी। अब कमिश्नर ने समय की अवधि समाप्त होने के एक दिन पूर्व ही श्री वल्लभभाई को बुलाकर सारी स्थिति स्पष्ट करके उनके सामने रख दी और उनके मनानुकूल कार्य कर दिया।

महात्मा जी इससे बहुत ही प्रसन्न हुए और वल्लभभाई महात्मा जी के सम्पर्क में अधिकाधिक आने लगे। उधर चम्पारन से लौटते ही खेडा सत्याग्रह का भार महात्मा जी के कन्धा पर आ पडा। खेडा में उपज न होने पर भी लगान वसूल करने के लिये किसानो पर अत्याचार किये जा रहे थे। अत वहा करबन्दी सत्याग्रह करने के बारे मे विचार किया जा रहा था। खेडा के सैकडो अत्याचार पीडित किसानों में आशा उत्साह की ज्योति फैल रही थी कि महात्मा गाधी जी अब सत्याग्रह द्वारा उनके कष्टो का अन्त कर दगे। २० मार्च १९१७ को महात्मा जी ने पूछा, "खेडा चलने को मेरे साथ कौन २ तैयार है?" उनमे सबसे पहिला नाम श्री वल्लभभाई का आया। अब तो श्री वल्लभभाई के जीवन की दिशा एकदम बदल गई। उनके जीवन में घोर परिवर्तन हो गया। श्री वल्लभभाई सच्चे साथी की तरह महात्मा जी के बतलाए हुए मार्ग पर चलने लगे। उन्हे विश्वास हो गया कि महात्मा जी के आगमन से ही प्रात के पाखण्डपूर्ण राजनैतिक जीवन मे सत्य ने प्रवेश किया है।

खेडा सत्याग्रह—अब श्री वल्लभभाई तन-मन से महात्मा जी के साथ कार्य-क्षेत्र में कूद पडे। अप्रैल १९१८ मे खेडा के सत्याग्रह के लिए श्री वल्लभभाई ने गाव-गाव घूमकर अपढ किसानों में करबन्दी सत्याग्रह का पवित्र सदेश पहुचाना आरम्भ किया। अन्त मे किसान खुल कर सरकार से लडने को तैयार हो गए और अपने वचनो की रक्षा के लिये अड गए। अत में उन्हे २९ जून, १९१८ को विजय मिली। श्री वल्लभभाई ने इस सत्याग्रह में जिस लगन तथा उत्साह से काम किया, उससे उन्होंने सदा के लिये बापू के मन पर अधिकार कर लिया। वहा से सरदार पटेल महात्मा जी के जीवन मरण के पूर्ण साथी बन गए।

२९जून, १९१७ को खेडा सत्याग्रह के विजयोत्सव में व्याख्यान देते हुये गाधीजी

ने कहा 'सेनापति की चतुरता अपने सहायकों की मदद पर निर्भर है, । मेरी बात मानने को बहुत लोग तैयार थे, किन्तु मेरे मन में यह शंका थी कि मेरे साथ उप-सेनापति कौन हो ।' ' ' 'वल्लभ भाई को प्रथम बार देखने पर मैं मन मे सोचने लगा कि यह अक्खड पुरुष कौन है और वह क्या काम करेगा । किन्तु ज्यो २ वह मेरे निकट आते गए मेरा यह विश्वास बनता गया कि मुझे तो वल्लभ भाई ही चाहिये ।' ' ' 'यदि मुझे वल्लभ भाई न मिले होते तो जो काम हुआ है वह न होता । मुझे इनके सम्बन्ध में इतना अधिक शुभ अनुभव हुआ है ।'

वास्तव में महात्मा गाधी सत्याग्रह के सिद्धान्तो के सूत्रो के ग्रन्थकार थे तो सरदार वल्लभभाई पटेल उनके भाष्यकार थे । किन्तु सरदार ने अपना भाष्य अक्षरो में न लिखकर उसको कार्यरूप में परिणत करके ससार के सम्मुख उपस्थित किया । खेडा सत्याग्रह उनका आरम्भिक प्रयोग था । उसमे उन्होंने न केवल सच्चे सत्याग्रही ढूढ निकाले, वरन् उनको ट्रेनिंग देकर सच्चा सत्याग्रही भी बना दिया । इन व्यक्तियो मे से कुछ को तो सत्याग्रह विशेषज्ञ के रूप में भारतव्यापी ख्याति प्राप्त हुई । उनमें से कुछ के नाम ये है —दरबार गोपालदास, रविशकर महाराज, अब्बास तैय्यब जी, मोहनलाल पड्या आदि । खेडा सत्याग्रह से ही महात्मा गाधी तथा वल्लभभाई पटेल दोनो एक दूसरे के महत्व तथा उपयोगिता को समझ सके ।

सैनिक भरती—इस समय जर्मनी के साथ प्रथम महायुद्ध पूरे वेग से चल रहा था । भारत की नौकरशाही सरकार उसमें जी जान से जुटी थी । वायसराय ने भारतीय जनता की सहायता प्राप्त करने के लिये २९ अप्रेल १९१८ को दिल्ली में कुछ नेताओ से भेंट की । इस भेंट के फलस्वरूप महात्मा गाधी ने सरकार के लिये सैनिक भर्ती करना आरभ किया । इस कार्य के लिये महात्मा गाधी तथा वल्लभभाई पटेल अपने झोले में अपना खाना-दाना लिये हुए ग्राम-ग्राम घूमा करते थे । आरम्भ मे महात्मा गाधी स्वय भोजन बनाकर वल्लभभाई को खिलाया करते थे । बाद मे वल्लभभाई भी भोजन बनाने लगे । ये दोनो बडी कठिनता से लगभग १०० व्यक्तियो को भरती कर सके । पहिले दल के सेनापति के रूप मे गाधी जी और उपसेनापति के रूप में वल्लभभाई जाने वाले थे । उसमे गाधी जी ने घोषणा की थी कि वह रणक्षेत्र में सबके आगे रहेगे, किन्तु शस्त्र धारण नही करेंगे । ९ नवम्बर १९१८ को जर्मनी के आत्म-समर्पण से गाधी जी तथा सरदार का सैनिक-भरती का कार्यक्रम समाप्त हो गया ।

रोलट एक्ट—"सत्याग्रह की यह खूबी है कि वह स्वय हमारे पास चला आता है । उसे खोजने हमें जाना नही पडता । यह गुण उसके सिद्धान्त में ही समाया हुआ है ।" महात्मा जी के इस कथन से सरदार वल्लभभाई पटेल पूर्णतया

प्रभावित हो गए, किन्तु साथ ही वह बैरिस्टरी भी करते रहे। इसी समय १३ अप्रैल १९१९ को जलियावाला बाग में विदेशी शासन को जो विभीषिका दिखाई पडी, उसने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को एकदम जगा दिया। इससे पूर्व इसी बीच महात्मा जी ने रौलट ऐक्ट के विरोध में फर्वरी १९१९ में सत्याग्रह सग्राम का श्रीगणेश कर दिया था। इससे देश में तूफान उठ खडा हुआ। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद आदि बडे-बडे नगरो में हडतालें होने लगी। ६ अप्रैल १९१९ को अहमदाबाद म भारी हडताल हुई। शाम को सरदार वल्लभभाई के नेतृत्व में इतना बडा जलूस निकला, जैसा पहिले कभी नही निकला था। सभा की कार्यवाही के पश्चात् सरदार ने जब्त पुस्तको को स्वय बेचकर कानून भग किया। किन्तु पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नही किया। ७ अप्रैल से प्रेस ऐक्ट के अनुसार सरकार की अनुमति लिये बिना ही सरदार ने "सत्याग्रह पत्रिका" निकाली। इसका सारा कार्य सरदार के घर पर ही होता था। दिल्ली के दगे का समाचार पाकर महात्मा गाधी दिल्ली जा रहे थे कि मार्ग में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे देश के अनेक भागो में दगे हुए। इसके फलस्वरूप १० अप्रैल को अहमदाबाद में भी भारी दगा हुआ। इस पर सरकार ने वल्लभभाई के दरवाजे पर कडा पहरा बैठा दिया। उस समय उन्हे अनेक कष्टो का सामना करना पडा। किन्तु श्री वल्लभभाई भयकर तूफान के बीच भी अचल खडे हुए उसका शातिपूर्वक सामना करते रहे और शाति स्थापित करने में सरकार को सहायता देते रहे तथा लोगो के मुकदमे लडते रहे। उनके इस साहस एव धैर्य का तत्कालीन अगरेज अफसरो पर अत्यन्त प्रभाव पडा और उन्होने भी मुक्त कठ से श्री वल्लभभाई की सराहना की।

अहमदाबाद के इस दगे के समय थानो आदि कुछ सरकारी इमारतो को जलाने के कुछ प्रयत्न भी किये गए। इसके फलस्वरूप अन्य स्थानो के समान अहमदाबाद मे भी मार्शल-ला (जगी कानून) लगाया गया। सरदार के निवास स्थान के पास ही कलैक्टर का कार्यालय तथा बैंक थे। अतएव वहा बदूकधारी गोरे का पहरा २४ घण्टे रहता था। एक दिन सरदार पटेल रात को १० बजे अपने घर वापिस आ रहे थे तो बदूकधारी गोरे ने उनके सीने पर बदूक रखकर 'हू गोज देयर' (वहा कौन जाता है) कहा। सरदार ने उत्तर दिया 'सामने मेरा घर है वही जा रहा हू' इस पर गोरे ने बदूक हटा ली। बाद मे महागुजरात आन्दोलन के समय काग्रेस राज्य मे उसी स्थान पर एक सत्याग्रही बालक के ऊपर काग्रेस सरकार की पुलिस ने गोली चलाकर उसे वहीं ढेर कर दिया।

दुःख की बात है कि काग्रेस राज्य में ८ अगस्त १९५६ को जब दो युवक महागुजरात की माग के बारे में काग्रेस कार्यालय में गये तो उन दोनो को पुलिस ने गोली मार दी। उनमें से एक की तो खोपडी ही उड गई। गुजरात के अन्य स्थानो

पर अनेक अन्य व्यक्ति भी इस आन्दोलन मे शहीद हुए। उनका स्मारक बनाने के लिये महागुजरात आन्दोलन की ओर से दस मास तक सत्याग्रह चला, जिसमें २२०० से अधिक व्यक्ति जेल गये। इन जेल जानेवालो में सरदार पटेल के पुत्र श्री डाह्याभाई पटेल तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भानुमती भी थे। इस आन्दोलन का नेतृत्व उन्ही इन्दुलाल याज्ञिक ने किया था, जो सरदार पटेल की अध्यक्षता काल में गुजरात प्रान्तीय काग्रेस कमेटी के मन्त्री थे तथा जो गाधी जी के साथ यरवडा जेल में अढाई वर्ष तक रहे थे।

इस समय नडियाद इलाके मे रेल लाइन भी उखाडी गई थी। इस आरोप में कुछ निरपराध व्यक्ति पकडे गये। सरदार ने उनके बचाव की तन-मन-धन तीनो प्रकार से तैयारी की और स्वय अदालत में उनकी पैरवी करके उनको छुडाया। इस कार्य के लिये अभियुक्तो से उन्होने कोई फीस नही ली। इस मुकदमे के साथ ही सरदार ने वकालत छोड दी। वास्तव मे यह उनका अन्तिम मुकदमा था।

अभी जलियावाला बाग की ज्वाला ठण्डी नही हुई थी, और जनता के रक्त में उबाल रह-रहकर उठ आया था कि महात्मा जी ने जनता के समक्ष प्रस्ताव रखा कि सरकार के अत्याचारो से त्राण पाने का अमोघ अस्त्र सत्याग्रह है। महात्मा जी के मुख से सत्याग्रह शब्द निकलते ही लाखो आदमी असहयोग के लिए तुल गए।

गुजरात विद्यापीठ की स्थापना—११ जुलाई १९२० को नडियाद में गुजरात राजनीतिक परिषद् का वार्षिक सम्मेलन हुआ। उसमें सरदार के प्रस्ताव पर सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

इस सम्मेलन में एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा गुजरात विद्यापीठ की स्थापना करने का निश्चय भी किया गया। सरदार ने विद्यापीठ को उसके जन्मकाल से ही उसका अपने पुत्र के समान पालन किया और उसको आर्थिक चिन्ता से सदा मुक्त रखा।

असहयोग आन्दोलन में भाग—कलकत्ता काग्रेस में लाला लाजपतराय के सभापतित्व में एक प्रस्ताव पास हुआ कि "पजाब हत्याकाड से देश को बडी व्यथा पहुची है। जब तक सरकार पजाब के मामले में न्याय न करे और इस बात की गारन्टी न दे कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न होगी और पुलिस निरपराध जनता पर अत्याचार करना बन्द न करे तब तक उसके साथ हमारा असहयोग चलता रहेगा। जनता को चाहिये कि वह सरकारी नौकरियो, उपाधियो, कचहरियो, और स्कूलो का बहिष्कार कर दे। विद्यार्थी स्कूल व कालिजो में पढना तथा वकील वकालत करना छोड दें। गाव गाव में राष्ट्रीय पचायतें बनाई जाये। विदेशी वस्त्र

का बहिष्कार तथा स्वदेशी खादी का प्रचार किया जावे और कौंसिलो का भी बहिष्कार कर दिया जावे ।"

नागपुर काग्रेस मे काग्रेस का नया विधान बनाने के उपरान्त सभी प्रान्तो में काग्रेस की प्रान्तीय समितिया बनाई गईं। सरदार आरम्भ से ही गुजरात प्रान्तीय काग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गये थे। वह १९४२ तक प्रतिवर्ष चुने जाते रहे।

इसके उपरान्त देश मे असहयोग की ज्वाला बडे वेग से प्रज्वलित होने लगी। अब श्री वल्लभभाई ने बरिस्टरी छोड दी। यद्यपि वह अपने लडके लडकी को विलायत भेज कर उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे, किन्तु उन्हे भी उन्होने स्कूलो से उठा लिया। सब कुछ छोडकर श्री वल्लभभाई सारे गुजरात प्रान्त में घूम घूम कर असहयोग का प्रचार करने लगे और शाति शाति का पुनीत सन्देश देश के युवको को देने लगे।

असहयोग के कारण जनता ने जेलो को ठसाठस भर दिया। असहयोग की आधी देश में पहिले कभी भी नही आई थी। इससे शक्तिशाली सत्ताधारियो के आसन हिल उठे और सरकार दमन पर तुल गई। आन्दोलन को दबाने के लिये सरकार ने सारी शक्ति लगा दी। किन्तु सरकार जितना दबाती जाती थी, असहयोग उतना ही बढता जाता था।

सरदार ने १९२० की गर्मियो मे खादी पहनना आरम्भ किया। मणिबेन और डाह्याभाई ने भी उनके साथ ही साथ खादी पहनना आरम्भ कर दिया था।

अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी द्वारा असहयोग—यद्यपि इस समय अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी मे काग्रस का बहुमत बहुत थोडा था, किन्तु उसने सरदार की प्रेरणा से ११ फरवरी १९२१ को एक प्रस्ताव द्वारा अपने सभी स्कूलो का सरकार से सम्बन्ध तोड लिया। इस पर म्युनिसिपैलिटी की मार्फत सरदार का सरकार के साथ भयकर सघर्ष हुआ। अत में सरकार ने अहमदाबाद म्युनिसिपल बोर्ड को उसकी आयु समाप्त होने से कुल २ मास पूर्व तारीख ९ फरवरी १९२२ को पदच्युत कर दिया। जनता के सदस्यो ने जो स्कूल सरकार की सहायता के बिना म्युनिसिपैलिटी के कोष से खोले थे, सरकार ने उनका खर्च वसूल करने का दावा उन सदस्यो पर किया। सरदार वल्लभभाई ने अदालत में इस मुकदमे की पैरवी स्वय की, जिससे सरकार का दावा हाई कोर्ट तक से खारिज हो गया और उसे प्रतिवादियो को मुकदमे का खर्चा भी देना पडा।

अहमदाबाद कांग्रेस—दिसम्बर १९२१ में काग्रेस का वार्षिक महासम्मेलन अहमदाबाद में हकीम अजमलखा की अध्यक्षता मे किया गया। सरदार वल्लभभाई पटेल इसके स्वागताध्यक्ष थे। इस काग्रेस के लिए सरदार ने अपना दिन रात एक

करके धन एकत्रित किया और अपनी प्रबन्धपटुता का प्रमाण देकर इस सम्मेलन को सफल बनाया। इस सम्मेलन के एक प्रस्ताव द्वारा सामूहिक करबन्दी सत्याग्रह के लिये बारडोली ताल्लुका चुना गया।

चौरी चौरा काण्ड—अब बारडोली में सत्याग्रह की तैयारी जोर शोर से की जाने लगी। महात्मा गांधी ने १ फरवरी १९२२ को वायसराय को एक पत्र भेज कर सूचना दी कि वह बारडोली मे शीघ्र ही करबन्दी आन्दोलन आरम्भ करने वाले हैं। किन्तु ८ फरवरी १९२२ को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा में एक कांग्रेस के जलूस की भीड़ ने पुलिस के २१ सिपाहियों और थानेदार को थाने में खदेड़कर उसमें आग लगा दी, जिसमे वह सब वहीं जल मरे। उधर प्रिंस आफ वेल्स के भारत आगमन के विरोध स्वरूप बम्बई और मद्रास में भी दंगे हुए। अतएव महात्मा गांधी ने १२ फरवरी १९२२ को बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक करके निश्चय किया कि चौरी चौरा काण्ड ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता अभी अहिंसा के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बारडोली में सत्याग्रह अभी आरम्भ नहीं किया जावेगा।" इससे न केवल बारडोली के निवासियों में वरन् समस्त देश मे निराशा छा गई। इस देश व्यापी निराशा का लाभ उठा कर सरकार ने १० मार्च १९२२ को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके १८ मार्च को उन्हें ६ वर्ष के कारागार का दण्ड दिया। जिस समय मैजिस्ट्रेट ब्रूमफील्ड ने इस दण्ड की घोषणा की न्यायालय के कमरे में डा. राजेन्द्र प्रसाद, सेठ जमनालाल बजाज, श्रीमती सरोजनी नायडू तथा गुजरात के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। महात्मा जी की दण्ड आज्ञा सुनकर वे सभी अपने को अनाथ समझ कर रो पड़े। किन्तु इस समय सरदार पटेल ने न केवल स्वयं धैर्य धारण किया, वरन् अन्य सब को भी धैर्य बंधाया। महात्मा गांधी जब तक जेल में रहे तब तक सरदार ने माता कस्तूरबा तथा सभी आश्रमवासियों की पिता के समान देखभाल की। वह नियमित रूप से अपने साथ एक डाक्टर लेकर उनके पास सप्ताह मे दो बार जाया करते थे और उनके सभी प्रकार के अभाव को दूर किया करते थे।

१ दिसम्बर १९२२ से सरदार ने अनेक कार्यकर्ताओं तथा स्वयंसेवकों को लेकर अहमदाबाद की कपड़ा मण्डी में विदेशी वस्त्र पर धरना देने का कार्य आरम्भ किया।

श्री वल्लभभाई इस समय गुजरात के सच्चे नेता के रूप में जनता के सामने आए। वे बातून नहीं थे, ठोस काम करना खूब जानते थे। गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात् देश में सन्नाटा छा गया। असहयोग भी शिथिल होने लगा। किन्तु श्री वल्लभभाई बराबर मैदान में डटे रहे और कांग्रेस का रचनात्मक कार्य करते रहे। कांग्रेस के प्रत्येक कार्य चर्खा, खादी, पुनरुत्थान, अछूतोद्धार, किसान संगठन तथा

व्यवहारिक शिक्षा आदि में उन्हे सफलता दिखाई देती थी। वे बराबर कार्यक्षेत्र में डट रहे।

इसी समय सरकार ने दूसरा षडयन्त्र रचा, जिससे असहयोग आन्दोलन की प्रतिक्रियास्वरूप हिन्दू मुस्लिम परस्पर एक-दूसरे का सर फोडने लगे। किन्तु श्री वल्लभभाई तब भी अपन पथ से तनिक भी विचलित न हुए और निरन्तर अपन उद्योग में लगे रहे। इन्ही दिनों श्री वल्लभभाई ने ब्रह्मा तक यात्रा करके गुजरात विद्यापीठ के लिए दस लाख रुपय एकत्रित किये। इस आन्दोलन का नतृत्व श्री वल्लभभाई न जिस ढग से किया वह उन्ही के अनुरूप था।

नागपुर का झण्डा सत्याग्रह—सच्चे नता का गुण श्री वल्लभभाई में पहिले ही विकसित हो रहा था। महात्मा जी के सम्पर्क से उनमें सत्य और अहिंसा का भी समावेश हो गया। वकालत करन से व्यवहारिक ज्ञान भी उन्हे प्राप्त हो गया था। इसी सत्य और अहिंसा के परम तत्व को व्यवहार में लाकर श्री वल्लभभाई ने देश के प्रत्यक आन्दोलन म खुल्कर भाग लिया और सरकार का मानमर्दन किया।

नागपुर के कलेक्टर न १ मई १९२३ को कांग्रेस के एक जुलूस पर झण्डा लेकर चलन पर पाबन्दी लगा दी। अब नागपुर में राष्ट्रीय झण्डे की मान रक्षा के लिये देशभक्तो न पुनः सत्याग्रह सग्राम का सूत्रपात किया। नौकरशाही ने झण्डे की शान को धूल में मिलाने की अत्यधिक चेष्टा की, किन्तु उसे सफलता न मिली। सैकडो सत्याग्रही टोलियाँ बना बना कर एक के बाद दूसरी के हिसाब से जेल जाने लगी। श्री वल्लभभाई ने गुजरात से बहुत सी टोलिया भेजी और रुपया भी दिया, क्योकि यह राष्ट्रीय झण्डे की मान मर्यादा का प्रश्न था। इस अवसर पर श्री वल्लभभाई कैसे चुप बैठ सकते थे।

सरकार ने जब श्री जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया तो कांग्रेस ने सत्याग्रह के सचालन का भार श्री वल्लभभाई को सौंप दिया। गुजरात से सत्याग्रहियो के दल के दल बराबर पहुच रहे थे। गवर्नर ने सत्याग्रह को एक दम गैरकानूनी ठहरा दिया था। किन्तु श्री वल्लभभाई पर सरकार की इस धमकी का कोई असर न हुआ। उन्हाने अपन उद्योग में कोई शिथिलता न आने दी। एक टोली के गिरफ्तार होने के पश्चात् दूसरी टोली झण्डा फहराती, वन्दे मातरम् से आकाश गुजाती और जयध्वनि करती वहा जा पहुचती। बहुत दिना तक नौकरशाही और सत्याग्रहियो के बीच इस प्रकार सघर्ष होता रहा।

अत में सत्य और अहिंसा के आगे नौकरशाही के अन्याय और अत्याचार के पैर कापने लगे और वह झुकने को विवश हो गई। श्री जमनालाल बजाज की गिरफ्तारी के दस-पन्द्रह दिन के बाद ही गवर्नर ने श्री वल्लभभाई से बातें कीं और बिना किसी शर्त के सत्याग्रहियो को ९ सितम्बर १९२३ को छोड दिया।

अब जनता की सारी मांगें स्वीकृत हो गईं। निशस्त्र सत्याग्रही शस्त्रधारी सरकार की प्रतिस्पर्द्धा में शान्तिपूर्वक जीत गए। सरकार को ऐसी करारी हार खाने की आदत ही पड़ चुकी थी। सत्याग्रही वीर गगनचुम्बी राष्ट्रध्वज को शान से फहराते हुए लौटे।

नागपुर सत्याग्रह के संचालन में श्री वल्लभभाई के प्रबन्ध कौशल, अद्‌भुत साहस, शौर्य, दिन रात एक कर देने तथा हजारों आदमियों को एक सूत्र में शासन में बांध रखने के अलौकिक गुणों में उनके सैनिक और सेनापतित्व दोनों का परिचय और समन्वय मिलता है। जो सैनिक नहीं बनता वह भविष्य में सेनापति के ऊंचे और गौरवपूर्ण आसन को सुशोभित करने के योग्य नहीं हो सकता। गाधी जी की छत्र-छाया में श्री वल्लभभाई ने इंगित मात्र पर भूख प्यास से नाता तोडकर रातों जाग कर, घोर परिश्रम करते हुए किस प्रकार व्यस्त जीवन व्यतीत किया, इसका आज अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसी से कहा जाता है कि श्री वल्लभभाई असीम साहस एवं अनुशासन की मूर्त्ति थे।

इतना ही नहीं पं. माखनलाल जी चतुर्वेदी के सुन्दर शब्दों में जब महात्मा जी छोटे से छोटे आदमी के कौतूहलों का भी प्रत्युत्तर दे देते थे, तब वल्लभभाई से प्रश्न पूछने का भी साहस बहुत कम को हो पाता था। श्री वल्लभभाई में वीरोचित क्षमता थी। वे सेनापति से अधिक कुछ नहीं और न होना ही चाहते थे। श्री वल्लभभाई का कार्यक्रम आरम्भ होने पर ही ज्ञात होता था, इससे पूर्व कोई कुछ नहीं जान पाता था। इस प्रकार वे बरसने वाले मेघ सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त उन्होंने किसान का दिल देखा और उसे भारतीय प्रतिनिधि के रूप में आप ने ही परखा। किसान आप को और आप किसान को खूब समझते थे। काका कालेलकर के शब्दों में "जब किसान व्याकुल होने लगता था तब आप का रक्त उबलने लगता था।" श्री वल्लभभाई भारतीय किसान की आत्मा थे। उनकी वाणी आग उगलती थी। श्री वल्लभभाई की शैली ही इस प्रकार थी कि "शत्रु का लोहा भले ही गरम हो जाय, पर हमारा हथौड़ा ठंडा ही काम दे सकता है।" आप के इसी स्वभाव के कारण जहा-जहा जिस-जिस क्षेत्र में आपने हाथ डाला सर्वत्र विजय प्राप्त की।

बोरसद सत्याग्रह—अभी श्री वल्लभभाई नागपुर के सत्याग्रह से निश्चिन्त हुए ही थे कि हमारी आशातीत सभ्य सरकार ने नवीन युक्ति विचार कर उसे कार्य रूप में परिणत भी कर दिया। सरकार की ओर से परिषद् की प्रजा पर दोषारोपण किया गया कि बोरसद की प्रजा अराजक, विकृत मस्तिष्क वाली, नीच कार्य करने वाले मनुष्यों को आश्रय देती तथा उनके पकड़वाने में सहायता नहीं करती। यह आरोप सरकार ने नवम्बर १९२३ में लगाया था। जनता पर यह दोषारोपण कर सरकार ने वहां अतिरिक्त पुलिस नियुक्त कर दी और इस पुलिस

के व्यय के दण्डस्वरूप बोरसद ताल्लुके से उसने दो लाख ४० हजार रुपये वसूल करने का आज्ञापत्र भी निकाल दिया।

इन सब आरोपो में से एक भी सत्य न था। अत श्री वल्लभभाई पटेल ने सरकार को चुनौती दी कि वह जनता के विरुद्ध लगाये गए इन आरोपो को सच्चा सिद्ध करे। अब यदि सरकार इनको सत्य ही सिद्ध कर देती तो श्री वल्लभभाई के लिए कृष्ण मदिर का द्वार खुला ही था। परन्तु अपराध तो सरकार का था। स्वय उसके मन में ही चोर था। श्री वल्लभभाई ने सरकारी नीति का भण्डाफोड कर यह सिद्ध कर दिया कि कभी-कभी अधिकारियो की अक्ल का भी दिवाला निकल जाता है। वे लगभग एक माह तक गाव गाव घूम कर जनता के सामने अधिकारियो की पोल खोलते रहे। उन्होने जनता को प्रेरणा की कि वह दण्ड रूप में लगाए हुए टैक्स का एक पैसा भी सरकार को न दे।

इस समय जनता को श्री वल्लभभाई के गिरफ्तार होने की पूर्ण सम्भावना थी। किन्तु श्री वल्लभभाई की कडी आलोचना के कारण सवा महीने के भीतर भीतर गवर्नर ने होम मेम्बर को भेजकर मामले की जाच कराई। अन्त में जनता के ऊपर जबरन लादा हुआ २ लाख ४० हजार का जुर्माना सरकार ने स्वय माफ कर दिया। अब सत्याग्रह समाप्त कर दिया गया। यहा भी विजयश्री आपको ही मिली।

बोरसद ताल्लुके का सगठन बडा सुदृढ था। श्री वल्लभभाई की बिना आज्ञा कोई निस्तब्धता भग नही कर सकता था। अधिकारियो में इतनी हिम्मत न थी कि वह जनता को डरा धमका कर दण्ड का पैसा वसूल कर सकें। बोरसद की जनता पर श्री वल्लभभाई का रग चढ चुका था। वे अपने प्रमाणित सेनापति के अनुशासन को किस प्रकार भग कर सकते थे ? सबके मुख पर एक ही शब्द था कि बिना श्री वल्लभभाई की आज्ञा के हम कुछ नही कर सकते। श्री वल्लभभाई के यह शब्द कि राजसत्ता यदि अत्याचारी हो तो किसान का सीधा उत्तर है कि "जा जा! तेरे ऐसे कितने ही राज्य मैंने मिट्टी में मिलते देखे है" किसानो के कानो में गूजा करते थे। किसानो को इस प्रकार सगठित करने का परिणाम यह हुआ कि सरकार अत्यधिक प्रभावित हो गई। आसपास के गावो में यह बात फैल गई कि बोरसद से पुलिस खाली हाथ परेशान होकर लौटी। सरकार को मुह की खानी पडी।

इसके अनन्तर बोरसद के पास के आनन्द ताल्लुके में भी सरकार ने कई गावो पर इसी प्रकार के अतिरिक्त कर लगा दिये। किन्तु जनता ने उनका देने से एकदम साफ नही कर दी। अन्त में हार कर सरकार को यहा भी झुकना पडा और जनता के केवल एक ही प्रार्थना पत्र पर वह दण्ड भी क्षमा कर दिये गए।

शक्तिशाली सरकार की प्रतिस्पर्द्धा में निरीह भारतीय जनता के विजयी होने का श्रेय उसके सुयोग्य सुदक्ष एव दूरदर्शी सेनापति श्री वल्लभभाई को था। उन्होंने दीन निरीह ग्रामीण जनता को केवल ईश्वर के नाम निर्बल के बल राम के सहारे अपने अधिकारो के लिये लडना सिखाया। सैंकडो की सख्या में किसान जब उनसे कहते कि इतनी शक्तिशाली सरकार के विरोध में हम कैसे खडे हो सकेगे तब श्री वल्लभभाई शान्तिपूर्वक बडी गम्भीरता से उन्हे सत्याग्रह की दीक्षा देते हुए बतलाते कि "निर्बल के बल केवल राम हैं। उन्ही के सहारे अपने अधिकारो की रक्षा के लिए अड जाओ। देश तुम्हारा है, तुम देश की आत्मा हो। सत्य की रक्षा के लिए प्राणो की बाजी लगा दो। अन्त में तुम्हारी विजय होगी।" इस प्रकार श्री वल्लभभाई ने करोडो निर्जीव से शिथिल किसानो में नव प्राण की स्फूर्ति भर कर उन्हे सरकार के प्रतिरोध में लडने को सन्नद्ध कर दिया।

वास्तव में श्री वल्लभभाई का निर्माण उन्ही उपकरणो से हुआ था जिनसे एक बलि देने वाले पुरुष का। उनकी परिस्थिति, असीम धैर्य, सगठन शक्ति और विवेक बुद्धि ने ही उन्हें नेता के पथ पर ला कर खडा किया था। यद्यपि श्री वल्लभभाई में वह कूटनीतिज्ञता नही थी जो राजनीति की मुख्य वस्तु है, पर उनमें वह गम्भीरता और नवजीवन सचारक भावावेश प्रचुर मात्रा में थे जो सफल सरदार का निर्माण करते हैं। अपने इन्ही गुणो के कारण वे बारडोली के सत्याग्रह से पूर्णरूप से सरदार कहलाने लगे। खेडा, नागपुर, बोरसद आदि के सत्याग्रह इन्ही गुणो के बल पर जीते गए। तत्कालीन भारतीय नेताओ में किसानो की पीडा को समझने वाला श्री वल्लभभाई पटेल के अतिरिक्त अन्य कोई नही था।

अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी की चेयरमैनी—महात्मा जी अभी जेल में ही बन्द थे। बाहर श्री वल्लभभाई बडी सलग्नता से सार्वजनिक कार्यों को चला रहे थे। श्री वल्लभभाई का यथाशक्ति यही यत्न था कि कार्यों में शिथिलता न आने पावे। इसलिये उन्हे उगली हिलाने मात्र की भी फुर्सत न थी। गाधी जी के जेल से छूट जाने पर उनका भार कुछ हल्का हुआ, फिर भी आप खाली न रहे। वे खाली बैठने वाले जीव नही थे। अहमदाबाद में उन्होंने काग्रेस का रचनात्मक कार्य आरम्भ कर दिया।

१९२४ के आरम्भ में अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी को सरकार ने बहाल कर फरवरी १९२४ में उसके नए चुनाव कराए। उसके ४८ निर्वाचित स्थानो में ३५ स्थान सरदार के अनुयायी काग्रेसियो को मिले। अतएव उन्होंने सरदार को ही अपना चेयरमैन चुना। इस समय जवाहर लाल नेहरू को इलाहाबाद में, राजेन्द्र बाबू को पटना में तथा डाक्टर भगवानदास को बाराणसी में बोर्ड का चेयरमैन चुना गया। सरदार पटेल १९२७ के चुनाव में भी दुबारा चेयरमैन च

गये, किन्तु १९ अप्रल १९२८ को उन्होने म्युनिसिपल बोर्ड का परित्याग कर दिया। इन पाच वर्षों में आपने अहमदाबाद की गन्दगी दूर कर दी और शिक्षा प्रचार को प्रोत्साहन दिया। अब जनता में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हुई और वह सफाई, स्वास्थ्य तथा नागरिक अधिकारों का महत्त्व समझने लगी।

गुजरात की बाढ—इस समय जुलाई १९२७ में गुजरात की ५ नदियो में एक दम बाढ आ गई। लगभग अढाई-तीन सहस्र मील के समूचे प्रदेश में विनाश-लीला का ताण्डव नृत्य आरम्भ हो गया। इस बाढ के कारण गाव के कच्चे-पक्के मकान बैठ गये और उनके ऊपर से बाढ का जल बहने लगा। इससे न केवल लाखो व्यक्ति बेघरबार हो गये, वरन् उनमें से अनेक का माल-असबाब, अन्न भण्डार, पशु आदि सब कुछ इस राक्षसी बाढ में नष्ट हो गया। इस बाढ के कारण कच्चे-पक्के मार्ग का तो क्या कहना रेलवे लाइनें भी बह गईं। इटोला (बडौदा से १५ मील) से बडौदा तथा अहमदाबाद तक रेल यातायात भग हो गया। रेल लाइन के दोनो ओर के सब गाव बाढ में डूब गये। बडौदा नगर की गलियो तक में नावें चलने लगी। इस कारण अनेक पशुओ के अतिरिक्त जन-हानि भी पर्याप्त हुई। इस महाविनाश के कारण जनता में हा-हाकार मच गया। सरकार तथा उसके कर्मचारी इस दृश्य को देखकर भी अकर्मण्य बने रहे। एक स्थान पर तो कलेक्टर के मकान को भी बाढ ने चारो ओर से घेर लिया और उसके बाल बच्चे अन्न के बिना भूखो मरने लगे। गुजरात की इस बाढ के समय गांधीजी बगलौर में बीमार पडे थे, उन्होंने वहां से सरदार को तार देकर पूछा कि

'क्या मैं आऊ ?'

इस पर सरदार ने उत्तर दिया

'आप हमको दस वर्ष से शिक्षा दे रहे हैं। उसका हमने कितना पाचन किया है तथा हम उसको किस प्रकार कार्यरूप में परिणत कर रहे हैं, यह देखना हो तो आइयें।'

ऐसी स्थिति में सरदार पटेल ने बाढ पीडितो की सहायता करने का बीडा उठाया। उन्होने उनकी सहायता के लिये अपना एक अलग फण्ड खोला, जिसमें नकदी के अतिरिक्त अन्न, वस्त्र, औषधिया, बास, बल्ली, ईंट, चूना तथा सीमेंट आदि भवन निर्माण की सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में आने लगी। सरदार ने बाढ पीडितो की सहायता के लिये स्वयसेवको की भर्ती की, जो जनता में घूम-घूम कर उसकी सहायता करने लगे। प्रथम उन्होने बाढ में फसे हुए लोगो को पका-पकाया अन्न बाटा। उन्होंने खेडा के उस कलेक्टर के मकान तक पहुचने के लिये चार-चार-पाच-पाच फुट जल पार कर उसके बाल-बच्चों की अन्न से सहायता की। कलेक्टर ने उनकी सहायता के लिये उन्हें सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दिया, जिससे

सन् १९२७ में गुजरात में बाढ़ प्रलय का निरीक्षण करते हुए सरदार पटेल, श्री विटठल भाई पटेल, वाएसराय लार्ड इर्विन तथा उनके साथी

मद्रास में सरदार जुलूस में जाते हुए मोटर में

सरकार ने बुरा माना। फिर उन स्वयसेवकों ने जनता के घरों की सफाई करा कर उनके टूटे हुए मकानों को दोबारा बनवाने का काम हाथ में लिया। किन्तु इस कार्य के लिये प्रभूत धनराशि की आवश्यकता थी। अतएव सरदार ने जनता से अपील की कि वह अधिक मात्रा में धन दान दे। इस पर जनता ने मुक्त-हस्त होकर सरदार की अपील का अनुकूल उत्तर दिया। अब सरदार ने न केवल टूटे हुए मकानों को नये सिरे से बनवाया, वरन् अनेक कच्चे मकानों को भी पक्का बनवा दिया। सरदार की देखादेखी भारत के अनेक भागों से सहायता आने लगी। सरकार ने इस कार्य के लिये आरम्भ में कुल दो सौ पचास रुपये दिये।

सरदार के ज्येष्ठ भ्राता श्री विट्ठल भाई पटेल इन दिनों दिल्ली की केन्द्रीय धारा सभा के अध्यक्ष (स्पीकर) थे। अतएव राजनीतिक क्षेत्रों में उनको प्रेसीडेंट पटेल के नाम से सम्बोधित किया जाता था। गुजरात के इस सकट के समय सरदार के पत्र पाकर वह भी नई दिल्ली से आकर दो मास तक नडियाद में रहे। उन्होंने वायसराय लार्ड इर्विन को आग्रहपूर्वक गुजरात बुलाकर बाढ की विनाश लीला का दृश्य दिखलाया, जिससे सरदार के अलौकिक कार्य को देखकर उनको इतना अधिक आश्चर्य हुआ कि सरकार ने अपने अकाल कोष से १ करोड रुपये की रकम निकाल कर बाढ पीडितो की सहायता के लिये सरदार वल्लभभाई के हाथो में चुपचाप सौंप दी। अपनी इस सेवा के कारण सरदार गुजरात की जनता के हृदयहार बन गये और गुजरात वल्लभ कहलाने लगे।

गुजरात की इस बाढ के लिये सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने सारे भारत में सामान्य रूप से तथा बम्बई में विशेष रूप से धन एकत्रित किया। ईस्ट इण्डिया काटन एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के कारण उनको समस्त भारत से धन मिला। किन्तु धन एकत्रित करके भी वह यह प्रतीक्षा करते रहे कि सरदार उनसे स्वय सहायता मागे। अन्त में सरदार से कोई सन्देश न मिलने पर उन्होंने स्वय ही उनके पास सहायता के लिये धन भेजा। गुजरात की इस बाढ़ में रामकृष्ण मिशन ने भी पर्याप्त सहायता कार्य किया।

सरदार के इस अनुपम सेवा कार्य की देश भर में प्रशसा की गई। सरकार ने भी उनकी मुक्त कण्ठ से प्रशसा की। इस प्रकार सरदार ने सरकार तथा गुजरात की जनता पर अपनी कर्मठता की अमिट छाप लगा दी।

गुजरात के इस बाढ सकट के समय जो राहत कार्य हुआ उससे आपत्ति के समय प्रजा क्या कर सकती है इसकी नई प्रणाली पडी। सरदार की शिक्षा पा कर जो कार्यकर्ता वहा तैयार हुये, उन्होंने बाद में बिहार में भयकर भूकम्प आने पर अपने अनुभव का लाभ बिहार को दिया।

अध्याय ३

बारडोली सत्याग्रह

बारडोली का ताल्लुका सूरत जिले में है। वह बडा ही रमणीय प्रदेश है। बारडोली गुजरात उद्यान की सुन्दर वाटिका का खिला हुआ गुलाब है। कोसों तक हरे-भरे खेत लहलहा रहे हैं। स्थान-स्थान पर आमों के झुड खडे हुए हैं। कही-कही बडे-बडे वृक्षों की कतारें टेढी-मेढी चली गई हैं। उन पर बेलें चढ़ी हुई हैं और आस-पास अगणित छोटे-छोटे जगली पौदे खड़े हुए हैं।

सन् १९२१ से पूर्व किसी ने बारडोली का नाम भी नही सुना था। आज बारडोली की कीर्ति दूर-दूर तक फैली हुई है। किसानों तथा पिछड़ी हुई जातियों के बल पर देश में कोई इतना बडा आन्दोलन नही हुआ और न किसी जाति ने राजनैतिक कार्यों में इतना बड़ा भाग लिया था। बारडोली ने हमें इसका अनुभव करा दिया कि ग्राम सगठन के बल पर किस प्रकार असम्भव बात भी सम्भव हो सकती है। अभी तक सरकार छोटे-छोटे सत्याग्रहो के किये जाने के कारण भी अपने को अजेय समझ रही थी। किसी देश के स्वतन्त्रता-प्राप्ति के मार्ग में सब से बड़ा विघ्न है राजसत्ता का आतंक। बारडोली ने अपने सत्य, संगठन एव दृढता से संसार के सामने नवीन आदर्श रखा और यह सिद्ध कर दिया कि कोई देश यदि अपने मिथ्या भय को त्याग कर अपने अधिकारो की प्राप्ति एवं त्याग के लिये निर्भय होकर सन्नद्ध हो जाय तो संसार की कोई शक्तिशाली से शक्तिशाली सरकार भी उसको लक्ष्य पथ से विचलित नही कर सकती।

बारडोली का प्राकृतिक वर्णन—बारडोली का ताल्लुका २० मील लम्बा और लगभग इतना ही चौडा है। सूरत की वाटिका का सुविकसित गुलाब तो यह है ही, साथ ही इसकी पृथ्वी बड़ी उपजाऊ है। ताप्ती, मिंढोला तथा पूर्णा इन तीनों बडी नदियों के अतिरिक्त और भी कई छोटी-छोटी नदिया यहां बहती हैं। बारडोली के ताल्लुके में छोटे-बड़े कुल १३२ गाव हैं। इन सबकी जनसख्या मिलाकर उन दिनो ८७,००० होगी। उत्तर में ताप्ती नदी बहती है। पूर्व और पश्चिम में बडौदा राज्य और दक्षिण में गायकवाड़ी राज्य थे। पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की धरती अच्छी है। पूर्व के गाव जगली, पहाडी और दरिद्र हैं। वर्षा भी कम होती है। पश्चिम की धरती अच्छी है और मिट्टी काली है। वहा कपास, ज्वार, चावल आदि कई वस्तुएं उत्पन्न होती थी।

बारडोली के निवासी—बारडोली का प्राचीन इतिहास उपलब्ध नही।

आजकल वहा की प्रजा दो भागों में बटी हुई है। एक उजली परज, दूसरी काली परज या रानी परज। इनके अतिरिक्त और भी कई जातिया वहा रहती है। किन्तु प्रधानता कणवी जाति की है। यह कुर्मी क्षत्रियों की एक शाखा है। यह बडी स्वाभिमानी, परिश्रमी तथा आन पर मर मिटने वाली जाति है।

यही कणवी जाति १९२१ में महात्मा जी से प्रतिज्ञाबद्ध होकर असहयोग के मैदान में कूद पडी थी। साधारण ढग से देखने पर यह जाति विशेष उत्साही नहीं दिखाई देती। बातचीत बहुत सादी है। उसमें न विशेष बुद्धि, न कोई चतुराई ऊपर से दिखाई देती है। महात्मा जी के सामने उन्होंने दो प्रतिज्ञाए की थी। एक तो विदेशी कपडा न खरीदने की, दूसरी अछूतोद्धार की। तब से महात्मा जी ने वहा खद्दर और चर्खे का खूब प्रचार कर दिया। अब यह जाति भी जागी और श्री कुअर जी भाई ने खुले शब्दो में कहा कि सत्याग्रह का आरम्भ सूरत से होना चाहिये। यही से अग्रेजो ने अपनी उन्नति शुरू की थी, अत इसी मार्ग से उनको विदा कर उसका प्रायश्चित्त करने का अवसर सूरत को दिया जाना चाहिए। श्री कुअर जी भाई की यह दलील काम कर गई। सत्याग्रह का शखनाद गूज उठा। वायसराय को चुनौती दे दी गई और बारडोली की सेना सुसज्जित हो सेनापति की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगी कि जैसा कि पीछे लिखा जा चुका है, सेनापति ने युद्ध रोक दिया। चौरी चौरा ने सब कुछ समाप्त कर दिया। बारडोली की जनता यो हो मन मार कर बैठी रही। किन्तु सच्ची लगन उनके हृदय में जाग चुकी थी।

सन् १९२१ से बहुत से किसान खादी की गाधी टोपी पहिनते थे, उस समय वे खूब कातते भी थे। अब उन्होंने सब छोड दिया है। इन लोगो को भला-बुरा दिखाई देने की कुछ भी परवाह नही। भला दिखाई देने के लिए वह अपना रहन-सहन नहीं छोड सकते। उनकी विचित्र पगडिया, ऊची-ऊची दीवालो वाली टोपिया, धोती बाधने का विचित्र ढग देखकर कदाचित ही हम अपनी हसी रोक सकेगे।

उनका रहन-सहन—खाली होने पर यह लोग चौपाल में जा बैठते है और परस्पर बाते करते हुए खूब तम्बाकू पीते है। चिलम और बनी बनाई बीडी का उपयोग कम करते है। अपनी जेब में तम्बाकू और टेम्रू की पत्तिया रखते है। बात-चीत करते जाते है और मोटी मोटी बीडिया बनाते जाते है। शिक्षा का वहां अभाव था। मैट्रिक पास कणवी उगलियो पर गिनने योग्य थे। किन्तु परिश्रम एव दृढता में यह जाति कितनी सजग और अचल थी इसे आज सब कोई जानते है।

कणवी ही पाटीदार कहाते है। इनकी दो मुख्य जातिया है। कडवा और लेवा। इनके अतिरिक्त मतिया और ऊदा उनके दो उपभेद भी है। ये दोनो कबीर के भक्त है। ऊदा जाति पर मुस्लिम सस्कृति का भी प्रभाव है। यह लोग अपने धर्म गुरु को म[illegible] है। [illegible] भी है [illegible]

तथा महाराष्ट्र जैसा वरविक्रय यहां नहीं होता। इनकी लग्न विधि बड़ी सरल है। महन्त आता है और वर वधू का हथ-लेवा (पाणिग्रहण) करा देता है। कुछ कबीर के भजन गाए जाते हैं। तत्पश्चात् लोग हलवा खाते है। इसी प्रकार मृत्यु सम्बन्धी रिवाज भी बड़े कम खर्चीले हैं। मृत्यु के समय भी भजन गाए जाते हैं।

उनकी दूसरी विशेषता है उनका समान रहन-सहन और भूषवल। सबके मकान, दरवाजे, छत एक सी। पशु बाधने का ढग एक सा। मिट्टी की कोठियां एक सी बनी हुई। साराश यह है कि सबके सब एक से नियम वर्तते है कि जिस प्रथा को पकड लिया छोडना नही जानते। वेशक उन्हे वरबाद होना पडे। यदि इनमें दृढ़ता और एकता न होती तो यह प्राणो की बाजी कैसे लगा सकते थे ?

बारडोली के कणवी पाटीदारो की स्त्रिया खेती के काम में बडी दृढ और सुदक्ष होती है और उसमें पुरुषों के साथ भाग लेती रहती हैं। कुछ पढी लिखी भी हैं। जब कभी उनके पति बाहर चले जाते है, घर का काम रुका नही रहता। फलतः किसानो का जीवन वडा सुखी है। इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि कितनी स्त्रियो ने कायरो को वीर बना दिया और कितने ही पराङ्मुख पुरुषों को सीधे मार्ग पर स्थिर कर दिया। बारडोली की पाटीदार बहिनों ने भी यही किया। उन्होंने समस्त पुरुषो को कह दिया कि हमारी तरफ से निश्चिन्त रहो, विजयी होकर घर लौटना।

"अनाविल" इधर के ब्राह्मणों की एक सुशिक्षित और अग्रगामी शाखा है। इस जाति ने भी देश को कई रत्न दिये। श्री पूज्य महात्मा जी के प्राइवेट सेक्रेटरी श्री महादेव देसाई, भूला भाई तथा मुरार जी देसाई इसी जाति के दीपक थे।

यहां के वैश्य और पारसी व्यापार में लगे हुए हैं। महाजन लेनदेन तथा कपास का व्यापार करते हैं और पारसी कपास व शराब का। मुसलमान न शिक्षा में बड़े-चढ़े हैं, न व्यापार में।

रानी परज में कई जातिया हैं। गुजरात में इनकी कुल सख्या चार लाख है। दुबला भी इन्ही में से एक है। बारडोली में इनकी संख्या ३८,०००थी। इनका जीवन दुःखमय था। न जमीन, न जायदाद, मजदूरी करके सारा जीवन बिताते थे। इनका जीवन प्रायः निम्न प्रकार का है।

दुबलाओं का लड़का प्रायः सात, आठ साल का होते ही ढोर चराने का काम शुरु कर देता था। इसके एवज में उसको भोजन, पहिनने के साधारण कपड़े, जूते तथा ६)से १८) रुपये तक तनख्वाह मिलती थी। वह १८, २० वर्ष का होते ही अपनी शादी के उद्योग में लग जाता था। १५०)२००) इसमें खर्च होते थे। यह रुपये भी दुबला उसी किसान से लेते थे। कर्ज देने के बाद किसान दुबला का धणियामा (मालिक) कहाने लगता था। जीवन भर दुबला इसको छोडकर नही

नौकरी नहीं कर सकता था। इसकी स्त्री भी किसान का गोबर सम्भालती तथा झाडती बुहारती थी। बदले में उसे भी कुछ खाने को, एक साडी, दो या तीन रुपये अर्थात् सालाना १०) १२) रुपये पड जाते थे। यह प्रथा दुबला तथा किसान दोनो के लिए हानिकर थी। क्योंकि न तो दुबला ही मन लगाकर काम कर सकता था—उसे तो अधिक करे या कम करे उतना ही मिलना—किसान को भी इससे कोई लाभ नही। इस प्रथा को मिटाने का यत्न इन दिनों किया गया।

सन् १९३६ में कांग्रेस की सरकार बनने पर सरदार ने दुबलाओं को पूर्ण स्वतन्त्रता दिलवा दी। सरदार के कहने पर धमियाणाओ ने दुबलाओ पर अपनी लेनदारी की चालीस लाख रुपये की रकम माफ करके उनको पूर्णतया स्वतन्त्र कर दिया।

चौधरी, ढोडिया, गाभीत वगैरा रानी परज की जातियो के नाम है। यह लोग बहुत पिछडे हुए हैं। रूढि के अनुसार बच्चे के पदा होते ही उसके मुह में शराब की बूद डाली जाती है। धार्मिक नीति के अनुसार यह शकुन समझा जाता है। मरने पर शराब का पवित्र् सिचन होता है।

ताल्लुके के पूर्वी भाग की जमीन घटिया है। वहा की जलवायु भी अच्छी नही है। उपज भी कम होती है। यहां के निवासी शराबी होने के कारण जीवन भर साहूकारो के चगुल से नही छूटते। हा, रहन-सहन सादा होने के कारण जीवन निर्वाह कर ही लेते हैं। एक बार कर्ज लेने पर आदमी निकल नही सकता। एक तो ब्याज की दर भारी, दूसरे एक दिन में अदा करे, या पाच दिन में ब्याज वही पूरे वर्ष का देना पडेगा। इससे अकाल के वर्ष में कर्जदार को खाने को नही मिलता। तब साहूकार जमीन जायदाद कम से कम कीमत मे ले लेता है। इसके अतिरिक्त खाने तथा बीज बोने के समय अनाज साल में जिस महगे भाव बिकता है उसके अनुसार देना पडता है। इस प्रकार अन्त तक कर्जदार उसको लूटता रहता है।

बारडोली में महात्मा जी का रचनात्मक कार्य—१९२१ से इन में जान आ गई। महात्मा जी के ससर्ग से इन्होने शराब बन्दी और चर्खा प्रचार का काम शुरु किया। नागपुर कांग्रेस ने कांग्रेस सगठन का गावो में विस्तार करने का निश्चय किया। कुवर जी भाई सरदार के साथ नागपुर कांग्रेस में गये थे। उन्होंने उनसे चर्चा करके वहा से लौटने पर ६ मार्च १९२१ को बारडोली में कांग्रेस की शाखा खोली। कुवर जी भाई इस शाखा के अध्यक्ष तथा खुशालभाई तथा जीवन जी उसके सैक्रेटरी चुने गये। इसके पश्चात् कार्यकर्ताओ के रहने के लिये ६ अप्रैल १९२१ को स्वराज्य आश्रम की स्थापना की गई। इन लोगो ने गावो में राष्ट्रीय पाठशालाएं खोल कर सरकारी पाठशालाओ का बहिष्कार कराया तथा चर्खे का सारे इलाके में व्यापक प्रचार किया। रानी परज में यह काम तीव्रता से होने

लगा। शनै शनै बढते बढते काली परज की प्रदर्शनिया होने लगी। १९२६ में खानपुर में पूज्य महात्मा जी के सभापतित्व में जब सभा हुई तब से काली परज का नाम रानी परज कर दिया गया। श्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम और जुगतराम दवे द्वारा इस जाति के लिए स्कूल खोले गए। तब से रानी परज ने कई देश सेवकों को जन्म दिया। इसके साथ ही खादी एव सामाजिक सुधारों से भी तीव्रता से परिवर्तन हो रहा है। चर्खे ने तो वास्तव में रानी परज का जीवन ही बदल दिया है। अब रानी परज को सफाई से प्रेम तथा राम पर विश्वास दृढ हो गया है। कई आश्रम चर्खे का सन्देश सुनाने के लिए यहा खुल गए हैं, जिनके कारण तब की और आज की रानी परज में जमीन आसमान का अन्तर हो गया है।

यहा की जनता में परदे के अतिरिक्त उत्तरी भारत की समस्त कुरीतियां विद्यमान हैं। अतिव्ययी तथा मिथ्याभिमानी भी यह कम नही है। इसीलिए कई अधिक कर्जदार होते हैं। पारसी यहा कम हैं। पर व्यवहार कुशल वही हैं। हर कोने में उनकी दो या तीन दुकानें दिखाई देती हैं। शराब का ठेका इन्ही लोगो ने ले रखा है और इसी के द्वारा वे रानी परज की जमीनो पर कब्जा करते जा रहे हैं।

बारडोली के बम्बई के सम्पर्क में होने के कारण देश के राजनैतिक आन्दोलनों का प्रभाव उस पर बराबर पडता है। जिससे वह देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयत्न करता है। यहा के कुछ लोग बापू जी के साथ दक्षिणी अफ्रीका के सत्याग्रह में भाग ले चुके थे। महात्मा जी की नीति तथा युद्ध शैली से वे अन्य भारतीयों की अपेक्षा अधिक परिचित थे। अतएव महात्मा जी की युद्ध नीति के परिचय रूपी भेंट बारडोली को अधिक प्राप्त थे।

नया बन्दोबस्त—इधर सरकार ने यह नियम बनाया हुआ था कि हर तीसरे साल के बाद भूमि-कर की जाच की जावे और आवश्यकता के अनुसार उसमें कमी या वृद्धि की जावे।

मालगुजारी का बढ़ाया जाना—तदनुसार बन्दोबस्त के हाकिम डिप्टी कलेक्टर श्री जयकर ने ३० प्रतिशत लगान बढाने के लिए सिफारिश की। उस पर सेटिलमेंट कमिश्नर मि एण्डरसन ने अपनी व्यवस्था दी कि मालगुजारी २९ प्रतिशत कर दी जावे। सरकार ने अपनी उदारता की दुन्दुभि बजाई और घोषणा की कि केवल २२ प्रतिशत ही वृद्धि की जायगी। इस प्रकार बारडोली की मालगुजारी ५,१४,७६२ रुपए से बढकर ६,२०,००० रुपये हो गई।

किसानो की आर्थिक दशा पहले से ही गिरी हुई थी, इधर बढी हुई माल-गुजारी का बोझ और उनके मत्थे पर पड गया। इस ओर सरकार का निर्णय, उधर विधाता की रेख। इन्हें कौन मिटाए ?

किसानो ने सरकार के साथ सहयोग करने की भावना से इस बढे हुए लगान

के प्रश्न को बम्बई धारासभा के अपने प्रतिनिधि रावबहादुर भीमभाई नायक तथा रावबहादुर दादूभाई देसाई के द्वारा बम्बई सरकार के सामने उपस्थित किया। किन्तु उसका कोई परिणाम न निकला।

इसके पश्चात् बारडोली कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने इस प्रश्न को सरदार वल्लभभाई पटेल के सामने उपस्थित किया। इस समय सरदार वल्लभभाई गुजरात के भीषण बाढ संकट के निवारण कार्य में लगे हुए थे। किन्तु वह बारडोली के किसानों को भी निराश नहीं करना चाहते थे। अतएव उन्होंने बारडोली कांग्रेस को यह आज्ञा दी कि वह बढ़े हुए लगान की विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट दे और इस बात की भी जांच करे कि किसान उसका प्रतिरोध करने के लिये कहां तक तैयार हैं।

बारडोली कांग्रेस की जांच रिपोर्ट मिलने पर सरदार वल्लभभाई ४ फरवरी १९२८ को स्वयं बारडोली आए। उन्होंने वहां एक सार्वजनिक सभा में जनता से सीधा प्रश्न किया कि प्रतिरोध के लिये वह कहां तक तैयार है। उन्होंने इस सभा में उन आपत्तियों का भी वर्णन किया, जो सत्याग्रह के कारण उन पर आ सकती थी। सभा में उनको आश्वासन दिया गया कि सत्याग्रह के लिये बारडोली की जनता सभी प्रकार के कष्ट सहन करेगी।

उन्होंने सभा में यह भी कहा कि 'मेरे साथ खेल न किया जावे। मैं ऐसे कार्य में हाथ नहीं डाला करता, जिसमें जोखिम न हो। जो लोग जोखिम लेने को तैयार हों मैं उनका साथ दूंगा।'

किसान लोगों की दीन आकृति, शिक्षा की हीनता और उनकी दशा के साथ साथ सरकार की पाप-लीलाओं से भी वह परिचित थे। किसान अपने लिये अच्छे कपडे भी नहीं बनवा सकते थे। वह अपने बाल-बच्चों को उचित शिक्षा भी नहीं दे सकते थे। अपने घर भी वह ठीक तौर से नहीं बनवा सकते थे। पर सरकार को तो पैसे चाहिए। उसे साम्राज्य बढाने के लिये आधुनिकतम सामग्री से सुसज्जित सेना की आवश्यकता थी। व्यापारिक मार्गों की रक्षा के लिये उसे आधुनिकतम सामग्री से सुसज्जित संसार भर में सब से बडी जल सेना की आवश्यकता थी। उसके लिये उसे पैसा चाहिये। चाहे वह पैसा किसी प्रकार से भी आए। मानो सरकार का जनता से कहना था कि "किसानो! तुम मरते हो तो मरो, पर मरने से पहले फिर एक बार पैसा दो। मर जाना, मिट जाना, या मार डालना कोई गुनाह नहीं है। मूर्ख रहना कोई गुनाह नहीं। उजडे, दीन-हीन घरो में रहना ही गुनाह नहीं है। यदि गुनाह है तो यही है कि सरकार को पैसा न देना। सरकार को पैसा दो। यही सबसे बडा पुण्य है। सरकार तुमसे पैसा चाहती है। अपना दुःख और अपना धर्म बेच कर भी पैसा लाओ।"

उस समय बारडोली में कुल १७,१८४ खातेदार थे, जिनमें १६,३१५ तो ऐसे थे जिनके पास २५ एकड से अधिक धरती नही थी। १०,३७१ खातेदारो के पास तो केवल १ से ५ एकड तक ही भूमि थी।

यद्यपि छोटे छोटे गाव के किसान सत्याग्रह के लिये तैयार थे, किन्तु चार पाँच बडे बडे गाव के किसान अब भी भयभीत थे। अतएव उसके आठ दिन के पश्चात् सरदार वल्लभभाई ने एक दूसरी सभा बुलाई जिसमें सब किसान एकत्रित हुए।

सरदार ने इस सभा में कहा।

"किसान क्यों डरे? वह भूमि को जोतकर धन कमाता है, वह अन्नदाता है। वह दूसरे की लात क्यों खावे? मेरा यह सकल्प है कि मैं दीन तथा निर्धनो को उठा कर उनका अपने पैरो पर खडा कर दू, जिससे वह ऊचा माथा करके फिरते रहे। यदि मैं इतना कार्य करके मरा तो अपने जीवन को सफल मानूगा।" "जो किसान वर्षा में भीगकर कीचड में सनकर, शीत तथा घाम को सहन करते हुये मरखने बैल तक से काम लेता है उसे डर किसका? सरकार भले ही बडी साहूकार हो, किन्तु किसान उसका किरायेदार कब से हुआ? क्या सरकार इस जमीन को विलायत से लाई है? मैं तो सरकार जैसी कोई चीज नही देखता, आप लोगो में से किसी ने यदि देखी हो तो मुझे बतलावे।"

इसमें सर्वसम्मति से निश्चय किया गया कि करबन्दी सत्याग्रह तत्काल आरम्भ किया जावे। अतएव सरकार को चुनौती दे दी गई।

सरदार ने ऐसी जोशीली भाषा द्वारा बारडोली के किसानो में वीरता का सचार किया। इस चमत्कार का वर्णन करते हुये बम्बई के एक नेता ने बम्बई की एक सार्वजनिक सभा में उन्हे सरदार कह कर पुकारा। गाधीजी को उनका यह नाम पसद आया। तब से उनका नाम सरदार प्रसिद्ध हुआ।

सरदार वल्लभभाई ने सर्वप्रथम कार्यकर्ताओं की कडी परख की तो वे सभी निखरे हुए मिले। सभी गम्भीर तथा सत्याग्रह के लिए बेचैन हो रहे थे। सत्याग्रह से उनका परिचय भी अच्छा था। इसके पश्चात् सरदार ने उनकी भी कडी परीक्षा ली। उस समय ७५ गावो से भी अधिक गावो के प्रतिनिधि वहा एकत्रित थे।

वल्लभभाई ने कहा—"देखो भाई! सरकार के पास निर्दयी आदमी हैं। खुले हुए भाले-बन्दूक है, तोपें है। वह ससार की एक बडी शक्ति है। तुम्हारे पास केवल तुम्हारा हृदय है। अपनी छाती पर इन प्रहारो को सहने का साहस तुममें हो तो आगे बढने की बात सोचो। इस समय सबसे बडा प्रश्न स्वाभिमान का है, जिसे हमें और आप को देखना है। सरकार निर्दयता के साथ हम पर अत्याचार भी करना चाहती है और साथ ही अपमानित भी।

'देखो भाई ! अपमानित होकर जीने की अपेक्षा सम्मान के साथ मर मिटने में अधिक शोभा है ।"

सरदार का गवर्नर को पत्र—इधर तो वल्लभभाई दुबले पतले शरीर वाली आत्माओ को जगा रहे थे, उधर उन्होने गवर्नर को एक पत्र लिखा कि "यह भू-भाग इस योग्य नही है कि यहा कर और बढाया जाए। जितना कर है वही देने में यहा के किसानो को कठिनाई हो रही है। इसलिए आप से विनम्र प्रार्थना है कि परिस्थिति की जाच करने के लिए एक जाच समिति बना दें। उस समिति के लोग जनता तक पहुचे और जनता की दशा का ठीक ठीक आलोचन करें। मै विश्वास करता हू कि आप इस विनय पर अवश्य ध्यान देगे ।"

यद्यपि सरदार का पत्र बडा मार्मिक और विनम्रपूर्ण था, परन्तु सरकार की ओर से इस पर कोई उचित निर्णय नहीं किया गया।

सत्याग्रह की तैयारी—अब एकमात्र अस्त्र सत्याग्रह का ही बाकी रहा। सरदार ने इन दिनो बहुत परिश्रम किया। वह गाव गाव पहुच कर किसानो को सत्य और अहिंसा के सिद्धान्त समझाते थे। उनके व्याख्यान बहुत ही स्पष्ट और हृदयग्राही होते थे। वे लोगो की मौन आत्माओ में खलबली सी मचा देते थे। सरदार कभी बारडोली में गर्जना करते तो रातो-रात दूसरे गाव पहुच जाते। और यहा अपार भीड में उनका व्याख्यान होता—

"भाइयो ! बारडोली में आज मैं एक नवीन चमत्कार देख रहा हू। पिछले दिन मुझे स्मरण है। उन दिनो सभाओ म पुरुषो के साथ बहिनें भी होती थी, पर अब तो पुरुष ही पुरुष गाडिया जोत कर सभाओ में आ जाते हैं। जान ऐसा पडता है, बडे बूढो के लिए आप ऐसा करते है। पर मैं कहता हू यदि हमारी बहिनें, माताए और स्त्रियां हमारे साथ न होंगी तो हम आगे नही बढ सकेगें। कल से ही हमारी वस्तुए हमसे छीनी जायगी। अधिकारी हमारी गाए, भैंसे, बैल, बर्तन आदि लेने आएगे। यदि हमारी बहिनें इस युद्ध से परिचित न होंगी, हम अपने साथ साथ उन्हे भी चेतावनी नही देंगे तो वे उस समय क्या करेंगी ? खेडा जिले में मैंने अनुभव किया है कि जिन स्त्रियो को इस युद्ध की शिक्षा नही दी गई उनको बहुत चोट पहुची। आप स्वय सोचें कि जब जब्ती वाले आपके बैल खोल कर चलेंगे तो उस समय आप की स्त्रियो के मन पर क्या बीतेगी ?"

माल अफसर श्री स्मिथ ने सरदार पटेल के संबंध में कहा था कि वह बाहिर के आदमी है तो सरदार ने अपने भाषण में सरकार की ऐसे पागल हाथी की उपमा दी, जो सब के घर उजाड देता है। उन्होंने कहा कि वह हमें मच्छर के समान समझते हैं, किन्तु समय आने पर यह मच्छर उस पागल हाथी के कान में घुस कर उसे ।।।

दिखलावेगा। घडा फूटेगा तो उसके सैकडो ठीकरे बन जायँगे। घडे के लिये एक एक ठीकरे का महत्व है, किन्तु ककर का अलग कोई महत्व नही।

एक किसान ने कहा कि हम दो घण्टा जल्दी उठकर अधिक मेहनत करके सरकार को लगान चुका दें। उसके सम्बन्ध में सरदार ने कहा कि उसको तो बैल का अवतार लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि

"किसी भी किसान की हल की नोक के समान भूमि भी जब तक जप्त की जायेगी तब तक मैं सत्याग्रह करता रहूंगा।

"चाहे कितनी ही आपदाए आए, कितने ही कष्ट झेलने पडें, अब तो ऐसी लडाई ही चाहिए जिसमें सम्मान का प्रश्न हो। सरकार चाहे जो करे, हम तो उसे एक पैसा भी उठाकर नही देंगे। बस यही निश्चय कर लीजिए। अपने भीतर लडने का साहस बढाइए और एकता को दृढ कीजिए। केवल बाहरी कोलाहल से कुछ न होगा। सरकार आपकी कडी से कडी परीक्षा लेगी और हमें इसका अधिकार है। यदि उससे लडना है तो गावो को जगाना होगा, सारे वायु-मण्डल को बदल देना होगा। अब विवाह-जनेऊ का समय नही है। अब उत्सव-मगल की वेला नहीं है। अब तो युद्ध की बेला है। भला कही युद्ध में विवाह-मगल का समय होता है?

"अब तो लडाई में लडनेवाले सिपाहियो-जैसा जीवन बिताना होगा। कल से प्रातःकाल से लेकर सायकाल तक अपने घरो में ताले लगाकर खेतो में घूमते रहना पडेगा। बालक, बूढे, स्त्री सभी अपना अपना काम समझ लें। धनी दीन सब एक हो जाए, और इस प्रकार से काम करें जैसे एक ही शरीर हो। रात होने पर घर लौटें। आप ऐसा काम कर दें कि जब्तिया करने के लिए सरकार को एक भी आदमी न मिले। कोई अधिकारी अपने सिर पर आपके बर्तन उठाकर ले जावे तो भले ही ले जाय। अधिकारी तो लगडे होते हैं। इसलिए पटेल, मुखिया, वहिवाट, दार, तलाटी आदि कोई भी सरकार की सहायता न करें। उन अधिकारियो को आप लोग स्पष्ट बता दें कि हमारे गाव और प्रान्त की प्रतिष्ठा के साथ ही हमारी प्रतिष्ठा है। जिसके कारण गाव की प्रतिष्ठा नष्ट हो वह मुखिया ही कैसा? गाव के ही हित में हमारा हित है। आइए हम ऐसा वायु बहा दें जिससे चारो ओर स्वराज्य की सुगन्ध छा रही हो। प्रत्येक पुरुष के मुख-मण्डल पर सरकार के साथ लडने का दृढ निश्चय हो।

"मैं आपको यह चेतावनी दे रहा हू कि अब एक क्षण भी आमोद प्रमोद में बैठने का समय नही है। बारडोली की क्रांति सारे भूमण्डल में फैल रही है। अब तो हमें मर मिटना है या पूर्ण सुखी होना है। अब तो राम बाण छूट ही गया है।

हमारे गिर जाने में सारे देश की मानहानि है। हमारे डटे रहने में ही बेडा पार है। महात्मा जी को आप ही लोगों ने आशा दिलाई थी कि स्वराज्य की नींव यही डाली जाए। आज बारडोली का डंका देश देशान्तर में बजाना है।

"आप सावधान रहे। कोई भाई कही भूल न कर बैठे। सरकार आपको गिराने में कोई बात उठा नहीं रक्खेगी। यह आपमें फूट डालने की चेष्टा करेगी, आपसी झगड़े पैदा करेगी। और भी कई ढग से जंजाल खड़ा करेगी। इसलिये आप अपने आपसी झगड़ों को तब तक के लिए भूल जाइये। बाप-दादा के समय की शत्रुता को भी भूल जाइये। जीवन भर जिससे कभी न बोले हो उससे— आज बोलना आरम्भ कर दीजिये। आज गुजरात की महिमा आपके ही हाथों में है। यदि आप में एका होगा तो कोई दूसरा पुरुष आपके खेतों में हल नही डाल सकता। जिस दिन ऐसा हुआ भी तो उस दिन सारा गुजरात आपकी सहायता के लिए दौड़ पड़ेगा और सारा भारत आपका साथ देगा।

"आप कभी ईर्ष्या मत कीजिए। एक को बिगड़ते हुए देखकर जब दूसरा पुरुष हसता है तो ऐसे देश का कभी भला नही हो सकता। अस्तु युद्ध की घोषणा हो चुकी है। प्रत्येक गाव को सेना की छावनी समझिये। प्रत्येक गाव के समाचार अब केन्द्र में आते रहने चाहिएं।

"सरकार ने हम लड़ने पर विवश किया है तो आइए हम भी उसे लड़कर दिखा दें। यहां अमर पद लेकर कौन आया है? सारी सम्पत्ति, सारा धन जहां का तहां रक्खा रह जायगा। अकेला नाम रह जायगा। लाख-सवा-लाख रुपयें की यहां बात नही है। वह तो कष्ट उठाकर भी दे दिया जा सकता है। जहां इतना व्यय होता है वहां थोड़ा और हो जावे तो कोई ऐसी बात नही बिगड़ती। पर यहां तो सरकार आपको झूठा कहकर आपसे कर लेना चाहती है। जब तक सरकार इस माया को भूल नहीं जाती तब तक आपको लड़ना है।"

इस प्रकार बारडोली से वांकानेर, वराड, बड़, कूल्मां, वाडोल, कड़ोद आदि गांवों मे सत्याग्रह की आग सुलगाने के लिए वल्लभभाई दौड़ने लगे। उनकी आंखो में मानो चिनगरियां निकलती थी। उनके जीवन में अपूर्व स्फूर्ति आ गई थी।

सत्याग्रह छावनियों का संगठन—वल्लभभाई केवल इतने ही से मानने वाले न थे। उन्होंने बारडोली मण्डल के आश्रमो को संगठित किया। उस समय चार आश्रम थे—बारडोली, वेडछी, सरभण और बुहारी। अब आठ नई छावनिया और बना ली गई। सारे मण्डल में पांच मुख्य केन्द्र बनाए गए। उनमें एक-एक केन्द्रपति नियुक्त किये गए। प्रत्येक विभागपति के हाथ में देखभाल के लिए निम्नलिखित गाव थे :—

सत्याग्रह केन्द्र	विभागपति	गावो की सख्या
१—वराड	श्री मोहनलाल पाण्डया	१६
२—वाल्दा	श्री अम्बालाल बाजी देसाई	७
३—वाकानेर	श्री भाई लाल भाई अमीन	७
४—स्यादला	श्री फूलचन्द बापू जी शाह	८
५—वारडोली	श्री चिनाई	४
६—मोता	श्री बलवन्त राय	२
७—वाजीपुरा	श्री नर्वदा शकर पाण्डया	४
८—सीकेर	श्री कल्याण जी वाल जी	७
९—आफवा	श्री रतनजी भगाभाई पटेल	६
१०—बुहारी	श्री नागर भाई पटल	४
११—सरभण	श्री रविशकर व्यास, श्री सुमन्त मेहता डाक्टर त्रिभुवन दास तथा भीम भाई वशी	३१
१२—वामणी	श्री दरबार गोपाल दास देसाई	१७
१३—वालोड	श्री चन्द्रलाल देसाई तथा केशव भाई पटेल	२९
१४—गोलन	मणिबेन पटेल	७

इन दिनों सत्याग्रह के सिद्धान्तो को समझाने के लिए कार्यकर्ता घर घर पहुच रहे थे। प्रत्येक गाव में एक मुख्य स्थान नियत था, जहा नियत समय पर सभी किसान एकत्र होकर विचार करते थे तथा आस-पास के समाचारो से भी परिचय प्राप्त करते थे। उस समय बडे बडे धन-सम्पन्न पुरुषो में भी देश-सम्मान की उमग आ गई थी। लोग उसकी मादकता को अपने भीतर न सभाल पाए। उनके गौरव-शील शरीर पर त्याग का तेजस्वी रग चढा हुआ था। ऐसा जान पडता था कि राजा और राजपुत्र अब बनवास कर रहे हैं। बडे बडे घरो के विद्यार्थी खद्दर के निर्दोष वस्त्र में अपने शरीर की कान्ति को बढाते थे। उस समय छोटे-बडो में जो भावुकता थी, जो प्रेम था वह लिखने में नही आ सकता।

सच मानिए वल्लभभाई की व्यवस्था और ठोस काम को देख कर बडे बडे नर-रत्न इस युद्ध में उतावले होकर कूद पडे। बडे बडे कवि गाव गांव में जाकर सुनाने लगे कि—

"विराट रूप हो किसान। स्वराज आज लो किसान॥"

और देहाती लोगो के लिए तो देहाती कविताए अधिक प्रिय होती ही हैं। उनके लिए भी कविवर फूलचन्द जी उतर आए और गाव वालो की ध्वनि में ध्वनि मिला कर गाने लगे—

"डका वाजे लडवैया ना। शूर जाग जाग रे। कायर भाग भाग रे।"

क्या कहिएगा ? वीरो का विचित्र मेला था। यह भगवती पुण्यभूमि विजय-घोष से लहलहा रही थी। झण्डे फहरा रहे थे।

सत्याग्रह छावनियो की डाक व्यवस्था—बहुत से मित्रो ने अपनी मोटरें, साइकिलें, घोडे इस प्रकार के काम के लिए दे दिए। इससे प्रतिदिन के समाचारपत्र तथा और आवश्यक आज्ञाए पल भर मे सर्वत्र पहुच जाती थी। सगठन का ढग विचित्र था। प्रत्येक ढग के विभाग बहुत चमत्कारपूर्ण ढग से कार्य कर रहे थे। स्वयसेवको की बहुत कडी परीक्षा होती थी। पर वीर-सिपाहियो की प्रसन्नता का यही अवसर था। क्योकि युद्ध भूमि में जब दुन्दुभि बजने लगती है तो कायर कापते हैं, किन्तु शूर उतावले होकर दौड पडते हैं।

सत्याग्रह की घोषणा होते ही एक सत्याग्रह-कार्यालय और एक प्रकाशन विभाग की स्थापना की गई। गावो का समाचार लेकर स्वयसेवक केन्द्र म भेजते थे और विभागपति उसे शीघ्र ही व्यवस्था के अनुसार मुख्य केन्द्र में भेज देते थे। मुख्य केन्द्र से भी आज्ञाए, चेतावनिया तथा ऊपरी आवश्यक समाचार ग्रामो के मुख्य केन्द्रो को भेज दिये जाते थे। वहा से फिर प्रत्येक गाव के स्वयसेवक अपनी अपनी साइकिलो से अपने अपने निश्चित गाव को भागते थे। यहा केन्द्र से कई स्वयसेवक इधर उधर सब सन्देश गावो में फैला देते थे। ऐसी सुन्दर, रुचिकर, आदर्श तथा आनन्दपूर्ण व्यवस्था इन पीडित किसानो को अधिक प्रसन्नता और उत्साह प्रदान करती थी।

मुख्य केन्द्र में जो समाचार आते थे उनको तथा सरदार के दैनिक व्याख्यानो को जनता तथा समाचारपत्रो में पहुचाने के लिये एक प्रकाशन विभाग की स्थापना श्री जुगतराय दवे की अध्यक्षता में की गई थी। श्री कल्याण जी भाई सरदार पटेल के साथ रह कर न केवल उनके व्याख्यानो के लिये सभाओ की व्यवस्था करते थे, वरन् उन सभाओ में जो कुछ व्याख्यान दिय जाते थे उनके नोट लिये जाने का प्रबन्ध करते और सभाओ के फोटो खीचते थे। केन्द्रीय कार्यालय में श्री खुशाल भाई सभी प्रकार की व्यवस्था करते थे। वह विभागाध्यक्षो से प्राप्त सूचनाओ का सत्याग्रह समाचार के लिये सम्पादन करते, मुख्य केन्द्र की सूचनाए विभागाध्यक्षो के पास भेजते तथा अतिथियो के आतिथ्य का प्रबन्ध आदि के अनेक काय किया करते थे।

किसान लोग अपने हस्ताक्षर करके गाव के केन्द्र में भेज देते थे और मिल कर अपना निर्णय भी देते थे। इस प्रकार समस्त किसानो ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि हम लगान तब तक नही देंगे जब तक सरकार हमारी माग पूर्ण नहीं करती। हम अधिक लगान कभी नही दे सकते।

इस जागृति का आस पास के दूसरे मण्डलो पर बडा प्रभाव पडा। उन किसानो ने अपनी अनेक सभाए की और यह प्रचार करने लगे कि बारडोली के

किसानो की सहायता के लिए तन-मन धन से सहयोग करेगे, अधिकारियो को ठहरने के लिए घर, गाडी आदि कुछ न देंगे। हमारे यहा का कोई किसान बारडोली के किसानो की भूमि नही लेगा, न जोतेगा, न जुतवाएगा और न जोतने वाले की सहायता करेगा।

सरकार की नई चाल—इस समय सरकार ने घोषणा की कि

१—जिन पर २५ प्रतिशत लगान बढा है वे तुरन्त अपना लगान दे दे। उनके साथ कोई दया न की जाएगी।

२—२५ प्रतिशत से ५० प्रतिशत तक जिनका लगान बढा है वे दो वर्ष तक केवल २५ प्रतिशत तक ही अधिक लगान देगे।

३—जिन पर ५० प्रतिशत से भी अधिक लगान बढ गया है उनमे प्रथम दो वर्ष पुराना और बढे हुए लगान का २५ प्रतिशत लिया जायेगा। इसके अनन्तर दो वर्ष तक ५० प्रतिशत और इसके अनन्तर पूरा बढा हुआ लगान लिया जायगा।

किन्तु इस दया का अभिप्राय किसान समझ गए। उनकी लडाई एक दो वर्ष के लिए नहीं थी। वे तो न्याय चाहते थे और ३० वर्ष के लिए निश्चिन्त हो कर रहना चाहते थे। फलत समस्त किसानो ने एक स्वर मे 'नाही" कर दी और किसी ने एक पैसा भी नही दिया।

हा, वालोड के दो वैश्यो ने १७७५ रुपये दे दिये। ग्राम सगठन न उनका बहिष्कार करके उन पर जुर्माना किया, जिसे उन्होने उसी दिन चुका दिया। साथ ही उन्होने पश्चात्ताप प्रकट करते हुए यह प्रतिज्ञा की कि वह इस आन्दोलन की सदा सहायता करते रहेगे।

सत्याग्रह का आरम्भ—इधर लगान देने का अन्तिम सप्ताह भी २९ फरवरी १९२८ को समाप्त हो गया। सरकार ने देखा कि अब तक कुछ नही मिला। अब क्या किया जाये ? रानी परज के दीन किसानो पर बडी कठोरता बरती गई। उन्ह मारा-पीटा भी गया। उन्हे बहुत-बहुत धमकिया भी दी गई। वहाँ के तल्टी (पटवारी) ने सब कुछ किया, पर उसे विशेष सफलता नही मिली और अप्रैल-मई १९२८ में वहां सत्याग्रह का जोर बहुत अधिक बढ गया।

अब ये लोग फूट डालने की चेष्टा करने लगे। अपढ तथा दीन जनता अपनी प्रतिज्ञा का कितना ध्यान रखती है इसका पता चलते—टीबर का के पटवारी ने एक किसान से कहा—

"अरे भले आदमी! जब सारे गाव में फूट पड जायगी तब तू भी झख मार कर लगान दे देगा तो अभी क्या नहीं दे देता ?"

बैरिस्टर बन्धु

सत्याग्रही बन्धु

बारडोली के सरदार

कुमारी मणिबेन सहित

नागपुर सत्याग्रह के समय

"ऐसी बात भी मुंह से न निकालिए महाशय ! सारे जिले के लोग भले ही लगान दे दें, पर हम तो थूक कर नहीं चाटते ।"

"अरे भाई ! हमारी बात चाहे मत रख । बड़े अधिकारी आवेंगे, उनकी बात तो मानेगा ।"

"उनका बड़प्पन हमारे किस काम का ? अब तो वल्लभभाई हमारे सरदार हैं । उनकी जैसी आज्ञा होगी वही मैं करूगा ।"

बालोड़ के तहसीलदार ने इसी प्रकार रानी परज के एक किसान से लगान मांगा । तब उन्हे उत्तर मिला—पुराना लगान लेकर समूचे नए-पुराने लगान की रसीद आप दे दें और साथ ही यह भी लिख दे कि तीस वर्षों तक लगान नही लिया जायगा तो अभी अपना लगान चुका लीजिए ।"

तहसीलदार महोदय चुप होकर रह गए और उन्होंने चलते समय कहा—"भाई ! यह तो मेरे अधिकार की बात नहीं ।" मुरदा रानी परज में भी ऐसा ही जीवन था ।

रानी परज के पटेल को एक अधिकारी ने बुलाया । उन दोनों की बातचीत भी पढने योग्य है ।

"क्यो पटेल ! लगान क्यो नही जमा कराते ?"

"इसलिए कि हमारे गांव के लोगो ने लगान न देने का निश्चय किया है ।"

"यह नही हो सकता । सभी पटेलों ने अपना अपना लगान दे दिया है । आज तुम्हे भी अपना लगान दे देना है ।"

"देखिए महाशय ! यदि मैं रुपये दूगा तो अपनी जाति से बाहर हो जाऊगा । इसलिए मैं कुछ भी न दूगा ।"

"फिर पटेली छोड़ दो ।"

"अच्छा जी ।"

"तो अपना त्याग-पत्र दो ।"

पटेल (लेखक से)—"लिख दो भाई त्याग . . . . . ।"

"अरे भाई तनिक सोचो तो एकाएक त्याग-पत्र क्यो लिखवाने लगे ?"

"इसमें कौन सोचने-विचारने की बात थी । आपने कहा कि लाओ त्याग-पत्र दो—मैंने भी कहा यह लीजिए ।

"अच्छा, जाओ त्यागपत्र की कोई आवश्यकता नहीं ।"

१०-१५ दिन के प्रचार से ही इतनी जागृति हो गई थी । देव-दुर्लभा किसानों की भूमि आज अपनी श्री से स्वयं लहलहा रही थी । बड़ौदा के चीफ जस्टिस वृद्ध अब्बास तैयब जी, भड़ौच के तेजस्वी नेता डा० चन्दूलाल देसाई, मोहनलाल

कामेश्वर पाण्डया, दसा के त्यागवीर श्री गोपालदास भाई देसाई, आदर्श गुरु रविशंकर भाई आदि नेताओ ने साधारण रूप में असाधारण प्रतिभा प्रकट करते हुए वहा जाकर अपने अपने-आसन जमा दिए ।

इधर गाव-गाव मे स्वयसेवको की भरती होने लगी । धीरे धीरे एक के बाद एक गाव गाधी जी की जै जयकार करने लगा । गाव गाव जाग उठा । किसानो का घर जाग उठा । उनकी आत्मा जाग उठी और आत्मा मे अभूतपूर्व ज्योति जगमगाने लगी ।

दूसरी ओर से धमकियो की ध्वनिया गूज उठी । हरिपुरा, मढी आदि गावो के निवासियो को कहा गया कि यदि लगान समय पर नही दोगे तो लगान का एक-चौथाई और देना पडेगा और इसके लिए सरकार जब्ती करेगी या जैसे चाहेगी उसे ले लेगी । "

कुर्की वालो की दशा—किसानो को बार-बार सूचनाए दी गई । पर सब बेकार गई । इधर अधिकारी उनकी गाय-भैस छीनने-झपटने के लिए मैदान में आए । पर जब कोई अधिकारी किसी गाव के लिए प्रयाण करता तो उसी समय वहा के किसान अपने-अपने घरो मे ताले लगा कर अपने-अपने खेतों में जै-जैकार करते पहुच जाते थे । गुप्तचरो का एक ऐसा ताता लगा था कि अधिकारियो की सब बाते तत्काल प्रकट हो जाती थी । यहा तक कि सायकाल के समय अधिकारी किसानों से जो बाते करते, वे बातें उसी रूप में प्रातःकाल "सत्याग्रह-समाचार" में पढते । फिर तो अधिकारी इतने लज्जित होते कि जनता मे जाने के लिए उसका मुह न पडता ।

इधर-उधर की बाते, जनता की बातें, उस समय की कठिनाइया, इन सब बातो को ग्राम सघ के सेवक अपने केन्द्र में भेज देते थे । वल्लभभाई उन सब समाचारो की मार्जन करके छापने के लिए "सत्याग्रह-समाचार" में दे देते थे, जो दैनिक व्यवस्थानुसार सर्वत्र थोडे ही समय में बट जाता था ।

प्रत्येक गाव का अद्भुत सगठन था । उनकी सब बातें आपस में ही तय हो जाती थी । स्वयसेवको का प्रेम और आदर से वे सत्कार करते थे । जब तीन-चार स्वयसेवक अपने कन्धो पर तिरगा झडा लहराते गाव मे घुसते तो विशेष आनन्द आ जाता था । गाव के लोग भी झडा लेकर उनके आगे-पीछे गाना गाते हुए उमड पडते । तब वहा छोटे छोटे बच्चे और स्त्रियां विह्वल होकर उन्हे निहारती थी । गाव की यह रूपरेखा देख कर अग्रेजी अखबार भी यह घोषणा करने लगे "बारडोली में तो किसानो ने मानो स्वराज्य ही ले लिया हो ।"

अधिकारी अन्य गावो में जाकर लोगो को प्रलोभन देते कि बारडोली वालो की भूमि, भैस आदि पर वे अधिकार करें और सरकार को पैसा दें । पर उन गांव

वालो ने भी अपनी सभा की और सर्वसम्मति से यह निश्चय किया "इस पाप के भागी वे नही बनेंगे।" पुन उन गाव वालो ने भी अपना सगठन अपने आप आरम्भ किया। वल्लभभाई के गुप्तचर बडे अद्भुत थे। वे इन सब बातो का न जाने कहा से पता लगा लेते और दूसरे ही दिन प्रातःकाल के समाचार-पत्र में ये सब बाते पढने को मिल जाती थी।

सरदार जब सभाओ म व्याख्यान देकर रात के दो बजे वापिस आते तो अपने सत्याग्रही गुप्तचरो की बात तथा विभिन्न केन्द्रो की रिपोर्टें सुने बिना शयन करने नही जाते थे। यदि उनको किसी बात की जाच करनी होती थी तो उसकी आज्ञा भी साथ ही तत्काल दे देते थे।

गाव में शाम को महाभारत की कथा होती थी। वीरगाथाए गाई जाती थी। पडित लोग स्थान-स्थान पर बैठ कर अपने प्राचीन गौरव की स्मृति कराते थे। गाव के किसान आनन्द से इन सब बातो को सुनते थे।

सत्याग्रही महिलाए—मधुर-गान कुशल, सौन्दर्य की प्रतिमाए भी जाग उठी थी। गुजरात की महिलाओ का यह देश अनुराग अकथनीय था। वे जिस किसी झण्डे वाले को देखती, उसे बुला कर उसके पास दस-पाच मिल कर जाती और सत्याग्रह-समाचार की बातें पूछती और यह भी पूछती कि उनको क्या करना चाहिए? बालिकाए जय-जयकार करती। बहुए हिल मिल कर गीत गाती। उनके सगीत मे भी सत्याग्रह का सदेश होता था। पढे लिखे लोग और पढी लिखी लड़किया गाने लिख लिख कर औरो को याद कराती, अनपढो को पढाती। जो जिस दशा मे जिस स्थिति मे होते थे वही से सत्याग्रह-सग्राम का बिगुल बजाते।

बारडोली के किसानो की स्त्रियों में रण का शौर्य भर गया था। क्या बूढी, क्या तरुणी सभी उतावली होकर अपने अपने गाव की रक्षा में लगी थी। ऐसा निश्छल प्रेम, ऐसी सुन्दर ममता वास्तव में दर्शनीय और अनुकरणीय थी। यह बातें हम पढी-लिखी स्त्रियो के बारे में नही लिख रहे है किन्तु उन मूर्ख स्त्रियो के बारे में लिख रहे है, जिन स्त्रियों को समाज ने घोर अन्धकार के भीतर डाल रखा था। यदि उन स्त्रियो को और उजाले म रक्खा गया होता और यदि वास्तव में उन्हे यह पहिले ही पता हो जाता कि उनकी सततिया के साथ यह हत्यारी सरकार क्या बलात्कार कर रही है और करना चाहती है तो निश्चय ही वे रण चण्डिया न जाने क्या कर डालती?

पुरुष के स्वाभिमान की रक्षा वास्तव में नारी जागरण में ही सन्निहित है। आज बारडोली की बूढी-बूढी स्त्रियाँ बेकली के साथ जानना और सुनना चाहती थी कि इस राष्ट्र-यज्ञ में उन्हे क्या आहुति देनी है?

श्री रविशकर जी व्यास एक भाई के विषय मे बातचीत कर रहे थे कि एक

बुढिया लपक कर पास आ गई और उसने आते ही पूछा—"महाराज ! इस लडाई में कौन कौन सी विपत्तिया उठानी पडेगी ?"

श्री रविशंकर महाराज ने कहा—"पहले तो जब्ती होगी। सब सामान सरकार लूट लेगी। भूमि छीन लेगी।"

बुढिया ने कहा—ओहो, इसमें कौन बडी बात है ? भले ही हो।

"और कृष्ण मन्दिर में जाना पडेगा। समझ गई न जेल।"

"हा, यह तो कुछ कठिन बात है। पर इसमें भी कौन आपत्ति है। घर पर हम जैसे रहती है वैसे वहा ही सही।"

"पर माता जी ! आप कैसे वहा जाएगी ? आप तो स्त्री जाति है। यह कही लडको का खेल तो नही है।"

"उं इसमें कौन कठिन बात है बेटा ! जैसे तुम जेल जाओगे वैसे हम भी चली चलेगी।

"अरी माता जी ! हम तो सरकार के नियम तोडेंगे। सरकार की आख में पाप करेंगे। इसीलिए सरकार हमें पकडेगी और जेल भेज देगी। आप को कौन जेल ले जाएगा ?"

"अरे बेटा ! जो कानून तुम तोडोगे वही कानून मै भी तोडूगी। जैसे तुम लोग करोगे वैसे ही मै भी करुगी।"

ऐसी वीर माताए और वीर बहिनें उतावली होकर जिसको देखती उसी से पूछती कि हमारा क्या होगा ? हमारे लिए काम बताओ। तब बाहिर से पढी लिखी और बहिनें आ गई; जो सादगी और सरलता से उन गावो में फैल गई। दसा के दरबार साहब की वीर पत्नी रानी भक्ति लक्ष्मी या "भक्तिबान" तो सत्याग्रह के आरम्भ में ही वहा पहुच गई थी। उनकी मूर्ति बडी गभीर और शरीर में स्फूर्ति थी। उनकी आत्मा बडी पवित्र और हृदय निश्छल था। विचार परम सात्विक और आखें ओजस्वी थी। कविवर फूलचन्द की पत्नी घेली बेन तो अपने पति के बनाए गीतो को गा गा कर गाव की भोली भाली स्त्रियो में जादू भरने लगी। बम्बई के विख्यात पेटिट कुटुम्ब की धनिक किन्तु अत्यन्त देश-भक्त बहिन कुमारी मीठू बेन पेटिट भी आ पहुची। वे तो खादी के पीछे उन्मत्त सी होकर दौडती थी। उन दिनो वे बारडोली के पीछे घर बार की सुधि तक भूल गई थी। वे बारडोली की बहिनों के हाथ में खादी सौंप कर सत्याग्रह की सुगन्ध घर घर में बिखेर रही थी। उनके बदन पर सतीत्व का एक निश्छल तेज था, जो गाव के लोगो में विशेष कर बहिनो में सीधे अकित हो जाता था। उधर श्रीमती सूरजबेन मेहता ने तो अपने आप को ही भुला दिया था। वे रानी परज की नारिया में जागरण का अमर सन्देश सुना रही

थी। श्रीमती कुवरबेन तो बारडोली की ही पुत्री थी। भला वे पीछे कैसे रह सकती थी ? सरदार की पुत्री मणिबेन भी उनमें खूब कार्य कर रही थी।

इन सती, साध्वी माताओ, बहिनों की प्रेरणा और हलचल से सारे भगोल के कोने में कोलाहल मच गया। सर्वत्र सत्याग्रह की पावन ज्योत्सना छिटक गई। सब के मुख मण्डल पर एक विचित्र ढग की प्रसन्नता और ओज का रग चढ गया।

इन दिनो सरदार वल्लभभाई सब कही व्यापक हो रहे थे। सभी जगह उनकी चर्चा होती थी। स्थान-स्थान पर बडी-बडी सभाए होती, प्राय सभी जगह पर हमारे सरदार विराजमान मिलते। उन्ह लोग दिन की कडी धूप में बुलाते तो वे उसी समय चटपट तैयार मिलते। क्या साय क्या प्रात। उन दिनो वल्लभभाई रात में ११-१२ बजे तक गावो में अपना मोहन मत्र सुनाते हुए पाए जाते थे।

गाव के लोग वल्लभभाई को बहुत श्रद्धा भक्ति की दृष्टि से देखते थे। माताए और बहिनें भी सभाओ में अपने झुण्ड के साथ आती। माताए वल्लभभाई की फूल अक्षत और चन्दन आदि से प्रथम पूजा करती थी और फिर सत्याग्रह के लिए परम उमग के साथ दान करती और भेट चढाती। बहिनें और भाई श्रद्धा के साथ अपने वल्लभभाई को प्रणाम करते, फिर आनन्दित होकर माताए गाना गाती। यह समय ऐसा होता था कि प्रेमाश्रु उमड आते थे। एक गीत यहा दिया जाता है—

सखी रे। आजे हे प्रभु जी पधारिया,
मारे उग्या छे सोनाना सूर रे,
    वल्लभ भाई घर आविया।
    मारा जन्म मरण घटी जाय रे, वल्लभ०
लाइय ब्रह्माते नद नू सुख रे—वल्लभ०
जेणे तत्तवयासीनो लीयो ल्हाय रे—वल्लभ०
धरो हरि गुरु सैंतों नु ध्यान रे—वल्लभ०
मुको माया के दो मोह मद रे—वल्लभ०
मारा अतर मा एक रस थाय रे—वल्लभ०
मारू क्षेल गयू देह अभिमान रे—वल्लभ०
जोई अन्तर ना मेल मटी जाय रे—वल्लभ०
जेना वेद गीता या गया गान रे—वल्लभ०
माया रग पतग जशे उडी रे—वल्लभ०
थाम आनद ब्रह्मस्वरूप रे—वल्लभ०
त अलगा रहेरा राहु कोई रे—वल्लभ०
वाणी पहेला आघोनी नेम पाल रे—वल्लभ०

हवे करवा न न थी रहयु कोई रे—वल्लभ०
अपन देहीना दुख न थी दमया रे—वल्लभ०

इस प्रकार भक्ति के आनन्द में सराबोर गाना को सुनकर वल्लभभाई प्रेम-विह्वल हो उठते। उनके प्रेमाश्रु उमड आते। वे गद्गद् कण्ठ से कहते—"बहिनो! मुझ पर अन्याय मत करो। मैं ता तुम्हारा भाई हू और तुमसे आशीर्वाद लेने आया हू। हा, इस प्रकार के गानो का श्रेय मिलना चाहिये तो इस पूजा के अधिकारी पूज्य महात्मा जी को।'

जब्ती वालों का मुकाबला—वेडछा गाव म खुले घरा को देख कर इनायतुल्ला खा—जो सरकार के पिट्ठू थे—जब्ती करने के लिए अपने पुरुषो के साथ घर की ओर बढे। कुछ दूर पर एक लडका उन्ह घर की ओर बढते हुए दीखा। उसने दौड कर उन दो घरो में तो ताला लगा दिया, पर तीसरे घर तक अभी पहुचा ही था कि वे जब्ती वाले उस घर में घुस गए। यह समाचार थोडी देर में सभी ओर व्याप गया। तत्काल ही सत्याग्रह आश्रम से चुनी भाई और केशव भाई भी आ गए। इतने में वहा भीड और इकट्ठी हो गई। केशव भाई तत्काल भीतर गए। उस समय गोपालदास भाई की पतोहू भोजन बना रही थी। सामने जब्ती का सामान लिये, भयकर आकृतिया बनाए, जब्ती वाले इधर उधर आखे मार रहे थे। पर वे शान्तिपूर्वक अपना कार्य कर रही थी।

केशव ने पूछा—
'क्यो बहन! घबराई तो नही।'
"इसमें घबराने की कौन बात थी?"

इस उत्तर को सुनकर केशव भाई गद्गद् हो उठे। उन्होने कहा—"आप रसोई करके शान्तिपूर्वक भोजन कर लें। फिर किसी पडोसी के घर में बैठें। सब सामान इसी प्रकार वहा छोड दें।"

तब केशव भाई न पुन पटेल पटवारी आदि से कहा—"हा अब आप लोग पधारिए। घर खाली है। जो चाहे, आप उठा लें। वह देखिए, कपास भी है? यो कह कर वे भी बाहर आ गए। उस सुनसान घर मे जितने पटेल पटवारी थे, सब एक-दूसरे का मुह ताकते रह गए और अन्त में निराश होकर बिना कुछ लिए ही बाहर निकल आए।

इधर स्वयसेवको का सगठन भी दिनो दिन बढता जाता था। इस प्रकार की नित्य होने वाली घटनाओ से नई-नई बातें भी सूझती थी, जिनसे लोगो को बडा रस आता था। जब कोई मुखिया या पटवारी, या कोई ऊचा अधिकारी किसी गाव की ओर मुह करता उसी गाव में बिगुल, शखनाद और नगाडे बजने लगते। प्रत्येक गाव में चारो नाको पर बडे पहरे लगे होते थे। सकेत पाते ही सब घरो का

हृदय कपाट बन्द हो जाता था। प्रत्येक घर पर तालो को देख कर बेचारे पटवारी या अधिकारी विवश होकर लौट जाते थे। उस समय शंख-ध्वनियों से सारे गाव और खेत-खलिहान सभी गुजायमान हो उठते।

धीरे धीरे लोग सरकार के जाल मे न फंसने के अभ्यासी हो गए। उनको अनेक बहकावे देकर बुलाया जाता और वहां पर प्यार, श्रद्धा, सम्मान, फूट और घुडकी जो कुछ अस्त्र वे अपनाते थे, प्रायः सभी किसान उनका प्रत्युत्तर दे देते थे। यदि कोई भूलवश बहकावे में आ जाता तो भी वह अपनी भूलपर पछताकर उन्हे कड़ी फटकार सुनाता था, जो उसे धर्म से गिराना चाहते थे। और फिर वह अपने लोगो मे आकर सारी बातें खोल देता। दूसरे दिन यह सब समाचार छपवा कर लोगों के सामने अधिकारियों की पोल खोल देता।

पीली पतंग—अब इधर उधर घरों पर पीली सूचनाएं चिपका दी जाती थी। इन सूचनाओ को किसान पीली पतंग कहा करते थे। उन सूचनाओ पर यही लिखा होता कि इस तिथि तक तुम लगान दे दो नही तो कही के न रहोगे। सरकार तुम्हारे साथ कठोर कदम उठाएगी और पीछे तुम्हे तरसना पड़ेगा। कभी-कभी इन सूचनाओं को किसी किसान के हाथ में दे दिया जाता था कि इन इन पुरुषो को इन्हे दे देना। पर जब उसे मार्ग में पता चलता कि यह तो पीले पतंग हैं, वह उलटे पैर लौटता और स्पष्ट कह देता "यह काम मुझसे तो न होगा।"

एक दिन एक कलक्टर ने एक किसान को पकड़ लिया और कहा—"क्यों रे लगान क्यों नही देता।"

"लगान कम कर दो तब दे देंगे।"

"अरे तुझ पर तो बहुत कम लगान बढा है।"

"बहुत कम ही सही, पर लावें कहा से ?"

"भाई! यह तो न्याय से ही बढ़ाया गया है। देख न, धारा-सभा में भी यह स्वीकार हो गया। इससे यदि लगान नही दोगे तो धरती से हाथ धोना पड़ेगा।"

"अरे सरकार!"

फूल मां फूल कपास का और फूल किस काम का ?
राजा मां राजा मेघराजा और राजा किस काम का ?"

"अरे तू क्या कह रहा है ?"

"यही कि हमारी धरती तो मेघराजा ही छीन सकता है और किसमें बल है जो छीन सके।"

इस प्रकार दीन-दुखियो पर जब दाल न गली तो एक दिन बाजीपुरा मे वीरचन्द जी के द्वार से पीली-पतंग चिपक गई। उसी समय वीरचन्द्र जी ने पत्र लिखा—"क्या आपने इस ओर मुझे ही कच्चे हृदय का समझा। मैं [illegible]

उन ढके हुए रत्नों को चमकने का अवसर दे रही है, ढूढ-ढूढ कर इन हीरों को चमका रही है।"

सभाओं का आयोजन—नानी फरोद में एक विराट सभा का आयोजन किया गया। उसमें वल्लभभाई को विशेष आग्रह से निमन्त्रित किया गया था। जब वल्लभभाई वहा पहुचे तो जनता कृतार्थ होकर उन्हें देखने लगी। बहिनो ने फूल, तिलक, चन्दन, इन आदि से उनकी पूजा की। आनन्द विभोर होकर लोग सत्याग्रह-गान गाने लगे। पूजा करते करते एक बहिन वल्लभभाई के चरणो में एक पत्र छोड गई। जिसमें था—

"पूज्य श्री वल्लभभाई !

यह सत्याग्रह आन्दोलन जो लगान के विरोध में छेडा गया है, इससे हमारा व्यक्तिगत लाभ भी बहुत हो रहा है। मेरे पूज्य पति श्री कुवर जी दुर्लभ को, जो उपदेश आपने दिया है उसके लिए मैं आजन्म ऋणी रहूगी। यदि सरकार इस लडाई म हमारी भूमि या धन—सब कुछ छीन ले तो भी हम डरने वाली नही हैं। यदि उन्हें (पति को) जेल जाना पडे तो भी हम आनन्द के साथ उन्हें जाने देगी। परमात्मा करे कि आपकी इस युद्ध में शीघ्र विजय हो।"

नानी फरोद १।५।२८ मोतीबाई

वल्लभभाई ने वहा जो भाषण दिया वह बडा ही मार्मिक तथा भावपूर्ण था। उन्होंने कहा—

"सरकार जब्ती करके अपना बल देख चुकी। अब भूमि खालसा करने का भी हथियार ऐसा ही पोला सिद्ध होगा। अरे, किसका साहस है जो हमारे खेतो को आकर जोत सके ? हमने कही चोरी तो की नही, और न डाका डाला है। हम तो अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड रहे हैं। हम तो भगवान का नाम लेकर अपनी टेक पर अड गए हैं। आप देखेंगे सरकार की तोप-बन्दूको का वार बेकार जायगा। हमारे सामने उन तोपो से फूल ही झरेंगे। अब बारडोली के किसाना का भय भाग गया है। अब इन किसानो को कोई टाल नही सकता। किसी की भूमि कोई न ले। यह भाग गो मास के बराबर है। हम—माता का दूध आठ मास पीते हैं। अरे, धरती माता को तो हम बर्षों से चूसते आ रहे हैं। अब आइए कुछ दिना के लिए धरती माता को भी आराम कर लेने दें। इतने में ही सरकार की भी बुद्धि ठिकाने आ जावेगी।

"आप तो किसान के बच्चे हैं। किसान का बच्चा कभी दूसरो की ओर हाथ नही पसारता। कमेरे आप के भाई हैं। फिर डर काहे का ? किसान और कमेरे पसीने की कमाई खाते हैं। और सब लोगो के दिन बीत गए। अब आप किसी से न डरें। न्याय के लिए, प्रतिष्ठा के लिए बराबर लडिए। अरे, यहा अमर होकर कौन

देता हूं, चाहे समस्त भूमि मेरी छीन ली जाए पर जब तक न्यायपूर्वक जाच नही होगी, तब तक मै एक पैसा भी नही दूगा। आपने यहा का नमक खाया है। आपको चाहिए कि प्रजा के प्रति कृतज्ञ बनकर सरकार को विवश कर दें कि वह न्यायपूर्वक जाच करे और यदि हमारी सरकार ऐसा नही करती तो आप प्रजा के हितैषी बन कर इस नौकरी से मुह मोड ले, जिसके कारण आपको प्रजा का उत्पीडन करना पड रहा है।"

इच्छा बहिन के भी घर पर पीली पतग चिपकाई गई थी। भाई चुन्नीलाल जी के पूछने पर उन्होने बताया कि "भूमि छिन जाय तो छिन जाय, प्रतिज्ञा भग नही हो सकती। हम लगान कभी भी नही दे सकते। भूमि जायगी तो किसी प्रकार पेट भर लेगे। पर नाक चली गई तो कही के न रहेगे। मै निराधार कभी नही होउगी। गाधी जी के चर्खे की जय हो। और सरकार यदि मुझे जेल में बन्द कर देगी तो वहा भी चक्की पीसते मुझे लाज थोडे ही आवेगी।" चुन्नीलाल जी मुह ताकते रह गए। उन्होंने पुन. यह समाचार वल्लभभाई के पास भेजा और लिख दिया, "आप निश्चिन्त रहे। हम प्रतिज्ञा पर अटल है।"

फूल चन्द भाई शाह ने मनोवृत्ति जाचने के लिए एक बहिन से पूछा—"बहिन! पीली पतगें आ रही है।"

"आने दो भाई! कौन डरता है?"

"पुरुष कही डरकर लगान देने लगें तब?"

"कैसे वे देंगे? उन्हे पकडकर पीछे कर घर में नही बन्द कर देगी?"

"कोरी बातो से क्या होता है? भूमि हाथ से निकल जायगी। दूसरे को बेच दी जायगी। खेत में जहा पैर रक्खोगी तो जेल में चक्की पीसती हुई दिखाई पडोगी। बस, रो रो कर पछताना ही पडेगा। कुछ जानती भी हो?"

"भले ही जो होना हो सो हो। हम तो अपने ही खेत को जोतेंगी। फिर देख लेगी, कौन हमें जेल ले जाता है।"

इस प्रकार सभी अपने विश्वास के पक्के तथा अपने मार्ग पर चट्टान की भाति अटल थे। जहा सरकारी साधारण चपरासी के भय से गाव के किसान काप जाते थे, उन्ही किसानो और स्वयसेवको के भय से वहा बडे-बडे अधिकारियो की दुर्गति बन रही थी। हां, प्रयोग दोनो का उलटा था। एक और अनाचार शक्ति का भय तो दूसरी ओर सत्य और अहिंसा का बल था। एक के बदन पर क्रूरता, छल तथा दम की दुर्गन्ध थी तो दूसरी ओर दया, प्रेम, अहिंसा तथा सत्य की सुगन्ध छूटती थी।

यह सब समाचार सरदार के पास पहुचते तो वह बहुत प्रसन्न होते और कहा करते कि "हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो वह ऐसा अवसर देकर

उन ढके हुए रत्नो को चमकने का अवसर दे रही है, ढूढ-ढूढ कर इन हीरो को चमका रही है।"

सभाओ का आयोजन—नानी फरोद में एक विराट सभा का आयोजन किया गया। उसमें वल्लभभाई को विशेष आग्रह से निमन्त्रित किया गया था। जब वल्लभभाई वहा पहुचे तो जनता कृतार्थ होकर उन्हे देखने लगी। बहिनो ने फूल, तिलक, चन्दन, इत्र आदि से उनकी पूजा की। आनन्द विभोर होकर लोग सत्याग्रह-गान गाने लगे। पूजा करते करते एक बहिन वल्लभभाई के चरणो में एक पत्र छोड गई। जिसमें था—

"पूज्य श्री वल्लभभाई !

यह सत्याग्रह आन्दोलन जो लगान के विरोध मे छेडा गया है, इससे हमारा व्यक्तिगत लाभ भी बहुत हो रहा है। मेरे पूज्य पति श्री कुवर जी दुर्लभ को, जो उपदेश आपने दिया है उसके लिए मै आजन्म ऋणी रहूगी। यदि सरकार इस लडाई म हमारी भूमि या धन—सब कुछ छीन ले तो भी हम डरने वाली नही है। यदि उन्ह (पति को) जेल जाना पडे तो भी हम आनन्द के साथ उन्हे जाने देंगी। परमात्मा करे कि आपकी इस युद्ध में शीघ्र विजय हो।"

नानी फरोद १।५।२८ मोतीबाई

वल्लभभाई ने वहा जो भाषण दिया वह बडा ही मार्मिक तथा भावपूर्ण था। उन्होंने कहा—

"सरकार जब्ती करके अपना बल देख चुकी। अब भूमि खालसा करने का भी हथियार एसा ही पोला सिद्ध होगा। अरे, किसका साहस है जो हमारे खेतो को आकर जोत सके ? हमने कही चोरी तो की नही, और न डाका डाला है। हम तो अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड रहे है। हम तो भगवान का नाम लेकर अपनी टेक पर अड गए है। आप देखेंगे सरकार की तोप-बन्दूको का वार बेकार जायगा। हमारे सामने उन तोपो से फूल ही झरेंगे। अब बारडोली के किसाना का भय भाग गया है। अब इन किसानो को कोई टाल नही सकता। किसी की भूमि कोई न ले। यह भाग गो मास के बराबर है। हम—माता का दूध आठ मास पीते हैं। अरे, धरती माता को तो हम वर्षो से चूसते आ रहे है। अब आइए कुछ दिनो के लिए धरती माता का भी आराम कर लेने दें। इतने में ही सरकार की भी बुद्धि ठिकाने आ जावेगी।

"आप तो किसान के बच्चे है। किसान का बच्चा कभी दूसरो की ओर हाथ नही पसारता। कमेरे आप के भाई है। फिर डर काहे का ? किसान और कमेरे पसीने की कमाई खाते है। और सब लोगा के दिन बीत गए। अब आप किसी से न डरें। न्याय के लिए, प्रतिष्ठा के लिए बराबर लडिए। अरे, यहा अमर होकर कौन

आया है ? आवश्यकता पड़े तो सारे देश के किसानों के लिए लड कर दिखा दीजिए और देश के लिए अपने आपको मिटाकर ससार में अपनी अमर कीर्ति फैला दीजिए ।"

इसके अनन्तर जब सरदार ने मोती बहिन का वह पत्र पढकर सबको सुनाया, तो उस समय समस्त स्त्री-पुरुष विव्हल हो गए। सबकी आखो से आसू बहने लग गए। किसानो के तेज और बल मे बडी वृद्धि हुई। सभी उत्साह मे लबालब भर गए। अपार आनन्द छा गया। इसके अनन्तर वहा की सभा विसर्जित हुई और दूसरी ओर दूसरे गाव मे सभा का आयोजन हुआ। वल्लभभाई वहा पहुचे। उन्होने वहा भी आए हुए भाई-बहिनो को समझाया। फिर आगे तीसरी सभा के लिए चल पडे। किसी किसी दिन तो इतनी अधिक सभाए होती कि रात को भी विश्राम नही मिल पाता था। एकत्रित जनता मुक्त कण्ठ से वल्लभभाई की वन्दना करती थी। सभामच पर जब वल्लभभाई पहुचते और अपने जुडे हुए हाथो से सभा मे अभिवादन करते तो सारी सभा में जुडे हुए हाथ ही दिखाई पड़ते थे। उनकी आखो में एक गहरी चमक पैदा होती थी। सहस्त्रो आखे वल्लभभाई में अपनापन ढूंढती थी, पर वह अपनेपन का गहरा सम्बन्ध किस प्रकार का था, यह कहना कठिन था।

सत्याग्रहियों की मांग—वल्लभभाई के व्याख्यानो मे एक ही टेक होती कि "अब समय आ गया है। जन-बल महान है। इस महत्ता का अपमान अब नही सहा जा सकता।" वल्लभभाई अपनी टेक पर अड़े हुए थे। यद्यपि इस बीच सरकार के लिए भी उन्होने बहुत से पत्र लिखे। गवर्नर से भी पत्र व्यवहार होता था। वल्लभभाई यह चाहते थे कि नम्रता, सौजन्य तथा न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपनी बातें सरकार के सामने स्पष्ट कर दी जावे। पर इधर तो सरकार के अग-प्रत्यग मे दर्प का मद भरा हुआ था। सरकार यह चाहती थी कि किसान नियत तिथि के भीतर ही लगान अदा करे, तब जाच होती रहेगी। किसान चाहते थे कि पहले जाच हो और निष्पक्षता के साथ हमारी बातो को सुना जाए, इसके अनन्तर हम लगान दे देंगे। उनकी प्रमुख मांगें यह थी—

१—बारडोली पर बढाया हुआ लगान न्यायपूर्वक है या नही ? यदि न्यायसगत नही है तो न्यायपूर्वक लगान क्या हो सकता है ? इसकी जांच की जाए।

२—लगान वसूल करने के लिए सरकार की ओर से जो जो उपाय किए गए क्या वे न्याय के अनुकूल थे ? यदि नही थे तो पीडित किसानो को क्या हर्जाना दिया जावेगा ?

३—जिस भूमि को दूसरे के हाथ बेचा गया है, उसे लौटा दिया जावे।

४—सब राजबदियो को छोड़ दिया जावे और उनकी जब्त की गई वस्तुएं लौटा दी जाय।

आदि महानुभावो ने स्वय वहा जाकर बारडोली की स्थिति देखी। उन्होने जाच कर अपना विवरण प्रकाशित कराया। उस विवरण में भी सरकार को बडी चेतावनी दी गई कि यहा के किसानो को अपार कष्ट का सामना करना पड रहा है। बढा हुआ लगान सर्वथा अनुचित है। जब बीस गाव के लगान की विरत में सरकार पुन विचार कर रही है तो कोई कारण नही कि बारडोली के किसानो की निष्पक्ष जाच क्यो न हो ? इन महानुभावो ने भी अपने व्यक्तित्व, प्रवाह तथा हृदय से बहुत सहयोग दिया। अमृतलाल ठक्कर की सर्वेन्ट्स आफ इडिया सोसाइटी ने बारडोली की बडी सेवा की।

बाहर के समस्त समाचार-पत्रो ने बारडोली आन्दोलन को बलपूर्वक उठाया। इसमें "टाइम्स आव इण्डिया" जैसे राज-भक्ति की दुहाई देने वाले पत्र ने निम्न-लिखित सम्पादकीय लेख दिया—

"आर्य देश के बम्बई प्रान्त मे बारडोली नाम का एक मण्डल है। वहा महात्मा गाधी ने बोलशेविज्म का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया है। प्रयोग सफल भी होता जा रहा है। वहा सरकार के सारे कल पुर्जे मन्द पड गए है। गाधी के शिष्य पटेल का बोलबाला है। वही वहा का लेनिन है। स्त्रियो, बालको और पुरुषो में एक नई ज्वाला धधक रही है। इस ज्वाला मे राजभक्ति की अन्त्येष्टि-क्रिया हो रही है। स्त्रियो में नवीन चैतन्यता भर गई है। वल्लभभाई तो उनके गीतो का विषय हो रहा है। अपने नायक वल्लभभाई में वे असीम भक्ति रखती है। पर इन गीतो में राज-विद्रोह की भयकर आग सुलग रही है। उनको सुनते ही कान जलने लगते है। यदि ऐसा ही रहा तो निस्सन्देह वहा रक्त की नदिया बहने लगेंगी।"

इस प्रकार की बाते उस पत्र की एक विशेषता होती थी, जो बारबार देश-विदेश में पहुचती थी। पर इस प्रकार के प्रचार से उसने बारडोली का बडा उपकार किया और सारे ससार में बारडोली की चर्चा होने लगी। जब लोग सच्चाई के निकट पहुचने लगे तो इस पत्र की सभी ओर से निन्दा होने लगी। फिर भी यह पत्र बराबर वही राग अलापे जा रहा था।

इधर बारडोली सत्याग्रह के समर्थन में समस्त देश मे इधर उधर सभाए होने लगी। नगर नगर गाव गाव में सत्याग्रह की धूम मच गई। भडौंच में जिला परिषद का आयोजन किया गया, जिसके स्वागताध्यक्ष श्री मुशी थे। यहा सभा का उल्लास अपूर्व था। जनता बारडोली के बारे में बडे उत्साह के साथ सुनना चाहती थी कि वहा क्या हो रहा है ?

अध्यक्ष श्री खुरशेद जी नरीमन ने कहा—आज से दस-बीस वर्ष प्रथम जो किसान था वह किसान अब नही रहा। बारडोली में आज अग्रेजो को पूछता कौन है ? उनकी कचहरियो में आज जाता कौन है ? आज मार-पीट कर जबरदस्ती ही

मन था। सबसे बडी अद्भुत बात यह थी कि विट्ठल भाई कभी भी राजनीति के मच पर नही आए, पर राजनीति उनके साथ सदा उलझी रही। वे अपने आसन के लिए निरभिमान थे, परन्तु सेनापति को भी नही छोडते थे। छोटे-बडे लाट महोदयों को भी वे खत्त कहने म सकुचाते नही थे। वह समय था जब कि विट्ठल भाई जैसे महापुरुष अग्रेज के आगन मे अग्रेज का आह्वान करते थे। अग्रेज के चक्र-व्यूह में अभिमन्यु की भाति झूमते थे।

पहिले वह बम्बई की धारा सभा के सदस्य थ। अनिवाय शिक्षा विधेयक वहा उनका महत्वपूर्ण कार्य था। उनके कार्य से प्रसन्न होकर गवर्नर ने उन्हे "सर" की उपाधि देनी चाही तो उन्होने उसे नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। केन्द्रीय धारा सभा के अध्यक्ष बनने से पूर्व वह कई वर्ष तक उसके सदस्य भी रह चुके थे। केन्द्रीय धारा सभा के अध्यक्ष कार्य म वह दिन रात लगे रहते थे। वह उसके अधिवेशन में पूरे समय तक उपस्थित रह कर डिप्टी स्पीकर को सदन की अध्यक्षता करने का अवसर बहुत कम देते थे। रात्रि को भी वह कागजो को देखकर अगले दिन की तैयारी करते रहते थे। आजकल तो स्पीकर ससद मे दो-तीन घण्टे से अधिक समय प्राय नही देते।

बडे-बडे अग्रेज स्तब्ध थे, पर साहस किसी का ऐसा न होता था कि विट्ठल भाई को कुछ कह सके। उनका स्वाभिमान सर्वत्र उन्नत और ओजस्वी बना रहा। सरकारी अधिकारी व्यग्य करते थे। झूठा प्रचार करते थे, रह रह कर दात पीसते थे। पर जब वे अपने बहुमत के बीच निष्ठुरता के साथ उनको आह्वान करते थे तो उस समय अग्रेजो के मुह बन्द हो जाते थे। विट्ठल भाई उनके भीतर प्रवेश कर उनकी आकाक्षाओ को सहज ही समझ लेते थे। उनके पाखण्ड उनके सामने ज्योही प्रकट होते थे वे इतनी निर्दयता के साथ कुरेद-कुरेद कर उनके टुकडे-टुकडे कर देते थ कि अग्रेजो के बडे सेनापति तक को मौनावलम्बन ही करते बनता था।

विट्ठल भाई व्यवहार में कितने सज्जन थे, हृदय उनका कितना दयार्द्र था इसका निदर्शन उनके उपरोक्त पत्र में दिया जा चुका है। उनके हृदय की विशालता का इससे बढ कर और क्या उदाहरण हो सकता है? उनके जीवन का प्रति पल अमूल्य था। वे समय का बडा ध्यान रखते थे और जो काम जिस समय करने का निश्चय कर लेते थे उसे उसी समय पूरा करते थे। यहा तक कि सभाओ में विशेषकर बडी धारा सभा के अधिवेशनो में यदि कोई वक्ता समय के पालन म कुछ भी आलस्य करता तो वह स्पष्ट ही एक आपत्ति मोल ले लेता था।

गाधी जी का हृदय तो एक वीर माता का हृदय था, जो पुत्र के लिए बात बात पर पिघल जाता था। पर विट्ठल भाई का हृदय पिता का हृदय था जो करारे चपत लगा कर पुत्र को चुप कर दिया करता है। भावना दोनो में पुत्र उद्धार की थी।

की विद्वता, उनका कौशल, उनकी प्रतिभा, उनका गौरव यह सब किसी लहलहाते खेत में प्रदर्शन की वस्तुए नही थी। यह सम्मान उनके ही योग्य था और यह स्थान उनके कारण चमक उठा। विट्ठलभाई को भी अपनी गुरुता प्रकट करने का यही अवसर था। केन्द्रीय धारा-सभा उनकी प्रतिभा से आप्लावित हो उठी और केन्द्रीय धारा-सभा का हृदय पाने पर उनकी प्रखरता भी दमकने लगी।

पर हमारे सरदार का क्षेत्र दूसरा ही था। वह तो बारडोली में अपनी अलख जगाए बैठा था। वह तो किसान के लिए छटपटा रहा था—

तात को सोच न मात को सोच, न सोच तिया पर लोक तरे को।
गाव को सोच न ठाव को सोच, न खान को सोच न सोच घरे को॥
सग को सोच न अग को सोच, है सोच कवो न किएको करे को।
अग्रेज के चगुल में फसि पीडित, सोच कृषि जन हाथ धरे को॥

सरकार के पटवारी सभी प्रकार से हार चुके। मुखियो में भी खलबली मच गई। बाहरी अधिकारी भी उदास रहने लगे। जब वे गाव की ओर मुह करते तो गाव के सीमा में घुसते ही—

"तत शखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखा।
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो ऽ भवत्॥ गीता १.१३

इन ध्वनियो को, नगाडो को बजते हुए सुन कर चौक जाते। गाव भी ऐसा सुनसान बन जाता कि मानो कोई है ही नही। सभी घरो पर ताले और सभी का द्वार बन्द। ऐसा लगता कि सभी कमेरे हैं और कही काम करने गए है। लोगो का अपना घर है, पर सभी के सभी प्रवासी है।

उन अधिकारियो को इतना कष्ट होता कि उठने-बैठने को भी कुछ नही मिलता। विवश होकर वे स्वराज्य-भवन की छत्र-छाया में जाते। वहा उनका उचित सत्कार होता। वही पानी पीते, भोजन करते और कभी-कभी उनको रात भी वही शरणार्थी बन कर काटनी पडती। यद्यपि अनेक अधिकारी वल्लभभाई के इस व्यक्तित्व से प्रभावित थे, फिर भी कितनो ने इसे अपना अपमान समझा। फिर भी वे किसानो म फूट डालने के लिए सभी चेष्टाए करते। पर वे बेकार ही जाती।

अब तो किसानो की सरकार उनका सरदार है। वह जैसा कहेगा उसी प्रकार चलें। उनके हृदय पर सरदार ही राज्य कर सकता है, क्योकि सरदार के पास हृदय है। सरदार ने अपने हृदय से किसानो के हृदय को जीता है। अत्याचार से हृदय पर अधिकार नहीं किया जा सकता। वह तो प्रेम की मूर्ति है और प्रेम से ही जीवित है। उसको प्रेम से ही जीता जा सकता है।

वल्लभ भाई ने किसानो को जगाया। किसान उनसे चिपट गए। किसानो की छाती चौडी होने लगी। उनका शरीर बढने लगा। वे स्वय अपने बढते हुए बल को देख कर विस्मित होने लगे। गाव गाव के किसानो में प्रेम बन्धन दृढ हो गया। उनका सगठन, उनका गीत, उनका प्रेम, यह सभी अलौकिक आनन्द उपजाने वाली बातें थी।

दिन प्रतिदिन किसानो का शौर्य बढ रहा था। उनमें अपूर्व क्षमता बढ रही थी। उधर इस बीच अनेक ऐसी घटनाए हुईं जिन से किसान घबराए नही, किन्तु सहन-शीलता के साथ उन्होंने उन सब का सामना किया। सरदार ने मिट्टी से मर्द बनाए।

बारडोली की विजय—जब सरकार सब उपद्रव करके थक गई, तो उसको अपनी नीति पर फिर विचार करने को विवश होना पडा। अब गवर्नर ने सरदार वल्लभ भाई को बुलाकर उनसे वार्तालाप किया। वल्लभ भाई को यह आश्वासन दिया गया कि सरकार योग्य मामलो में जाच करके बढे हुए लगान को माफ कर देगी। उसके बदले में सरकार चाहती थी कि सत्याग्रह सग्राम बन्द कर दिया जाए और लोग पहिले के समान कर देना आरम्भ कर दें।

सरदार पटेल ने गवर्नर की इस बात को स्वीकार करते हुए यह भी माग उपस्थित की कि जिन लोगो का माल कुर्क हुआ है उनको उनका माल वापिस मिले तथा जिनकी जमीन कुर्क की गई है उनकी जमीन वापिस की जाए। सरकार ने सरदार की इस बात को भी स्वीकार कर लिया। किन्तु जो माल नीलाम हो चुके थे उनको वापिस करने मे अपनी असमर्थता प्रकट की। किन्तु प्रथम तो नीलाम लेने कोई आता ही न था, फिर जिस किसी को बाहिर से बुलाया भी गया था, उनमें से अधिकाश ने नीलाम के माल को सरकार को ही वापिस कर दिया, जिसने उसे उसके मालिक को सौंप दिया।

सरदार ने यह भी मांग की कि जिन पटेलो तथा तलाटियो ने त्यागपत्र दिये हैं उन्हे उसी पुरानी तारीख से फिर नौकरी पर रखा जावे। सरकार ने सरदार की इस माग को भी स्वीकार कर लिया।

बारडोली की भूमि की वापिसी

गाधी इरविन पैक्ट में गाधी जी यह बात भूल गये। किन्तु जब गाधी जी ने लार्ड इरविन से इस बारे में दोबारा कहा तो उसने उत्तर दिया कि समझौते में इस बात को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, किन्तु सरकार भूमियो को वापिस देने में बाधक नही बनगी। सरदार पटेल ने जब भूमिया वापिस कराईं तो एक पारसी जमीदार सरदार गार्डा ने बावला गाव की सारी जमीन जो उसने माल

ली हुई थी, उसे वापिस करने से इन्कार कर दिया। सरदार ने उस पर सर बाउन्स जी जहांगीर से दबाव डलवा कर यह भूमि उसके असल किसानों को वापिस कराई। वीर सन्द चेनाजी नामक एक अन्य साहूकार ने गोविन्द पुरुषोत्तम की जमीन ले रखी थी, जिसे उसने वापिस करने से इन्कार कर दिया। गोविन्द पुरुषोत्तम रावबहादुर भीमभाई नायक से कानजीभाई को चुनाव में दो बार हरवा चुका था। यह बात उस समय की है जब कांग्रेस ने चुनाव का बहिष्कार किया हुआ था। इस पर कानजीभाई ने ईर्ष्यावश उसकी भूमि वापिस नहीं होने दी। इस समय कानजीभाई भी कांग्रेस में जा चुका था। और उसने कांग्रेस के पच फैसले पर भी प्रभाव डाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस कार्य के लिये जो पच बनाये उनमें कानजीभाई भी थे। अतएव उन्होंने उसे न्याय नहीं मिलने दिया। जब यह बात सरदार के कान तक पहुची तो उन्होंने इसकी जांच की और कहा कि उसे न्याय इस प्रकार मिलना चाहिये कि ऋण के मामले को राजनीति से अलग रखा जावे। अतएव पचनामा लिखते समय वह भूमि कांग्रेस के दो जिला नेताओं के नाम बदल दी गई। बाद में पुरुषोत्तम ने पचफैसले को न्यायालय में चुनौती देकर उसे रद्द करवाया। किन्तु उसकी भूमि तब भी कांग्रेसियों के नाम बनी रही। बाद में सरदार पटेल जब जेल से वापिस आये तो उन्होंने उस भूमि को उसे वापिस दिलवा दिया।

इस प्रकार अक्तूबर १९२८ तक सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारडोली के सत्याग्रह में पूर्ण विजय प्राप्त हुई।

बारडोली की इस विजय पर सारे भारत में प्रसन्नता मनाई गई। गुजरात और विशेषकर बारडोली में तो सरदार को अनेक मानपत्र दिए गए। इस प्रकार सरदार के प्रयत्न से बारडोली का नाम विश्व इतिहास में अमर हो गया।

इस सम्बन्ध में नरसिंहराव नामक एक कवि ने गीता के शब्दों में लिखा है :

यत्र योगेश्वरो गाधी वल्लभश्च धूर्धुर ।
तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥

सरदार वल्लभभाई पटेल ने बारडोली सग्राम के लिये वहा की जनता को इतना अधिक प्रशिक्षित कर दिया था कि १९३० के समय सत्याग्रह तथा उसके बाद के अन्य सत्याग्रहो में जनता अग्रेज के विरुद्ध बराबर डटी रही और वह सरदार, गाधी जी तथा अन्य नेताओ के जेल म होने पर भी विचलित न हुई। उसने सन् १९३० मे करबन्दी सत्याग्रह तक किया और उनमें से पटेल, तलाटी तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त सभी किसान ब्रिटिश भारत से अपना अपना घर बार छोडकर गायकवाडी राज्य में चले गये। उन्होने भर बरसात के श्रावण मास में हिजरत करने का निश्चय किया और इसके दो मास पश्चात् घर का समस्त सामान तथा पशुओं को लेकर अपने-अपने खेतों की कपास की फसल

अध्याय ४

सन् १९३० से १९३३ तक का आन्दोलन

कलकत्ता काग्रेस में सम्मान—बारडोली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान समस्त देश में बढ गया। दिसम्बर १९२८ में काग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पडित मोती लाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ते में हुआ। इसमें बारडोली के सत्याग्रहियो का बधाई देने वाला प्रस्ताव सभापति की ओर से उपस्थित किया गया। प्रस्ताव को सुनते ही सहस्रो प्रतिनिधियो तथा दर्शको ने सरदार के दर्शन की माग की। सरदार बडे सकोच के साथ अपने स्थान पर खडे हुए। परन्तु इतने से लोगो को सतोष न हुआ और वह उनके भाषण की माग करने लगे। सरदार व्याख्यानमच पर जा नहीं रहे थे। अन्त में उन्हे घसीटकर वहा ले जाकर खडा किया गया। अब तो उनके अभिनन्दन तथा जय जयकार के शब्दो से मडप बहुत समय तक गूजता रहा। सरदार जनता को धन्यवाद देकर बैठ गए। अब तो समस्त देश वल्लभ भाई पटेल की ओर उत्सुक दृष्टि से देखने लगा। सरदार पटेल ने १९२९ में गुजरात, महाराष्ट्र तथा तामिलनाड के प्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलनो का सभापतित्व किया। इसके पश्चात् उन्होने कर्नाटक तथा बिहार का दौरा किया। मद्रास के एक एक कालेज में उनके भाषण हुए।

पूर्ण स्वतन्त्रता का ध्येय—काग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को भारतीय स्वतन्त्रता का लक्ष्य मान कर सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि उसने एक वर्ष के अन्दर उसे स्वीकार न किया तो काग्रेस अपना ध्येय पूर्ण स्वतन्त्रता बना लेगी। अतएव एक वर्ष बीतने पर काग्रस ने दिसम्बर १९२९ में लाहौर में प जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अपना ध्येय पूर्ण स्वतन्त्रता बनाया। इस काग्रेस में यह भी निश्चय किया गया कि २६ जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतन्त्रता दिवस मनाया जावे।

नमक सत्याग्रह—ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने की माग के उत्तर में सन् १९२६ मे सर जान साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बना कर उसे यह कार्य सौंपा था कि वह १९१९ के गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट में भारत की तत्कालीन स्थिति के अनुसार ऐसे सशोधनो का प्रस्ताव करे, जिससे भारत की राजनीतिक स्वतन्त्रता की माग को शात किया जा सके। इस कमीशन ने भारत आकर यहा के राजनीतिक नेताओ की गवाहिया लेने की घोषणा की। किन्तु इस कमीशन के सभी सदस्य अग्रेज थे। अतएव काग्रेस ने इस कमीशन को मानने

से इन्कार कर इसने बहिष्कार की घोषणा की। कमीशन भारत आया, किन्तु उसका सब कहीं काले झण्डों से स्वागत किया गया। सरकार कांग्रेसी स्वयंसेवकों को पिटवाती तथा जेलों में डालती थी, किन्तु बहिष्कार पूर्णतया सफल रहा। यह साइमन कमीशन जब लाहौर गया तो वहां लाला लाजपतराय के नेतृत्व में पूर्ण हड़ताल की गई। पुलिस ने उस समय ऐसा भयंकर लाठी प्रहार किया कि उनसे लाला जी के भयंकर चोटें आईं और उन्हीं चोटों के कारण वह बाद में मर गए।

इस बहिष्कार आन्दोलन की सफलता के बाद महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ कर सत्याग्रह करने की घोषणा की। उन्होंने यह घोषणा की कि १२ मार्च १९३० को वह नमक कानून भंग करने के लिए दाडी नामक स्थान के लिए कूच करेंगे।

वल्लभ भाई की गिरफ्तारी—उधर वल्लभ भाई अपने "गुरु" के पहले ही आने वाली तपस्या और कष्टों के लिए तैयार होने की प्रेरणा देने के लिए गांवों में पहुंच चुके थे। वह नमक कानून भंग का प्रचार तथा महात्मा गांधी के दाडी जाने के मार्ग में उनके मार्ग को प्रशस्त करने वाले थे। इस अवसर पर सरकार ने भी प्रथम प्रहार करने में विलम्ब नहीं किया। जब वल्लभ भाई इस प्रकार गांधी जी के आगे-आगे चल रहे थे तो सरकार ने समझा "यह तो १९०० वर्ष पहले का ईसामसीह का दूत जान बैपटिस्ट है।" अस्तु उसने ७ मार्च १९३० को वल्लभ भाई को रास गांव में पहुंचने पर उन पर भाषण करने का प्रतिबन्ध लगाया, किन्तु सरदार ने उस आज्ञा को न मान कर सत्याग्रह किया। अतएव सरकार ने उनको भाषण देने से पूर्व गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चला कर उन्हें पौने चार मास की सादी जेल की सजा दे दी।

गुजरात की समस्त जनता पर इस घटना का भारी प्रभाव पड़ा। वहां का बच्चा-बच्चा सरकार के विरुद्ध हो गया। अहमदाबाद में साबरमती के रेतीले तट पर ७५,००० स्त्री पुरुषों ने एकत्र होकर यह प्रस्ताव पास किया।

"हम अहमदाबाद के नागरिक यह संकल्प करते हैं कि जिस मार्ग पर वल्लभ भाई गए हैं हम भी उसी पर जाएंगे और ऐसा करते हुए स्वाधीनता को प्राप्त करके छोड़ेंगे। हम देश को स्वतन्त्र किए बिना न तो स्वयं ही चैन से बैठेंगे और न सरकार को ही चैन से बैठने देंगे। हम शपथपूर्वक घोषणा करते हैं कि भारतवर्ष का उद्धार सत्य और अहिंसा से ही होगा।"

इसके पश्चात् १२ मार्च १९३० को महात्मा गांधी अपने ७९ साथियों को लेकर दाण्डी कूच के लिए निकल पड़े। यह विद्रोहियों का कूच था। पर महात्मा गांधी आगे बढ़ते जा रहे थे उधर ग्राम-कर्मचारियों के धड़ाधड़ त्यागपत्र आ रहे थे। ३०० ने नौकरी छोड़ दी। महात्मा जी के कूच के बीच में ही २१ मार्च १९३० को

अहमदाबाद में कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई। इसमें कार्यसमिति तथा कांग्रेसियों से अनुरोध किया गया कि वह अपनी शक्ति नमक-कानून पर केन्द्रित करें। इस प्रस्ताव में यह भी चेतावनी दी गई कि गांधी जी के दाण्डी पहुंचकर नमक कानून तोडने से पहले देश में और कहीं सविनय अवज्ञा आरम्भ न की जावे। महासमिति ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी गिरफ्तारी पर बधाई दी।

गांधी जी २४ दिन की यात्रा के बाद ५ अप्रैल १९३० को प्रात काल दाण्डी पहुंचे। उन्होंने वहा जाकर नमक बना कर नमक कानून तोडा। उसी दिन समस्त भारत में भी नमक कानून तोडा गया। प्रत्येक स्थान के स्थानीय नेता न कुछ तपे हुए कांग्रेसियों को लेकर उस दिन नमक बनाया और जेल में डेरा डाल दिया।

इस समय कांग्रेस अध्यक्ष प जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के समय अपने पिता पंडित मोती लाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी नियत किया, किन्तु पंडित मोती लाल नेहरू भी अधिक समय तक जेल से बाहर न रह सके। जब वल्लभभाई पटेल अपनी चार मास की सजा काट कर २६ जून को बाहर आए तो पंडित मोती लाल नेहरू ने उन्हें कांग्रेस का स्थानापन्न अध्यक्ष नियुक्त किया। सरदार पटेल ने कांग्रेस अध्यक्ष बन कर बम्बई और गुजरात में संगठन को सुदृढ एव सुसंगठित करना आरम्भ किया। उन्होंने आन्दोलन को और भी तीव्र कर दिया। उनके व्याख्यानों से कार्यकर्ताओं को एक नई ध्वनि तथा उत्साह मिलता था। उन्होंने १३ जुलाई १९३० को उस आर्डिनेन्स के सम्बन्ध में भाषण दिया, जिसके अनुसार देश के सारे कांग्रेस संगठन गैरकानूनी घोषित कर दिये गए थे और कांग्रेस दफ्तर को जब्त कर लिया गया था।

लार्ड इर्विन ने असेम्बली में इन दिनों एक प्रतिगामी भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को पूर्ण शक्ति से कुचलने का सकल्प प्रकट किया था। सरदार पटेल ने वायसराय के उक्त भाषण का मुह तोड जवाब दिया था।

गुजरात के बारडोली और बोरसद ताल्लुकों में जिस प्रकार करबन्दी आन्दोलन सफलतापूर्वक चलाया गया था, वह सारे आन्दोलन के लिए अभिमान का विषय था। किन्तु अधिकारियों ने उसे दबाने के लिए ऐसे-ऐसे जुल्म किए थे कि उनसे तग आकर ८०,००० व्यक्ति अग्रेजी सीमा से निकल निकल कर अपने पडौस के बडौदा राज्य के गावों में चले गए थे, जिसका उल्लेख पीछे पृष्ठ ५३ पर किया गया है।

३१ जुलाई १९३० को सरदार मालवीय जी आदि कई नेताओं को साथ लेकर लोकमान्य तिलक की सवत्सरी के अवसर पर बम्बई में एक बहुत बडे जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे कि सरकार ने उस जुलूस को गैरकानूनी घोषित करके

बम्बई के बिरला भवन में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के पश्चात् । प्यारे लाल, नेहरूजी, मथरादास टीकमजी, बापू, मणिबेन, सरदार पटेल तथा जीवराज मेहता ।

गांधी-इर्विन पैक्ट के पश्चात् श्री ब्रजकृष्ण चांदीवाला के मकान पर लिया हुआ चित्र,
(बाएं से दाहिने को) (भूमि पर बैठे हुए) १ स्वर्गीय श्री नारायण (ब्रजकृष्ण जी का भतीजा) २ उषा ३ विमला (ब्रजकृष्णजी की भतीजियां), ४ लाला हनुमान प्रसाद, ५ श्री ब्रजकृष्ण चांदीवाले, ६ लाला रामकृष्ण दास चांदीवाले (ब्रजकृष्ण जी के ज्येष्ठ भ्राता)

(कुर्सियों पर बैठे हुए) १ श्री अब्दुल कादिर बवाजिर (इमाम साहिब), २ डाक्टर अंसारी, ३ सरदार पटेल, ४ श्री जवाहरलाल नेहरू, ५ डाक्टर सैयद महमूद, ६ श्री जे एम सेन गुप्ता

(प्रथम पंक्ति में खड़े हुए) १ श्रीप्रकाश, २ श्री राजेन्द्रबाबू ३ श्री महादेव देसाई, ४ श्री सी राजगोपालाचारी, ५ डाक्टर पट्टाभि सीतारामैया, ६ काशी निवासी बाबू शिवप्रसाद गुप्त, ७ श्री शंकरलाल बैंकर, ८ श्री अरुण गुहा

(पीछे की पंक्ति में खड़े हुए) श्री प्रभुदयाल, २ सेवक, ३ सेवक, ४ एक दलाल, ५ कुरैशी, ६ ला राजा लाल, दिल्ली, ७ श्री प्यारेलाल नायर, ८ श्री रामगोपाल, दिल्ली, ९ श्री गोविंद मालवीय, १० सेठ जमनालाल बजाज, ११ श्री गोपीनाथ जौहरी, दिल्ली १२ श्री फरीदुल हक अंसारी, १३ श्री जैन, दिल्ली, १४ श्री उपाध्याय (नेहरू जी के प्राइवेट सेक्रेटरी), १५ ला बनवारी लाल, दिल्ली, १६ सेठ मोतीलाल, दिल्ली, १७ लाला रामस्वरूप, कूचा घासीराम दिल्ली, १८ सेवक, १९ दिल्ली का एक युवक जौहरी

उसे आगे बढने से रोक दिया। इस पर सारा जुलूस भूमि पर बैठ गया और अगले दिन प्रातःकाल तक वही बैठा रहा। इस बीच बडे जोर की मूसलाधार वर्षा हुई, किन्तु सरदार तथा अन्य नेताओ सहित सारा जुलूस वही डटा रहा। प्रातःकाल होने पर नेताओ तथा महिलाओ को गिरफ्तार करके भयकर लाठी प्रहार द्वारा जुलूस को भग कर दिया गया। सरदार को तीन मास की सजा देकर यरवडा जेल मे बन्द कर दिया गया। सरदार ने गिरफ्तार होते समय आज्ञा दी कि "आज से देश में एक एक घर काग्रेस कमेटी का दफ्तर बन जावे और प्रत्येक मनुष्य काग्रेस सस्था बन जावे।"

सजा समाप्त कर बाहिर आने पर सरदार जनता को उत्तेजित करने वाले भाषण देने लगे। किन्तु पुलिस उस समय भयकर अत्याचार कर रही थी।

सरदार की माता पर अत्याचार—स्वय सरदार वल्लभभाई की माता—जिनकी आयु उस समय ८० वर्ष से अधिक थी—जब अपना भोजन बना रही थी तो उनके भोजन बनाने के बर्तन को पुलिस ने नीचे गिरा दिया। पकते हुए चावलो में पुलिस ने पत्थर, बालू और मिट्टी का तेल मिला दिया। उन दिनों पुलिस इस प्रकार के अत्याचार सब कही अत्यन्त व्यापक रूप में कर रही थी।

सरदार के दूसरी बार जेल से बाहिर आने पर उनको भाषणबन्दी की आज्ञा दी गई। इस आज्ञा का उल्लघन करने के आरोप में दिसम्बर १९३० मे उनको फिर पकड़ कर नौ मास जेल की सजा दी गई।

गाधी-इर्विन पैक्ट—अब सरकार ने देश की उक्त माग के सामने झुक कर लदन में राउड टेबिल अथवा गोल मेज कान्फ्रेंस करने की घोषणा की। किन्तु उसकी रचना में काग्रेस को कुछ सम्मानपूर्ण स्थान नही दिया गया था। अतएव काग्रेस ने उसका भी बहिष्कार किया और जिस समय १२ दिसम्बर १९३० को लदन मे राउड टेबिल कान्फ्रेंस भारतीय शासन के भावी रूप के सम्बन्ध में विचार करने के लिए बैठी तो उसमें कोई भी सच्चा भारतीय प्रतिनिधि नही था। उन दिनों देश में सत्याग्रह चल रहा था। वल्लभभाई पटेल सहित पूरी काग्रेस कार्यसमिति जेल में थी। इगलैण्ड के तत्कालीन प्रधान मन्त्री रामसे मैक्डानल्ड ने १९ जनवरी १९३१ को राउड टेबिल कान्फ्रेंस में घोषणा की कि राउड टेबिल कान्फ्रेंस के फलस्वरूप भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य तक दिया जा सकता है। प्रधान मन्त्री की इस घोषणा के अनुसार २५ जनवरी १९३१ को काग्रेस कार्यसमिति पर से प्रतिबध हटा कर उसके महात्मा गाधी, सरदार पटेल आदि २६ सदस्यो को छोड कर सधि के लिए वातावरण तैयार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप १९ फरवरी से महात्मा गाधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड इर्विन में दिल्ली मे सधि वार्तालाप आरम्भ हुआ और ४ मार्च १९३१ को दोनो में एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास

म "गाधी इर्विन पैक्ट" कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार काग्रेस ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को रोक कर राउड टेबिल कान्फ्रेंस में भाग लेना स्वीकार किया। सरकार ने काग्रेस के नमक बनाने के अधिकार को सीमित रूप मे मान कर सविनय अवज्ञा के सब कैदियो को छोड दिया।

कराची काग्रेस के सभापति—इसके बाद मार्च १९३१ मे काग्रेस का पैंतालीसवा वार्षिक अधिवेशन सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में कराची मे किया गया। सरदार ने अपने छोटे से भाषण में अपने सभापति चुने जाने पर कहा कि "यह गौरव किसान को नही—किन्तु गुजरात को, जिसने स्वतन्त्रता के युद्ध में एक बडा भाग लिया था, प्रदान किया गया है।" कराची काग्रेस ने गाधी इर्विन पैक्ट को स्वीकार कर गोलमेज सम्मेलन के लिए अकेले महात्मा गाधी को अपना प्रतिनिधि चुना।

महात्मा जी गोलमेज सम्मेलन के लिए सितम्बर १९३१ में लन्दन पहुचे। वहा मुसलमानो को वह कोरा चेक देने को तैयार थे। किन्तु हिन्दू-मुस्लिम समझौता किसी भी प्रकार न हुआ।

लन्दन में यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन १५ सितम्बर १९३१ से हुआ। महात्मा गाधी ने उसमें भाग लेते हुए ही ५ नवम्बर को सम्राट् पचम जार्ज के साथ भेंट की। द्वितीय राउड टेबिल कार्फ्रेंस के १ दिसम्बर १९३१ को समाप्त हो जाने पर आप ५ दिसम्बर को लदन से चलकर २८ दिसम्बर १९३१ को वापिस बम्बई आ गए।

बारडोली की जांच—गाधी जी के २९ अगस्त १९३१ को लन्दन जाते समय उनको यह आश्वासन दिया गया था कि बारडोली में लगान वसूली के सिलसिले में पुलिस की ज्यादतियों के आरोपो की जाच की जायेगी। इस जाच का काम बाद में मिस्टर गार्डन को दिया गया। यह जाच ६ अक्तूबर १९३१ को आरम्भ हुई। काग्रेस के पक्ष को इसमें श्री भूलाभाई देसाई तथा सरदार पटेल ने उपस्थित किया। दोनो पक्ष इस बात पर सहमत हो गए कि किसानो को अपनी शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक लगान देना चाहिए और यदि किसान उन सत्याग्रहियों में से नहीं हैं, जिन्हें बहुत हानि उठानी पडी है, तो उन्हे कर्ज लेकर भी लगान देना चाहिए। श्री देसाई ने अनेक तार पढ़ कर सुनाए। उनमें बारडोली का एक तार यह भी था कि रायम गाव पर कलेक्टर ने पुलिस के १५ सिपाहियों के साथ धावा बोला। अन्य अनेक गावो पर भी धावा बोला गया। जाच बहुत समय तक चलती रही। भारत सरकार व बम्बई सरकार ने ५ मार्च से २८ अगस्त तक जितनी आज्ञाए प्रचारित की थी, सरदार पटेल ने उन्हे पेश करने को कहा। क्योंकि उनसे समझौते में निर्दिष्ट स्टैण्डर्ड के प्रश्न पर काफी प्रकाश पड़ सकता

था, किन्तु मि गार्डन यह बात न समझ सके कि काग्रेस की बात सिद्ध करने के लिए सरकार को गवाह के रूप में क्यो बुलाया जावे ? मिस्टर गार्डन ने १२ नवम्बर १९३१ को स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि "सरकारी आज्ञाओ को उपस्थित नही किया जा सकता ।" श्री देसाई ने इसका विरोध किया। उधर सरदार पटेल ने किसानो के नाम एक वक्तव्य प्रकाशित करते हुए लिखा कि "जाच का रूप विरोधी तथा इकतरफा है ।" अन्त मे सरदार ने इस जाच का बहिष्कार करके अपने इस कार्य की सूचना १३ नवम्बर को महात्मा गाधी के पास लन्दन भेज दी।

पूना की यरवडा जेल में—यद्यपि महात्मा गाधी ने लन्दन मे सितम्बर १९३१ में पहुच कर द्वितीय राउड टेबिल कान्फ्रेंस मे भाग लिया, किन्तु उत्तर प्रदेश के किसान आन्दोलन के सम्बन्ध मे काग्रेस और सरकार के सम्बन्ध फिर बिगड गए । महात्मा गाधी के पीछे अभी उनके लन्दन से लौटने के दिनो में दिसम्बर १९३१ मे दोनो ही पक्ष एक दूसरे से अत्यधिक असन्तुष्ट हो गए। महात्मा गाधी ने २८ दिसम्बर को लन्दन से बम्बई पहुचने पर २९ को वायसराय से मिलने की अनुमति मागी, किन्तु लार्ड वेलिंगडन ने ३१ दिसम्बर को अपने उत्तर में महात्मा गाधी से मिलने से एकदम इन्कार कर दिया। अन्त में काग्रेस ने १ जनवरी १९३२ को सविनय अवज्ञा आन्दोलन करने की फिर घोषणा कर दी। सरकार ने भी महात्मा गाधी और सरदार वल्लभभाई पटेल को ४ जनवरी १९३२ को गिरफ्तार कर पूना की यरवडा जेल में बन्द कर दिया । उसी दिन वायसराय ने काग्रेस कार्यसमिति को गैरकानूनी घोषित करके एकदम चार आर्डीनेंस निकाल कर समस्त भारतवर्ष पर आर्डिनेसो द्वारा शासन करना आरम्भ किया ।

१९३२ का सत्याग्रह आन्दोलन—यद्यपि सरकार ने अपनी जान में काग्रेस के सभलने से पूर्व ही उस पर इतने प्रबल वेग से आक्रमण किया था कि काग्रेस आन्दोलन का कही नाम तक दिखलाई न दे, किन्तु काग्रेस कार्यकर्ता सरकार की इस चोट को भी सह गए और उन्होंने पहिले शराब तथा विदेशी वस्त्र पर धरना देना आरम्भ किया । इन दिनों विदेशी वस्त्र का बहिष्कार अत्यन्त सफल रहा। बम्बई प्रान्त में नमक कानून तोडा गया । कुछ स्थानो में जगल सत्याग्रह किया गया और कुछ स्थानों में करबन्दी आन्दोलन भी आरम्भ किया गया। इस समय काग्रेस का सन्देश भारतवर्ष के ग्राम ग्राम में जा पहुचा, जिससे अनेक सरकारी अफसरो तक ने त्यागपत्र दे दिए । इस समय सविनय अवज्ञा आन्दोलन का जोर इतना अधिक बढा कि जनवरी १९३२ में १४,८०३ व्यक्ति समस्त देश में जेल गए। फरवरी में आन्दोलन ने और भी जोर पकडा । इस मास में १७,८१८ व्यक्ति जेल गए। इसमें सन्देह नही कि सरकार के दमन का पर्याप्त प्रभाव हुआ और बाद के महीनो में गिरफ्तारियों की सख्या कम हो गई। तो भी १९३२ के पूरे वर्ष

सवर्ण हिन्दुओ के नेताओ को इस सम्बन्ध में निर्णय करने के उद्देश्य से बम्बई में एक कान्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित किया। अस्तु १९ सितम्बर से बम्बई में यह सम्मेलन हुआ। यह लोग २० सितम्बर को फिर वाद-विवाद करके पूना गए। वहा उन्होंने २१ और २२ सितम्बर को यरवडा जेल में तथा २३ और २४ सितम्बर को पूना में विचार विनिमय करके एक समझौता किया जिसमें अछूतो को अधिक अधिकार देकर उनको निर्वाचन में हिन्दुओ में ही बने रहने को सहमत किया गया। इस समझौते को बाद मे पूना पैक्ट कहा गया। इस पर २४ सितम्बर १९३२ को पूना में हस्ताक्षर किए गए।

महात्मा गाधी का उपवास खोलना—नेताओ ने अपने निर्णय की प्रतिलिपि तार द्वारा वायसराय तथा प्रधान मन्त्री के पास शिमला तथा लदन को उसी दिन भेज दी। इसके बाद २६ सितम्बर को गृह सदस्य सर हैरी हैग ने नई दिल्ली की केन्द्रीय असेम्बली में घोषणा की कि प्रधान मन्त्री ने साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में पूना पैक्ट को स्वीकार कर लिया है। इस विषय पर प्रधान मन्त्री की स्वीकृति की एक प्रति २६ सितम्बर को सायकाल ४। बजे महात्मा गाधी को दी गई। अतएव उन्होंने विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर आदि की उपस्थिति में अपना अनशन भग कर दिया।

हरिजन सेवक-सघ—महात्मा गाधी के अनशन से सारे देश में अछूतोद्धार की लहर दौड गई। २६ सितम्बर को बम्बई में नेताओ के एक और सम्मेलन मे "अखिल भारतीय हरिजन सेवक सघ" की स्थापना करके उसका प्रधान सेठ घनश्यामदास बिडला तथा प्रधानमन्त्री श्री अमृतलाल वी ठक्कर को बनाया गया। इसके बाद सारे देश मे अछूतोद्धार तथा मन्दिर प्रवेश आन्दोलन बडे भारी पैमाने पर चलाया जाने लगा। महात्मा गाधी स्वय जेल के अन्दर से इस आन्दोलन का सचालन करने लगे।

तृतीय गोलमेज सम्मेलन—इन्ही दिनो लदन में तीसरे गोलमेज सम्मेलन की तैयारिया की जा रही थी। उसके प्रतिनिधियों में से सर तेजबहादुर सप्रू, श्री जयकर आदि २९ अक्तूबर को बम्बई से लदन चले। यह सम्मेलन लदन में १७ नवम्बर १९३२ से २५ दिसम्बर तक हुआ। इसमें शासन सम्बन्धी अनेक बातो पर वाद विवाद करने के अतिरिक्त काग्रेस के सहयोग न देने पर खेद प्रकट करके महात्मा गाधी आदि राजबन्दियो को छोडने पर बल दिया गया।

काग्रेस का ४७ वा अधिवेशन—३१ मार्च तथा १ अप्रैल १९३३ को काग्रेस का ४७ वा अधिवेशन श्रीमती नेली सेन गुप्ता की अध्यक्षता में कलकत्ते में हुआ। सरकार के बड बडे बन्दोबस्त करने पर भी काग्रेस के इस अधिवेशन में ९२० प्रतिनिधि आए, जिन में से ४४० सयुक्त प्रान्त के, २३६ बगाल और आसाम

में कुल ६६,९४६ व्यक्ति जेल गए। अप्रैल के बाद सविनय अवज्ञा आन्दोलन का जोर घटने लगा।

कांग्रेस अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल ने, अपनी गिरफ्तारी की पूर्ण सभावना से, अपने बाद क्रमश: कार्य करने वाले व्यक्तियों की एक सूची बना दी थी। कांग्रेस कार्यसमिति ने अपने सारे अधिकार अध्यक्ष के नाते सरदार पटेल के सुपुर्द कर दिए थे, जिन्हे सरदार ने अपने उत्तराधिकारियो को सौंप दिया था। बाद में वह लोग भी इन अधिकारो को डिक्टेटर के रूप में अपने अपने उत्तराधिकारियो को सौंपते रहे। प्रान्तो में भी जहा कही सम्भव हुआ, सारी सत्ता एक व्यक्ति को दे दी गई। इसी प्रकार जिलो, थानो, ताल्लुको और गावो तक की कांग्रेस कमेटियो में हुआ।

सरदार पटेल ४ अप्रैल १९३२ से मई १९३३ तक पूरे सोल्ह मास गाधी जी के साथ यरवडा जेल में रहे। गाधी जी के छूटने के पश्चात् उन्हे लगभग तीन मास यरवडा जेल में रखकर नासिक जेल भेज दिया गया। सरदार पटेल ने सन् १९३० में साबरमती जेल के फाटक में घुसते ही सदा के लिए सिगरेट पीना छोड दिया। यरवडा जेल में उन्होने चाय पीना भी छोड दिया। सरदार ने इस जेल प्रवास में लिफाफे बनाए तथा महादेव देसाई से सस्कृत पढी। सरदार के यरवडा जेल के प्रवास के दिनों में ही नवम्बर १९३२ में उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था।

सम्प्रदायिक निर्णय और महात्मा गाधी का उपवास—अगस्त १९३२ में इगलैण्ड के तत्कालीन प्रधान मन्त्री मिस्टर रामसे मैकडोनल्ड ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय दिए हुए अपने वचन के अनुसार साम्प्रदायिक विषयो के सम्बन्ध में अपना निर्णय दिया। उसमे अस्पृश्य जातियो को सामान्य हिन्दुओ से पृथक् करके उनको पृथक् निर्वाचन करने का अधिकार दिया गया। जैसा कि पहिले बतलाया जा चुका है महात्मा गाधी इस समय सरदार पटेल के साथ यरवडा जेल में बन्द थे। उन्होने प्रधान मन्त्री को १८ अगस्त १९३२ को एक पत्र भेजकर उनके द्वारा किए हुए साम्प्रदायिक निर्णय का प्रतिवाद किया और उनको चेतावनी दी कि यदि उन्होने अछूतो के सम्बन्ध में अपने निर्णय को न बदला तो वह सितम्बर १९३२ से आमरण अनशन आरम्भ करेंगे। प्रधान मन्त्री ने अपने ८ सितम्बर के पत्र में महात्मा गाधी के अनुरोध को मानने में अपनी असमर्थता प्रकट की। अस्तु, महात्मा गाधी ने २० सितम्बर को ठीक १२ बजे दोपहर से अपना उपवास आरम्भ कर दिया।

नेता सम्मेलन और पूना पैक्ट—महात्मा गाधी के उपवास की घोषणा से सारे देश में क्षोभ फैल गया। प मदनमोहन मालवीय ने १३ सितम्बर को अछूतो तथा

सवर्ण हिन्दुओं के नेताओं को इस सम्बन्ध में निर्णय करने के उद्देश्य से बम्बई मे एक कान्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए निमन्त्रित किया। अस्तु १९ सितम्बर से बम्बई मे यह सम्मेलन हुआ। यह लोग २० सितम्बर को फिर वाद-विवाद करके पूना गए। वहां उन्होंने २१ और २२ सितम्बर को यरवडा जेल में तथा २३ और २४ सितम्बर को पूना मे विचार विनिमय करके एक समझौता किया, जिसमें अछूतो को अधिक अधिकार देकर उनको निर्वाचन में हिन्दुओं में ही बने रहने को सहमत किया गया। इस समझौते को बाद में पूना पैक्ट कहा गया। इस पर २४ सितम्बर १९३२ को पूना में हस्ताक्षर किए गए।

महात्मा गांधी का उपवास खोलना—नेताओ ने अपने निर्णय की प्रतिलिपि तार द्वारा वायसराय तथा प्रधान मन्त्री के पास शिमला तथा लदन को उसी दिन भेज दी। इसके बाद २६ सितम्बर को गृह सदस्य सर हैरी हैग ने नई दिल्ली की केन्द्रीय असेम्बली में घोषणा की कि प्रधान मन्त्री ने साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में पूना पैक्ट को स्वीकार कर लिया है। इस विषय पर प्रधान मन्त्री की स्वीकृति की एक प्रति २६ सितम्बर को सायकाल ४। बजे महात्मा गाधी को दी गई। अतएव उन्होंने विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर आदि की उपस्थिति में अपना अनशन भग कर दिया।

हरिजन सेवक-संघ—महात्मा गाधी के अनशन से सारे देश में अछूतोद्धार की लहर दौड़ गई। २६ सितम्बर को बम्बई में नेताओ के एक और सम्मेलन में "अखिल भारतीय हरिजन सेवक सघ" की स्थापना करके उसका प्रधान सेठ घनश्यामदास बिड़ला तथा प्रधानमन्त्री श्री अमृतलाल वी. ठक्कर को बनाया गया। इसके बाद सारे देश में अछूतोद्धार तथा मन्दिर प्रवेश आन्दोलन बड़े भारी पैमाने पर चलाया जाने लगा। महात्मा गाधी स्वय जेल के अन्दर से इस आन्दोलन का सचालन करने लगे।

तृतीय गोलमेज सम्मेलन—इन्ही दिनों लंदन में तीसरे गोलमेज सम्मेलन की तैयारियां की जा रही थी। उसके प्रतिनिधियो में से सर तेजबहादुर सप्रू, श्री जयकर आदि २९ अक्तूबर को बम्बई से लंदन चले। यह सम्मेलन लदन में १७ नवम्बर १९३२ से २५ दिसम्बर तक हुआ। इसमें शासन सम्बन्धी अनेक बातो पर वाद-विवाद करने के अतिरिक्त कांग्रेस के सहयोग न देने पर खेद प्रकट करके महात्मा गाधी आदि राजबन्दियो को छोड़ने पर बल दिया गया।

कांग्रेस का ४७ वां अधिवेशन—३१ मार्च तथा १ अप्रैल १९३३ को कांग्रेस का ४७ वा अधिवेशन श्रीमती नेली सेन गुप्ता की अध्यक्षता में कलकत्ते में हुआ। सरकार के बडे बडे बन्दोबस्त करने पर भी कांग्रेस के इस अधिवेशन में ९२० प्रतिनिधि आए, जिन में से ४४० संयुक्त प्रान्त के, २३६ बगाल और आसाम

के तथा शेष अन्य प्रान्तों के थे। उनमें से श्रीमती नेलीसेन गुप्ता सहित २४० प्रतिनिधि घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिए गए।

१९३३ के अन्त में सविनय अवज्ञा आन्दोलन धीमा पड गया। अब सरकार ने जेलो की भीड को कम करने के लिए अप्रैल १९३३ में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के ४७ कैदियो को बिना शर्त छोड दिया। उसके बाद के महीनो में और भी कैदी छोडे गए। इन दिनों सरदार वल्लभभाई के ज्येष्ठ भ्राता विट्ठलभाई पटेल भी केन्द्रीय विधान सभा का अध्यक्ष पद छोडकर जेल में कष्ट उठा रहे थे। जेल में उनका स्वास्थ्य इतना अधिक खराब हो गया कि सरकार को उन्हे समय से पूर्व छोड देना पडा और वह स्वास्थ्य सुधार के लिए यूरोप चले गए। वास्तव में इसके बाद वह भारत न लौट सके और यूरोप में ही उनका स्वर्गवास हो गया।

१९३२ के आरम्भ में सरकार ने बगाल के नेताओ के साथ सुभाषचन्द्र बोस को भी नजरबन्द कर लिया था किन्तु फरवरी १९३३ में उनको स्वास्थ्य सुधार के लिए यूरोप जाने की अनुमति दे दी गई। जिस समय विट्ठलभाई का २१-११-३३ को यूरोप में स्वर्गवास हुआ तो सुभाषचन्द्र बोस उनके ही पास थे। अतएव विट्ठलभाई ने अपने वसीयतनामे में एक बडी रकम दान मे लिख कर उसका ट्रस्टी सुभाषचन्द्र बोस को बना दिया। बाद में बम्बई हाई कोर्ट ने उनके नाम के स्थान पर उसमें वल्लभभाई का नाम लिखे जाने की आज्ञा दी।

श्री विट्ठल भाई के शव को यूरोप से विमान द्वारा बम्बई लाया गया। सरदार इस समय नासिक जेल मे थे। सरकार ने उनसे प्रस्ताव किया के वह अपने ज्येष्ठ भ्राता के अन्त्येष्टि सस्कार में सम्मिलित होने के लिए परोल पर छूट सकते है, किन्तु उनको यह वचन देना होगा कि परोल के दिना में वह कोई भाषण नही देंगे। साथ ही उनको अपनी उपस्थिति की सूचना पुलिस को नियमित रूप से देनी होगी और परोल काल के समाप्त होने पर गिरफ्तारी के लिए निश्चित समय पर आत्मसमर्पण करना होगा। सरदार ने इन बातो को अपमानजनक मानते हुए हुए परोल पर छूटने से इकार कर दिया।

सन् १९३२ में सरदार की माता, उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री विट्ठलभाई पटेल तथा उनकी पुत्रवधु (श्री डाह्याभाई पटेल की प्रथम पत्नी) इन तीन व्यक्तियो का स्वर्गवास हुआ। इन्ही दिनो उनके पुत्र डाह्याभाई को पचास दिन तक टाईफाइड ज्वर रहा। श्री बी जी खेर के पिता की अन्तिम बीमारी तथा देहान्त पर तथा अन्य व्यक्तियो के उपर ऐसी आपत्तिया आने पर सरकार ने उनको परोल पर छोडना स्वीकार कर उन पर अपमानजनक शर्तें लगाई थी, जिससे उन्होने परोल पर छूटने से इन्कार कर दिया था। इन्ही अपमानजनक शर्तों के कारण महात्मा गाधी की सहमति से सरदार पटेल तथा कुमारी मणिबेन ने भी

परोल पर छूटने का अनुरोध नही किया, यद्यपि उसके लिये उनके जेल सुपरिन्टेन्डैण्ट ने इस विषय मे उन दोनो को कई बार परामर्श दिया।

व्यक्तिगत सत्याग्रह—८ मई १९३३ को महात्मा गाधी ने यरवडा जेल में आत्मशुद्धि के लिए २१ दिन का उपवास आरम्भ कर दिया। भारत सरकार ने उनको उपवास आरम्भ करते ही ८ मई को छोड दिया। महात्मा गाधी ने भी रिहा होते ही एक वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होने सत्याग्रह आन्दोलन को ६ सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।

इसके पश्चात् १२ जुलाई १९३३ को पूना में काग्रेस वालो की बैठक हुई। इस बार सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित कर व्यक्तिगत सत्याग्रह की अनुमति दी गई। महात्मा गाधी ने साबरमती आश्रम को तोड कर १ अगस्त १९३३ को व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए रास नामक गाव की यात्रा करने का निश्चय किया। किन्तु उनको ३१ जुलाई १९३३ को आधी रात के समय ३४ आश्रमवासियो सहित फिर गिरफ्तार कर लिया गया। ४ अगस्त को उन्हे पूना में रहने की आज्ञा देकर फिर छोड दिया गया, किन्तु उन्होने इस आज्ञा का फिर उल्लघन किया, जिसके फलस्वरूप उन्हे एक वर्ष जेल की सजा दी गई। अब सारे देश में व्यक्तिगत सत्याग्रह की फिर धम मच गई। काग्रेस ने अब कार्यवाहक अध्यक्ष का पद और डिक्टेटरो की नियुक्ति का सिलसिला तोड कर युद्ध को सचमुच व्यक्तिगत सत्याग्रह का रूप दे दिया। यह युद्ध अगस्त १९३३ से मार्च १९३४ तक चला।

उचित सुविधा न मिलने के कारण महात्मा गाधी ने २५ अगस्त १९३३ से फिर अनशन करना आरम्भ किया। फलत भारत सरकार ने उनको २१ अगस्त १९३३ को फिर छोड दिया। अब महात्मा गाधी ने अपने को ३ अगस्त तक कैदी मान कर सत्याग्रह न करने का निश्चय किया और वह पूरी शक्ति से हरिजन आन्दोलन मे लग गए। इस समय सरकार भी सत्याग्रह के कैदियो को धीरे धीरे छोडती जाती थी। छूटने वाले व्यक्ति जेल से इतने हतोत्साह होकर निकलते थे कि प्राय फिर सत्याग्रह करने का नाम न लेते थे।

सरकार ने सत्याग्रह के बदियो को धीरे धीरे छोडना आरम्भ तो कर दिया था, किन्तु यह स्पष्ट था कि सरदार वल्लभ भाई, प जवाहरलाल नेहरू तथा खान अब्दुल गफ्फारखा को रिहा न करने का उसने निश्चय कर लिया था। इनमें से सरदार पटल और खान अब्दुलगफ्फार खा को, सरकार ने जेल में अनिश्चित समय के लिए बद कर रखा था। १९३२ के अन्त में उनको १८१८ के विशेष कानून के अनुसार पकडा गया था, जिसमे सरकार जब तक चाहती उन्हें शाही कैदी के रूप में जेल में रख सकती थी। किन्तु इस समय सरकार को विवश होकर सरदार को

भी छोडना पडा। सरदार पटेल को नाक का एक पुराना रोग था जो उन दिनों बहुत बढ गया। जुलाई १९३४ के आरम्भ में रोग इतना अधिक बढ गया कि उसकी अवस्था अत्यन्त भयकर हो गई। इस पर सरकार ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया, जिसने बतलाया कि आपरेशन के बिना यह रोग अच्छा नही हो सकता और आपरेशन तभी अच्छी तरह हो सकेगा, जब वह स्वतन्त्र होंगे। फलतः सरकार ने सरदार पटेल को १४ जुलाई १९३४ को जेल से छोड दिया। इसके पश्चात् सरदार पटेल बम्बई आकर एक नर्सिंग होम तथा अस्पताल में कई मास तक रह कर डाक्टरों से चिकित्सा करवाते रहे। इस समय आपरेशन भी किया गया, जिससे उनका वह रोग बहुत कुछ अच्छा हो गया।

अध्याय ५

कांग्रेस पार्लमेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष

३१ मार्च १९३४ को डाक्टर असारी की अध्यक्षता में काग्रेस वालो की एक परिषद् दिल्ली में हुई। इसम भग की हुई स्वराज्य पार्टी को फिर से सगठित करके यह निश्चय किया गया कि केन्द्रीय असेम्वली के आगामी निर्वाचन में भाग लिया जावे। महात्मा गाधी ने इसको स्वीकार करके ७ अप्रैल १९३४ को सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित करने का विचार प्रकट किया। इसके पश्चात् १८ तथा १९ मई १९३४ को पटना में काग्रेस महासमिति की बैठक की गई जिसमें उसने कौंसिल प्रवेश कार्यक्रम को स्वीकार करके गाधी जी की ७ अप्रैल की सिफारिश के अनुसार सत्याग्रह वन्द कर दिया।

पार्लमेंटरी बोर्ड—सरकार ने उस समय काग्रेस को सविनय अवज्ञा मार्ग को छोड कर वैध मार्ग पर चलते देख कर ६ जून १९३४ को काग्रेस, उसकी कमेटियो और सभी शाखाओ के ऊपर से पाबन्दी उठा ली। पटना मे काग्रेस महासमिति ने अपनी बैठक मे चुनाव के लिए एक काग्रेस पार्लमेंटरी बोर्ड भी वनाया। इसका अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल को वनाया गया। यद्यपि काग्रेस के अध्यक्ष प्रतिवर्ष वदलते रहे, किन्तु सरदार पटल इस समय से लगाकर अपने स्वर्गवास के समय तक पार्लमेंट वोर्ड के बराबर अध्यक्ष बने रहे। वोर्ड के अन्य सदस्य यह थे—मौलाना अबुलकलाम आजाद, डाक्टर राजन्द्रप्रसाद, डाक्टर असारी तथा पडित मदनमोहन मालवीय। अक्तूबर १९३४ मे वम्बई के कांग्रेस अधिवेशन में डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में इसको स्वीकार किया गया।

१९३४ के आरम्भ में ब्रिटिश मत्रीमण्डल ने तीनो राउड टेबिल कान्फ्रेंसो के परिणामस्वरूप भारतीय शासन के मसविदे को एक श्वेत पत्र के रूप में प्रकाशित किया। इसकी सभी भारतीयो ने निंदा की। उसके साथ ब्रिटिश प्रधानमन्त्री का भारत की विभिन्न सम्प्रदायो के सम्बन्ध म एक साम्प्रदायिक निर्णय भी था। काग्रेस ने उसकी भी निन्दा की थी। किन्तु मुसलमान लोग उसे अपने लिए लाभप्रद मान रहे थे। केन्द्रीय पार्लमेंटरी बोर्ड मे इस प्रश्न को लेकर मालवीय जी और डा असारी में मतभेद उत्पन्न हो गया। मालवीय जी का कहना था कि काग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में उक्त साम्प्रदायिक निर्णय की निंदा की जावे। किन्तु डाक्टर असारी की इच्छा थी कि काग्रेस उसके सम्बन्ध में तटस्थ नीति अपना ले। फलत मालवीय जी ने काग्रेस पार्लमेंटरी बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया। कुछ दिना वाद डाक्टर

असारी का देहान्त हो गया। अत. केन्द्रीय पार्लमेंटरी बोर्ड के कुल तीन सदस्य ही रह गए। सरदार पटेल, मौलाना आजाद और राजेन्द्र बाबू।

केन्द्रीय असेम्बली के निर्वाचन—कांग्रेस पार्लमेंटरी बोर्ड ने नवम्बर में सारे देश में चुनाव सग्राम की धूम मचा कर केन्द्रीय असेम्बली के ४४ स्थानो पर अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त असेम्बली के कांग्रेस नेशनैलिस्ट सदस्य भी कांग्रेस के ही पक्ष मे थे। कांग्रेस की असेम्बली पार्टी के नेता स्वर्गीय श्री भूलाभाई देसाई को बनाया गया। नई असेम्बली का अधिवेशन २६ जनवरी १९३५ से आरम्भ हुआ। इसमे कांग्रेसी सदस्यो ने अन्य दलो के सहयोग से सरकार को कई बार पराजित किया।

बोरसद में प्लेग निवारण—बोरसद में सन् १९३२ से प्लेग का प्रकोप बढना आरम्भ हुआ। १९३२ की मृत्यु सख्या ५८ से बढकर १९३५ में ५८९ तक पहुच गई। १९३२ में प्लेग एक ही गाव में हुआ था, १९३३ में वह दस गावों में, १९३४ में १४ गावो मे तथा १९३५ में २७ गावो में फैल गया। इस विषय की प्रजा द्वारा पुकार की जाने पर तहसीलदार ने कई कई बार यह लिखा कि इन इलाको में कोई प्लेग नहीं है। कई बार ऊपर के अधिकारियो को भी लिखा गया, किन्तु वह भी कान में तेल डाले ही बैठें रहे। जब सरकारी कर्मचारियो ने इस विषय में अपने कर्त्तव्य का पालन नही किया तो सरदार पटेल ने बोरसद ताल्लुके में प्लेग निवारण कार्य करने के लिये स्वयसेवक दल का सगठन किया। स्वयसेवको ने शहर को साफ करने और धुवा करके तथा दवाई छिडक कर उन्हे छूतरहित बनाने का कार्य आरम्भ किया। इसके अतिरिक्त उन्होने बोरसद में कष्ट निवारण केन्द्र तथा बोरसद छावनी में एक प्लेग अस्पताल गैरसरकारी साधनों से खोला। २३ मार्च १९३५ से सरदार पटेल बोरसद में स्वय बैठ कर इस कार्य का सचालन करने लगे।

इसके विरुद्ध सरकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तो उनके साथ सहयोग नहीं ही करते थे, वरन् उनके रवैये के कारण म्युनिसिपैल्टि ने भी इस कार्य से अपना सहयोग वापिस ले लिया। तथापि सरदार पटेल ने स्वयसेवको, कम्पाउण्डरो तथा डाक्टरो का सहयोग लेकर इलाके के प्रत्येक घर की इतनी अधिक सफाई कराई तथा रोगियो की चिकित्सा इतनी उत्तमता से की कि आज इस इलाके में प्लेग की केवल कहानी ही शेष रह गई है।

बोरसद में प्लेग निवारण का यह कार्य सरदार पटेल ने डाक्टर भास्कर पटेल के निरीक्षण में कराया। डाक्टर पटेल इस कार्य के लिये बम्बई की अपनी अच्छी प्रैक्टिस छोड कर सरदार के अनुरोध से कई महीने तक बोरसद में रहकर प्लेग अस्पताल का सचालन करते रहे। साथ ही वह सारे इलाके को प्लेग कृमियों से शून्य करने के उद्देश्य से सारे इलाके में घूमते भी रहे।

१९३५ का गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट—इन दिनों ब्रिटिश पार्लमेंट भारत के भावी शासन विधान पर विचार कर रही थी। उसको वहा की पार्लमेंट के दोनो भवनो ने ३० जुलाई १९३५ तक पास कर दिया। २ अगस्त १९३५ को उस पर स्वर्गीय सम्राट् जार्ज पचम ने अपनी स्वीकृति देकर शाही मुहर लगाई। अब उसको गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक्ट १९३५ कहा जाने लगा। इसके अनुसार भारतीय प्रान्तों को बहुत कुछ स्वतन्त्रता दे कर केन्द्रीय शासन में प्रान्तो और देशी राज्यों का फेडरेशन अथवा सघ बनाने का विचार प्रकट किया गया था।

प्रान्तीय धारा सभाओं के निर्वाचनों की तैयारी—इन दिनों डाक्टर राजेन्द्र-प्रसाद काग्रेस के अध्यक्ष थे। जब १९३५ के गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट के अनुसार प्रान्तीय धारा सभाओं के नए निर्वाचनो के लिए १९३५ में मतदाताओ की नई सूचिया बनाने का कार्य आरम्भ किया गया तो डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने एक विज्ञप्ति निकाल कर जनता को आज्ञा दी कि यद्यपि काग्रेस ने इन निर्वाचनो में भाग लेने का निश्चय अभी नही किया है, किन्तु इस बात का यत्न प्रत्येक काग्रेसी को करना चाहिए कि मतदाता सूचियों में काग्रेसियो के नाम अधिक से अधिक आ जावें। अस्तु, इस समय देश भर के काग्रेस कार्यकर्ता जो जान से इस उद्योग में जुट गए। सरदार पटेल ने भी देश को इस सम्बन्ध में अच्छा मार्ग प्रदर्शन किया।

काग्रेस का ४९वा वार्षिक अधिवेशन ९ अप्रैल से १४ अप्रैल १९३६ तक लखनऊ में पडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। उस में १३ अप्रैल १९३६ को निश्चय किया गया कि नए ऐक्ट के अनुसार किए जाने वाले प्रान्तीय धारा सभाओं के निर्वाचन में काग्रेस भाग ले। इसमें यह भी तय किया गया कि प्रान्तो म काग्रेसी मत्री मण्डल बनाने के प्रश्न को निर्वाचना का परिणाम देखने के पश्चात् तय किया जावे।

सरदार वल्लभभाई न तो जवाहरलाल नेहरू के समान एक धनिक कुल में पैदा हुए थे, न महात्मा गाधी के समान भारतीय राजनैतिक क्षितिज में उनका उदय उस धूमकेतु के समान हुआ था, जो उत्पन्न होते ही सारे आकाश को अपने तेज से व्याप्त कर देता है। इनके विपरीत इन्होंने साधारण किसान के घर जन्म लेकर केवल अपनी योग्यता, सगठन शक्ति तथा परदुखकातरता की प्रकृति के कारण अखिल भारतीय ख्याति का सम्पादन किया था। भारतीय जनता को उनके इन गुणो का परिचय बारडोली सग्राम म उनकी विजय से मिला। इससे उनको न केवल काग्रस का अध्यक्ष चुना गया वरन् अनेक प्रान्तीय सम्मेलनो ने भी उन्हे अपना अध्यक्ष बना कर उनकी योग्यता से लाभ उठाया।

फिर भी जेल जीवन से उनका स्वास्थ्य सदा के लिये बिगड गया। मार्च १९३५ में वह गुरुकुल कागडी के पदवीदान समारोह म गए। वहा से मोटर द्वारा

असारी का देहान्त हो गया। अत केन्द्रीय पार्लमेंटरी बोर्ड के कुल तीन सदस्य ही रह गए। सरदार पटेल, मौलाना आजाद और राजेन्द्र बाबू।

केन्द्रीय असेम्बली के निर्वाचन—काग्रेस पार्लमेंटरी बोर्ड ने नवम्बर में सारे देश मे चुनाव सग्राम की धूम मचा कर केन्द्रीय असेम्बली के ४४ स्थानो पर अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त असेम्बली के काग्रेस नेशनैलिस्ट सदस्य भी काग्रेस के ही पक्ष में थे। काग्रेस की असेम्बली पार्टी के नेता स्वर्गीय श्री भूलाभाई देसाई को बनाया गया। नई असेम्बली का अधिवेशन २६ जनवरी १९३५ से आरम्भ हुआ। इसमे काग्रसी सदस्यो ने अन्य दलो के सहयोग से सरकार को कई बार पराजित किया।

बोरसद में प्लेग निवारण—बोरसद में सन् १९३२ से प्लेग का प्रकोप बढना आरम्भ हुआ। १९३२ की मृत्यु सख्या ५८ से बढकर १९३५ में ५८९ तक पहुच गई। १९३२ में प्लेग एक ही गाव में हुआ था, १९३३ में वह दस गावों में, १९३४ में १४ गावो में तथा १९३५ म २७ गावो में फैल गया। इस विषय की प्रजा द्वारा पुकार की जाने पर तहसीलदार ने कई कई बार यह लिखा कि इन इलाको में कोई प्लेग नही है। कई बार ऊपर के अधिकारियो को भी लिखा गया, किन्तु वह भी कान में तेल डाले ही बैठे रहे। जब सरकारी कर्मचारियो ने इस विषय मे अपने कर्त्तव्य का पालन नही किया तो सरदार पटेल ने बोरसद ताल्लुके में प्लेग निवारण कार्य करने के लिये स्वयसेवक दल का सगठन किया। स्वयसेवको ने शहर को साफ करने और धुवा करने तथा दवाई छिडक कर उन्हे छूतरहित बनाने का कार्य आरम्भ किया। इसके अतिरिक्त उन्होने बोरसद मे कष्ट निवारण केन्द्र तथा बोरसद छावनी में एक प्लेग अस्पताल गैरसरकारी साधनो से खोला। २३ मार्च १९३५ से सरदार पटेल बोरसद म स्वय बैठ कर इस कार्य का सचालन करने लगे।

इसके विरुद्ध सरकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तो उनके साथ सहयोग नही ही करते थे, वरन् उनके रवैये के कारण म्युनिसिपैलिटी ने भी इस कार्य से अपना सहयोग वापिस ले लिया। तथापि सरदार पटेल ने स्वयसेवको, कम्पाउण्डरो तथा डाक्टरो का सहयोग लेकर इलाके के प्रत्येक घर की इतनी अधिक सफाई कराई तथा रोगियो की चिकित्सा इतनी उत्तमता से की कि आज इस इलाके में प्लेग की केवल कहानी ही शेष रह गई है।

बोरसद में प्लेग निवारण का यह कार्य सरदार पटेल ने डाक्टर भास्कर पटेल के निरीक्षण में कराया। डाक्टर पटेल इस कार्य के लिये बम्बई की अपनी अच्छी प्रैक्टिस छोड कर सरदार के अनुरोध से कई महीने तक बोरसद में रहकर प्लेग अस्पताल का सचालन करते रहे। साथ ही वह सारे इलाके को प्लेग कृमियो से शून्य करने के उद्देश्य से सारे इलाके में घूमते भी रहे।

१९३५ का गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट—इन दिनो ब्रिटिश पार्लमेंट भारत के भावी शासन विधान पर विचार कर रही थी। उसको वहा की पार्लमेंट के दोनो भवनो ने ३० जुलाई १९३५ तक पास कर दिया। २ अगस्त १९३५ को उस पर स्वर्गीय सम्राट् जार्ज पचम ने अपनी स्वीकृति देकर शाही मुहर लगाई। अब उसको गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक्ट १९३५ कहा जाने लगा। इसके अनुसार भारतीय प्रान्तो को बहुत कुछ स्वतन्त्रता दे कर केन्द्रीय शासन में प्रान्तो और देशी राज्यो का फेडरेशन अथवा सघ बनाने का विचार प्रकट किया गया था।

प्रान्तीय धारा सभाओं के निर्वाचनो की तैयारी—इन दिनो डाक्टर राजेन्द्र-प्रसाद काग्रेस के अध्यक्ष थे। जब १९३५ के गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट के अनुसार प्रान्तीय धारा सभाओ के नए निर्वाचनो के लिए १९३५ में मतदाताओ की नई सूचिया बनाने का कार्य आरम्भ किया गया तो डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने एक विज्ञप्ति निकाल कर जनता को आज्ञा दी कि यद्यपि काग्रेस ने इन निर्वाचनो में भाग लेने का निश्चय अभी नही किया है, किन्तु इस बात का यत्न प्रत्येक काग्रेसी को करना चाहिए कि मतदाता सूचियो में काग्रेसियो के नाम अधिक से अधिक आ जावें। अस्तु, इस समय देश भर के काग्रेस कार्यकर्ता जी जान से इस उद्योग में जुट गए। सरदार पटेल ने भी देश को इस सम्बन्ध में अच्छा मार्ग प्रदर्शन किया।

काग्रेस का ४९वा वार्षिक अधिवेशन ९ अप्रैल से १४ अप्रैल १९३६ तक लखनऊ में पडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता मे हुआ। उस में १३ अप्रैल १९३६ को निश्चय किया गया कि नए ऐक्ट के अनुसार किए जाने वाले प्रान्तीय धारा सभाओ के निर्वाचन में काग्रेस भाग ले। इसमें यह भी तय किया गया कि प्रान्तो में काग्रेसी मत्री मण्डल बनाने के प्रश्न को निर्वाचनो का परिणाम देखने के पश्चात् तय किया जावे।

सरदार वल्लभभाई न तो जवाहरलाल नेहरू के समान एक धनिक कुल में पैदा हुए थे, न महात्मा गाधी के समान भारतीय राजनैतिक क्षितिज में उनका उदय उस धूमकेतु के समान हुआ था, जो उदय होते ही सारे आकाश को अपने तेज से व्याप्त कर देता है। इनके विपरीत इन्होने साधारण किसान के घर जन्म लेकर केवल अपनी योग्यता, सगठन शक्ति तथा परदुखकातरता की प्रकृति के कारण अखिल भारतीय ख्याति का सम्पादन किया था। भारतीय जनता को उनके इन गुणो का परिचय बारडोली सग्राम में उनकी विजय से मिला। इससे उनको न केवल काग्रेस का अध्यक्ष चुना गया वरन् अनेक प्रान्तीय सम्मेलनो ने भी उन्हें अपना अध्यक्ष बना कर उनकी योग्यता से लाभ उठाया।

फिर भी जेल जीवन से उनका स्वास्थ्य सदा के लिये बिगड गया। मार्च १९३५ में वह गुरुकुल कागडी के पदवीदान समारोह में गए। वहा से मोटर द्वारा

कन्या गुरुकुल देहरादून गए। वहा से दिल्ली आते आते उनको २२ मार्च को निमोनिया हो गया। इसी निर्बलता में उनको लखनऊ कांग्रेस में भाग लेना पडा।

कांग्रेस पार्लमेंटरी बोर्ड की अध्यक्षता—यद्यपि इस समय तक कांग्रेस पार्लमेंटरी बोर्ड बन चुका था, किन्तु मालवीय जी के त्यागपत्र के कारण वह कुछ अधिक क्रियाशील नही था। १० मई १९३६ को डाक्टर असारी का स्वर्गवास हो जाने से उसको अपने एक अन्य सदस्य के सहयोग से वचित होना पडा। फिर इन निर्वाचनो के लिए उसके पुर्ननिमार्ण की भी आवश्यकता थी। अतएव १ व २ जुलाई को कांग्रेस पार्लमेंटरी कमेटी की मीटिंग की गई। इसमे सरदार वल्लभभाई पटेल को प्रधान बना कर केन्द्रीय पार्लमेंटरी बोर्ड का पुर्ननिर्माण किया गया। उसमें सरदार पटेल की प्रेरणा पर यह भी निश्चय किया गया कि आगामी निर्वाचनो के लिए प्रत्येक प्रान्त में प्रान्तीय पार्लमेंटरी बोर्ड भी बनाए जाव। इस बैठक मे कांग्रेस उम्मेदवारो के लिए शपथ फार्म बनाए गए और कई एक उम्मेदवारो के नामो की घोषणा भी की गई।

अब सारे देश मे निर्वाचनो की तैयारी की जाने लगी। २२ और २३ अगस्त १९३६ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक बम्बई म हुई। इसमें सरदार पटेल की अध्यक्षता में पार्लमेंटरी बोर्ड द्वारा बनाए हुए कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया। १९३६ के अन्त मे देश भर में चारो ओर निर्वाचनो की धूम मच गई, जिसमें सरदार पटेल को बहुत परिश्रम करना पडा। दिसम्बर में एक ओर निर्वाचन हो रहे थे तो दूसरी ओर २७ और २८ दिसम्बर १९३६ को महाराष्ट्र के फैजपुर नामक स्थान में कांग्रेस का पचासवाँ अधिवेशन पडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ।

इस समय तक पडित नेहरू का साम्यवाद से सहानुभूति रखने वाला अपना स्वतत्र दृष्टिकोण प्रकट हो चुका था। जनता मे यह धारणा भी बनती जाती थी कि नेहरू जी तथा सरदार पटेल के दृष्टिकोण में कुछ मौलिक मतभेद है। अतएव सरदार ने फैजपुर कांग्रेस अध्यक्ष के निर्वाचन से पूर्व एक वक्तव्य दिया। इस समय कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नेहरू जी के अतिरिक्त सरदार पटेल के नाम का भी प्रस्ताव किया गया था। उन्होंने गाधी जी के अनुरोध पर नेहरू जी के पक्ष में अपना नाम वापिस लेते हुए निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया—

"मैंने जो अपना नाम वापिस लिया है उसका यह अर्थ नही कि मैं जवाहरलाल जी की सारी विचारधारा से सहमत हू। कांग्रेसजन इस बात को जानते है कि कुछ महत्वपूर्ण बातो में हम दोनो में मतभेद है। उदाहरण के लिए मैं ऐसा मानता हू कि पूजीवाद में से उसके सारे दोष दूर किए जा सकते है। जहा कांग्रेस स्वतन्त्रता पाने के लिए सत्य और अहिंसा को अनिवार्य समझती है, वहा अपनी निष्ठा के

प्रति सर्वसंगत और सच्चे कांग्रेसियों को इस बात की संभावना में विश्वास रखना चाहिए कि जो निर्दयतापूर्वक जनता का शोषण कर रहे हैं उनको प्रेम से अपनाया जा सकता है। मेरा ऐसा विश्वास है कि जब जनता को अपनी भयंकर दुर्दशा का बोध होता है तो वह उसके लिए स्वयं अपना ढंग चुन लेती है। मैं तो इस सिद्धान्त को मानता हूं कि सारी भूमि और सारी सम्पत्ति सभी की है। किसान होने के नाते और उनकी समस्याओं में दिलचस्पी लेते रहने के कारण मैं यह जानता हूं कि कष्ट महा है। किन्तु मैं यह भी जानता हूं कि जनशक्ति के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता।

"उद्देश्य के विषय में कोई मतभेद नहीं है। हम सब लोग नए विधान को तोड़ना चाहते हैं। प्रश्न तो यह है कि धारा सभाओं के अन्दर से उसको किस प्रकार तोड़ा जावे। जो लोग कांग्रेस की ओर से धारासभाओं में पहुंचेंगे यह बात उन लोगों की सूझ और योग्यता पर निर्भर है। महासमिति और कार्यकारिणी कांग्रेस की नीति बना देगी, किन्तु उसको कार्यरूप में परिणत करना प्रतिनिधियों के हाथ की बात है।

"इस समय पद-ग्रहण का प्रश्न सामने नहीं है। पर मुझे वह मौका दिखलाई देता है जब अपने उद्देश्य पर पहुंचने के लिए पद ग्रहण करना उचित होगा। तब जवाहरलाल जी में और मुझ में या यों कहिए कांग्रेसियों में मतभेद होगा। हम जानते हैं, जवाहरलाल जी की कांग्रेस के लिए ऐसी निष्ठा है कि एक बार बहुमत से फैसला हो जाने पर, और उनके अपने दृष्टिकोण के खिलाफ होने पर भी वे उसके खिलाफ नहीं जायेंगे। पदग्रहण और पार्लमेंटरी कार्यक्रम से मेरा कोई मोह नहीं है। मैं तो केवल यह कहता हूं कि शायद परिस्थितिवश ऐसा करने की आवश्यकता ही आ पड़े। किन्तु जो कुछ भी हम करेंगे उसमें हम अपने आत्मसम्मान और उद्देश्य की बलि नहीं चढ़ायेंगे। वास्तव में इस कार्यक्रम का मेरी निगाह में गौण स्थान है। असली काम तो धारासभाओं के बाहर है। इसलिए हमें अपनी ताकत को रचनात्मक कार्यक्रम के लिए सुरक्षित रखना है। कांग्रेस अध्यक्ष के निरंकुश अधिकार नहीं होते। वह तो हमारे सुरक्षित संगठन का प्रमुख होता है। वह काम को ठीक ढंग से चलाता है और कांग्रेस के फैसलों पर अमल कराता है। किसी आदमी को चुन देने से कांग्रेस अपने अधिकारों को नहीं खोती, फिर चाहे वह कोई भी आदमी क्यों न हो।

"इसीलिए मैं प्रतिनिधियों को यह बताता हूं कि देश में जो विभिन्न शक्तियाँ काम कर रही हैं, उनका ठीक दिशा में नियंत्रण और निर्देशन करने और साथ ही राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए जवाहर लाल जी सर्वोत्तम व्यक्ति हैं।"

फैजपुर के इस अधिवेशन में १९३५ के गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट की निंदा करते हुए यह विचार प्रकट किया गया कि भारत के भावी शासन विधान को वयस्क

मताधिकार के आधार पर निर्वाचित की हुई सविधान परिषद ही बना सकती है। इस प्रस्ताव में यह भी तय किया गया कि प्रान्तो मे काग्रेस द्वारा मन्त्रीमण्डल बनाए जाने के प्रश्न को निर्वाचनो के पश्चात् अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी तय करे। एक प्रस्ताव द्वारा यह भी तय किया गया कि निर्वाचन हो चुकने के बाद काग्रेस के निर्वाचित सभी केन्द्रीय तथा प्रान्तीय असेम्बली के सदस्यों तथा अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के सदस्यो का एक कनवेशन बुलाया जावे, जो असेम्बली के लिए काग्रेस सदस्यो की कार्यप्रणाली का निश्चय करे।

काग्रेस की निर्वाचनो में विजय—फरवरी १९३७ के अन्त में भारत की सभी प्रान्तीय असेम्बलियो के निर्वाचन समाप्त हो गए। इन निर्वाचनो के फलस्वरूप भारत के पाच प्रान्तो—मद्रास, युक्तप्रान्त (उत्तरप्रदेश), बिहार और उडीसा में काग्रेस का स्पष्ट बहुमत हो गया। इसके अतिरिक्त बम्बई, बगाल, आसाम और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में उसके सदस्यो की सख्या असेम्बली के शेष सब दलो से अधिक थी। काग्रेस के सदस्यो की सख्या केवल सिन्ध और पजाब में ही कम थी।

नरीमैन काण्ड—प्रान्तीय असेम्बलियो के निर्वाचन के तत्काल बाद प्रत्येक प्रान्त के असेम्बली के दल के सदस्यो ने अपनी-अपनी बैठक करके अपने-अपने नेता का निर्वाचन किया। इन नेताओ के निर्वाचन का प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था, क्योकि पदग्रहण करने का निर्णय किये जाने पर इसी नेता के अपने प्रान्त का मुख्यमत्री बनने की आशा थी। बम्बई प्रान्त की असेम्बली के काग्रेस सदस्यों ने इस समय श्री बालगगाधर खेर को अपना नेता चुना। इस समय श्री के एफ नरीमैन भी बम्बई के अच्छे काग्रेसी नेता थे। उनको इस बात का पूर्ण विश्वास था कि असेम्बली के काग्रेस दल का नेता उन्ही को चुना जावेगा। किन्तु जब उनकी आशा के विपरीत श्री बी जी खेर को दल का नेता चुना गया तो उन्हे यह सदेह हुआ कि यह निर्वाचन निष्पक्ष नही था, वरन् सरदार पटेल के सकेत पर किया गया था। काग्रेस कार्य-समिति में जब यह विषय उठाया गया तो सरदार पटेल ने यह सुझाव दिया कि इस मामले की जाच किसी निष्पक्ष पारसी नेता से कराई जावे। बाद में यह कार्य विख्यात विधानशास्त्री श्री डी एन बहादुर जी को सौंपा गया। जाच के समय श्री नरीमैन अपने आरोप को सिद्ध नही कर सके और निर्णय उनके विरुद्ध किया गया। सरदार पटेल पर पक्षपात करने का एक भी उदाहरण नही दिया जा सका तथा उसका समर्थन काग्रेस कार्यसमिति तथा काग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भी किया। फिर भी डाक्टर हुमायू कबीर ने मौलाना आजाद के नाम से लिखे हुए अपने ग्रन्थ में इस काण्ड का वर्णन करते हुए सरदार पर जो पक्षपात का आरोप लगाया है वह वस्तुस्थिति की ओर से आख मूदने जैसा ही है।

काग्रेस की इस भारी सफलता का विश्वास उन दिनो सरकार को तो क्या होता, स्वय काग्रेस को भी नही था। काग्रेस ने १५ मार्च से २२ मार्च १९३७ तक दिल्ली में एक बडा भारी राष्ट्रीय महोत्सव मनाया। इस अवसर पर दिल्ली में १७ और १८ मार्च को अखिल भारतीय नेशनल कनवेंशन किया गया। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने ७० के विरुद्ध १२७ मतो से निश्चय किया कि "जिन प्रान्तो म काग्रेस का स्पष्ट बहुमत है, वहा गवर्नर द्वारा विशेष अधिकारो के प्रयोग न किए जाने का स्पष्ट वचन ले कर मत्रीपदो को ग्रहण किया जा सकता है।" नेशनल कनवेंशन में उसके सब सदस्यो ने काग्रेस के विधान एव अनुशासन का पालन करने की शपथ ली।

काग्रेस मत्रीमण्डलो के निर्माण की चर्चा—२० मार्च १९३७ को प्रान्तीय असेम्बलियो के काग्रेस नेताओ को मत्रीमण्डल बनाने के गवर्नरो के निमत्रण दिल्ली में ही मिल गए। इसके फलस्वरूप छै प्रान्तो के काग्रेस नेताओ ने २३ और २४ मार्च को अपने अपने प्रान्त के गवर्नरो से वार्तालाप करके उनके सामने काग्रेस का दृष्टिकोण रखा। गवर्नरो ने अपने उत्तर में यह स्पष्ट कह दिया कि उनको यह अधिकार नही कि वह विशेषाधिकार का प्रयोग न करने का आश्वासन दे सके। अतएव २६ और २७ मार्च को प्रान्तीय असेम्बलियो के काग्रेस नेताओ ने मत्रीमण्डल बनाने से इकार कर दिया। इस पर सरकार ने युक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश) तथा बिहार में अल्पमत के नेताओ की सहायता से मत्रीमण्डल बना लिए।

प्रान्तीय गवर्नरो ने अपने विशेषाधिकार प्रयोग न करने का आश्वासन देने में असमर्थता प्रकट करने के साथ-साथ अपने वक्तव्य भी निकाले। उनके उत्तर में महात्मा गाधी ने ३० अप्रैल १९३७ को एक वक्तव्य निकालकर प्रान्तीय काग्रेस नेताओ के पक्ष का समर्थन करते हुए काग्रस के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। इसके पश्चात् काग्रेस तथा सरकार के वक्तव्यो की एक लम्बी शृखला लदन तथा शिमले में बन गई।

६ मई १९३७ को लार्ड स्नेल ने लदन के हाउस आफ लार्डस में एक प्रस्ताव उपस्थित किया कि "वायसराय की ओर से महात्मा गाधी को इस आशय का आश्वासन दिलाया जावे कि विशेषाधिकार केवल अनिवार्य परिस्थिति के लिए है, काम लेने के लिए नही और गवर्नर लोग काग्रेस मत्रियो के वैध कार्यों में हरगिज रोडे नही अटकाएगे।" भारतमत्री लार्ड जैटलैण्ड ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि "वर्तमान ऐक्ट का आशय बिलकुल यही है और इसीलिए जिन काग्रेसी प्रान्तो में अल्पमत के मत्रीमडल बनाए गए है, वहा भी उनके कार्यों में हस्तक्षेप नही किया गया है।"

२० जून १९३७ को भारत के वायसराय ने अपने एक ब्राडकास्ट भाषण में इस बात का आश्वासन दिया कि विशेषाधिकार वैधानिक हैं, काम लेने के लिए नही। इसके बाद वायसराय ने इस विषय पर अपने २१ जून के वक्तव्य में विशेष प्रकाश डाला।

कांग्रेस द्वारा मंत्रीपद स्वीकार किए जाना—इसके पश्चात् ७ जुलाई १९३७ को कांग्रेस कार्यसमिति ने वर्धा में वायसराय के वक्तव्य को सतोषजनक मानते हुए निर्णय किया कि छै प्रान्तो म तुरन्त ही मन्त्रीमण्डल बना लिए जाए।

इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप कांग्रेस बहुमत वाले प्रान्तों मे अल्पमत वाले मन्त्रिमण्डलो ने एकदम त्यागपत्र दे दिये। गवर्नर न अपने २ प्रान्त के कांग्रेस नेताओ को मन्त्रीमण्डल बनाने के निमन्त्रण दि ए। अन्त में १८ जुलाई से १९ जुलाई तक मध्यप्रान्त में डाक्टर एन बी खरे ने और मद्रास में श्री सी राजगोपालाचारी ने, युक्तप्रान्त में प गोविन्द वल्लभपन्त ने, श्री विश्वनाथ दास ने उडीसा में, श्री बाल गगाधर खेर ने बम्बई में और बाबू श्रीकृष्ण सिंह ने बिहार में कांग्रेसी मन्त्रीमण्डल बनाए।

इसके कुछ मास पश्चात् पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में डाक्टर खान साहिब ने अन्य दलो के कुछ सदस्यो को तोड कर अपना मन्त्रीमण्डल बनाया। इसी प्रकार आसाम के कांग्रेसी पार्लमेंटरी नेता श्री गोपीनाथ बारदोलाई ने वहा के तत्कालीन प्रधानमन्त्री सर मुहम्मद सादुल्ला के दल के कुछ सदस्यो को तोड कर उनके विरुद्ध असेम्बली में अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित किया। सर सादुल्ला ने इस प्रस्ताव का मुकाबला न कर १३ सितम्बर १९३८ को त्यागपत्र दे दिया। अन्त में १७ सितम्बर १९३८ को आसाम में भी कांग्रेस मन्त्रीमण्डल बन गया। इस प्रकार भारत के ग्यारह प्रान्तो में से आठ प्रान्तो में कांग्रेसी मन्त्रीमण्डल बन गए, जो पार्लमेंटरी बोर्ड के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल के अनुशासन मे कार्य करते थे। बगाल, पजाब तथा सिंध में कांग्रेस के सदस्य पर्याप्त कम थे। अत वहा मन्त्रीमण्डल बनाने का उद्योग नही किया गया।

बम्बई प्रान्त में कांग्रेस का मन्त्रीमण्डल बन जाने के बाद सरदार ने मंत्रियो से पहला काम यह कराया कि १९३२ से १९३४ तक के पिछले सत्याग्रह सग्राम में गुजरात तथा कर्नाटक में जिन किसानों की जमीनें सरकार ने जब्त करके बेच डाली थी उनको वह वापिस दिलवा दी।

सरदार पटेल ने सन् १९३८ में बारडोली ताल्लुके के हरिपुरा नामक स्थान में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इतनी अधिक सफलता के साथ किया कि उनकी प्रबन्ध पटुता की सर्वत्र प्रशसा की गई। कांग्रेस पार्लमेंटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में

उन्होंने सभी कांग्रेस मन्त्रियों को अनुशासन में रखने में भी अपनी कुशलता का परिचय अनेक बार दिया। इसके उदाहरणस्वरूप १९३८ में सरदार पटेल ने मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री डा एन बी खरे को हटाया। डा खरे तथा अन्य दो मन्त्रियों प रविशंकर शुक्ल तथा प द्वारिकाप्रसाद मिश्र में पुराना वैमनस्य था। उनमें बाद में कई बार झगडा भी हुआ, जिसमें सरदार को हस्तक्षेप करना पडा। डा खरे उन दोनों को हटाना चाहते थे, किन्तु वह सरदार पटेल को यह आश्वासन दे चुके थे कि वह उनसे परामर्श किये बिना कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। उन्होंने इस आश्वासन को तोड कर स्वय त्यागपत्र दे दिया तथा अपने अन्य मन्त्रियों से भी त्यागपत्र देने को कहा। किन्तु श्री शुक्ल जी तथा मिश्र जी ने त्यागपत्र देने से इन्कार कर दिया। इस पर गवर्नर ने उनको बर्खास्त कर दिया।

सरदार ने इस पर डा खरे से स्पष्टीकरण मागा। कुछ समय बाद कांग्रेस कार्यसमिति से परामर्श कर सरदार पटेल ने डा खरे से कहा कि वह मुख्यमन्त्री पद, कांग्रेस दल के नेतृत्व तथा अपनी धारासभा की सदस्यता तक से त्यागपत्र दे द। सरदार के इस कार्य का समर्थन प नेहरू तथा तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्री सुभाषचन्द्र बोस ने भी किया।

प्रजा परिषदों का नेतृत्व—सन् १९३८-३९ में भारत के अधिकाश देशी राज्यों में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्राप्त करने के लिये प्रबल आन्दोलन किया गया और उनमें से कई एक में—मैसूर, राजकोट, बडौदा, लीमडी तथा भावनगर के प्रजा आन्दोलन में सरदार ने स्वय भी नेतृत्व किया। तीन बार तो—बडौदा, राजकोट तथा भावनगर में—उनके प्राणों पर भी सकट आया। यद्यपि उन आन्दोलनों का तत्कालीन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, किन्तु इन आन्दोलनों के कारण सरदार को देशी राज्यों के राजाओं तथा उनकी प्रजा का इतना अच्छा परिचय मिल गया कि उसी अनुभव के आधार पर १९४७ में भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात् सरदार देशी राज्यों की समस्या को अन्तिम रूप से हल कर सके। इस समय सरदार पर जो आक्रमण किये गये वह राजाओं के पिट्ठुओं द्वारा किये गये थे। फिर भी सरदार ने इन राज्यों की समस्या को हल करते समय उनके सम्बन्ध में अपने मन में लेशमात्र भी मैल नहीं आने दिया।

कांग्रेस मन्त्रियों ने शासन ग्रहण करते ही प्रथम आतकवादी कैदियों को रिहा करना आरम्भ किया। इस समय अनेक आतकवादी कैदी कालेपानी में भी थे। कांग्रेस मन्त्रियों ने उन सब को अपने अपने प्रान्तों में वापिस बुला कर छोड दिया। कुछ कैदियों के सम्बन्ध में गवर्नर बिलकुल सहमत नहीं थे। फलस्वरूप युक्तप्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) तथा बिहार के मन्त्रियों ने त्यागपत्र दे दिये। अन्त

में गवर्नरों को झुकना पडा और मन्त्रियों ने त्यागपत्र वापिस लेकर शेष कैदियों को भी छोड दिया।

यद्यपि इस प्रकार कांग्रेस ने १९३५ के गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट के प्रान्तीय शासन की धाराओं को कार्य रूप मे परिणत कर दिया, किन्तु उसने *इस ऐक्ट की केन्द्रीय भारत सरकार की योजना को मानने से साफ इकार कर दिया।* फलत भारत की केन्द्रीय सरकार की मौलिक योजना १९१९ के गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक्ट के अनुसार ही चलती रही।

सत्याग्रह आश्रम में सरदार, बापू तथा महादेव देसाई

सेवाग्राम में श्रीमती कस्तूरबा, बापू, सरदार तथा राजकुमारी अमृतकौर

बापू के स्वर्गवास के पश्चात सेवा ग्राम की अंतिम यात्रा

कांग्रेस अधिवेशनों में

(ऊपर) महादेव देसाई, श्रीमती सरोजनी नायडू तथा भूला भाई देसाई सहित

अध्याय ६

द्वितीय महायुद्ध तथा कांग्रेस

कांग्रेस ने इस प्रकार मन्त्रीमण्डल बनाकर आठ प्रान्तो पर लगभग अढाई वर्ष तक शासन किया। सरदार पटेल केन्द्रीय पार्लमेन्टरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में न केवल इन आठो प्रान्तो के शासन पर सतर्क दृष्टि रखते थे, वरन् उनकी सभी समस्याओ का बारीकी से अध्ययन कर उनको सुलझाया भी करते थे। प्रत्येक प्रान्त के मुख्य मन्त्री से वह लगभग प्रतिदिन टेलीफोन द्वारा वार्तालाप करके उनको उनके प्रान्त की दैनिक समस्याओ के सुलझाने का दिशानिर्देशन किया करते थे। १९३९ के मध्य में यूरोप पर द्वितीय महायुद्ध के बादल घिर आए और ससार के सभी देश युद्ध की तैयारी करने लगे।

इस बीच जर्मनी ने १ सितम्बर १९३९ को पोलैण्ड पर आक्रमण करके द्वितीय महायुद्ध आरम्भ कर दिया। इस पर ब्रिटेन और फ्रास ने भी ४ सितम्बर १९३९ को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ४ सितम्बर को भारत सरकार ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस पर कांग्रेस पार्लमेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप मे सरदार पटेल ने एक घोषणा द्वारा इस बात पर नाराजगी प्रकट की कि जर्मनी के विरुद्ध भारत की ओर से युद्ध घोषणा करने के लिये भारत सरकार ने केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा तक की अनुमति नही ली। सरदार ने इस घोषणा में यह भी कहा कि भारत को जब तक उसकी स्वतन्त्रता का विश्वास नही नही दिलाया जाता और जब तक उसको यह विश्वास न हो कि वह स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये युद्ध कर रहा है तब तक युद्ध में भाग नही लेगा।

भारत सरकार जानती थी कि भारतीय शासन की बागडोर उसके हाथ में होने पर भी भारतीय जनता के एक बडे भाग की बागडोर कांग्रेस के हाथ म थी। अत युद्ध मे भारत की सक्रिय सहायता प्राप्त करने के लिये वायसराय ने पहिले महात्मा गाधी को निमन्त्रित किया। वायसराय ने महात्मा गाधी को कुछ प्रस्ताव दिये।

वायसराय के उन प्रस्तावो पर कांग्रेस कार्यसमिति ने वर्धा में ८ सितम्बर १९३९ को विचार किया। कांग्रेस कार्यसमिति ने कई दिन के बाद विवाद के पश्चात् १३ सितम्बर १९३९ को निश्चय किया कि ब्रिटिश सरकार पहले सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद के सम्बन्ध मे अपना उद्देश्य स्पष्ट करे तथा यह बतलावे कि उन उद्देश्यो को भारत पर किस प्रकार लागू किया जावेगा। तभी कांग्रेस द्वारा

इस युद्ध में सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में निश्चय किया जावेगा। इस समय कांग्रेस कार्यसमिति ने श्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल तथा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की एक उपसमिति बनाकर उसे यह कार्य दिया कि वह बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुसार इस प्रश्न के सम्बन्ध में कार्य-वाही करे। इसके पश्चात् वायसराय ने महात्मा गाधी आदि कांग्रेस के कई नेताओ से भेंट की। ४ अक्तूबर को उसने सरदार पटेल से भी भेंट की। इस वार्तालाप के परिणामस्वरूप कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक १० अक्तूबर को वर्धा में हुई, जिसमें सरकार से उसके युद्ध उद्देश्यो का अधिक स्पष्टीकरण मागा गया।

वायसराय ने १६ अक्तूबर को घोषणा की कि "ब्रिटेन का उद्देश्य भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देना है। युद्ध समाप्त होते ही १९३५ के गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट में सभी सम्प्रदायो तथा निहित स्वार्थवालो की सम्मति से संशोधन कर दिया जावेगा।" कांग्रेस ने वायसराय के इस वक्तव्य को अत्यन्त असन्तोषजनक माना। कांग्रेस अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने २० अक्तूबर को घोषणा की कि "वायसराय के वक्तव्य के बाद और बहस करने की गुंजायश नहीं रही। अब कांग्रेसी मन्त्रीमण्डल कायम नही रह सकते। वह त्यागपत्र देंगे।" २२ अक्तूबर को कांग्रेस कार्यसमिति ने वर्धा में वायसराय की घोषणा पर असन्तोष प्रकट करते हुए निर्णय किया कि कांग्रेसी मन्त्रीमण्डल अपनी अपनी धारासभाओं में कांग्रेस का युद्ध उद्देश्य पूछने का प्रस्ताव पास करके त्यागपत्र दे दें। अस्तु कांग्रेस मन्त्री-मण्डलो ने अपनी-अपनी धारासभाओ मे कांग्रेस का युद्ध प्रस्ताव पास करके त्यागपत्र दे दिए।

इस अवसर पर सरदार पटेल ने निम्नलिखित वक्तव्य दिया—

'हमसे पूछा जाता है कि क्या हम स्वतन्त्रता के योग्य हैं। हमसे यह भी कहा जाता है कि प्रथम हम मुसलमानो अर्थात् मुस्लिम लीग के साथ अपने मतभेद समाप्त करें। किन्तु हम जानते हैं कि उनके साथ मामला तय करते ही हमसे कहा जावेगा कि "अब अपना मामला देशी राज्यो के साथ तय करो।' और यह भी हो जाने पर हमसे निस्सन्देह यह कहा जावेगा कि 'उन यूरोपियनो के विषय में क्या होगा, जिनके देश में इतने अधिक स्वार्थ हैं और जिन्होंने देश में इतनी अधिक पूंजी लगा रखी है।' वह चाहते हैं कि देश में मतभेद बने रहें। उनका कहना है कि 'अल्पसख्यको की रक्षा के लिये परमात्मा ने हमको यह पवित्र धरोहर दी है।' हमारा कहना है कि देश की समस्त जनता द्वारा चुनी हुई शविधान परिषद् जो कुछ सिफारिश करे आप हमें दे दीजिये। यदि आप यह स्वीकार करें तो हम मुसलमानो के साथ समझौता करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे।"

इस सम्बन्ध में वायसराय ने कांग्रेस नेताओ से फिर भी वार्तालाप किया।

किन्तु वह संविधान परिषद् द्वारा भारतीय विधान बनाए जाने के अधिकार से कम पर सहमत न हुए।

१० जनवरी १९४० को वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने बम्बई के अपने एक भाषण में घोषणा की कि "ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत को वेस्ट मिनिस्टर स्टैट्यूट के अनुसार औपनिवेशिक स्वराज्य देना है। उसको अल्पतम समय में दिया जाएगा।" किन्तु कांग्रेस कार्यसमिति ने पटने में १ मार्च १९४० को एक प्रस्ताव पास किया कि भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता से कम कुछ नहीं चाहिए।

कांग्रेस का सत्याग्रह का निश्चय—२० मार्च १९४० को कांग्रेस का ५३वाँ अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद के सभापतित्व में रामगढ में हुआ। इसमें पटना के पूर्ण स्वतन्त्रता के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने अपनी मुहर लगाकर सत्याग्रह करने का निश्चय किया।

अप्रैल १९४० में जर्मनी ने पश्चिम पर भयंकर आक्रमण आरम्भ किया। इससे थोडे ही दिनों में बेल्जियम, हालैण्ड, डेनमार्क और नार्वे ने एक एक करके जर्मनी के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। फिर उसने फ्रांस पर आक्रमण किया। इस पर इंगलैण्ड ने अपनी समस्त सुरक्षित सेना फ्रांस की सहायता के लिये उसकी भूमि में उतार दी। किन्तु जर्मनी ने फ्रांस और इंगलैण्ड की संयुक्त सेनाओं को भी ऐसी भारी पराजय दी कि १४ जून को फ्रांस को भी आत्मसमर्पण करना पडा और ब्रिटिश सेना भारी बदनामी उठाकर डंकर्क से बडी कठिनाई से इंगलैण्ड वापिस आ सकी। इसके फलस्वरूप १० मई को ब्रिटेन में मिस्टर चैम्बरलेन के मंत्रीमण्डल का पतन होने पर भारत मन्त्री लार्ड जैटलैण्ड को भी अपने पद से त्यागपत्र देना पडा। अत उस समय ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री मिस्टर चर्चिल तथा भारत मन्त्री मिस्टर एल एम एमरी बन गए। भारत मन्त्री ने कामन्स सभा में कहा कि "हमारी नीति का लक्ष्य भारत को ब्रिटिश कामनवैल्थ के अन्तर्गत स्वतन्त्रता तथा समानता का अधिकार देना है।"

भारत के वायसराय ने अपनी कार्यकारिणी को विस्तृत करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में वार्तालाप करने के लिए महात्मा गांधी से २९ जून १९४० को शिमला में भेंट की। इस भेंट के समय सरदार पटेल आदि कांग्रेस नेता तथा अन्य दलों के नेता भी शिमला पहुंचे। इस वार्तालाप के सम्बन्ध में कांग्रेस कार्यसमिति ने दिल्ली में चार दिन तक विचार विनिमय करके ७ जुलाई को इस निमन्त्रण को अस्वीकार करके निश्चय किया कि ब्रिटिश सरकार भारत में पूर्ण स्वतन्त्रता की एकदम घोषणा करके उसकी तैयारी के लिए केन्द्र में असेम्बली के सब दलों के प्रति उत्तरदायी सरकार स्थापित करे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कार्यसमिति के इस प्रस्ताव को पूना में २७ जुलाई को स्वीकार कर लिया।

यूरोप में युद्ध की भयंकरता के साथ साथ सरदार के मन में द्विविधा बढती जाती थी। एक ओर वह महात्मा जी के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए उनका विरोध करना नही चाहते थे। दूसरी ओर उनको यह विश्वास था कि नात्सी जर्मनी जैसे दुर्दान्त शत्रु को हमारी अहिंसा की नीति मात्र से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने से नही रोका जा सकता। अतएव उन्होने २७ जुलाई १९४० के इस अधिवेशन में अपनी स्थिति को इन शब्दो म स्पष्ट किया।

"बापू ने जो कुछ लिखा है वह आप पढेंगे। उनका कहना है कि सरदार को पीछे लौटना पडेगा। जब मैं आगे बढा ही नही तो मेरे पीछे लौटने का प्रश्न उपस्थित नही होता। मैंने बापू से कह दिया है 'यदि आप मुझे अपना अनुगमन करने की आज्ञा देंगे तो मैं आख मूदकर आपकी आज्ञा मानूगा।' किन्तु वह यह नही चाहते। उनकी इच्छा है कि मैं उनका अनुगमन तभी करू यदि मैं यह मानता हू कि दृष्टिकोण केवल वही है। किन्तु यदि मैं यह कह सकता कि 'हा मैं सहमत हू' तो इससे अधिक प्रसन्नता मुझे नही हो सकती थी। किन्तु मैं यह कैसे कह सकता हू कि मैं उनकी कार्यप्रणाली को समझता हू, जबकि वास्तव में मैं उसे नही समझता। मुझे या किसी और को गाधी जी के प्रति असत्य व्यवहार नहीं करना चाहिये।"

किन्तु वायसराय को तो अपनी कार्यकारिणी को विस्तृत करने के प्रस्ताव को कार्यरूप में परिणत करना था। अतएव उन्होने ८ अगस्त को घोषणा की कि वह अपनी कार्यकारिणी में भारत के सभी दलो के प्रतिनिधि लेकर उसको विस्तृत करेंगे और देशी राज्यो तथा ब्रिटिश भारत के सहयोग से एक युद्ध परामर्श बोर्ड बनाएगे। किन्तु काग्रेस कार्य समिति से उस पर दो दिन तक विचार करके १९ को उस घोषणा को सर्वथा असन्तोषजनक एव काग्रेस के लिए अपमानजनक बताया। इस सिलसिले में २३ अगस्त को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार यदि केन्द्र में उत्तरदायित्वपूर्ण अधिकार दे तो काग्रेस केन्द्र में मुस्लिम लीग के प्रधान मन्त्री को भी स्वीकार कर लेगी।

दमन का आरम्भ—किन्तु सरकार ने अब काग्रेस से बात न करके उसका दमन करने का निर्णय कर लिया था। १ सितम्बर से युक्त प्रान्त मे गिरफ्तारियो का सिलसिला आरम्भ कर दिया गया। ६ सितम्बर को भारत मन्त्री श्री अमेरी ने कामन सभा में घोषणा की कि "भारत का वायसराय भारत पर मुस्लिम लीग तथा हिन्दू महासभा आदि की सहायता से शासन करता रहेगा और काग्रेस के विरोध की कोई चिन्ता न की जाएगी।" भारत मन्त्री के इस रवैए की अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने बम्बई म १६ सितम्बर को निन्दा करते हुए इसके प्रतिरोधस्वरूप देश म सत्याग्रह करने की घोषणा की। सत्याग्रह के लिए महात्मा गाधी को नेता चुना गया। किन्तु सत्याग्रह को अभी बन्द रखने का ही निर्णय किया

गया। महात्मा गांधी का कहना था कि "हम ब्रिटिश सरकार से केवल यह घोषणा करवाना चाहते हैं कि कांग्रेस युद्ध विरोधी आन्दोलन कर सकती है और सरकार के साथ असहयोग करने का प्रचार कर सकती है। यदि सरकार ने हमारी इस मांग को स्वीकार कर लिया तो हम सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ नहीं करेंगे।"

युद्ध विरोधी सत्याग्रह—महात्मा गांधी ने इस विषय में वायसराय के साथ २७ तथा ३० सितम्बर को बात-चीत भी की। किन्तु उसका कोई परिणाम न निकला और फलतः महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा की योजना तैयार कर ली, जिसे कांग्रेस कार्यसमिति ने ११ अक्तूबर १९४० को स्वीकार कर लिया।

सरदार ने युद्ध विरोधी सत्याग्रह की तैयारी के लिये जनता को तैयार करने के उद्देश्य से गुजरात तथा सौराष्ट्र का दौरा किया। उन्होंने कहा—"राष्ट्रीय भावना को संसार की कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। ब्रिटिश सरकार पूछती है कि यदि वे देश छोड कर चले जावें तो हमारा क्या बनेगा? निश्चय से यह एक विचित्र प्रश्न है। यह ऐसा प्रश्न है जैसे कोई चौकीदार अपने स्वामी से कहे, 'यदि मैं चला जाऊं तो आपका क्या होगा?' उत्तर यही होगा—'तुम अपना रास्ता नापो। या तो हम दूसरा चौकीदार रख लेंगे या हम अपनी चौकसी आप करना सीख जावेंगे।' किन्तु हमारा यह चौकीदार जाता नहीं, वरन मालिक को धमकाता है।

महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रही श्री विनोबा भावे को चुना। विनोबा भावे जी ने १७ अक्तूबर १९४० से युद्ध विरोधी व्याख्यान देकर सत्याग्रह आरम्भ किया। सरकार ने पत्रों को आज्ञा दी कि वह विनोबा जी का भाषण न छापें। चार दिन तक भाषण करने के पश्चात् विनोबा जी को २१ अक्तूबर को देवली में गिरफ्तार किया गया। उन पर उसी दिन वर्धा में मुकदमा चला कर उन्हे तीन मास जेल का दण्ड दिया गया। सरकार की विनोबा के भाषण को न छापने की आज्ञा के कारण महात्मा जी ने अपने तीनों पत्रों—हरिजन (इगलिश) हरिजन सेवक (हिन्दी), तथा हरिजन बन्धु (गुजराती) का प्रकाशन बन्द कर दिया।

महात्मा जी ने विनोबा जी के पश्चात् दूसरे सत्याग्रही के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम चुना। उनको ६ नवम्बर को इलाहाबाद में युद्ध विरोधी भाषण देने की आज्ञा दी गई। किन्तु सरकार ने उनको सेवाग्राम से इलाहाबाद आते हुए मार्ग में छिउकी में ३१ अक्तूबर को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी गोरखपुर के एक वारण्ट पर की गई, जो उनके किसी पिछले व्याख्यान के कारण निकाला गया था।

नेहरू जी की गिरफ्तारी से भारत भर में आन्दोलन मच गया। इस समय

समस्त देश में हडताल की गई। नेहरू जी को गोरखपुर के एक मजिस्ट्रेट ने चार वर्ष जेल की सजा दी।

इसके पश्चात् काग्रेस कार्यसमिति की बैठक वर्धा में फिर हुई। उसमें निश्चय किया गया कि केन्द्रीय असेम्बली के काग्रेस सदस्य असेम्बली में भाग न ले। तो भी उनको आज्ञा दी गई कि वह १९४०-४१ के बजट सम्बन्धी फाइनैन्स बिल को अस्वीकृत करावे। अस्तु श्री भूलाभाई देसाई के नेतृत्व मे काग्रेस सदस्यो ने मुस्लिम लीग के तटस्थ रहने पर भी बजट को अस्वीकार करा दिया। अन्त में वायसराय को अपने विशेषाधिकार से उसे पास करना पडा।

अब महात्मा गाधी ने केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारासभाओ के सदस्यो तथा अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के सदस्यो को सत्याग्रह के लिए नाम देने के लिए आह्वान किया। अस्तु उनके पास अनेक नाम आने लगे।

सरदार पटेल का सत्याग्रह और उनकी गिरफ्तारी—१७ नवम्वर १९४० को सरदार पटेल ने अहमदाबाद के जिला मैजिस्ट्रेट को सूचना दी कि वह १८ नवम्बर को युद्ध विरोधी नारे लगा कर सत्याग्रह करेंगे। इस पर उन्हे दिन निकलने के पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ काग्रेस कार्यसमिति के अन्य सदस्यो, भूतपूर्व प्रधान मन्त्रियो तथा भूतपूर्व मन्त्रियो को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दो साल से भी कम समय के अन्दर उनमें से अधिकाश को पकड़ पकड़ जेलो में बन्द कर दिया गया। १ जनवरी १९४१ की अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार काग्रेस कार्यसमिति के ११ सदस्यों, अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के १७६ सदस्यों, २९ भूतपूर्व मन्त्रियो, केन्द्रीय धारा सभा के २२ सदस्यो तथा विभिन्न प्रान्तीय धारा सभाओ के ४०० सदस्यों को पकड़ पकड कर जेल मे ठूस दिया गया। ३० दिसम्बर १९४० को सरकार ने काग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को प्रयाग में गिरफ्तार कर लिया। उन्हे १८ मास जेल की सजा दी गई।

अब प्रान्तीय तथा आधीन काग्रेस कमेटी के सदस्यो को सत्याग्रह के लिए आह्वान किया गया। सत्याग्रहियो की सब सूचियां महात्मा गाधी जी के पास सेवाग्राम जाती थी। उनकी अनुमति के बिना कोई व्यक्ति सत्याग्रह नही कर सकता था। इस समय पजाव के अतिरिक्त शेष भारत में २३,२२३ सत्याग्रही जेल भेजे गए। जिन सत्याग्रहियो को जेल नही भेजा गया उनकी सख्या इसमें सम्मिलित नही है। इन लोगो पर ५,४२,७७५।।।) रुपये जुर्माना किया गया। यह सत्याग्रह अक्तूबर १९४० मे आरम्भ होकर चौदह मास तक चला।

सत्याग्रह का स्थगित किया जाना—सरदार को गिरफ्तार करके साबरमती जेल मे नजरबन्द कर दिया गया था। वहा वह तीन-चार दिन तक १०४ डिग्री

बुखार मे अकेले रहे। फिर उनको यरवडा जेल में बदल दिया गया। इस बार जेल में सरदार का स्वास्थ्य बहुत गिर गया। अतडिया एकत्रित होकर कभी-कभी ऊपर चढ जाती थी। सरकारी डाक्टरो को लगा कि आपरेशन के सिवा इसका कोई इलाज नही। आपरेशन भी भयकर होना था। अतएव सरकार ने उसका उत्तर-दायित्व लेने के बजाय उन्हे २० अगस्त १९४१ को जेल से छोड दिया। किन्तु सरदार के निजी डाक्टर आपरेशन करने के विरुद्ध थे। कुछ दिन ऐलोपैथिक औषधिया लेने के बाद होमियोपैथिक औषधिया ली गई। उससे भी कोई लाभ न होने पर सरदार अक्तूबर १९४१ में नासिक गए। वहा भी कोई लाभ न होने पर वह २० अक्तूबर को वर्धा जाकर महात्मा गाधी से प्राकृतिक चिकित्सा कराने लगे। गाधी जी की प्राकृतिक चिकित्सा से यद्यपि उनको कुछ लाभ अवश्य हुआ, किन्तु उन दिनो देश की क्षण-क्षण भर में बदलने वाली स्थिति म उनके लिए दीर्घ काल तक एक स्थान पर जम कर बैठ जाना सम्भव नही था। अतएव १ दिसम्बर १९४१ को उन्होने वर्धा छोड दिया। ३ दिसम्बर १९४१ को सरकार ने कांग्रेस कार्यसमिति के ग्यारहो सदस्यो को छोड दिया। उन्होने छूटते ही २३ से ३० दिसम्बर तक बारडोली में अपनी बैठक की, क्योकि सरदार इन दिनो वहो थे। इस अधिवेशन में सत्याग्रह की परिभाषा के सम्बन्ध में कार्यसमिति तथा महात्मा गाधी में मतभेद उत्पन्न हो गया। इस पर महात्मा गाधी को सत्याग्रह के उत्तर-दायित्व से मुक्त कर दिया गया। एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा आधीन कांग्रेस कमेटियो को आत्म रक्षा तथा आत्म-निर्भयता का कार्यक्रम अपनाने की प्रेरणा की गई। कार्यसमिति के इन निर्णयो की पुष्टि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी वर्धा की बैठक में कर दी।

१७ मार्च १९४२ को कांग्रेस कार्यसमिति ने वर्धा में इसकी विस्तृत योजना बनाई। अब समस्त देश में कांग्रेस स्वयसेवक भर्ती किए जाने लगे। यद्यपि यह लोग युद्धत्रस्त जनता की सहायता करते थे, किन्तु सरकार उनको ओर शकित दृष्टि से देखती थी। महात्मा गाधी ने अपने 'हरिजन' साप्ताहिक को तीनो भाषाओ मे फिर निकालना आरम्भ किया। इस समय सैनिको का व्यवहार जनता के साथ बहुत बुरा हो रहा था। गाधी जी ने जनता को निर्भयता की शिक्षा देते हुए अत्याचार का प्रतिकार करने की प्रेरणा दी। महिलाओ के विषय में उन्होने १४ मार्च १९४२ के हरिजन में लिखा कि यदि सैनिक लोग महिलाओ पर आक्रमण कर तो उनको निर्भयता से उनका मुकाबिला करना चाहिए।

क्रिप्स मिशन—इस समय भारत में दमन के कारण ब्रिटेन को अपने यहा तथा अमरीका म नीचा देखना पड रहा था। अत उसने भारतीय जनता का युद्ध में सहयोग प्राप्त करने का एक और यत्न सर स्टाफोर्ड क्रिप्स के द्वारा करने का

निर्णय किया। वह रूस में ब्रिटिश राजदूत रह चुके थे। राजनीतिक क्षेत्रो में यह समझा जाता था कि जर्मनी के विरुद्ध रूस को युद्ध क्षेत्र में लाने का श्रेय उन्ही को प्राप्त था। इगलैण्ड वापिस आने पर उनको युद्ध मन्त्री मण्डल में ले लिया गया। अब उन्होंने भारत के प्रश्न पर ध्यान देना आरम्भ किया। ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए कुछ नए प्रस्ताव तैयार किए और उन्ह सर स्टाफोर्ड क्रिप्स के द्वारा भारत भेजा। वह २३ मार्च १९४२ को भारत आए। उन्होंने सरदार पटेल आदि कांग्रेस नेताओ तथा अन्य राजनीतिक दल वालो को दिल्ली बुला कर उनको ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव दिखलाए। उन प्रस्तावो का सारांश यह था—

(१) भारत को तत्काल औपनिवेशिक दर्जा दे दिया जावेगा और वह किसी अन्य ब्रिटिश उपनिवेश से दर्जे में कम न होगा।

(२) युद्ध समाप्त होते ही एक सविधान परिषद् का चुनाव सभी दलो की सहमति से किया जाएगा।

(३) प्रथम प्रान्तीय धारा सभाओ के सदस्यो को चुना जाएगा और फिर वह सविधान परिषद् का चुनाव करेंगी।

(४) देशी राज्यो को भी सविधान परिषद् में अपनी जनसख्या के अनुसार अपने प्रतिनिधि भेजने को आमन्त्रित किया जाएगा।

(५) ब्रिटिश सरकार सविधान परिषद् के निर्णयो को स्वीकार करने का उत्तरदायित्व लेगी। किन्तु उसमें निम्नलिखित बातो का समावेश करना होगा—

(अ) किसी भी प्रान्त या देशी राज्य को भारतीय सघ से पृथक् होने का अधिकार होगा, तथा

(आ) ब्रिटिश सरकार के साथ एक सधि द्वारा उसके द्वारा दिए हुए वचनो का सम्मान करना होगा।

(६) भारत का सेना विभाग युद्ध काल में ब्रिटिश सरकार के निरीक्षण में कार्य करेगा और शेष विभाग लोक प्रतिनिधियो के हाथ में होगे।

कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी दिल्ली की बैठक में तीन दिन तक विचार करके इन प्रस्तावो को अस्वीकार कर दिया। महात्मा गाधी तो दिल्ली आना भी नहीं चाहते थे, किन्तु सर क्रिप्स के आग्रह पर वह आ गए। कार्यसमिति को सबसे अधिक आपत्ति रक्षा विभाग के सम्बन्ध में थी। अन्त में इस विषय में सर क्रिप्स ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया—

(अ) भारत का प्रधान सेनापति वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बना रहे और "युद्ध सदस्य" कहलाए। साथ ही वह लदन की युद्ध समिति के भी

आधीन होगा, जिसमें एक भारतीय भी होगा तथा प्रशान्त महासागर की युद्ध समिति में भी एक भारतीय होगा ।

(आ) एक भारतीय प्रतिनिधि वायसराय की कार्यकारिणी में भी रक्षा कार्यों—उदाहरणार्थ, सार्वजनिक सबंध, असैनिककरण, युद्धोत्तर-पुनर्निर्माण, सेनाओ की सुविधाए, सैनिक कैनटीनो के प्रबन्ध, नागरिको के विपत्तिग्रस्त क्षेत्रो से हटाए जाने तथा युद्ध सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था आदि के नियत्रण का कार्य करेगा ।"

सर स्टाफोर्ड ने आरम्भ में कहा था कि वाएसराय की कार्यकारिणी के सदस्यो की स्थिति मत्रियो के समान होगी, किन्तु बाद में वह इससे भी पीछे हट गए।

कांग्रेस कार्य समिति ने २ अप्रैल को पास किए हुए अपने अस्वीकृति प्रस्ताव को ११ अप्रैल १९४२ को प्रकाशित किया ।

अध्याय ७

अंग्रेज चले जाओ

गाधीजी को क्रिप्स प्रस्तावो से बडी निराशा हुई। इस समय तक जापान युद्ध में आ कूदा था और वह हागकाग, मलाया, सिंगापुर तथा बर्मा पर कब्जा कर चुका था। मलाया तथा बर्मा में भारतीयो को वहा के मूल-निवासियो के हाथो महान् कष्ट उठाने पडे थे, जिससे वह अपनी वहा की समस्त धन-सम्पत्ति वही छोड कर भाग भाग कर भारत आने लगे थे। किन्तु वहा से आने के साधन भी "गोरो" के लिए ही सुरक्षित थे। भारतीय शरणार्थियो को भूख तथा मृत्यु से युद्ध करके भारत आना पडता था। अनेक व्यक्ति तो सहस्रो मील पैदल चल कर भारत आए। बच्चो, वृद्धो, तरुणो और स्त्रियो के शव मार्ग में स्थान-स्थान पर पडे हुए विभीषिका उत्पन्न कर रहे थे। ब्रिटिश शरणार्थियो को भारत आने की सब सुविधाए दी गई। यहा तक कि कालो और गोरो के लिए भारत आने के लिए सडके भी पृथक् पृथक् थी। भारत का यह घोर अपमान था।

इस प्रकार के वातावरण में अप्रैल १९४२ के अन्त में प्रयाग में काग्रेस कार्य समिति तथा अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठके की गई। महात्मा गाधी इन बैठको में स्वय नही आए, किन्तु उन्होने अपना सदेश भेजा कि "ब्रिटिश सरकार का यह कहना कि वह भारत मे अल्पसख्यको तथा देशी राज्यो की रक्षा के लिए है धोखा है, क्योकि यह दोनो उसके ही बनाए हुए है। ब्रिटेन भारत की रक्षा करने के अयोग्य है। अतएव उसको यहा से हट जाना चाहिए। यदि ब्रिटेन यहा से हट जाए तो हम जापान को यहा न आने को कहेंगे और यदि जापान फिर भी भारत मे आएगा तो हम उस के साथ असहयोग करेगे।"

काग्रेस कार्य समिति ने भी क्रिप्स प्रस्तावो पर भारी निराशा प्रकट की। इस प्रस्ताव में अग्रेजो से भारत छोडने को भी कहा गया। यद्यपि इस प्रस्ताव को सरदार पटेल ने उपस्थित किया था, किन्तु प० नेहरू तथा मौलाना आजाद ने इस प्रस्ताव पर कोई उत्साह नही दिखलाया। उनका कहना था कि साम्प्रदायिक एकता स्थापित किये बिना इस प्रकार का पग देशहित में हानि भी पहुचा सकता है। मौलाना आजाद ने अपने इगलिश ग्रन्थ 'इडिया विन्स फ्रीडम' के पृष्ठ ७८ व ७९ पर 'अग्रेज चले जाओ' प्रस्ताव के विरुद्ध अपनी एक पृथक् योजना दी है। एक प्रस्ताव द्वारा बर्मा के शरणार्थियो के साथ विभेदात्मक व्यवहार किए जाने की निन्दा की गई। एक अन्य प्रस्ताव द्वारा भारतीय, ब्रिटिश तथा

आस्ट्रेलियन सैनिको द्वारा भारतीय महिलाओं के सतीत्व पर आक्रमण किए जाने की निन्दा भी की गई।

श्री राजगोपालाचारी का कांग्रेस से त्यागपत्र—इस समय श्री राजगोपालाचारी का कांग्रेस से मतभेद बढता जाता था। उन्होंने मद्रास की कांग्रेस असेम्बली के नेता के रूप में असेम्बली सदस्यो की एक विशेष बैठक में उनसे दो प्रस्ताव स्वीकार करा लिए थे। एक प्रस्ताव में कांग्रेस द्वारा मन्त्री-पद ग्रहण करने की माग की गई थी और दूसरे में मुस्लिम लीग की भारत विभाजन की माग को पूर्ण करने का अनुरोध किया गया था। किन्तु यह दोनो ही प्रस्ताव कांग्रेस की घोषित नीति के प्रतिकूल थे। सरदार पटेल ने कांग्रेस पार्लमेंटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में श्री राजगोपालाचारी को एक पत्र लिख कर इस को नापसन्द करते हुए उनका स्पष्टीकरण मागा। इस पर श्री राजगोपालाचारी ने कांग्रेस कार्य समिति की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया, जिससे वह अपने विचारो का खुल कर प्रचार कर सके। उन्होंने पाकिस्तान सम्बन्धी अपना प्रस्ताव प्रयाग की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में गैरसरकारी प्रस्ताव के रूप में उपस्थित किया, किन्तु वह अत्यधिक बहुमत से हरा दिया गया।

प्रयाग की बैठक के बाद महात्मा गाधी ने अंग्रेजो से "भारत छोडो" की अपनी माग पर जोर देना आरम्भ किया। उसका भारतीय जनता ने बडे उत्साह से स्वागत किया। किन्तु ब्रिटेन और अमरीका में इस पर नाराजगी प्रकट की गई।

'अंग्रेज चले जाओ' आन्दोलन—महात्मा गाधी ने अब पूरी शक्ति के साथ "अंग्रेज चले जाओ" आन्दोलन चलाने का निश्चय किया। जुलाई १९४२ के अंत में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में बुलाई गई। इस बैठक में सेवा ग्राम में इस प्रस्ताव पर कई दिन तक विचार किया गया। अन्त में समिति ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पास कर दिया। उसको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पुष्ट कराना रह गया।

'अंग्रेज चले जाओ' आन्दोलन के सम्बन्ध में नेताओ को जनता को बतलाने का कुछ भी अवसर नही मिला। इसके १५ दिन बाद ही उनको बम्बई में एकत्रित होना था। अत अपने-अपने घर जाकर उन्होंने जो कुछ उन को सूझा जनता को बतलाया। सरदार पटेल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग ले कर सीधे अहमदाबाद आए। वहा उन्होंने २६ जुलाई १९४२ को एक लाख जन समूह के सामने लोकल बोर्ड के मैदान में जनता को 'अंग्रेज चले जाओ' आन्दोलन की रूप रेखा बतलाई। वास्तव में सरदार ने अपने मन में इस आन्दोलन की एक निश्चित रूप-रेखा बना ली थी। उसके दो दिन बाद २८ जुलाई को सरदार पटेल ने अहमदाबाद म पत्रकार परिषद में इस आन्दोलन के सम्बन्ध में एक

उत्तम भाषण दिया। सरदार पटेल ने २६ जुलाई १९४२ को अहमदाबाद के लोकल बोर्ड के मैदान में एक लाख जन समूह के सामने 'अंग्रेज चले जाओ' आन्दोलन का कार्यक्रम बतलाते हुए कहा—

" · · ऐसा समय फिर नही आयेगा। आप मन मे भय न रखें। यह प्रसग फिर से नही आयेगा। उन्हे यह कहने को न मिले कि गाधीजी अकेले थे। जब वे ७४ वर्ष की आयु में हिन्दुस्तान की लडाई लडने के लिये उसका भार उठाने के लिये निकल पडे हैं, तब हमें समय का विचार कर लेना चाहिये। आप से माग की जाय या न की जाय, समय आये या न आये, परन्तु आपके लिए कुछ पूछने की बात नही रह जाती। अब क्या कार्यक्रम है, यह पूछ कर बैठे मत रहिये। १९१९ के रौलट ऐक्ट के विरोध से लेकर आज तक जितने भी कार्यक्रम रहे हैं, उन सबका समावेश इस में हो जायेगा। 'टैक्स मत चुकाओ' आन्दोलन, कानून भग और इसी तरह दूसरी लडाइया, जो सीधे रूप में सरकारी शासन के बन्धन तोडने वाली हैं, उन्हे काग्रेस अपना लेगी। रेल्वे वाले रेलें बन्द करके, तार वाले तार विभाग बन्द करके, डाकखाने वाले डाक का काम छोड कर, सरकारी नौकर नौकरिया छोड कर और स्कूल-कालेज बन्द करके सरकार के तमाम यत्रो को स्थगित कर दें। यह लडाई इस किस्म की होगी। इसमें आप सब भाई साथ दीजिए। इस लडाई में आपका हार्दिक सहयोग होगा, तो यह लडाई थोडे ही दिन में खत्म हो जायगी और अग्रेजों को यहा से चला जाना पडेगा। काम करने वालो को सरकार पकड ले, तो भी हर एक हिन्दुस्तानी अपने आपको काग्रेसी समझे और उसी तरह अपना फर्ज अदा करे, और पुकार होते ही लडने को तैयार हो जाय, तो स्वतन्त्रता दरवाजा खटखटाती हुई आकर खडी हो जाएगी · · ·।"

२८ को उन्होंने पत्रकारो के प्रश्नो के स्पष्ट उत्तर भी दिए। इसी दिन सरदार पटेल ने अहमदाबाद के कालेज विद्यार्थियो के अन्दर भी इस विषय पर भाषण दिया। इसके अगले दिन उन्होने अहमदाबाद के राष्ट्रीय विद्यार्थी मण्डल के सामने इस आन्दोलन की रूपरेखा पर प्रकाश डाला।

३० जुलाई को सरदार पटेल ने, अहमदाबाद की महिलाओ की एक सभा में भी इस विषय का प्रतिपादन किया। उसी दिन उन्होंने अहमदाबाद के मसकती मारकेट मे व्यापारियों को भी इस सम्बन्ध में उनके कर्तव्य का स्मरण कराया।

काग्रेस कार्य समिति के निश्चय की सम्पुष्टि बम्बई में अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी द्वारा की जानी थी। फलत सरदार पटेल १ अगस्त को ही अहमदाबाद से बम्बई चले गए।

२ अगस्त १९४२ को सरदार पटेल ने बम्बई में चौपाटी पर दिये हुए अपने भाषण में कहा—

". . . आपको यही समझकर यह लडाई छेडनी है कि महात्मा गाधीजी और नेताओ को पकड लिया जावेगा। गाधीजी को पकडा जाय, तो आपके हाथ में ऐसा करने की ताकत है कि २४ घटे में ब्रिटिश सरकार का शासन खत्म हो जाय। आपको सब कुजियाँ बता दी गई हैं। उनके अनुसार अमल कीजिए। सरकार का शासन चलाने वाले सभी लोग अगर हट जाय, तो सारा शासन भग हो जायगा . . . ।"

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक बम्बई में ७ तथा ८ अगस्त को की गई। महात्मा गाधी ने उसमें अपना 'अग्रेज चले जाओ' प्रस्ताव उपस्थित करते हुए कहा कि "इस आन्दोलन को आरम्भ करने से पूर्व मैं वाएसराय को एक पत्र लिखूंगा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करूगा और यदि वह राहमत हुए तो उनसे भेंट भी करूगा।" सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गाधी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक में "अग्रेज चले जाओ" वाले प्रस्ताव पर ७ अगस्त १९४२ को अपने भाषण में कहा—

. . मारपीट करके तो हमे छुडवाना नही है। यह हमारा रास्ता नही है। हमारा शस्त्र अहिंसा का है। वह हथियार चाहे कैसा ही हो, परन्तु पिछले बीस साल मे इसी के द्वारा दुनिया में हमारी इज्जत बढी है। फिर इस लडाई में ऐसी तो कोई शर्त नही है कि दिल में भी अहिंसा ही होनी चाहिये। यह तो सिर्फ कार्य की बात है। कार्य में अहिंसा चाहिये। सब पूछते है "कार्यक्रम क्या है?" लडाई के समय हमारा कार्यक्रम हमेशा गाधीजी ने तैयार किया है। जब तक वे बैठे हैं, वे जो हुक्म देंगे वही हम मानेंगे। नरम हो या गरम, जो वे कहें वही करना सिपाहियो का काम है। हमें बडी-बडी धमकिया दी जा रही है। हुकूमत का तरीका सबको मालूम है। वह सबको पकडेगी। बहुत सी सूचिया और आर्डिनेंस तैयार किये गये है और किये जायेंगे। वह तो पिछली लडाइयो के समय से दफ्तरो में तैयार ही रखे थे। उस में नई बात क्या है? मगर हमे अपनी जिम्मेदारी सोच लेनी है, समझ लेनी है। जब तक गाधीजी मौजूद हैं, तब तब वह जो हुक्म दें, जो हिदायत जारी करें, एक के बाद एक जो कदम उठाने को कहे, वही उठाना है। न जल्दबाजी की जाय, न पीछे रहा जाय। हर एक व्यक्ति को आज्ञा और अनुशासन का पालन करना है। लेकिन मान लीजिये कि सरकार ने ही कुछ किया, सबको पहले से ही पकड लिया, तो क्या किया जाय? ऐसा हो, अगर सरकार गाधीजी को पकड ले, तो ऐसे मौके पर कदम कदम की बात नही हो सकती। फिर तो हर एक हिन्दुस्तानी का—जिन्होने इस देश में जन्म लिया है उन सबका—यह फर्ज होगा कि इस देश की आजादी तुरन्त हासिल करने के लिये उसे जो सूझे वही कर डाले। दुनिया मे आज हमारी परीक्षा हो रही है। उस में हिन्दुस्तान कहा है यह दिखाना हममें से

हर एक का कर्तव्य होगा। सन् १९१९ से लेकर आज तक हमने समय-समय पर जिन-जिन कार्यक्रमो पर अमल किया है, यह समझ लीजिये कि वे सभी इस बार की लडाई मे आ जाते है। सब एक साथ, इकट्ठे ही, अलग-अलग नहीं। सबको और हर एक को आजाद हिन्दुस्तानी के नाते काम करना है। एक अहिंसा की मर्यादा रखकर सभी कुछ कर गुजरना है। एक भी चीज, बाकी नहीं छोडनी है। सक्षिप्त और तेज लडाई करनी है। यह मौका फिर नही आयेगा। यह काम जल्दी खत्म करना है। जापान के यहा आने से पहले ही आजाद होकर उसका मुकाबला करने को तैयार रहना है। इस में इस समय किसी सलाह मशविरे की गुजाइश नही है। जो यहाँ बैठे हैं, वे सब इतनी बात यही से लेते जाय। जब तक गाधीजी है तबतक वह हमारे सेनापति हैं। परन्तु वह पकडे जाय, तो किसी की जिम्मेदारी किसी पर नहीं रहेगी। सारी जिम्मेदारी अग्रेजो के सिर रहेगी। अराजकता की जिम्मेदारी भी उन्ही पर होगी। अराजकता का डर अब देश को नही रोक सकेगा।"

"दूसरा कोई मार्ग ही नही है। हमें आजाद होना है। गुलामी अब एक क्षण भी हमें बरदाश्त नही हो सकती।"

महात्मा गाधी तथा सरदार पटेल के भाषणो के पश्चात् मौलाना आज़ाद तथा प० नेहरू ने भी नम्र शब्दो में इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अन्त मे यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया।

गाधीजी, पटेल व कार्य समिति की गिरफ्तारी—किन्तु महात्मा जी को वाइसराय को पत्र लिखने का अवसर न मिल सका। बम्बई की पुलिस ने ८ अगस्त की रात को ही बम्बई के समस्त टेलीफोन काट दिए। इसके बाद उसने महात्मा गाधी, सरदार पटेल तथा काग्रेस कार्य समिति के सभी अन्य १४ सदस्यो को ९ अगस्त को प्रात ४ बजे गिरफ्तार करके अहमदनगर किले में बद कर दिया। महात्मा गाधी गिरफ्तार होते समय केवल इतना ही कह सके "करो या मरो"। उनको आगाखा महल पूना में सबसे पृथक् रखा गया।

१९४२ का जन युद्ध—९ अगस्त का सारे भारत ने नेताओ की गिरफ्तारी के समाचार को क्रोध, घृणा तथा प्रतिहिंसा की भावना में सुना। भारत सरकार ने बम्बई सरकार को यह भी आज्ञा दी कि वह अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के २०० से अधिक सदस्यो को भी गिरफ्तार कर ले। किन्तु बम्बई में उनमें से बहुत कम को पकडा जा सका। उनमें से कई एक अपने २ घर पहुच कर गुप्त रूप से कार्य करने लगे। सरकार ने अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी और प्रान्तीय काग्रेस कमेटियो को गैरकानूनी करार दे दिया। अकेले बम्बई म ही ९ अगस्त को १५० कार्यकर्ता पकडे गए। कुल भारत में ९ अगस्त को कई सहस्र व्यक्ति पकडे

गए। भारत रक्षा नियमो के आधीन कुछ दिनो में ही भारत की सब जेले भर गई। अन्त में सरकार को तम्बू डाल कर कैम्प जेलें बनानी पडी। समस्त देश में उन दिनो कम से कम एक लाख व्यक्ति अवश्य पकडे गए। कुछ को लम्बी २ सजाए दी गई तथा अनेक को अनिश्चित काल के लिए नजरबन्द कर दिया गया। अनेक निर्दोष व्यक्तियो को भी लोभ के कारण पकडा गया और धन मिलने पर छोड दिया गया।

११ अक्तूबर को अखबारो पर भी भारी पाबन्दिया लगा दी गई। अतएव अनेक राष्ट्रीय पत्रो ने अपना प्रकाशन बद कर दिया। इस समय लगभग ९६ पत्र बद हो गए।

सरकार ने सारे देश में बल प्रयोग से काम लेना आरम्भ कर दिया। अश्रु गैस, लाठी चार्ज तथा गोली चलाना रोज की घटनाए हो गई। जनता इतनी उग्र हो गई कि उसने रेल की लाइनें उखाडना, तार काटना, डाकखानो, थानो तथा अन्य सरकारी इमारतों को आग लगाना आरम्भ कर दिया। यह आन्दोलन नगरो से गावो तक जा पहुचा। गावो में तो पुलिस और सेना ने बडे-बडे भयकर अत्याचार किए। अनेक घरो मे आग लगा दी जाती थी। उनके सामान को लूट लिया जाता था और महिलाओ पर पाशविक अत्याचार किए जाते थे। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इस आन्दोलन में कम से कम १५,००० भारतवासी मारे गए। घायल तो असख्या हुए। महिलाओ का अपहरण तथा उन पर बलात्कार करते समय ८ और ९ वर्ष की बच्चियो से लेकर साठ २ वर्ष की वृद्धाओ को भी नही छोडा गया। अनेक गावो पर भारी २ जुर्माने किए गए। चिमूर, मिदनापुर, मैसूर, पटना, पूना, नागपुर तथा अन्य असख्य स्थानों में लोमहर्षक अत्याचार किए गए।

इस युद्ध मे विद्यार्थियो ने बडी वीरता प्रदर्शित की। नेताओ के गिरफ्तार होने पर उन्होने अपने २ स्कूल तथा कालेज छोड कर जनता का मार्गप्रदर्शन किया। छात्राए भी छात्रो से पीछे नही रही। उनमे से अनेक को अपने प्राणो से हाथ धोने पडे। सरकार ने विद्यार्थियो को रोकने का बहुत यत्न किया। किन्तु सब व्यर्थ। अनेक विद्यालय पूर्णतया बद हो गए। इस आन्दोलन में श्रमिको ने भी कम भाग नही लिया। अहमदाबाद में सरदार पटेल ने उनमें जान फूक दी थी। अहमदाबाद में १०० से भी अधिक मिलें बद हो गईं। यह सरदार के अनेक व्याख्यानों का परिणाम था। तीन मास तक यह आन्दोलन अत्यत भयकरता से चला।

अहमदनगर किले में—काग्रेस कार्य समिति के सदस्यो को ९ अगस्त १९४२ को ब्राह्ममुहूर्त में ही गिरफ्तार करके एक स्पेशल ट्रेन में अत्यन्त गुप्त रूप

से बिठलाया गया। दोपहर बाद उनको अहमदनगर के उस किले में पहुचाया गया, जिसे चाद बीबी ने बनवाया था। लगभग तीन सप्ताह तक उनको बाह्य ससार से कैसा भी सपर्क नही करने दिया गया। फिर भी उनके रहने के लिये ब्रिटिश सेनाओ द्वारा खाली किये हुए क्वार्टरो को शीघ्रतापूर्वक उपयुक्त रूप दे दिया गया। उनके भोजन का समुचित प्रबन्ध करके एक अग्रेज डाक्टर को उनका जेलर बनाया गया।

सरदार पटेल को ९ अगस्त १९४२ को प्रात काल जब उनके बम्बई के निवास स्थान नम्बर ६८ मेरीन ड्राइव से गिरफ्तार किया गया तो उनके साथ उनकी पुत्री कुमारी मणिबेन तथा काग्रेस के तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी आचार्य जे० बी० कृपलानी को भी—जो बम्बई में उनके पास ठहरा करते थे—गिरफ्तार किया गया। कुमारी मणिबेन को यरवडा जेल मे रखा गया था। क्योंकि सरोजिनी नायडू आदि महिला सत्याग्रहियों का वही प्रबन्ध किया गया था। इस समय आचार्य कृपलानी की धर्मपत्नी श्रीमती सुचेता कृपलानी तथा काग्रेस कार्यालय भी सरदार के निवास स्थान में ही थे। श्रीमती कृपलानी इन गिरफ्तारियो के बाद लगभग डेढ मास तक वही ठहरी रही। इस बीच सरदार पटेल के सुपुत्र श्री डाह्याभाई पटेल ने सरदार तथा गाधी जी के इस अवसर पर दिये हुए भाषणो की प्रतिया तैयार करा के उनको प्रचारार्थ व्यापक रूप में जनता में वितरित किया। इस बीच वह काग्रेस कार्यकर्ताओ की आर्थिक सहायता भी करते रहे। इससे सरकार ने श्री डाह्याभाई को अन्य काग्रेस कार्यकर्ताओ सहित १९ नवम्बर १९४२ को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनो भाई बहिनो को बिना मुकदमा चलाये लगभग दो वर्ष तक नजरबन्द रखा गया।

वह लोग यहा लगभग चौंतीस मास तक एक साथ रहे। इस बीच में सरदार वल्लभ भाई उनमें से प्रत्येक के जीवन क्रम का बारीकी से अध्ययन किया करते थे। वह इस बात को जानते थे कि मौलाना का नेहरू जी पर भारी प्रभाव था। वहा उनको इस बात को प्रत्यक्ष देखने का अवसर भी मिला। भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात् इस तथ्य की पुष्टि हो गई और मौलाना आजाद ने भी अपने ग्रन्थ में इसका समर्थन किया है। सभी नेता अपना समय अध्ययन, वाद-विवाद तथा ताश खेलने में व्यतीत करते थे। सरदार को ब्रिज खेलना अधिक पसद था।

अहमदनगर किले में प्राय सभी नेताओ के कमरे अलग-अलग थे। केवल नेहरूजी और डाक्टर सैयद महमूद एक कमरे में थे। एक दूसरे कमरे मे डाक्टर पट्टाभि सीतारामैया तथा श्री शकर राव देव को भी साथ-साथ रखा गया था। वह सभी वहा लिखने पढने के कार्य किया करते थे। पडित नेहरू ने अपना ग्रन्थ

'डिस्कवरी आफ इंडिया' इन्ही दिनो लिखा, जिसमें प्रसिद्ध इतिहासज्ञ आचार्य नरेन्द्र देव ने उनकी पर्याप्त सहायता की ।

सायकाल के समय वह सब किले के छोटे से आगन में टहला करते थे। नेहरू जी बागबानी करते तथा कभी-कभी कोई खाद्य वस्तु अपने हाथ से स्वय पकाया करते थे। कुछ लोग खेलते भी थे। किन्तु सरदार पटेल केवल टहलने का ही व्यायाम किया करते थे। खाली बैठने पर वह गीता अथवा कोई अन्य पुस्तक पढा करते थे, किन्तु उनको लिखने का शौक नही था ।

आचार्य कृपलानी का कहना है कि अहमदनगर किले में जाने के लगभग डेढ वर्ष बाद उनमें कई बार 'अंग्रेज चले जाओ' आन्दोलन के औचित्य के सम्बन्ध में वाद विवाद हुआ। इनमें डाक्टर सैयद महमूद, मौलाना आजाद तथा आसफअली की यह राय थी कि महात्मा गाधी तथा काग्रेस को यह आन्दोलन आरम्भ नही करना चाहिए था। पडित जवाहरलाल नेहरू भी दबे हुए शब्दो में उन्ही का समर्थन किया करते थे। बापू ने जब प्रथम बार 'अंग्रेज चले जाओ' आन्दोलन सम्बन्धी प्रस्ताव वर्धा में काग्रेस कार्य समिति की बैठक में उपस्थित किया था, तब भी यह सब लोग उसके विरुद्ध थे। पडित गोविन्द वल्लभ पन्त का मत भी बहुत कुछ वैसा ही था। इस प्रस्ताव के विरोधियो का कहना था कि इस आन्दोलन से भारत चागकाई शेक की चीन सरकार तथा अमरीका की—जो भारत को स्वतत्र कराने के पक्ष में थे—सहानुभूति खो बैठेगा। वह इस आन्दोलन को ऐसी नजर से देखेंगे कि हम उनके युद्ध प्रयत्नो में बाधा डाल रहे है और इस प्रकार जर्मनी के हिटलर की सहायता कर रहे हैं। नेताओ में इस प्रकार के वाद-विवाद सन् १९४४ या ४५ में हुए थे ।

सरदार पटेल अहमदनगर किले में अधिकतर अस्वस्थ ही रहे। उन्होंने यह समझ लिया था कि वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगे। वास्तव में उनको रोग के कारण किये जाने वाले परहेज का जीवन पसन्द नही था। किन्तु फिर भी वह इस विषय में किसी से भी कुछ नही कहते थे। १९४२ के 'अंग्रेज चले जाओ' आन्दोलन के वह प्रबल समर्थक थे ।

यद्यपि इस आन्दोलन के विरोधी आरम्भ में निराश थे, किन्तु जब उनको पता चला कि देश ने सरकार को उसके दमन का इतना अच्छा उत्तर दिया तो उनको भी प्रसन्नता हुई। फिर तो यह प्रसन्नता धीरे-धीरे बढती ही गई। सरदार पटेल पर सबसे बुरा प्रभाव महादेव भाई देसाई के स्वर्गवास का हुआ। उसका उन्हें बहुत सदमा हुआ। उनका स्वर्गवास ११ अगस्त, १९४२ को होने पर भी उनको यह समाचार १५ अगस्त, १९४२ को टाइम्स आफ इडिया से मिला। वास्तव में उनको तब से ही समाचार पत्र मिलने आरम्भ हुए थे ।

इन लोगो की नजरबन्दी काल के प्रथम ३२ मास में जब तक श्रीमती सुचेता कृपलानी जेल से बाहर रही, इन लोगो को फल तथा औषधिया भेजती रही। श्री डाह्या भाई की पत्नी श्रीमती भानुमती, भी इन लोगो की सुविधाओ का ध्यान रखती थी।

उनमें से डा० सैयद महमूद को बहुत पहले छोड दिया गया, जिससे उनके सब साथियो को आश्चर्य हुआ। इस समय देश मे यह अफवाह भी फैल गई कि डा० सैयद महमूद सरकार से माफी माग कर जेल से छूटे है। बाद में उनके द्वारा सरकार को लिखा हुआ उक्त पत्र समाचार पत्रो में प्रकाशित हुआ, जिसमे उन्होने लिखा था कि उनको काग्रेस कार्य समिति का सदस्य न होते हुए भी उस समय गिरफ्तार किया गया, जबकि उनका पत्र-व्यवहार मिस्टर चर्चिल के साथ उनका निजी सचिव बनने के विषय में चल रहा था।

नेताओ के जेल से छूट जाने पर भी काग्रेस के तत्कालिन जनरल सेक्रेटरी आचार्य जे० बी० कृपलानी ने गाधीजी के सकेत की उपेक्षा करके भी डा० सैयद महमूद को काग्रेस कार्य समिति की बैठक में उपस्थित होने का विशेष निमत्रण नही भेजा। बिहार में काग्रेस मत्रीमडल का निर्माण होने पर भी कृपलानी जी ने डा० महमूद के उसमें लिए जाने का विरोध किया। किन्तु डा० राजेन्द्र प्रसाद ने नेहरू जी तथा मौलाना आजाद का रुख देख कर उनको मत्री बनवा ही दिया।

यहा यह बात स्मरण रखने योग्य है कि नेहरू जी सदा से स्वप्नदर्शी रहे हैं। वह सोते सोते समय में प्राय बडबडाते हैं और चौंक भी पडते हैं। गाधी इर्विन पैक्ट के बाद जब उसको इलाहाबाद की बैठक में काग्रेस कार्य समिति ने स्वीकार किया तो नेहरू जी अर्ध रात्रि के समय सोते से उठ कर अचानक इतने जोर-जोर से रोने लगे कि उससे सरदार की नीद भी टूट गई। सरदार के रोने का कारण पूछने पर उन्होने कहा कि 'यह क्या हो गया ? हम तो पूर्ण स्वतत्रता चाहते थे।' इसी प्रकार वह अहमदनगर के किले में भी सोते में बडबडाया करते थे।

अहमदनगर किले मे जो नेता नजर बन्द थे उनमें सबसे बडे सरदार पटेल तथा सबसे छोटे डा० हरेकृष्ण महताब थे। जैसाकि उनकी नीचे दी हुई जन्म की तारीखों से प्रगट है.

	जन्म तिथि
१—डा० हरे कृष्ण महताब	जनवरी १९००
२—प्रफुल्ल बाबू	२४-१२-१८९१
३—शकर राव देव	४-१-१८९५
४—जवाहरलाल नेहरू	१४-११-१८८९

५—सरदार-पटेल	३१-१०-१८७५
६—पंत जी	२७-१-१८८३ (अनन्त चतुर्दशी)
७—डा० सैयद महमूद	दिसम्बर, १८८९
८—आसफअली	१८८८
९—मौलाना अबुल कलाम आज़ाद	१८८८
१०—कृपलानी	१८८८
११—नरेन्द्रदेव	७-११-१८८९ (कार्तिक शुदी ९)
१२—डा० पट्टाभि सीतारमैया	२४-११-१८८०

अहमदनगर में सरदार का आन्त्र रोग फिर उभर आया। १९४३ की गर्मियों में उनका वजन १५ पौण्ड कम हो गया।

इस आन्दोलन में सभी देशी राज्यो की जनता ने पूर्ण भाग लिया। सभी राज्यो में प्रजा मण्डलो न अपने २ शासको से अपील की कि वह ब्रिटिश राज्य से अपना सम्बन्ध तोड ल। किन्तु वदले मे उनको भयकर दमन का उसी प्रकार सामना करना पडा, जैसा ब्रिटिश भारत मे किया जा रहा था।

जनता के व्यापक विद्रोह के कारण उन दिनो अनेक जिलो में सरकार का शासन कार्य ठप्प हो गया। बडे २ स्थानो पर तो सरकार कई २ मास बाद शासन की पुन स्थापना कर पाई।

सरकार ने इस सारे आन्दोलन का दोषी काग्रेस कार्य समिति को ठहराया। काग्रेस कार्य समिति ने भी जेल से छूटने पर जनता को बधाई दी कि उसने ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी राष्ट्रीय आन्दोलन को मरने नही दिया। यद्यपि उन्होने हिंसात्मक कार्यों के लिये खेद भी प्रकट किया, किन्तु जनता के उत्साह तथा धैर्य के लिए उसे बधाई दी गई।

सरकार ने इन समाचारो के भारत से वाहिर जाने पर पाबन्दी लगा दी थी। किन्तु जापानी तथा जर्मन रेडियो द्वारा यह सवाद अतिरजित रूप में सारे ससार में फैला दिये गए।

महात्मा गाधी का उपवास—देश में इस प्रकार दमनचक्र चल रहा था कि महात्मा गाधी के २१ दिन के उपवास का समाचार पत्रो में छपा। इस समाचार के साथ महात्मा गाधी तथा वाएसराय का पत्र व्यवहार भी प्रकाशित किया गया। उससे पता चला कि महात्मा गाधी ने १ जनवरी १९४३ को वाएसराय लार्ड लिनलिथगो को पत्र लिखा कि "इन दिनो जो सरकार देश में दमन कर रही है और मुझको उसका उत्तरदायी बतलाती है वह अनुचित है।" वाएसराय ने उसके उत्तर में अपने आरोपो की सम्पुष्टि की। किन्तु महात्मा जी का कहना था कि

"इसकी उत्तरदायी सरकार थी, क्योकि सत्याग्रह बिना वाएसराय को पत्र लिखे आरम्भ न होता। किन्तु सरकार ने वार्तालाप का कोई अवसर न देकर सारे देश में गिरफ्तारिया कर ली। बिना नेताओ की जनता इसके अतिरिक्त और कर ही क्या सकती थी ?" किन्तु वाएसराय की सम्मति में उससे परिवर्तन होता न देख कर महात्मा गाधी ने आत्म शुद्धि के लिए २१ दिन के उपवास की घोषणा की।

जैसा कि पीछे बतलाया गया है महात्मा गाधी इन दिनो आगाखा महल पूना में नजरबन्द थे। अतएव उपवास वही किया गया, जो १० फरवरी १९४३ से आरम्भ होकर २१ दिन तक चला।

इन दिनो दिल्ली में सभी दलो के नेताओ की बैठक हुई। उन्होने सरकार से अनुरोध किया कि वह महात्मा गाधी को छोड दे। किन्तु सरकार इन दिनो इतनी निष्ठुर हो गई थी कि वह महात्मा गाधी को मर जाने देने को तैयार थी। वाएसराय की कार्यकारिणी में भी यह मामला उठाया गया। किन्तु लार्ड लिनलिथगो टस से मस न हुए। इसके प्रतिवाद स्वरूप वाएसराय की कार्यकारिणी के निम्न तीन सदस्यो ने त्यागपत्र दे दिए—लोकनायक बापू जी अणे, सर नलिनी रजन सरकार तथा सर होमी मोदी। महात्माजी के उपवास के कारण १९४२ के अत्याचारो की झाकी शेष ससार को मिल गई, किन्तु उपवास समाप्त होते ही फिर सब कुछ ठण्डा हो गया।

बगाल का अकाल—जिन दिनो काग्रेस जेल में थी उन्ही दिनो बगाल में भीषण अकाल पडा। यह अकाल इतना भयकर था कि उसमें लाखो स्त्री, पुरुष और बच्चे मक्खियो और मच्छरो की तरह भूख से तडप-तडप कर मर गए। सरकार ने आरम्भ में इस घटना को छिपाने का यत्न किया, किन्तु एक एग्लो इण्डियन पत्र ने भाण्डा फोड दिया। अन्त में इस अकाल के लिए भारत सरकार को सामान्य रूप से और बगाल सरकार को विशेष रूप से सारे ससार के सामने नीचा देखना पडा। इग्लैण्ड तथा अमरीका में सभी जगह इसके कारण ब्रिटिश सरकार को लज्जित होना पडा।

महात्मा गाधी को ६ मई १९४५ को जेल से छोड दिया गया। इस समय महात्मा गाधी भयकर रूप से बीमार थे और सरकार उनको बीमारी के कारण जेल में मरने देना नही चाहती थी। अतएव उसने उनको जेल से छोड दिया।

अध्याय ८

समझौते के प्रयत्न

महात्मा गाधी ने बीमारी से अच्छा होने पर १७ जून १९४५ को वाएसराय को पत्र लिख कर अपने साथी काग्रेस कार्य समिति के सदस्यो से मिलने की अनुमति मागी। किन्तु वाएसराय ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार नही किया। इसके पश्चात् महात्मा गाधी ने एक इगलिश पत्रकार से भेंट करते हुए यह कहा कि "१९४५ का वर्ष १९४२ नही है। अतएव उनकी इच्छा सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ करने की नही है। आज १९४२ की 'अंग्रेज चले जाओ' माग को भी नही दुहराया जा सकता। यदि आज केन्द्र में पूर्ण सत्तावाली राष्ट्रीय सरकार बन जाती है तो मैं सन्तुष्ट हो जाऊँगा। ऐसी सरकार केन्द्रीय असेम्बली के चुने हुए सदस्यो मे से बनाई जाए। यह एक प्रकार से भारत को स्वतन्त्र करने जैसा कार्य होगा। उसमें वाएसराय इगलैण्ड के राजा जैसा वैधानिक शासक मात्र होगा। ऐसा होने पर प्रान्तो में भी लोकप्रिय मन्त्रियो की सरकारें बना ली जाएगी। रक्षा मत्री लोकप्रिय मत्री होगा। किन्तु प्रधान सेनापति तथा वाएसराय का युद्ध कार्यों पर पूर्ण नियत्रण होगा।"

महात्मा गाधी ने इस भेंट का उल्लेख करते हुए वाएसराय को भी एक पत्र लिखा। वाएसराय ने महात्मा जी के इन प्रस्तावों को भी अस्वीकार कर दिया। उनका कहना था कि (१) युद्ध काल मे वैधानिक परिवर्तन नही किया जा सकता। (२) भारत के सम्पूर्ण शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार और गवर्नर जनरल के हाथों में ही रहना चाहिए तथा (३) यदि कोई परिवर्तन होना भी है तो वह हिन्दू मुसलमानो की सहमति से ही होगा।

महात्मा जी की जिना से भेंट—महात्मा गाधी के उपवास के दिनो में श्री राजगोपालाचारी ने उनको अपनी हिन्दू-मुस्लिम समस्या की योजना दिखलाई थी। महात्मा गाधी ने उस समय उसको पसद कर लिया था। जेल से छूटने के बाद महात्मा गाधी ने जिना को पत्र लिख कर उससे मिलने का समय मागा। महात्मा गाधी तथा जिना की यह भेंट बम्बई में हुई। यह वार्तालाप ९ सितम्बर १९४५ से लेकर २७ सितम्बर तक चला। किंतु जिना ने श्री राजगोपालाचारी की योजना को पसद नही किया। फलत यह वार्तालाप इतने दिन चल कर भी असफल हो गया।

गाधीजी की पाकिस्तान के विषय में क्या राय थी, इस सम्बन्ध में बहुत गलतफहमी है। गाधीजी बहुत उदार थे। वह जिना को सन्तुष्ट करने को बहुत कुछ सीमा तक जाने को तैयार थे। यह समझकर वायसराय लार्ड

वावेल ने जुलाई, १९४५ में इगलैण्ड को लिखा कि 'सत्ता परिवर्तन' की तैयारी की जाये। इसमें समझौता होने की गुजायश है।" इस समय इगलैण्ड में मजदूर दल की सरकार बन चुकी थी। गाधी जी के अभिप्राय को जानकर तथा उनकी उदार वृत्ति को समझते हुय जिना ने अपनी माग को उत्तरोत्तर बढाते हुये कहा कि 'गाधीजी तो दीमक लगा पाकिस्तान देना चाहते हैं।'

जैसा कि पीछे बतलाया जा चुका है सरदार पटेल इस समय ९ अगस्त १९४२ से अहमदनगर किले मे नजरबन्द थे। महात्मा जी के छोड दिये जाने पर सरदार का उनसे बराबर सम्पर्क बना रहा।

महात्मा गाधी से सम्पर्क बनाये रखने के अतिरिक्त सरदार पटेल जेल में रहते हुए अन्तर्राष्ट्रीय घटना चक्र की न केवल यथावत् जानकारी रखते थे, वरन् उसका गम्भीर अध्ययन भी करते रहते थे। उनका यह अध्ययन पुस्तकों के अतिरिक्त निजी पत्र-व्यवहार द्वारा भी चलता रहता था। जो पत्र वह लिखते थे वह सैंसर होने पर भी कई बार ऐसी साकेतिक भाषा में होते थे कि उनका भारत के तत्कालीन राजनीति मे पूर्ण परामर्श होते हुए भी सैंसर अधिकारी उससे वह तत्व नहीं निकाल पाते थे।

इस प्रकार के विचार-विमर्श तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के अध्ययन के फलस्वरूप सरदार को जेल में रहते हुए भी इस बात का विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश सरकार अनिवार्य स्थिति के सामने सिर झुकाने को तैयार है और भारत छोडने की उसकी इच्छा वास्तविक थी। अतएव सरदार इस समय सरकार के साथ किसी प्रकार के सघर्ष की आवश्यक्ता नहीं मानते थे। किन्तु उनका यह भी विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार के साथ युद्ध समाप्त होने पर साम्प्रदायिक तत्वो के साथ सघर्ष अवश्यम्भावी है।

शिमला सम्मेलन—१४ जून १९४५ को वायसराय ने अपने एक ब्राडकास्ट भाषण मे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कुछ नए प्रस्ताव किए। उनका प्रस्ताव यह था कि अखिल भारतीय तथा प्रान्तीय राजनीति के कुछ नेताओ को शिमला बुला कर उनके साथ वायसराय की कार्यकारिणी का अधिक प्रतिनिधिपूर्ण ढग पर पुनर्निर्माण करने के उद्देश्य से वार्तालाप किया जाए। उनका प्रस्ताव था कि वायसराय की कार्यकारिणी में हिन्दुओ तथा मुसलमानों को बराबर-बराबर स्थान दिए जाए। उसमे वायसराय तथा प्रधान सेनापति के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय हो। वैदेशिक विभाग का कार्य भी—जो अब तक स्वय वाएसराय करता था—भारतीय सदस्य को दे दिया जाएगा। समिति वर्तमान विधान के आधीन ही कार्य करे। वाएसराय केवल वैधानिक प्रमुख बना रहे। समिति के मुख्य कार्य यह होंगे—(क) जापान के विरुद्ध युद्ध का सचालन, (ख) जब तक नया

विधान बन कर पास न हो जाए वर्तमान भारत सरकार के काम को चलाना, (ग) एव सर्वसम्मत हल ढढने का यत्न करते रहना।"

वाएसराय ने अपने ब्राडकास्ट भाषण में यह भी कहा कि काग्रेस कार्य समिति के सदस्यो को जेल से छोड देने की आज्ञा दी जा चुकी है। तदनुसार सरदार वल्लभभाई पटेल तथा काग्रेस कार्य समिति के अन्य सब सदस्य १५ जून १९४५ को जेल से छोड दिए गए।

नेताओ के छूटने से देश में व्यापक रूप से प्रसन्नता का साम्राज्य छा गया। काग्रेस अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने छूटते ही काग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई। यह मीटिंग २१ तथा २२ जून को बम्बई में हुई। यह बैठक तीन वर्ष बाद हुई थी। कमेटी को यह निर्णय करना था कि वह वाएसराय द्वारा शिमला में २५ जून १९४५ को बुलाए हुए सम्मेलन में भाग ले या न ले। कार्य समिति के सामने इस सम्बन्ध में भारत मन्त्री के वक्तव्य के अतिरिक्त वह पत्र व्यवहार भी रखा गया, जो महात्मा गाधी तथा वाएसराय मे ब्राडकास्ट भाषण के कुछ अशो के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध म हुआ था। कार्य समिति ने निर्णय किया कि शिमला सम्मेलन में भाग लिया जावे।

उक्त सम्मेलन शिमले मे २५ से २८ जून तक हुआ। अतएव इस सम्मेलन में सरदार पटेल ने भी भाग लिया। इसमें काग्रेस तथा मुस्लिम लीग में समझौता करने का यत्न किया गया, जो कि असफल हुआ।

अत में यह सम्मेलन २८ जून को १५ दिन के लिए स्थगित कर दिया गया, जिससे काग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य दल वाले वाएसराय की कार्यकारिणी के लिए अपने अपने नाम दे सके।

शिमला का स्थगित सम्मेलन १४ जुलाई से फिर आरम्भ हुआ। वाएसराय ने उसमें सम्मेलन की विफलता स्वीकार कर ली। काग्रेस ने अपने द्वारा दिए हुए नामो में सभी दलो के नाम दिए थे। मुस्लिम लीग ने कोई नाम नही दिए। वाएसराय ने इस पर सम्मेलन को अनिश्चित काल के लिए भग कर दिया।

जुलाई १९४५ में इगलैण्ड में मिस्टर ऐटली की मजदूर दली सरकार बनी। १४ अगस्त १९४५ को जापान के आत्मसमर्पण कर देने पर मिस्टर ऐटली ने भारतीय समस्या की ओर भी ध्यान दिया। वास्तव में ब्रिटेन का मजदूर दल भारत को आत्मनिर्णय का अधिकार देने के लिये वचनबद्ध था। इसलिये उसके नेता मिस्टर क्लेमेंट ऐटली भारत के लिए कुछ करने के लिये उत्सुक थे। राजनीतिक क्षेत्रो में यह समझा जाता है कि यदि ब्रिटेन में उस समय मजदूर दल की सरकार न बनती तो भारत इतनी सुगमता से स्वतन्त्र नही हो सकता था।

बम्बई में कांग्रेस महासमिति की बैठक—कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक सितम्बर १९४५ में पूना में की गई। उसके पश्चात् अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बम्बई में की गई। इस बैठक में (१) १९४२ के आन्दोलन और उसके परिणाम, (२) कांग्रेस की नीति, (३) वैधानिक परिवर्तन, (४) आजाद हिन्द फौज, (५) ब्रिटिश सरकार के नए प्रस्ताव तथा (६) निर्वाचनों के सम्बन्ध में विचार किया गया।

कमेटी ने सरदार पटेल के प्रस्ताव पर १९४२ के आन्दोलन के लिए राष्ट्र को बधाई दी। कांग्रेस की नीति अब भी शान्तिमय उपायों से पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करना रखी गई। समिति ने कांग्रेस विधान में परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए एक उपसमिति बना दी।

आजाद हिन्द फौज—इस समय देश के सामने आजाद हिन्द फौज का मामला अत्यन्त प्रमुखता लिए हुए था। इसको मलाया तथा बर्मा में सुभाषचन्द्र बोस द्वारा बनाया गया था। इस समय उसके अनेक अफसर पुरुष और स्त्रियां भारत की विभिन्न जेलों में मुकदमा चलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ को तो उनसे सहानुभूति रखने के कारण दिल्ली के लाल किले के तहखानों में रखा गया था। इस सेना ने अपने आदर्शों तथा परिस्थितियों के अनुसार भारतीय स्वतन्त्रता के लिए युद्ध किया था। देश में उसके लिए सर्वत्र सहानुभूति तथा प्रशंसा की भावना थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव द्वारा उन को छोड देने की मांग की। कांग्रेस कार्य-समिति ने आजाद हिन्द फौज के ऊपर चलने वाले मुकदमों की पैरवी के लिए एक रक्षा समिति भी बनाई। इस कमेटी के यत्न से आजाद हिन्द फौज का सच्चा इतिहास जनता के सामने आ गया और लाल किले के मुकदमे में कर्नल शाहनवाज, ढिल्लन और सहगल छूट गए।

जिन दिनों कार्यसमिति की बैठक हो रही थी, वाएसराय लार्ड वावेल तथा ब्रिटिश प्रधान मन्त्री श्री ऐटली ने १९ सितम्बर १९४५ के अपने ब्राडकास्ट भाषण में भारतीय समस्या को हल करने के लिए कुछ और प्रस्ताव उपस्थित किए। उन्होंने क्रिप्स द्वारा १९४२ में उपस्थित किए हुए प्रस्तावों को ही कुछ परिवर्तन के साथ उपस्थित किया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि भारत की केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारा सभाओं के नए निर्वाचन अविलम्ब किए जाएंगे। कार्यसमिति ने इन प्रस्तावों को अस्पष्ट, अपर्याप्त तथा असन्तोषजनक मानते हुए भी नए निर्वाचनों में भाग लेने का निश्चय किया। उसने उम्मीदवारों का निर्वाचन करने के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय निर्वाचन कमेटी भी बनाई। इसके सदस्य मौलाना अबुल कलाम आजाद, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, गोविन्दवल्लभ

पन्त, आसफअली, पट्टाभि सीतारमैया तथा शंकरराव देव को बनाया गया। कांग्रेस का चुनाव घोषणापत्र निकालने का निर्णय भी किया गया।

भारत के स्वतन्त्र होने पर सरदार ने बम्बई के फिल्म निर्माताओं की सहायता से आजाद हिन्द फौज के कार्य कलाप की एक फिल्म बनवाई। इस फिल्म से कई लाख रुपये की आय हुई, जिसका उपयोग सरदार ने आजाद हिन्द फौज के बेरोजगार सैनिकों तथा उनके कुटुम्बियों की सहायता में किया। यद्यपि १९३९ में त्रिपुरी कांग्रेस के अवसर पर श्री सुभाषचन्द्र बोस तथा उनके साथियों ने सरदार पटेल का व्यापक रूप में विरोध किया था, किन्तु सरदार ने इन सब बातों पर ध्यान न देकर श्री बोस की आजाद हिन्द फौज की पूर्ण सहायता की।

कम्युनिस्टों का निष्कासन—कार्यसमिति की बैठक इसके पश्चात् अक्तूबर १९४५ में कलकत्ता में की गई। इसमें कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र को अंतिम रूप दिया गया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के विषय में भी कार्यसमिति को तय करना था। जब सारा देश युद्ध का बहिष्कार कर जेल आदि की यंत्रणा भोग रहा था तो कम्युनिस्ट लोग युद्ध को लोकयुद्ध बतलाकर पाकिस्तान का प्रचार कर रहे थे। महात्मा गांधी ने उनके सम्बन्ध में भूलाभाई देसाई को एक रिपोर्ट देने को कहा। भूलाभाई देसाई की रिपोर्ट कार्यसमिति के पूना अधिवेशन में उपस्थित की गई थी। उसने उस समय उसके ऊपर विचार करने को एक और समिति बनाई, जिसके सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त निश्चित किए गए थे। इस उपसमिति में कम्युनिस्टों के सम्बन्ध में सरदार पटेल तथा पं० नेहरू का मतभेद स्पष्ट रूप से देखने में आया। सरदार पटेल गांधी जी के समान कम्युनिस्ट विचार धारा के इसलिये विरुद्ध थे कि उनकी कार्यप्रणाली में हिंसा का समावेश रहता था और उनको निर्देश विदेशों से मिलते थे। किन्तु पं० नेहरू के हृदय में कम्युनिस्टों के लिये कोमल भावना थी। अन्त में बहुत कुछ विचार विमर्श के पश्चात् इस समिति ने भी कम्युनिस्टों के विरुद्ध ही रिपोर्ट दी। यह रिपोर्ट कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधानमन्त्री को भेज दी गई, जिसने उसका उत्तर २७ नवम्बर को दिया। उपसमिति को इस उत्तर से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कार्यसमिति के सम्मुख प्रस्ताव किया कि कम्युनिस्टों को कांग्रेस के सभी निर्वाचित पदों से हटा दिया जाए। कार्य समिति ने उपसमिति के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कम्युनिस्टों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों सभी की सदस्यता से हटा दिया गया।

कार्य समिति की इस बैठक में आजाद हिन्द फौज का मामला भी दुबारा उपस्थित किया गया। कार्यसमिति ने एक उपसमिति आजाद हिन्द फौज के कष्टों

की जाच करके उनको दूर करने के लिए बना दी। कमेटी को यह भी कार्य दिया गया कि वह आजाद हिन्द फौज के उन सैनिको के कुटुम्बियो का पता भी लगाए, जो युद्ध में मारे जा चुके थे। इस कमेटी का अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल को बनाया गया। आजाद हिन्द फौज के मुकदमो तथा उनके कुटुम्बियों की सहायता के लिए देश ने दिल खोल कर दान दिया।

इसके पश्चात् काग्रेस कार्य समिति की बैठक मार्च १९४६ में बम्बई में की गई। इसमें अन्न तथा वस्त्र के अभाव की समस्या पर विचार करके एक लम्बा प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

भारतीय नौसेनाओ में विद्रोह—सन् १९४६ के आरम्भ में राष्ट्रीय असतोष की ज्वाला सेनाओ में भी पहुँच गई। उनको शिकायत थी कि उनके साथ ब्रिटिश सेनाओ की अपेक्षा बुरा व्यवहार किया जाता है। अतएव ३०० नौसैनिको ने विद्रोह कर दिया। इन्होंने अपने अग्रेज अफसरों को खदेड कर २० जगी जहाजो पर अधिकार कर लिया। उनकी सहानुभूति में कराची, मद्रास तथा कलकत्ते के नौसेनिकों ने भी हडताल कर दी। २१ फरवरी १९४६ को शाही वायुसेना के वायुसैनिकों ने भी हडताल कर दी।

इस विषम स्थिति में इस आपत्ति से सरकार की रक्षा सरदार पटेल ने की। उन्होंने विद्रोहियो से अपील की कि वह अपने झगडो को शान्तिपूर्वक वार्तालाप द्वारा सुल्झा लें। उन्होंने बम्बई के कारखाना मजदूरो से अनुरोध किया कि वह सेनाओ की सहानुभूति में हडताल न करें। मजदूरो ने सरदार की बात मान कर हडताल करने का विचार त्याग दिया। विद्रोहियो के नेताओ ने व्यक्तिगत रूप में सरदार से परामर्श किया। इसके फलस्वरूप सरदार के निवासस्थान—मैरिन ड्राइव—पर कई बार गरमागरम वाद विवाद हुए। सरदार ने उनसे स्पष्ट रूप से कह दिया कि शिकायतें दूर करवाने की उनकी शैली विवेकपूर्ण नही थी। सरदार ने उनको चेतावनी दी कि वह इस प्रकार सफल नही हो सकते। सरदार ने उनको आश्वासन दिया कि काग्रेस की उनके साथ सहानुभूति है। विभेदात्मक व्यवहार बन्द होना चाहिए और काग्रेस उनके मामले का समर्थन करेगी। किन्तु उनको बिना शर्त आत्मसमर्पण करना चाहिए और काग्रेस पर न्याय प्राप्त करने का विश्वास करना चाहिए। सरदार ने उनको आश्वासन दिया कि वह अपनी शक्ति भर उनको दण्ड नही मिलने देंगे। विद्रोहियो ने सरदार पर विश्वास करके २३ फरवरी १९४६ को आत्म समर्पण कर दिया।

वायु सेना तथा जलसेना के विद्रोह के समय ब्रिटिश सरकार का एक ससदीय प्रतिनिधिमण्डल भारत का दौरा कर रहा था। महात्मा गाधी के अत्यन्त विश्वासी श्री सुधीर घोष को उसके साथ रह कर यह अवसर मिला था कि वह उसे भारत

को यथार्थ स्थिति का ज्ञान करा दें। उसने आजाद हिन्द फौज के मुकदमे के सम्बन्ध में उनके विषय में देश की व्यापक सहानुभूति को भी देखा था। फरवरी १९४६ में लन्दन लौटने पर उन्होने प्रधान मन्त्री ऐटली से अनुरोध किया कि वह भारतीय गतिरोध को दूर करें।

सरदार पटेल के ट्रेड यूनियन कार्य

सरदार पटेल अहमदाबाद पोस्टल एम्पलाईज़ यूनियन और बी बी एण्ड सी आई आर रेलवे के कर्मचारियों के यूनियन के चैयरमैन थे। जब से वह सन् १९१७-१८ में सार्वजनिक क्षेत्र में आये उन्होने ये दो यूनियनें बनाईं और उनके चेयरमैन रहे। एक बार उन्होने पोस्टल यूनियन की ओर से सरकार को हडताल का नोटिस दिया था। सरदार सदा जो भी काम किया करते थे उसको पूरा अवश्य किया करते थे। सरदार ने पोस्टमैनो के यूनियन और उनके कष्टो का मामला सरकार के सम्मुख उपस्थित किया। जब उनकी बात पर कोई ध्यान नही दिया गया तो उन्होने हडताल करने का नोटिस दे दिया। इसके पश्चात् उन्होने सार्टरो की हडताल का नोटिश दिया। सरदार ने फिर दुबारा एक १५ दिन का भी नोटिस दिया। उन दिनों विलायत की डाक हवाई जहाज से नही जाती थी। विलायत से जो डाक आया करती थी वह प्रथम जहाज द्वारा बम्बई बन्दरगाह पर आया करती थी। रेल की पटरी जहाज के घाट तक बिछाई गई थी। फ्रटीयर मेल वहा पहले से खडा रहता था। अतएव जहाज के यात्री तथा बम्बई के अतिरिक्त शेष भारत की सारी विलायती डाक जहाज से फ्रंटीयर मेल में लाई जाती थी। जब फ्रंटीयर मेल बम्बई से दिल्ली को चलता था तो सार्टर लोग उस चलती गाडी में डाक छाट कर उसमें से वाएसराय आदि की सरकारी डाक को अलग किया करते थे। जब सरकार ने देखा कि यदि हडताल हो गई तो उसकी डाक का सब कार्य ठप्प हो जायेगा तो वह घबरा गई। उस समय पोस्टल यूनियन के सेक्रेटरी श्री मणीलाल कोठारी थे। वह सर्वत्र घूम घूम कर लोगो को प्रोत्साहित करते रहते थे।

अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन मे भी सरदार का बहुत बडा हाथ था। इस यूनियन की स्थापना गाधी जी ने की थी। इस यूनियन ने केवल एक बार ही हडताल की। जब यूनियन ने मिल मालिको को हडताल का नोटिस दिया तो मिल मालिका ने पहले तो मालवीय जी को अपना पच मान लिया और यह वचन दिया कि जो कुछ वह फैसला करेंगे वह मान लेंगे। किन्तु पच नामा हो जाने के बाद वह लोग अपनी बात से पीछे हट गये। इस पर महात्मा जी ने मिल मालिका के विरुद्ध २१ दिन का उपवास किया और कहा कि मिल मालिको को अपना वचन पूरा करना चाहिए।

मिलो की हडताल के दिनो में सरदार पटेल अहमदाबाद म्यूनिसिपिलीटी के चैयरमैन थे। उन्होने हडताली मजदूरो को सम्मति दी कि या तो वह लोग अपने अपने गावो में वापिस चले जावें और वहाँ अपनी खेती बाडी आदि के कुछ भी कार्य करें, किन्तु जो मजदूर गावा में न जाना चाहे उनके लिए सरदार ने विशेष सहायता का प्रवन्ध किया। उन्हाने कार्पोरेशन में सडक बनान आदि के नय कार्य विशप रूप से निकाल कर उन कामो पर हडतालियो को लगा कर उनकी सहायता की। इस प्रकार हडताली मजदूरो में साहस बढा और उन्होंन सरदार के कहने के अनुसार कार्य किया।

सन् १९४६ में जब सरकार ने गाधी जी तथा काग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्यो को जेल से छोडा तो पोस्टल कर्मचारियों की यूनियन के सेक्रेटरी श्री बी जी डालवी थे। उन्होन सरकार को एक नोटिस हडताल का दिया। यद्यपि नोटिस १५ दिन का दिया गया था, किन्तु हडताल १५ दिन से पूर्व ही आरम्भ कर दी गई। उस समय पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ के डायरेक्टर जनरल कृष्ण प्रसाद थे। वाएसराय लार्ड वावेल ने उनके द्वारा मिस्टर जिना से हडताल तुडवाने में सहायता मागी। किन्तु उन्होंने इसमें अपनी असमर्थता प्रकट की। श्री जिना से निराश होकर वायसराय ने श्री कृष्ण प्रसाद को गाधी जी के पास भेजा। गाधी जी ने कहा कि यद्यपि हमारा सरकार के साथ असहयोग है, किन्तु इस हडताल के कारण सारी जनता कष्ट में है। अतएव इस हडताल को रुकवाना ही चाहिए। कृष्ण प्रसाद ने गाधी जी से यह भेंट श्री मगलदास पकवासा के द्वारा की थी। गाधी जी ने अपना सदेश देकर कृष्ण प्रसाद को सरदार पटेल के पास भजा। उस समय सरदार पटेल बम्बई में बीमार पडे हुए थे। फिर भी उन्हाने कृष्ण प्रसाद का सदेश पाकर उन्हें अपने पास बलवाया। कृष्णप्रसाद वहा लगभग १० दिन ठहरे और सरदार के पास प्रति दिन कई कई वार जाते रहे। इस बीच उनका जो वार्तालाप हुआ करता था, वह उसकी पूरी रिपोर्ट सरकार को भेजा करते थ। सरदार ने श्री डालवी को भी बुलवाया और उनसे कहा कि यदि हडताल हुई तो न केवल सरकार को ही, वरन् हमारी अपनी जनता को भी असुविधा का सामना करना पडेगा। इसलिए हडताल समाप्त कर देनी चाहिए।

यह हडताल क्रमश पोस्ट आफिस के सभी विभागो में हुई। अर्थात् एक वार पोस्टमैनो की, दुबारा क्लर्कों की, तिबारा सार्टरो आदि की हडताल हुई और सरकार का सारा काम ठप्प हो गया।

सरदार ने हडताल तुडवाने के अलावा कर्मचारियो के कष्टो को दूर करन का भी प्रयत्न किया, जिससे अन्त म वह हडताल तोडने को मान गये। सरदार ने

उनको स्पष्ट सम्मति दी कि उनकी हड़ताल से उनके अपने देशवासियो की हानि होगी। अत उनको हड़ताल में नही पडना चाहिए।

उपरोक्त घटनाओ का विवरण प्राप्त करने के लिए जब इन पक्तियो का लेखक श्री कृष्ण प्रसाद से मिला तो उनसे निम्नलिखित विवरण भी मिला।

महात्मा गाधी के नाम से स्टाम्प बनाई गई तो उसके बारे मे फोटोग्राफ का चुनाव किया गया, जिससे उसे छापा जावे। इस कार्य को पूरा करने में सरदार ने बहुत दिलचस्पी ली। उन्होंने उसमें पूर्ण सहयोग देते हुए अपनी ओर से सब कार्य किया और इस प्रकार यह स्टाम्प का कार्य पूरा हुआ।

कैबीनेट मिशन—भारत मत्री लार्ड पैथिक लारेंस ने ब्रिटिश लोक सभा में घोषणा की कि ब्रिटिश मत्रीमण्डल ने भारत के वैधानिक गति अवरोध को दूर करने के लिए भारत को ब्रिटिश मत्री मण्डल का एक प्रतिनिधि मण्डल भेजने का निर्णय किया है। तदनुसार सर स्टाफोर्ड क्रिप्स, मिस्टर ए० वी० अलेग्जेंडर और स्वय भारत मत्री लार्ड पैथिक लारेंस कैबीनेट मिशन के तीनो सदस्य भारत २३ मार्च १९४६ को आए। उन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध साम्प्रदायिक तथा राजनीतिक दलो के नेताओ से आते ही भेंट करना आरम्भ कर दिया। मिशन का प्रस्ताव था कि केन्द्र में एक सघ सरकार स्थापित की जाए। कैबीनेट मिशन के सदस्यो ने वाएसराय से कहा कि भारत के किसी भी नेता से मिलने से पूर्व वह गाधीजी से मिलना चाहते है। किन्तु गाधीजी उस समय पूना से ३० मील दूर उरुली कचन नामक गाव में थे। अतएव वाएसराय ने एक विशेष विमान में श्री सुधीर घोष को गाधीजी को लाने के लिये पूना भेजा। महात्माजी को वहा से दिल्ली लाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन का प्रबन्ध भी किया गया। गाधीजी दिल्ली में २६ मार्च को आकर भगी कोलोनी में ठहरे। कैबीनेट मिशन के तीनो सदस्य न० २ वेलिंगडन क्रेसेंट मे ठहरे हुए थे। उन्होंने उसी दिन सायकाल के समय अपने निवास स्थान पर महात्मा गाधी से भेंट की।

काग्रेस कार्य समिति ने कैबिनेट मिशन तथा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियो से शिमला में वार्त्ता करने का कार्य काग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, पडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल तथा खान अब्दुल गफ्फार खाँ को सौंपा। कैबीनेट मिशन भारत विभाजन के विरुद्ध था।

यह कांफ्रेंस शिमला में ५ मई १९४६ को आरम्भ हुई। किन्तु उसमें कोई सफलता दिखलाई न देने से कैबीनेट मिशन शिमला से दिल्ली आ गया।

कैबीनेट मिशन के तीनो मत्रियो ने २३ मार्च से लेकर १६ मई तक लगभग ५० दिन तक भेंट की। वह चाहते थे कि भारतीय नेता आपस में परामर्श करके

कुछ निर्णय कर लें। अत में उनके किसी निर्णय पर न पहुचने पर १६ मई को मिशन ने एक वक्तव्य निकाल कर अपने निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित किए—

(१) ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यो को मिला कर एक भारतीय सघ का निर्माण किया जावे, जिसके हाथ में विदेशी मामले, रक्षा तथा आवागमन के साधन हो। उसको इन विभागा का व्यय निकालने के लिए कर लगाने का भी अधिकार हो ।

(२) सघ की एक कार्यकारिणी तथा एक धारा सभा हो, जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्य दोनो के प्रतिनिधि हो ।

(३) शेष सभी विषय प्रान्तीय विषय हा ।

(४) प्रान्तो को अपने गुट या वर्ग बनाने का अधिकार होगा । वह चाहें तो अपने वर्ग की सरकार तथा धारा सभा भी बना सकेगे ।

(५) दस वर्ष बाद इस विधान पर दुबारा विचार किया जा सकेगा ।

(६) सविधान परिषद् का निर्वाचन प्रान्तीय धारा सभाओ के नवनिर्वाचित सदस्य इस प्रकार करेंगे कि सविधान परिषद् में १० लाख जनसख्या का एक प्रतिनिधि होगा । प्रान्तो के प्रतिनिधियो की सख्या उनकी जनसख्या के अनुसार होगी । प्रत्येक सम्प्रदाय के सदस्य अपने ही सम्प्रदायो का चुनाव करेंगे ।

(७) इन प्रस्तावों के लिए हिन्दू, मुसलमान तथा सिक्ख केवल यह तीन सम्प्रदाय ही स्वीकार किए जाएग ।

(८) मौलिक अधिकारो, अल्पसख्यको, आदिवासियो तथा परिगणित क्षेत्रों के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् उपसमितिया विचार करेंगी ।

(९) केन्द्र में अविलम्ब एक राष्ट्रीय अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी ।

काग्रेस अध्यक्ष ने इन प्रस्तावो पर विचार करने के लिए तुरन्त ही काग्रस कार्यसमिति की मीटिंग बुलाई । कार्यसमिति ने कई दिन तक विचार विनिमय करने के उपरान्त तय किया कि जब तक वह केन्द्र मे तुरन्त बनने वाली अस्थायी सरकार की रूपरेखा नही देख लेती, इस योजना के सम्बन्ध में कुछ नही कह सकती। इस सम्बन्ध मे सरदार अधिक आशान्वित नही थे। वह समझते थे कि इस योजना से भारत के टुकड टुकडे हो जावेगे। वह यह भी अनुभव करते थे कि यदि मुस्लिम लीग को अन्तर्कालीन सरकार के मुस्लिम सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया तो अन्तर्कालीन सरकार किसी प्रकार भी नहीं चल सकेगी। काग्रेस की योजना भारी भरकम थी। काग्रेस कार्यसमिति ने बगाल तथा आसाम में यूरोपियनो के प्रतिनिधित्व

पर भी आपत्ति की। कमेटी ने अपना कार्य २४ मई को समाप्त कर ९ जून को फिर बैठने का निर्णय किया। इस बार की बैठक २६ जून तक होती रही। इस बीच उसको कैबीनेट मिशन तथा वाएसराय से कई बार मिलने का अवसर मिला। यूरोपियनों के प्रतिनिधित्व पर अनेक प्रकार के प्रश्न सामने आये। इस बारे में यूरोपियनों के प्रतिनिधि गाधी जी, सरदार पटेल तथा अन्य नेताओ से मिलते रहे। सरदार पटेल ने उन्हे समझाया कि कि अब तक जो वह साम्राज्य की छत्रछाया के नीचे अपना व्यापार बढाते रहे उसका समय निकल गया और शासक जाति के विशेष प्रतिनिधि के रूप में उनके विशेषाधिकार भविष्य में जारी नही रह सकते। इस बात को स्वीकार करके यूरोपियनो ने घोषणा की कि वह अपनी ओर से सविधान परिषद् के लिए कोई प्रतिनिधि नही चुनेंगे। वाएसराय ने यह भी आश्वासन दिया कि अन्तरिम सरकार के सदस्यो को शासन कार्य में मन्त्रियो जैसी ही स्वतन्त्रता होगी और उनके दैनिक कार्यों में कोई हस्तक्षेप नही किया जाएगा। वाएसराय ने अपनी कार्यकारिणी के नामो की भी घोषणा कर दी। श्री जिना ने मत्रीमण्डल मिशन की योजना को इसलिये स्वीकार किया था कि उसे विश्वास था कि काग्रेस उसे अस्वीकार करेगी, अतएव शासनतन्त्र उसके हाथ में होगा। सरदार ने इसी घटना से इस वार्त्तालाप में अग्रिम भाग लेना आरम्भ किया, क्योकि वह जिना की नीयत को समझ गये थे, जिसे काग्रेस में कोई नहीं समझ सका।

भारतीय नेताओ के साथ मत्रीमडल के तीनो सदस्यो को इतना अधिक वार्तालाप करना पडा कि वह बहुत थक जाते थे। सर स्टाफोर्ड क्रिप्स तो एक बार इतने अधिक बीमार हो गए कि उनकी पत्नी को लदन से दिल्ली आना पडा। फिर भी उनके प्रयत्न का कोई परिणाम न निकला। अत में लार्ड पैथिक लारेंस का सरदार पटेल का ध्यान आया। वह जानते थे कि जहा भारत के अन्य नेता किसी निश्चय पर पहुचने में विलम्ब करके भी उससे फिसल जाते थे, सरदार पटेल दृढ निश्चय वाले थे। लार्ड पेथिक लारेंस क्वेकरो की एक मीटिंग में प्रति रविवार को पार्लमेंट स्ट्रीट वाले वाई डब्ल्यू सी ए हाल के एक कमरे में जाया करते थे। उसमें सुधीर घोष को लेकर महात्मा गाधी भी आया करते थे। लार्ड पथिक लारेंस ने २३ जून की मीटिंग के बाद सुधीर घोष से सरदार पटेल को मिलाने को कहा, जो उन दिनो बिरला भवन में ठहरे हुए थे। किन्तु बिरला भवन जाने पर उनको पता चला कि वह महात्मा गाधी से मिलने भगी कोलोनी गए हुए हैं। जब वह दोना भगी कोलोनी जा रहे थे तो सरदार पटेल गोल डाकखाने के पास गिरजाघर के सामने उधर से लौटते हुए मिल गए। उन्होने उनकी मोटर रोक कर उनसे बातचीत करने की इच्छा प्रकट की। इस पर वह तथा मणिबेन उनकी मोटर में बैठ कर न० २ वेलिंगडन क्रेसट गए, जहा उनका वार्तालाप तीना मन्त्रियो से दिल खोल कर हुआ। उन्होने सरदार को समझाया कि यदि काग्रेस ने दीर्घकालीन योजना को स्वीकार

-कर लिया तो वह भारत के लिए विधान निर्मात्री परिषद् बना कर उसकी अमूल्य सेवा कर सकेगी। उन्होंने सरदार को यह भी आश्वासन दिया कि अतरिम सरकार के निर्माण की योजना को अभी छोडा जा सकता है। सरदार को उनका यह दृष्टिकोण पसद आ गया।

अगले दिन २४ जून को मिशन के तीनो मन्त्रियो, सरदार पटेल तथा सुधीर घोष ने भगी बस्ती में गाधीजी से इस विषय पर वार्तालाप किया। सोमवार का दिन होने के कारण यह वार्तालाप लिख कर हुआ, जिसकी सारी चिटें श्रीसुधीर घोष के पास अब भी हैं। इस योजना को महात्मा जी ने भी पसद कर लिया।

तारीख २५ जून मगलवार को वाएसराय भवन में इस विषय पर सरकारी तौर से मीटिंग की गई। इसमें तीनो मन्त्रियो ने सरदार पटेल को विशेष रूप से बुलाया। इस वार्तालाप के फलस्वरूप सरदार पटेल सहित काग्रेस कार्यसमिति ने २६ जून को बहुत कुछ सोच विचार के बाद १६ जून १९४६ के प्रस्तावो को अस्वीकार कर दिया। कार्यसमिति ने अस्थायी सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार करके भी सविधान परिषद् के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लगभग तीन मास के वादविवाद के पश्चात् यह मामला समाप्त हुआ। मुस्लिम लीग ने सारी योजना का स्वीकार करके अन्तरिम सरकार बनाने की अनुमति मागी, किन्तु वाएसराय ने अकेली मुस्लिम लीग को उत्तरदायित्व देने से इन्कार कर दिया।

केबीनेट मिशन के तीनो सदस्य इगलैण्ड जाते समय महात्माजी की अनुमति से श्री सुधीर घोष को भी अपने साथ लदन ले गए। वह वहा जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर तीन महीने तक रह कर उनके साथ बराबर परामर्श करते रहे। ब्रिटिश सरकार की ३ सितम्बर की घोषणा में उनका भी कम परिश्रम नही था।

श्री सुधीर घोष की यह विशेषता थी कि उनका ब्रिटेन के सभी राजनैतिक नेताओ से घनिष्ट परिचय था। उनकी दूसरी विशेषता यह थी कि वह प्रत्येक बात को ध्यानपूर्वक सुन कर यथावत् स्मरण रखते थे और उसको उन्ही शब्दो में दुहरा सकते थे। गाधीजी, सरदार पटेल तथा कैबीनेट मिशन के साथ वार्त्तालाप में उनकी इस विशेषता की मुख्य भमिका रही।

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने जुलाई १९४६ में कार्यसमिति के निर्णय को २५ के विरुद्ध २०४ मत से स्वीकार किया।

काग्रेस के चुनाव—इस समय की काग्रेस छं वर्ष पूर्व चुनी गई थी। अत काग्रेस प्रतिनिधियो, काग्रेस महासमिति के सदस्यो तथा काग्रेस अध्यक्ष का नया चुनाव किया गया। २९ जुलाई १९४६ को पडित जवाहरलाल नेहरू काग्रेस

के नए अध्यक्ष चुने गए। पंडित नेहरू ने अपनी नई कांग्रेस कार्यसमिति बनाई। सरदार वल्लभभाई पटेल इसमें भी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बने रहे।

वर्धा की मीटिंग—नई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में ८ अगस्त से १३ अगस्त १९४६ तक हुई। इसमें तय किया गया कि कांग्रेस का आगामी अधिवेशन नवम्बर १९४६ में युक्त प्रान्त (वर्तमान उत्तरप्रदेश) में किया जावे।

कार्य समिति की ओर से सरदार पटेल ने सिक्खों से अपील की कि वह संविधान परिषद् का बहिष्कार न करे। सिक्ख पंथ ने कांग्रेस के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस नेताओं ने निश्चय कर लिया कि भारत का भावी रक्षा मन्त्री सरदार पटेल की पसन्द का ही होगा। सरदार ने यह विभाग बाद में अपनी देखरेख में सरदार बलदेवसिंह को दिया। कृष्णामेनन को उनके जीवन काल भर भारत सरकार का कोई कार्य नहीं दिया जा सका।

कांग्रेस ने श्रम समस्या पर विचार करके निश्चय किया कि इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान मजदूर सेवक संघ के सहयोग से कार्य किया जावे। इस सम्बन्ध में सरदार वल्लभभाई पटेल, श्री गुलजारीलाल नन्दा तथा पी. एच. पटवर्द्धन की एक उपसमिति बनाकर इस प्रस्ताव को कार्य रूप में परिणत करने को कहा गया।

इस बीच वाएसराय ने कांग्रेस अध्यक्ष के नाते नेहरू जी को केन्द्र में अस्थायी सरकार बनाने का निमन्त्रण १२ अगस्त १९४६ को दिया। कार्य समिति ने नेहरू जी को अधिकार दिया कि वह इस उद्देश्य के लिए वाएसराय के निमन्त्रण को स्वीकार कर लें। इस विषय में भावी कार्यवाही के लिए पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार वल्लभभाई पटेल तथा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद की एक उपसमिति भी बना दी गई। यद्यपि पं. नेहरू तथा सरदार पटेल का मतभेद इस उपसमिति में कई बार देखने में आया, किन्तु उन्होंने उसे उपसमिति के बाहर प्रकट नहीं होने दिया।

श्री ऐटली की मजदूर दली सरकार को यह विश्वास हो गया था कि भारत की स्वतन्त्रता की भावना को अब अधिक दिन तक नहीं दबाया जा सकेगा और शासनसत्ता का परिवर्तन करना ही होगा। इस। यही बेहतर है भारतीयों को शान्तिपूर्वक सत्ता का हस्तान्तरीकरण करके उसको सदभिलाषा प्राप्त की जावे, जिससे भारत के साथ ब्रिटेन के भविष्य में भी मधुर सम्बन्ध बने रह सकें।

अध्याय ९

नेहरू जी की अस्थायी राष्ट्रीय सरकार

नेहरू सरकार का निर्माण—पंडित नेहरू ने कार्य समिति की बैठक के बाद श्री जिना से बम्बई में भेंट कर उनको अस्थायी राष्ट्रीय सरकार में सम्मिलित होने का निमन्त्रण दिया। किन्तु जिना ने कहा कि वह केवल अपनी शर्तों पर ही पद ग्रहण कर सकते हैं। इसके पश्चात् पंडित नेहरू ने बिना मुस्लिम लीग के २ सितम्बर १९४६ को अपना मंत्रिमण्डल बनाया और उसमें अपने अतिरिक्त निम्नलिखित ११ सदस्य रखे :—

१—सरदार वल्लभभाई पटेल, २—डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद, ३—शरत्चन्द्र बोस, ४—जगजीवनराम, ५—राजगोपालाचारी, ६—आसिफअली, ७—जॉन मथाई, ८—सरदार बलदेवसिंह, ९—सर शफात अहमद खां, १०—सैयद अली जहीर, तथा ११—श्री सी. एच. भाभा।

सरदार पटेल गृहमन्त्री—इस सरकार में नेहरू जी प्रधान मन्त्री तथा विदेश मन्त्री, सरदार बलदेवसिंह रक्षा मन्त्री और सरदार वल्लभभाई पटेल गृहमन्त्री बनाए गए। सरदार के गृहमन्त्री बनने का स्वागत समस्त देश में किया और इस का आगे चलकर उत्तम परिणाम भी हुआ।

सितम्बर १९४६ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली में इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया।

पंडित नेहरू ने अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बना कर सितम्बर १९४६ में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। उनके बाद ६ अक्तूबर १९४६ को आचार्य जे. बी. कृपलानी नए कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए।

१९४५ में केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के निर्वाचन के पश्चात् १९४६ के आरम्भ में प्रान्तीय विधानसभाओं के भी निर्वाचन किये गए।

प्रान्तीय धारा सभाओं के निर्वाचन—इस समय सभी प्रान्तों में चुनाव हो रहे थे। १६ मार्च १९४६ को पंजाब में भी कांग्रेस, लीग तथा यूनियनिस्ट दल की संयुक्त सरकार मलिक खिजर हयात खां तिवाना के प्रधानमन्त्रित्व में बन चुकी थी। द्वितीय महायुद्ध १९४६ के फर्वरी में ही समाप्त हो चुका था, जिसका ७ मार्च १९४६ को भारत सरकार की ओर से विजयोत्सव भी मनाया जा चुका था। ७ मार्च १९४६ को डाक्टर खान साहब ने सीमाप्रान्त में अपने मन्त्रीमण्डल

डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, पंडित नेहरू तथा लार्ड वेवल से वार्तालाप करते हुए

लार्ड तथा लेडी माउंटबेटन से परामर्श

अध्याय ९

नेहरू जी की अस्थायी राष्ट्रीय सरकार

नेहरू सरकार का निर्माण—पंडित नेहरू ने कार्य समिति की बैठक के बाद श्री जिना से बम्बई में भेंट कर उनको अस्थायी राष्ट्रीय सरकार में सम्मिलित होने का निमन्त्रण दिया। किन्तु जिना ने कहा कि वह केवल अपनी शर्तों पर ही पद ग्रहण कर सकते हैं। इसके पश्चात् पंडित नेहरू ने बिना मुस्लिम लीग के २ सितम्बर १९४६ को अपना मन्त्रिमण्डल बनाया और उसमें अपने अतिरिक्त निम्नलिखित ११ सदस्य रखे :—

१—सरदार वल्लभभाई पटेल, २—डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद, ३—शरत्चन्द्र बोस, ४—जगजीवनराम, ५—राजगोपालाचारी, ६—आसिफअली, ७—जॉन मथाई, ८—सरदार बलदेवसिंह, ९—सर शफात अहमद खां, १०—सैयद अली जहीर, तथा ११—श्री सी एच भाभा।

सरदार पटेल गृहमन्त्री—इस सरकार में नेहरू जी प्रधान मन्त्री तथा विदेश मन्त्री, सरदार बलदेवसिंह रक्षा मन्त्री और सरदार वल्लभभाई पटेल गृहमन्त्री बनाए गए। सरदार के गृहमन्त्री बनने का स्वागत समस्त देश ने किया और इस का आगे चलकर उत्तम परिणाम भी हुआ।

सितम्बर १९४६ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली में इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया।

पंडित नेहरू ने अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बना कर सितम्बर १९४६ में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। उनके बाद ६ अक्तूबर १९४६ को आचार्य जे बी कृपलानी नए कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए।

१९४५ मे केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के निर्वाचन के पश्चात् १९४६ के आरम्भ मे प्रान्तीय विधानसभाओ के भी निर्वाचन किये गए।

प्रान्तीय धारा सभाओ के निर्वाचन—इस समय सभी प्रान्तो मे चुनाव हो रहे थे। १६ मार्च १९४६ को पजाब में भी कांग्रेस, लीग तथा यूनियनिस्ट दल की सयुक्त सरकार मलिक खिजर हयात खा तिवाना के प्रधानमन्त्रित्व में बन चुकी थी। द्वितीय महायुद्ध १९४६ के फर्वरी में ही समाप्त हो चुका था, जिसका ७ मार्च १९४६ को भारत सरकार की ओर से विजयोत्सव भी मनाया जा चुका था। ७ मार्च १९४६ को डाक्टर खान साहब ने सीमाप्रान्त में अपने मन्त्रीमण्डल

डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, पंडित नेहरू तथा लार्ड वेवल से वार्तालाप करते हुए

लार्ड तथा लेडी माउण्टबेटन से परामर्श

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रीमण्डलों में

का पुनर्गठन किया । अप्रैल के आरम्भ तक सभी प्रान्तो के चुनाव समाप्त हो गए।

सन् १९३७ के प्रान्तीय चुनावो में १५८५ स्थानो में से काग्रेस ७०४ स्थान प्राप्त करने में सफल हुई थी, किन्तु मार्च-अप्रैल १९४६ के चुनावो में उसकी शक्ति बढ कर ९३० हो गई। सन् ३७ में काग्रेस को केवल पाच प्रान्तो में ही विशुद्ध बहुमत प्राप्त हुआ था, जब कि इस बार विशुद्ध काग्रेसी बहुमत वाले प्रान्तों की सख्या ८ हो गई। बगाल, पजाब तथा सिंध की असेम्बलियो में काग्रेस को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। बगाल में काग्रेस सदस्यो की सख्या ५२ से बढकर ८६, पजाब में १९ से बढकर ५८ तथा सिंध में ७ से बढकर २१ हो गई। अब सभी प्रान्तो में गवर्नरो या दफा ९३ का शासन समाप्त होकर अप्रैल के अन्त तक निर्वाचित मन्त्रीमण्डल बन गए। बाद में जुलाई १९४६ में प्रान्तीय धारासभाओं के इन्ही सदस्यो ने भारत का भावी विधान बनाने के लिए भारतीय सविधान परिषद् के सदस्यो का भी चुनाव किया।

३ जून १९४६ को वाएसराय ने सर बी एन राऊ को सविधान परिषद् का परामर्शदाता नियुक्त किया। नेहरू सरकार ने सितम्बर १९४६ में एक विज्ञप्ति निकाली कि भारतीय सविधान परिषद् का अधिवेशन उसके नई दिल्ली स्थित विशेष भवन में ९ दिसम्बर १९४६ से आरम्भ किया जायगा।

साम्प्रदायिक दंगो का प्रथम दौर—काग्रेस की चुनावो में इस भारी सफलता से मुस्लिम लीग एकदम खीझ उठी और उसने मई से ही देश के अनेक भागो में साम्प्रदायिक दगे आरम्भ करा दिये। जब उसका इससे भी मन न भरा तो उसने २९ जुलाई १९४६ को तय किया कि १६ अगस्त १९४६ को समस्त भारत में "सीधी कार्यवाही" दिवस मनाया जावे। बगाल में इन दिनो श्री शहीद सुहरावर्दी की सरकार थी। वहा १६ अगस्त को मुसलमानो ने व्यापक रूप में हिन्दुओ पर आक्रमण आरम्भ कर दिए।

सुहरावर्दी के मुस्लिम लीगी मत्रीमण्डल ने १६ अगस्त को छुट्टी कर दी। मुसलमानो की एक भारी सभा में उनको दगा करने की खुल्लमखुल्ला प्रेरणा की गई। चार दिन तक कलकत्ता नगर पर गण्डो का आधिपत्य रहा। फिरोज खा नून ने एक मीटिंग में कहा कि मुसलमान ऐसी स्थिति कर देगे कि लोग चगेज खा तथा हलाकूखा के हत्याकाण्डो को भूल जावेंगे। कलकत्ते का हत्याकाड दिल्ली में नादिर शाह के विशाल हत्याकाड के बाद सबसे अधिक भयकर हत्याकाड था। पुलिस में प्राय मुसलमान ही थे। इन दगो में पुलिस केवल दर्शकमात्र ही बनी रही। उसने हिन्दुओ के बदला लेने पर ही अपना मौन तोडा। कलकत्ते की नालियों में खून बहने लगा। इन दगो ने कम से कम ४००० मारे गए तथा सहस्त्रो घायल हुए।

करोड़ो रुपये की सम्पत्ति को लूट लिया गया अथवा जला दिया गया। किन्तु हिन्दू भी शीघ्र ही तैयार हो गए और उन्होंने बड़े वेग से प्रत्याक्रमण करके दंगों का रूप पलट दिया। कलकत्ते के दंगे में मुसलमानों को भारी क्षति उठानी पड़ी। अंत में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप से कलकत्ते का दंगा शांत हुआ। कलकत्ते के बाद आगरा, दिल्ली, बम्बई, अलीगढ़, सिलहट, क्वेटा तथा आरा में भी दंगे हुए। २६ सितम्बर से कलकत्ते में दंगे की आग फिर भड़क उठी। सितम्बर १९४६ के अंत में मुजफ्फरपुर (बिहार) में भी दंगा आरम्भ हो गया। २३ अक्तूबर से पूर्वी बंगाल के नोआखली स्थान में मुसलमानों ने हिन्दुओं से कलकत्ते के दंगे का बदला लिया। नोआखली का बदला लेने को २६ अक्तूबर से बिहार में भी दंगे आरम्भ हो गए। छपरा, पटना तथा भागलपुर जिलों में व्यापक रूप में बदले लिए गए। किन्तु महात्मा गांधी ने अपने उपवास की धमकी देकर वहां के दंगे रोक दिए। महात्मा जी कलकत्ते में शान्ति स्थापित करके ६ नवम्बर को नोआखाली की यात्रा पर गए।

उनके साथ २५ प्रचारक भी गए। यद्यपि उनके जाने से नोआखाली में वास्तव में शान्ति स्थापित हो गई, किन्तु बनारस, गोरखपुर, इलाहाबाद, गढ़ मुक्तेश्वर, अहमदाबाद, बम्बई, दिल्ली तथा ढाका में फिर भी दंगे होते रहे।

मुस्लिम लीग का अन्तर्कालीन सरकार में भाग—अक्तूबर के आरम्भ में नवाब भोपाल तथा वाएसराय लॉर्ड वावेल के प्रयत्न से मुस्लिम लीग ने अन्तरिम सरकार में भाग लेने के प्रश्न पर फिर विचार करना आरम्भ किया।

नवाब भोपाल की दुरभिसंधि—नवाब भोपाल कूटनीति में अत्यधिक कुशल था। वह समझता था कि यदि कांग्रेस मुस्लिम लीग के बिना भारत का शासन करती रही तो साम्प्रदायिक मुसलमान घाटे में रहेंगे। अन्त में १३ अक्तूबर १९४६ को लीग ने वाएसराय के निमन्त्रण को स्वीकार कर अन्तर्कालीन सरकार में पांच स्थान स्वीकार किए। अतएव १५ अक्तूबर को श्री शरत्चन्द्र बोस, शफात अहमद खां तथा सैयद अली जहीर ने अन्तर्कालीन सरकार से त्यागपत्र दे दिए और वाएसराय ने मुस्लिम लीग के निम्नलिखित पांच सदस्यों को अन्तरिम सरकार का मन्त्री बनाया—(१) ल्याकतअली खां, (२) चुन्दरीगर, (३) अब्दुररब निश्तर, (४) गजनफार अली खां तथा (५) जोगेन्द्रनाथ मण्डल। मुस्लिम लीग ने सरकार में भाग लेकर विभागों के पुनर्विभाजन की मांग की। उसका आग्रह गृहविभाग लेने का था। वाएसराय लार्ड वावेल इसके लिये तैयार भी था। अतएव उसने सरदार पटेल से गृहविभाग मुस्लिम लीग को देने का अनुरोध किया। इस पर सरदार ने गृहविभाग देने की अपेक्षा सरकार से अपना त्यागपत्र देने का प्रस्ताव किया। किन्तु वाएसराय जानता था कि सरदार के त्यागपत्र का अर्थ था सभी

कांग्रेसी सदस्यों का सरकार से हट जाना। अतएव उसने मुस्लिम लीग को गृहविभाग न देकर अर्थ विभाग दिया। प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने मौलाना आजाद के नाम से लिखे हुए अपने ग्रन्थ में इस सम्बन्ध मे सरदार की आलोचना की है कि सरदार ने अर्थविभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग मुस्लिम लीग को गृहविभाग के बदले में दे कर गलती की। किन्तु मुस्लिम लीग द्वारा शासन कार्य मे डाली हुई अडंगेबाजी ने सरदार के निर्णय की उपयुक्तता को सिद्ध कर दिया।

गृह विभाग सरदार के हाथ मे होने के कारण ही सरदार देशी राज्यों की समस्या को इतनी जल्दी हल कर सके। यह विभाग किसी और के हाथ में होता तो वह देशी राज्यो की समस्या को हल न कर पाता। गृह विभाग मुस्लिम लीग को न देने की सरदार के निर्णय की उपयुक्तता इससे भी सिद्ध होती है।

सरदार ने यह पहले ही अनुमान लगा लिया था कि मुस्लिम लीग अपने दो-राष्ट्र वाले सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिए पुलिस आदि सभी सेवाओं का उपयोग करेगी। बाद में लीग ने सचार विभाग जैसे विभाग का विनाशात्मक उद्देश्यों के लिये, विदेशी व्यापार या साम्प्रदायिक बदले के लिये तथा अर्थविभाग का उद्योगपतियों (जिनमें प्राय हिन्दू थे) पर असह्य भार डालने में उपयोग किया।

इस समय देश की स्थिति विस्फोटपूर्ण थी। साम्प्रदायिकता का सब कहीं बोलबाला था। खाद्य पदार्थों की कमी, मूल्य वृद्धि तथा मजदूरों में अशान्ति के कारण सारे देश में असतोष बढ रहा था। उसके लिये दृढ शासन नीति की आवश्यकता थी। अतएव सरदार ने उस समय अपने पास गृहविभाग रख कर देश की भारी सेवा की। नेहरू जी को आशा यह थी कि मुस्लिम लीगी सदस्य मन्त्री-मण्डल में सहयोग से कार्य करेंगे। किन्तु उन्होने पग पग पर रोडे अटकाए, जिससे नेहरू जी को काम चलाने में पर्याप्त अड़चनें आईं।

सरदार पटेल का सरकार में महत्वपूर्ण कार्य—सरदार पटेल को अन्तरिम सरकार मे गृह विभाग तथा सूचना और आकाशवाणी विभाग दिए गए थे। उन्होंने शासन संभालने पर ५ सितम्बर को प्रथम आज्ञा यह दी कि दफ्तर के सभी कर्मचारी यदि चाहें तो कोट पतलून के स्थान पर राष्ट्रीय पोशाक धोती कुर्ता पहिन कर भी दफ्तर आ सकते हैं। इसके पश्चात् ७ सितम्बर को भारत सरकार ने एक आज्ञा निकाली कि भविष्य में वाएसराय की कार्यकारिणी के सदस्यों को मन्त्री लिखा जाया करे।

सरदार साम्यवादियों तथा साम्प्रदायिक विचारधाराओं के विरुद्ध थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ को साम्प्रदायिकता के मार्ग से हटाने का बहुत यत्न किया। किन्तु जब उन्होंने देखा कि सघ अपने मार्ग से हटना नही चाहता तो उन्होंने उस पर प्रतिबध लगा दिया।

मेरठ कांग्रेस से पूर्व साम्प्रदायिक दंगे—इन दिनों मेरठ में कांग्रेस के ४५ वें अधिवेशन की तैयारी बडे जोरो से की जा रही थी। कांग्रेस का यह अधिवेशन साढे छै वर्ष के लम्बे समय के पश्चात् किया जा रहा था। अस्तु जनता के हृदय में पर्याप्त उत्साह था। कांग्रेस अधिवेशन २३ नवम्बर १९४६ को आरम्भ होने वाला था। किन्तु ८ व ९ नवम्बर को मेरठ में भी साम्प्रदायिक उपद्रव आरम्भ हो गए। यह निश्चित था कि यह देशव्यापी दगे मुस्लिम लीग की नीति के कारण हुए थे। १३ नवम्बर को युक्त प्रान्त की मुस्लिम लीग ने घोषणा की कि जब तक उनको युक्तप्रान्त की सरकार में सम्मिलित न किया जाएगा साम्प्रदायिक दगो को बन्द करने में सरकार की सहायता न की जावेगी। इन दिनों मिस्टर जिना भी मुसलमानो पर आक्रमण होने के अतिरंजित समाचारो का प्रचार कर रहे थे। अतएव १४ नवम्बर को जबलपुर मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मौलाना बुरहानुल हक ने मिस्टर जिना के उस वक्तव्य का खण्डन किया, जिसमें मिस्टर जिना ने जबलपुर, कटनी तथा मध्य प्रान्त के अन्य स्थानो पर मुसलमानो के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत की थी। मौलाना बुरहानुल हक ने घोषणा की कि यह सब शिकायतें असत्य थी।

सरदार का मेरठ कांग्रेस में भाषण—यद्यपि मेरठ में कांग्रेस की तैयारी बराबर की जाती रही, किन्तु कुछ गुण्डो ने उसके पडाल तक में कांग्रेस होने के कुछ दिन पूर्व आग लगा दी। फलत. यह घोषणा की गई कि मेरठ कांग्रेस में दर्शक न आवें। किन्तु आने वाले तब भी न माने और २३ तथा २४ नवम्बर को आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में मेरठ कांग्रेस का अधिवेशन बडी धूमधाम से हुआ। उसमे सरदार वल्लभभाई पटेल ने जो भाषण दगो के सम्बन्ध में दिया, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण था और उसमें स्पष्टवादिता इतनी अधिक मात्रा में थी कि कई राष्ट्रीय मुसलमानो ने भी उस भाषण से बुरा माना।

उस समय कांग्रेस में रफी अहमद किदवई ही एकमात्र असाम्प्रदायिक मुसलमान थे। शेष राष्ट्रीय मुसलमान अपना अस्तित्व हिन्दुओ से अलग बनाए रखने में ही अपना कल्याण मानते थे। क्योकि अपने अल्पसख्यक रूप में ही उनको रियायतें मिल सकती थी। उनके लिये मुसलमान राज्य मे एक धार्मिक अल्पसख्यक थे, जिनको सरक्षणो तथा सुविधाओ का मिलना आवश्यक था। स्वय मौलाना आजाद ने विधान बनाते समय मुसलमानो के लिये स्थान सुरक्षित रखने के पक्ष का समर्थन किया था।

इस्लाम के इन हिमायतियो ने भी "इस्लाम खतरे में है" के घोष का सरदार के विरुद्ध प्रयोग किया। उन्होने सरदार के विरुद्ध गाधी जी से शिकायत की, किन्तु उन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि सरदार के लिये हिन्दू तथा मुसलमान सभी बराबर हैं। उन्होंने सरदार के भाषणो के कुछ अश तोड़ मरोड़ कर पडित नेहरू के

भी कान भरे। उनका कहना था "सरदार मुसलमानो पर सदेह करते है और उनके विरुद्ध राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के कार्यों की उपेक्षा करते है।" किन्तु सरदार पर इन बातो का कोई प्रभाव न पडा और उन्होने अपनी बात सदा निर्भीकता से रखी।

सरदार पटेल तथा नेहरू जी में आरम्भ से ही कुछ मतभेद था, जो कि सरदार की स्पष्टवादिता के कारण बराबर बढता गया। मुसलमानो की शिकायत सुन कर पडित नेहरू ने भी सरदार की शिकायत महात्मा गाधी से की। किन्तु गाधी जी इस विषय में लाचार थे, क्योंकि सरदार को मनोमण्डल, कांग्रेस कार्य-समिति तथा अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के अधिकाश सदस्यो का समर्थन प्राप्त था। फिर भी सरदार नेहरू जी के कम प्रशसक नही थे। वह उनके अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण की प्राय प्रशसा किया करते थे और उसको भारत की निधि मानते थे। शेख अब्दुल्ला पर उनको विश्वास नही था और वह उसके विषय में नेहरू जी को चेतावनी दे चुके थे।

लंदन में गोल मेज सम्मेलन—नेहरू जी की अन्तरिम सरकार सविधान परिषद बुलाने की घोषणा कर चुकी थी। किन्तु मुस्लिम लीग उससे न केवल असहयोग कर रही थी, वरन् वह उसके कार्यों मे अनेक प्रकार की अडगेबाजिया भी लगा रही थी। अस्तु प्रान्तो के गुटो के विषय में कैबीनेट मिशन की घोषणा के सम्बन्ध में काग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार में नवम्बर में मतभेद हो गया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मन्त्री श्री ऐटली ने इस सम्बन्ध मे नेहरू जी को लदन आने का निमन्त्रण दिया। ऐटली के बराबर आग्रह करने पर पडित नेहरू तथा सरदार बलदेव सिंह ३० नवम्बर १९४६ को विमान द्वारा लदन गए। सरदार पटेल ने स्वय लदन जाना उचित नही समझा। लार्ड वावेल तथा ल्याकतअली खा भी एक पृथक् विमान द्वारा लदन गए। विशेष निमत्रण पर जिना भी लदन जा पहुचे। इस बीच देश में यह अफवाह फैल गई कि नेताओ को इस समय लदन बुलाने का उद्देश्य यह है कि भारतीय सविधान परिषद् की बैठक ९ दिसम्बर से आरम्भ न हो सके। किन्तु सरदार पटेल ने १ दिसम्बर को बम्बई में एक ओजस्वी भाषण देते हुए घोषणा की कि भारतीय सविधान परिषद की बैठक नेताओ के लदन से वापिस न आने पर भी ९ दिसम्बर से अवश्य आरम्भ होगी। नेहरू जी की अनुपस्थिति में सरदार पटेल को वाएसराय की कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष बनाया गया।

लदन में भारतीय नेताओ का गोल मेज सम्मेलन ३ दिसम्बर से ६ दिसम्बर तक हुआ। उसकी समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि "प्रान्तो की गुट-बदी का मामला भारत के फैडेरल कोर्ट के सामने उपस्थित किया जा सकता है। सविधान परिषद का विधान किसी भी राजनीतिक दल पर जबर्दस्ती नही थोपा जाएगा।"

नेहरू जी आदि भारतीय नेता ७ को लंदन से चल कर ८ को दिल्ली आ गए।

भारतीय संविधान परिषद् की बैठक—भारतीय संविधान परिषद की प्रथम बैठक नई दिल्ली में ९ दिसम्बर १९४६ को ११ बजे आरम्भ हुई। उसमें भारत के दस प्रान्तों के २०९ निर्वाचित प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिनमें ९ महिलाएं भी थीं। सरदार पटेल के साथ उनकी पुत्री कुमारी मणीबेन पटेल भी आई थी, किन्तु वह सदस्या न होने कारण परिषद के गोष्ठी भवन में एक विशेष कुर्सी पर बैठी रहती थी। मुस्लिम लीग ने इस परिषद का बहिष्कार किया। सविधान परिषद का अस्थायी अध्यक्ष डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा को बनाया गया। उन्होने ११ को डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद को नियमानुसार निर्वाचित अध्यक्ष घोषित करके उनको अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दी। परिषद ने निश्चय किया कि वह अपने को स्वय ही भग कर सकेगी, उसे अन्य कोई भग नहीं कर सकेगा। उसको भग करने के लिए भी ⅔ मत आवश्यक होंगे।

सरदार पटेल अत्यन्त व्यस्त होते हुए भी सविधान परिषद में बड़ी लगन के साथ भाग लिया करते थे। वह उनकी निम्नलिखित तीन उपसमितियों के अध्यक्ष थे—

मौलिक अधिकार उपसमिति, राज्यों के विधान की उपसमिति तथा अल्पसंख्यकों के मामलो की उपसमिति।

मुस्लिम लीग का साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी उत्तरदायित्व—नेहरू मन्त्री-मण्डल के एक मुस्लिम लीगी सदस्य गजनफारअली ने २ दिसम्बर १९४६ को कराची की एक चुनाव सभा में कहा "मुस्लिम लीग अन्दर से सीधी कार्यवाही करने के लिए अन्तर्कालीन सरकार में सम्मिलित हुई है। मैं घर से निकलते समय समझता था कि मुझे जेल में रहना होगा, किन्तु मुझे अन्तर्कालीन सरकार में स्थान मिला। मार्ग केवल दो हैं—या तो काग्रेस झुके, अन्यथा मार काट होगी।"

अपनी इसी प्रकार की भावनाओं के कारण मुस्लिम लीग ने उन दिनों देश भर में साम्प्रदायिक विष फैला रखा था। किन्तु जब वह नेहरू सरकार तथा युक्त प्रान्त की सरकार को दगो द्वारा न झुका सकी तो उसने सीमा प्रान्त में डाक्टर खान साहिब की सरकार के विरुद्ध दगे आरम्भ कराए। जनवरी १९४७ के आरम्भ में हजारा जिले में उपद्रव आरम्भ हुए। उधर आसाम मुस्लिम लीग ने जबर्दस्ती जमीनो पर अधिकार करने के लिए मुसलमानो के दल के दल भेजने आरम्भ कर दिए। जब प्रान्तीय सरकार ने इन गैरकानूनी अधिकार करने वालों को बेदखल करना आरम्भ किया तो आसाम प्रान्तीय मुस्लिम लीग ने बेदखलियों के विरुद्ध सत्याग्रह करने की घोषणा की।

मुस्लिम लीग ने सीमा प्रान्त तथा आसाम के पश्चात् पजाब में भी आन्दोलन आरम्भ किया। किन्तु पजाब सरकार ने २४ जनवरी १९४७ को मुस्लिम नेशनल गार्ड और राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ दोनो पर पाबन्दी लगा दी। तलाशी मे बाधा उपस्थित करने के कारण पजाब मुस्लिम लीग के प्रधान खान इफ्तिखारुद्दीन हुसेन खा ममदोत, मिया इफ्तखारुद्दीन, मुमताज दौलताना, बेगम शाहनवाज, शौकत हयात खा, फिरोज खा नून तथा मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के प्रान्तीय सालार सैयद अमीर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर पजाब मुस्लिम लीग ने व्यापक रूप में प्रतिबन्ध आज्ञा को भग करना आरम्भ किया। अन्त में २४ जनवरी को पजाब सरकार ने गिरफ्तार किए हुए लीगी नेताओ को जेल से छोड दिया। २८ जनवरी को उसने मुस्लिम नेशनल गार्ड तथा राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ पर से भी पाबन्दी उठा ली। तो भी ७ फरवरी तक लीग के सत्याग्रह के कारण पजाब असेम्बली के ७९ लीगी सदस्यो में से ७४ जेला में पहुच गए। इधर मुस्लिम लीग अडगे पर अडगे लगाती जाती थी, उधर नेहरू जी उसके विषय में ब्रिटिश सरकार को लिखते जाते थे। १४ फर्वरी तक नेहरू जी ने इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार को एक और पत्र दिया। उनका कहना था कि ब्रिटिश सरकार के पूर्ण अधिकार न देने के कारण ही भारत में यह अशान्ति है।

ब्रिटिश सरकार की भारत का औपनिवेशिक स्वराज्य देने की घोषणा— अन्त में ब्रिटिश प्रधान मन्त्री श्री क्लेमेंट एटली ने २० फर्वरी १९४७ को कामस सभा में एक वक्तव्य देते हुए कहा कि 'ब्रिटेन जून १९४८ तक भारतीयों को पूर्ण सत्ता सौंप देगा। नेहरूजी को लार्ड वावेल से भारी शिकायत थी कि उसने मुस्लिम लीग को उनकी अन्तरिम सरकार में पीछे के द्वार से प्रवेश कराया। अस्तु लार्ड वावेल के स्थान पर लार्ड लुई माउन्टबेटन को मार्च १९४७ से भारत का वाइसराय बनाया गया। इस समय यह भी घोषणा की गई कि यदि भारतीय सविधान परिषद् एक सर्वसम्मत विधान न बना सकी तो शासनाधिकार तत्कालीन केन्द्रीय सरकार अथवा वर्तमान प्रान्तीय सरकारो अथवा किसी अन्य को देकर देशी राज्यों पर से भी ब्रिटिश राज्य की सार्वभौमिकता को समाप्त कर दिया जावेगा।"

मुस्लिम लीग का सीमा प्रान्त तथा पजाब में साम्प्रदायिक आन्दोलन— ब्रिटिश सरकार की इस घोषणा से जहा राजनैतिक खेंचातानी बहुत कम हो गई, वहा देश की साम्प्रदायिक स्थिति एकदम बिगड गई। मुस्लिम लीग को तो इससे यह पक्का विश्वास हो गया कि वह अधिक से अधिक जितने भी प्रान्तों को अपने प्रभाव तथा नियत्रण मे ले लेगी, उन सब का अधिकार अग्रेज भारत से अपनी अधिकार सत्ता समाप्त करके जाते समय उसी को दे जावेंगे। बगाल तथा सिन्ध

पर तो उसका बहुत कुछ नियन्त्रण था ही, अस्तु उसने सीमा प्रान्त तथा पजाब में मुस्लिम शासन पर भी अपना नियन्त्रण स्थापित करने की योजना बनाई। इस समय सीमा प्रान्त में डाक्टर खान साहिब का काग्रेसी मन्त्रीमण्डल तथा पजाब में खिजर हयात खा का सर्वदली यूनियनिस्ट मन्त्रीमण्डल था। लीग ने आसाम में भूमि पर जबर्दस्ती कब्जा करके एक नई समस्या उत्पन्न कर दी थी, जिसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है।

सीमा प्रान्त में काग्रेस और खुदाई खिदमतगारो के विरुद्ध उन्हें बुरा-भला कहने और बदनाम करने का एक बेहूदा आन्दोलन चलाया गया। वहा अल्पसख्यक हिन्दुओ और सिक्खो के विरुद्ध भी साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाई गई, जिसके फलस्वरूप वहा व्यापक रूप में हत्या, अग्निकाड तथा लूट आदि की घटनाएं हुईं। आतक तथा भय से त्रस्त हो वहा के हिन्दू भागने लगे। काग्रेस तथा खुदाई खिदमतगारो ने उनकी सहायता करने का यत्न किया, किन्तु मुस्लिम लीग के दूषित प्रचार के कारण वह उनकी कुछ अधिक सहायता न कर सके।

पजाब के दगे—यद्यपि इन दिनो समस्त भारत में साम्प्रदायिक दगे हो रहे थे, किन्तु पजाब एकदम शान्त था। तथापि मुस्लिम लीग इस प्रान्त की असेम्बली में बहुमत न होने पर भी उसमें गडबड कर रही थी। जैसा कि पीछे लिखा जा चुका है—पजाब तथा सीमाप्रान्त दोनो प्रान्तो के सरकारी कर्मचारी—जिनमें इन दोनो प्रान्तो के गवर्नर तथा अग्रेज अफसर भी सम्मिलित थे—इस आन्दोलन में मुस्लिम लीग के साथ थे। उन्होने मुस्लिम लीग के कानून विरुद्ध कार्यों को दबाना तो दूर, उन्हें बराबर प्रोत्साहन दिया। इससे पजाब का प्रधान मन्त्री खिजर हयात खा तिवाना बहुत घबरा गया और उसने ३ मार्च १९४७ को अपने पद से त्याग-पत्र देकर मुस्लिम लीग के लिए मैदान खाली कर दिया। किन्तु मुस्लिम लीग पजाब में फिर भी अपना मन्त्री-मण्डल न बना सकी। सिक्खो तथा हिन्दुओ ने उसके साथ मन्त्री मण्डल में सम्मिलित होने से इकार कर दिया। फलत गवर्नर ने प्रान्त में दफा ९३ का शासन आरम्भ कर दिया।

हिन्दुओं तथा सिक्खो ने ४ मार्च को लाहौर में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन किया। इस पर मुसलमानो ने उन पर आक्रमण कर दिया। क्रमश सारे प्रान्त में हिंसा का बोलबाला हो गया। हत्याएं, अग्निकाण्ड, बलात्कार तथा अपहरण खिलवाड हो गए। लाहौर, अमृतसर तथा मुलतान सभी बर्बाद हो गए। लाहौर से चलने वाली २२ पैसेन्जर गाडिया बद कर दी गईं। लाहौर से अन्य नगरो का टेलीफोन सम्बन्ध भी तोड दिया गया। ६ को जालधर, स्यालकोट तथा रावलपिंडी में भी दगे आरम्भ हो गए।

काग्रेस कार्य समिति ने पजाब की इस भयानक परिस्थिति पर ५ मार्च से

८ मार्च तक नई दिल्ली में विचार करके प्रस्ताव पास किया कि इन भयंकर घटनाओं ने यह प्रदर्शित कर दिया है कि पंजाब में इस समस्या का समाधान हिंसा तथा बल प्रयोग द्वारा नहीं किया जा सकता। बल प्रयोग के आधार पर किया हुआ कोई भी प्रबन्ध स्थायी नहीं हो सकता। अतएव यह आवश्यक है कि इस स्थिति से निकलने का ऐसा उपाय खोजा जावे, जिसमें कम से कम अनिवार्यता हो। इससे पंजाब को दो भागों में विभाजित करने की आवश्यकता है, जिससे मुस्लिम-बहुल भाग को गैर मुस्लिम भाग से अलग किया जा सके। इससे दोनों सम्प्रदाय एक-दूसरे के भय तथा आतंक से मुक्त हो जावेंगे। कार्य समिति की यह बैठक मौलाना आजाद की उपस्थिति में आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में हुई थी। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया था। किन्तु कांग्रेस कार्य समिति के इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह सम्पूर्ण पंजाब तथा बंगाल को पाकिस्तान में सम्मिलित करना चाहती थी।

पंडित नेहरू पंजाब की स्थिति अपनी आंखों से देखने के लिए १४ मार्च को विमान द्वारा पंजाब गये। २० को उन्होंने प्रस्ताव किया कि पंजाब को तीन भागों में विभक्त कर दिया जाये।

कांग्रेस कार्य समिति पर इस भयंकर मारकाट की विषम प्रतिक्रिया हुई। उसने ८ मार्च १९४७ को ही भारत विभाजन की उस समय मांग की थी जब कि लार्ड माउण्टबेटन भारत में भी नहीं आए थे। इस वाद-विवाद में सरदार तथा पंडित नेहरू ने मुख्य भाग लिया तथा इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। बाद में १४ जून १९४७ को भारत विभाजन का यह प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में उपस्थित किया गया तो मौलाना आजाद ने भी उसका समर्थन किया। उस समय यह प्रस्ताव २९ के विरुद्ध १५३ मत से पास किया गया। ३६ सदस्य तटस्थ रहे। मौलाना आजाद ने अपनी पुस्तक में जो भारत विभाजन के प्रथम प्रस्तावक होने का श्रेय लार्ड माउण्टबेटन को दिया है वह ठीक नहीं है। महात्मा गांधी ने भारत विभाजन के इस प्रस्ताव को हारे मन से स्वीकार किया।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अनुमान था कि ४ मार्च तक पंजाब के दंगों में २०४९ मरे तथा ११०३ भयंकर रूप से घायल हुए। २१ को मास्टर तारासिंह ने कहा कि दंगे पंजाब के उन्हीं जिलों में हुए जहां अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर थे। इन डिप्टी कमिश्नरों को गवर्नर के अतिरिक्त वाइसराय का भी संरक्षण प्राप्त था। इसीलिये सरदार गृहमन्त्री होते हुए भी उनका तबादला न करा सके। वाइसराय ने उन डिप्टी कमिश्नरों के बारे में सरदार की सभी शिकायतों को सुना अनसुना कर दिया।

प० नेहरू की सीमा प्रान्त की यात्रा

सीमा प्रान्त के पठानो के सम्बन्ध में प० नेहरू को यह आशा थी कि वहा कांग्रेस का पर्याप्त प्रचार है। खान अब्दुल गफ्फार के खुदाई खिदमतगारो की कांग्रेस भक्ति के कारण वह इस विषय में और भी अधिक आशान्वित थे। ब्रिटिश सरकार जब तक भारत में शासन करती रही, पठानो के ऊपर प्राय बम बरसा कर युद्ध स्थिति को जारी रखती रही। वास्तव में सीमा प्रान्त भारत की ब्रिटिश सेनाओं का आरम्भिक युद्ध का ट्रेनिंग केन्द्र था, जिसका कांग्रेस विरोध किया करती थी।

अन्तर्कालीन सरकार बनने पर नेहरूजी ने प्रस्ताव किया कि वह सीमा प्रान्त के पठानो की स्थिति को अपने नेत्रों से स्वय देखें। अधिकारियो ने उनको ऐसा करने से मना किया और अपने निश्चय को बदलने का परामर्श दिया। किन्तु, प० नेहरू सीमा प्रान्त की यात्रा को चल पडे। इस यात्रा में यद्यपि प० नेहरू ने सीमा प्रान्त के कबीलो की दशा को अपने नेत्रो से कई स्थान पर देखा, फिर भी कबीले वालो ने अग्रजो के षड्यत्र के कारण उनके ऊपर गोली चलाई, जिसको उनके रक्षकों ने व्यर्थ कर दिया। अब जाकर प० नेहरू को सीमा प्रान्त के सम्बन्ध में अपने विचार बदलने पडे। वास्तव में अब उनकी यह आशा भग हो गई कि सीमा प्रान्त पूरी तरह कांग्रेस का साथ देगा।

यहा यह बात ध्यान देने की है कि मौलाना आजाद कैबीनेट मिशन की मूल योजना के पक्षपाती थे। अपने ग्रन्थ 'इडिया विन्स फ्रीडम' में तो उन्होने यहा तक लिखा है कि कैबीनेट मिशन ने इस योजना को उनके सुझाव पर स्वीकार किया था। किन्तु श्री जिना तथा मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिक दगे भडकाने तथा नेहरू जी की सीमा-प्रान्त-यात्रा से ब्रिटेन के प्रधान मत्री श्री एटली का यह विश्वास हो गया कि मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस दोनो मिल कर भारतीय शासन में तीन टाग की दौड नही लगा सकतो। यद्यपि लार्ड पैथिक लारेंस तथा वाएसराय लार्ड वावेल सहित भारतीय सिविल सर्विस के प्राय कर्मचारियो का झुकाव मुस्लिम लीग की ओर था, किन्तु साम्प्रदायिक दगा के समाचार पाकर प्रधानमत्री श्री क्लेमेंट एटली का विश्वास श्री जिना तथा मुस्लिम लीग पर से हट गया।

अध्याय १०

भारत विभाजन तथा औपनिवेशिक स्वतन्त्रता

२४ मार्च को लार्ड माउण्टबेटन ने लंदन से नई दिल्ली आकर भारत के वाएसराय पद की शपथ ली। उन्होंने २६ को महात्मा गाधी तथा श्री जिना दोनो को वातचीत के लिए बुलाया। महात्मा गाधी ने उनसे ३१ मार्च को वार्तालाप किया। इसके पश्चात् उन्होंने कई मास तक काग्रेस तथा मुस्लिम लीग के सदस्यो से परामर्श करके २ मई १९४७ को निम्नलिखित घोषणा की—

१—काग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ही भारत विभाजन को अनिवार्य समझती हैं।

२—पंजाब तथा बंगाल के विभाजन के लिए एक सीमा कमीशन नियत्र किया जावेगा।

३—विभाजन से पूर्व उस प्रदेश के असेम्बली सदस्यो को विभाजन पर सम्मति देने का अधिकार होगा।

४—जो प्रान्त विभाजन चाहेगा उसके असेम्बली सदस्य सविधान परिषद् के लिए प्रतिनिधि चुनेंगे। वर्तमान भारतीय सविधान परिषद् में भाग न लेने वाले व्यक्ति उसके सदस्य नही रहेंगे।

५—सीमा प्रान्त में गवर्नर को बदल कर वहा दफा ९३ के आधीन नया चुनाव कराया जायेगा।

इस समय पजाब तथा सीमा प्रान्त से हिन्दू तथा सिक्ख बराबर शरणार्थी बन कर चले आ रहे थे।

लार्ड माउण्टबेटन की इस योजना को काग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने ही पूर्ण सत्ता हस्तान्तरित किए जाने की शर्त पर स्वीकार कर लेने का आश्वासन दे दिया था। अस्तु लार्ड माउण्टबेटन १८ मई को इस योजना के सम्बन्ध में परामर्श करने लन्दन गए। वह २० को लन्दन पहुचे। २१ को यह योजना चर्चिल को भी दिखलाई गई, जिसने इसको स्वीकार कर लिया। लार्ड माउण्टबेटन लन्दन से चलकर ३० मई को वापिस भारत आए।

२ जून को लार्ड माउण्टबेटन ने भारत विभाजन की इस योजना को प्रकाशित किया। इसको ३ जून को काग्रेस कार्य समिति तथा मुस्लिम लीग दोनो ने अपनी २ बैठक में स्वीकार कर लिया। सिक्खो ने भी उसे स्वीकार कर लिया।

योजना में यह स्पष्ट था कि १५ अगस्त १९४७ को भारत के हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान दो भाग हो जाएगें और अग्रेज दोनो की सरकार को पूर्ण शासन सत्ता हस्तान्तरित कर भारत छोड देंगे।

इस योजना को अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने भी १५ जून १९४७ की अपनी बैठक में स्वीकार कर लिया।

सरदार अत्यधिक दूरदर्शी थे। अतएव वह पहिले ही इस निष्कर्ष पर आ चुके थे कि भारतीय समस्या को केवल विभाजन द्वारा ही सुल्झाया जा सकता है। उनका कहना था कि जहरवाद फैलने से पूर्व ही गले हुए अग को आपरेशन करके कटवा देना चाहिये। इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने नवम्बर १९४७ में सविधान परिषद् की बैठक में कहा था—

"मैंने विभाजन को अतिम उपाय के रूप में तब स्वीकार किया था, जब सम्पूर्ण भारत के हमारे हाथ से निकल जाने की सम्भावना हा गई थी। मुस्लिम लीग के पाच सदस्य देश विभाजन कराने के लिये ही अन्तर्कालीन सरकार में सम्मिलित हुए थे। . . . . हम इस शर्त पर विभाजन के लिये सहमत हुए थे कि पजाब तथा बगाल का विभाजन किया जावे। . . . . मिस्टर जिना कटा छटा पाकिस्तान नही चाहते थे। किन्तु उन्हे उसको स्वीकार करना पडा। मैंने एक शर्त यह भी रखी थी कि दो मास के अन्दर अन्दर शासन सत्ता का परिवर्तन कर दिया जावे और ब्रिटिश ससद यह अधिनियम पास करे कि देशी राज्यों के सम्बन्ध में ब्रिटेन हस्तक्षेप नही करेगा। इस समस्या को हम सुलझावेंगे . . . प्रथम उनकी सर्वोच्च सत्ता तो समाप्त हो।"

काग्रेस के इस निश्चय से महात्मा गाधी को भारी धक्का लगा। अतएव उन्होंने इसके विषय में सरदार पटेल से विवरण मागा। उन्होंने कहा—"पजाब विषयक प्रस्ताव की व्याख्या करनी कठिन है। वह गम्भीरतम विचार विमर्श के पश्चात् पास किया गया था। जल्दबाजी में अथवा पूर्ण विचार के बिना कुछ भी नही किया गया। उनको यह समाचार पत्रो से ही पता चला कि आपके विचार उसके विरुद्ध हैं। किन्तु आपको निश्चय से वह सब कहने का अधिकार है जो आप ठीक समझते है।"

भारत का विभाजन—उपरोक्त योजना के अनुसार बगाल और पजाब को उसके असेम्बली सदस्यो का मत लेकर मुस्लिम बहुल तथा हिन्दू बहुल क्षेत्रो में विभक्त कर दिया गया। आसाम के सिल्हट जिले को पाकिस्तान में मिला दिया गया। बलोचिस्तान को भी पाकिस्तान म मिला दिया गया। सीमाप्रान्त में असेम्बली के निर्णय की उपेक्षा करके नए चुनाव किए गए, जिनका खान अब्दुल-गफ्फार खा के लाल कुर्ती दल ने बहिष्कार किया। फलत सीमाप्रान्त को भी

पाकिस्तान में मिला दिया गया। भारत तथा पाकिस्तान दो उपनिवेश बनाने के लिए ब्रिटिश पार्लमेंट ने एक कानून पास किया। १५ अगस्त १९४७ को इन दोनो उपनिवेशो को पृथक्-पृथक् कर दिया गया। लार्ड माउण्टबेटन का वाएसराय पद तोड दिया गया। वह केवल भारत के गवर्नर जनरल रह गए। पाकिस्तान का गवर्नर जनरल जिना को बनाया गया। अब गवर्नर जनरल मन्त्री मण्डल के सामने वैधानिक शासकमात्र रह गया।

पन्द्रह अगस्त—अग्रेजो का भारत छोड जाना एक ऐतिहासिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की घटना थी। यद्यपि इसके लिए समस्त भारत में प्रसन्नता मनाई गई, किन्तु भारत विभाजन की कसक भी जनता के हृदय में विद्यमान थी। अब भारत न केवल अपने भाग्य का निर्णय करने में स्वाधीन था, वरन् वह समस्त विश्व के भविष्य का निर्माण करने म भी स्वतन्त्रतापूर्वक भाग ले सकता था। १५ अगस्त को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई। दिल्ली म सबसे अधिक समारोह हुए। प्रात ८ बजे गवर्नर जनरल लार्ड माउण्टबटन, प्रधान मन्त्री पडित नेहरू, उप-प्रधान मन्त्री सरदार पटेल तथा अन्य मन्त्रियो ने शपथ ली। १४ अगस्त की रात्रि से भारतीय सविधान परिषद ने सर्वोच्च सत्ता ग्रहण की। उसके सदस्यो ने भी देश सेवा की शपथ ली।

पडित नेहरू को मई १९४६ में काग्रेस अध्यक्ष बनने के कारण प्रधान मन्त्री बनाया गया था। किन्तु भारत की कुल १५ प्रान्तीय काग्रेस कमेटियो में से १२ ने सरदार पटेल के सम्बन्ध में तथा केवल ३ ने प नहरू के सम्बन्ध में मत दिया था। किन्तु महात्मा गाधी ने सरदार से विशेष रूप से अनुरोध किया कि वह नहरू जी को प्रधान मन्त्री बन जाने दे। वास्तव में नेहरू जी महात्मा गाधी की मुख्य निर्बलता थे। वह कई बार सार्वजनिक रूप से उनको अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे। इसीलिये उन्होने सरदार से अनुरोध किया कि वह काग्रेस में अपने बहुमत पर ध्यान न देकर नहरू जी को प्रधानमन्त्री बन जाने द। सरदार पटेल महात्मा जी को सदा ही अपना गुरु मानत हुए उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना अपना कर्त्तव्य समझत थ। देशसेवा के लिय अपना जीवन अर्पित करत समय सरदार के मन मे कभी भी यह भावना नहीं रही कि वह कभी उसका पुरस्कार भी लगे। अतएव महात्मा गाधी के प्रस्ताव को उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करके मनुष्य जीवन के सबसे बडे स्वार्थत्याग का परिचय दिया। इस प्रकार उनकी कार्यकारी सहायता से नहरू जी को प्रधान मन्त्री बनाया गया। इसके पश्चात् २४ अगस्त १९४७ को उनको डिप्टी प्रधान मन्त्री बनाया गया। वास्तव में मन्त्रीमण्डल के अखिल भारतीय काग्रस कमेटी के अधिकाश सदस्य मार्ग प्रदर्शन के लिय उनका मुह देखा करते थे। उनका काग्रस सगठनो तथा काग्रस सेवा दल

पर भी पूर्ण प्रभुत्व था । उनके द्वारा वह प्रान्तो के मत्रीमण्डलो तथा काग्रेस के आतरिक सगठनो की सदा सतर्क दृष्टि से निगरानी किया करते थे ।

विभाजन के परिणाम—इस समय विभाजन के कारण देश को अनेक समस्याओं का सामना करना पडा । नागरिक तथा सैनिक कर्मचारियो तथा सामग्री का भी विभाजन हो गया । विभाजन का सबसे अधिक प्रभाव हृदय पर पडा । पश्चिमी पाकिस्तान में हिन्दुओं और सिक्खो का रहना असम्भव कर दिया गया । १५ अगस्त से समस्त पश्चिमी पजाब में वह भयकर मारकाट हुई कि बडे बडे क्रूर हृदय वाले भी उसके वर्णन को सुनकर काप उठे । जवान पुरुषो तथा वृद्धो सभी को मौत के घाट उतार दिया गया । दुधमुहे बच्चो तक को नही छोडा गया और स्त्रियो के साथ सामूहिक रूप मे बलात्कार कर के उन का अपहरण कर लिया गया । बाद को उनमें से अनेक को विदेशो में ले जाकर बेच दिया गया । जिन हिन्दुओ ने मुसलमान होना स्वीकार किया उन को भी अपने स्त्री, बच्चो तथा सम्पत्ति से हाथ धोना पडा । पश्चिमी पजाब के इन दगो का प्रतिक्रिया पूर्वी पजाब में भी हुई । वहा भी मीलो तक मुसलमानो के गावो को साफ कर दिया गया ।

सितम्बर १९४७ में दिल्ली में भी साम्प्रदायिक उपद्रव आरम्भ हो गए । इस समय दिल्ली की सिविल पुलिस में ६० प्रतिशत तथा सशस्त्र पुलिस में ८० प्रतिशत मुसलमान थे । दिल्ली में मैजिस्ट्रेट भी प्राय मुसलमान थे । सशस्त्र पुलिस के लगभग २५० कांस्टेबिल भाग कर दगाइयो से मिल गए । किन्तु वह अपने शस्त्र नही ले जा सके । दिल्ली के मुसलमानों के पास इस समय भारी मात्रा में बन्दूकें, कारतूस तथा अन्य युद्ध सामग्री थी । वह शस्त्र बल से दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे । दिल्ली की इस भयकर मारकाट की रोकथाम सरदार ने गुरखा सैनिकों को बुला कर की । सरदार ने उस समय बगाल तथा मध्यप्रदेश से भी सेना बुलाई ।

दिल्ली के दगो को शान्त करने के लिये मत्रीमण्डल की एक विशेष एमर्जेंसी कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष लार्ड माउण्टबेटन थे । उसका सेक्रेटरी श्री वी पी मेनन को बनाया गया था । इस कमेटी में कुछ मन्त्रियो के अतिरिक्त दिल्ली के कुछ हिन्दू तथा मुसलमान नेता भी थे । इसका एक कार्यालय दिल्ली टाउन हाल में भी था । इसकी बैठके दिल्ली के दगो के दिनो में कम से कम एक प्रतिदिन होती थी । आवश्यक होने पर इसकी बैठके एक एक दिन में कई कई बार भी हुआ करती थी । दिल्ली के दगे की स्थिति का विवरण प्रतिदिन सुनकर यह कमेटी तदनुसार आज्ञाए दिया करती थी । इस प्रकार दिल्ली के दगो से सरदार पटेल का सीधा सम्बन्ध कोई भी नही था । इससे प्रकट है कि मौलाना आजाद ने जो अपनी पुस्तक में दिल्ली के दगो का दोष सरदार पटेल पर लगाया है वह ठीक नही है ।

सरदार के लिये हिन्दू और मुसलमान दोनो बराबर थे। उन्होने अत्याचारो से दोनो की रक्षा की। प्रोफेसर हुमायू कबीर ने मौलाना आजाद के नाम से लिखे हुए अपने ग्रन्थ में सरदार को न केवल मुसलमानो का विरोधी बतलाया है, वरन् उसमें उन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होने दिल्ली के मुसलमानो के हत्याकाण्ड के लिए हिन्दुओ का प्रोत्साहन दिया और हत्याकारियो के जुल्मो के सम्बन्ध में गाधी जी तक से असत्य भाषण किया। उस ग्रन्थ में यह भी लिखा है कि सरदार के इस असत्य भाषण के विरोध में तथा मुसलमानो का हत्याकाण्ड बन्द कराने के लिय ही महात्मा गाधी नें १२ जनवरी १९४८ से अनशन किया था। मौलाना आजाद के इस आरोप की अवास्तविकता इस तथ्य से एकदम प्रकट हो जाती है कि दिल्ली के दगे अक्तूबर १९४७ में ही पूर्णतया शान्त हो चुके थे। वास्तव में महात्मा गाधी के अनशन का उद्देश्य भारत सरकार पर दबाव डाल कर पाकिस्तान को ५५ करोड रुपयो की वह रकम दिलवाना था, जो पाकिस्तान के भाग में आए थे और जिसको भारत सरकार इस आशका के कारण नही देना चाहती थी कि उस रकम से पाकिस्तान काश्मीर में युद्ध करने के लिये शस्त्र मोल लेगा। वास्तव में भारत सरकार पचपन करोड रुपय की इस रकम को रोक कर पाकिस्तान को इस बात के लिये विवश करना चाहती थी कि वह भारत के साथ अपने लेने देने का सम्पूर्ण हिसाब करके अपने जिम्मे निकलने वाला भारत का रुपया उसे चुका दे। किन्तु महात्मा गाधी के उपवास के कारण पाकिस्तान भारत की देनदारी को चुकाने से उस समय तो बच ही गया, उसे वह आज तक भी चुकाने को तैयार नही है।

जनसख्या का परिवर्तन—अन्त में जब यह प्रत्यक्ष हो गया कि पूर्वी तथा पश्चिमी पजाब में अल्पसख्यक सुरक्षित नही रह सकेगे तो भारत तथा पाकिस्तान की केन्द्रीय सरकारो ने आपस में मिल कर यह निर्णय किया कि सारी जनसख्या का परिवर्तन कर लिया जावे। अब दोनो ओर से शरणार्थियो को सैनिक सुरक्षा में पहुचाया जाने लगा। इस प्रकार दोनो ओर से लगभग एक करोड जनसख्या की अदला बदली की गई।

इस समय भारतीय मुसलमानो के लिये पाकिस्तान जाने का सीधा मार्ग अमृतसर हो कर था, किन्तु अमृतसर के सिक्ख पाकिस्तान में मुसलमानो द्वारा किए हुए सिक्खो के सामूहिक हत्याकाण्ड तथा महिलाओ के अपमान से इतने क्षुब्ध थे कि उन्होन यह स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि अमृतसर होकर किसी भी मुसलमान को जीवित पाकिस्तान नही जाने दिया जावेगा। इस समय भारतीय मुसलमानो के सुरक्षित पाकिस्तान पहुचने का उत्तरदायित्व स्थल सेनाध्यक्ष जनरल तिमैया पर था। उनसे इस समस्या के सम्बन्ध में सुनकर सरदार पटेल श्री वी पी मेनन को लेकर स्वय अमृतसर पहुचे। वहा उन्होन प्रथम सिक्ख जत्थेदारो को समझा

कर उन्हे मारकाट न करने की प्रेरणा की। उन्होंने इस अवसर पर अमृतसर में ३० सितम्बर १९४७ को सिक्ख नेताओ को सम्बोधित करते हुए कहा :

"मै सिक्ख नेताओ से अपील करता हू कि वह शान्ति स्थापित करने में अपनी पूर्ण शक्ति लगा दें। यह उन लाखो पुरुषो, महिलाओ तथा बच्चो के लिये आवश्यक है, जिनमें से अनेक अपने सम्बन्धियो के बीच निवास करने की अतिम आशा से जघन्यतम-सभव शारीरिक तथा भौतिक परिस्थितियो का साहसपूर्वक मुकाबला करते हुए तीन सप्ताह से पश्चिमी पाकिस्तान से यहा चले आ रहे हैं।

"इसलिये यह सामान्य रूप से समग्र भारत के तथा विशेष रूप से पूर्वी पजाब के व्यापक हित में है कि सिक्ख लोग इस प्रकार परस्पर सगठित हो कि भारत से जाने वाले मुस्लिम शरणार्थियो को पाकिस्तान जाने का मार्ग सुरक्षित मिले, भले ही वह पैदल, रेल द्वारा अथवा ट्रको में जा रहे हो ।

"मै इस बात में सब का अपमान मानता हू कि उनको यातायात सुविधाए देने के लिये सैनिक शक्ति का उपयोग करने के लिये विवश होना पडे। इसके विरुद्ध आपको अपनी शान, वीरता की ख्याति तथा अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिये इस प्रकार के स्वयसेवक दल बनाने चाहियें, जो आगे बढकर उन शरणार्थियो को आक्रमणो से सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन दे सकें ।

"आप सब जानते हैं कि मै सिक्खो को कितना प्यार करता हू। आप यह भी जानते है कि मेरे हृदय में सिक्खों के कल्याण के अतिरिक्त और कुछ नही है। मै यह अनुभव करता हू कि आप के समाज तथा पूर्वी पजाब में आप की भावी समृद्धि के लिये यह आवश्यक है कि हमारे शरणार्थी यहा यथासभव अधिक से अधिक शीघ्रता से आ जावें। तभी आप पूर्वी पजाब में वह बगीचा लगा सकगे, जो आपने अपने प्रयत्नो से पश्चिमी पजाब में लगाया था। और तब आप ससार को यह दिखला सकेंगे कि इस पवित्र भूमि में मानवता के पुष्प खिले हुए है।

'मै आप से अपील करता हूँ कि आप कम से कम एक सप्ताह के लिये आक्रमणो के इस व्यापक प्रसार को रोक दें और फिर यह देखें कि क्या इसका उत्तर सतोषजनक मिला। यदि आप को निराश होना पडा, तो इस बात को सारा ससार जान जावेगा कि वास्तविक अपराधी कौन है।

फिर उन्होंने महाराजा पटियाला तथा मास्टर तारासिंह आदि सिक्ख नेताओ को इस समस्या के ऊच-नीच फलितार्थों को समझा कर उनके द्वारा तथा स्वय सिक्खो से यह अपील की कि वह इस विषय में अपना आग्रह छोड दें। इस सम्बन्ध में एक बार तो ऐसा अवसर भी आया कि सरदार एक सच्चे सत्याग्रही के रूप में सिक्खो के सन्मुख स्वय उपस्थित हुए और फिर उन्होंने उनसे कहा कि

मुसलमानो पर चोट करने से पूर्व वह उन पर चोट करें। अन्त मे सरदार की तेजस्विता, वाग्मिता तथा अधिकार-सम्पन्नता के सामने सिक्खो को अपने दुराग्रह को छोडना पडा और भारतीय मुसलमानो के लिये पाकिस्तान जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

भारतीय क्षेत्र में शरणार्थी केवल पश्चिमी पजाब से ही नही आए, वरन् सीमा प्रान्त, सिंध एव बिलोचिस्तान से भी आए। उन दिनो पूर्वी बगाल के अतिरिक्त पाकिस्तान के प्रत्येक भाग के शरणार्थी भारत आए।

शरणार्थी समस्या—इससे शरणार्थियो की एक विकट समस्या देश के सामने उपस्थित हो गई। सर्वप्रथम प्रश्न उसको स्थान देने का था, फिर उनको वस्त्र तथा रोजगार भी देना था।

सर्वप्रथम सरदार पटेल ने 'शरणार्थी सहायता फण्ड' शरणार्थियो की सहायता के लिए खोला। किन्तु नेहरू जी ने उसमे कोई रुचि नही ली। बाद में जब उन्होंने देखा कि सरदार के इस फण्ड मे बडे भारी परिमाण में धन आ रहा है तो उन्होने सरदार से वार्तालाप करके शरणार्थियो को सरकारी सरक्षण देना आरम्भ किया। इस विषय में भारत सरकार ने आरम्भ में प्रतिवर्ष कई करोड़ रुपय-व्यय किये। किन्तु अब वह इस समस्या को बहुत कुछ सुलझा चुकी है।

महात्मा गाधी का उपवास—इस समय सन् १९४७ के अन्त में सारे देश में साम्प्रदायिक विष फैलता जा रहा था। अतएव पाकिस्तान तथा भारत मे अधिक मनोमालिन्य बढ गया तथा पाकिस्तान ने काश्मीर पर भी आक्रमण कर दिया था। अतएव भारत सरकार पाकिस्तान सरकार को पचपन करोड रुपये की वह रकम देना नहीं चाहती थी, जिसको पाकिस्तान को उसके भाग में से सहायता के रूप में देने का वचन दिया गया था। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की पाकिस्तान पर इससे कई गुनी अधिक लेनदारियाँ भी थी। इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए सरदार पटेल ने बम्बई की एक सभा में १८ फर्वरी १९४८ को कहा था—

"मैंने इस बात पर बल दिया कि पाकिस्तान के साथ सारे समझौते एक साथ तय करके सभी मामले सुलझाये जावें। मैं इस बात पर कभी सहमत नही हो सकता था कि लाभ सब उनको मिले तथा घाटा हमारे सिर लादा जावे। किन्तु उन्होंने ५५ करोड रुपये की रकम को बिना शर्त मागा। हम सबने यह निश्चय किया कि यह पूर्णतया गलत था और इसका विरोध किया जाना चाहिये।"

पाकिस्तान के आर्थिक विभाजन सम्बन्धी वार्तालाप में भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जब तक सभी विवादास्पद मामलो का निपटारा न हो जावे ५५ करोड रुपये की इस रकम को अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं किया

जावेगा। काश्मीर का मामला तय न होने तक तो एक पैसा भी नही दिया जावेगा। पाकिस्तानी प्रतिनिधि इस मामले पर मौन रहे, जिस को भारतीय प्रतिनिधियो ने उनकी स्वीकृति माना। किन्तु आर्थिक रकम ५५ करोड रुपया निश्चित हो जाने पर उन्होने उसको अन्य मामलो से अलग करने पर बल देते हुए तत्काल चुकाने की माग की। भारत सरकार को यह भी सन्देह था कि इस रुपये से पाकिस्तान काश्मीर में लडने के लिये शस्त्रास्त्र मोल लेगा।

महात्मा गाधी उन दिनो देश के साम्प्रदायिक उपद्रवो के कारण अत्यन्त दु खी रहा करत थ। अतएव उन्होन सरदार के अत्यधिक विरोध करने पर भी १३ जनवरी १९४८ को प्रात ११ बज भोजन करके उपवास आरम्भ कर दिया। महात्मा गाधी के उपवास से देश भर में घबराहट फैल गई। इस समय महात्मा गाधी ने पत्रकारो के प्रश्नो का उत्तर देते हुए यह स्पष्ट किया कि उनका उपवास सरदार पटेल अथवा गृह विभाग के विरुद्ध नही था, वल्कि भारत के हिन्दुओ तथा सिक्खों तथा पाकिस्तान के मुसलमानो के विरुद्ध था। नेताओ ने साम्प्रदायिक समस्या को सुलझान के लिए अत्यन्त व्यापक रूप में तैयारिया की। इधर भारत सरकार ने भी १५ जनवरी को यह निश्चय किया कि महात्मा गाधी के उपवास की प्रतिक्रियास्वरूप पाकिस्तान को वह ५५ करोड रुपया दे दिया जावे, जो उसन रोक लिया था। अन्त में साम्प्रदायिक तथा राष्ट्रीय नेताओं के शान्ति का आश्वासन दिलाने पर महात्मा गाधी ने १२१ घटे वाद १८ जनवरी को दोपहर १२-४० पर अपना उपवास भग किया।

महात्मा गाधी की हत्या—इन दिनो महात्मा गाधी नई दिल्ली के बिरला भवन में रहते थे और प्रतिदिन सायकाल ५ बज प्रार्थना किया करते थे। उनकी प्रार्थना में अत्यधिक भीड हुआ करती थी। २० जनवरी को उनके प्रार्थना-स्थल के किनारे एक बम फटा। इस पर सरदार पटेल ने बिरला भवन में पुलिस की सख्या कई गुनी बढा दी, जिस पर वहा के निवासियो ने बुरा भी माना। सरदार ने गाधी जी से अनुरोध किया कि वह उनको सदिग्ध व्यक्तियो की तलाशी लेने दें। किन्तु महात्मा जी इस की अनुमति देने के लिए किसी प्रकार भी तैयार न हुए। ३० जनवरी १९४८ को दोपहर बाद सरदार ने गांधी जी से भेंट की तथा अनुरोध किया कि वह उनको त्यागपत्र देने की अनुमति दें। सरदार ने महात्मा जी से कहा कि मौलाना आजाद आदि कुछ व्यक्ति उनके तथा जवाहरलाल के बीच मनो मालिन्य बढाने का बराबर यत्न करते रहते हैं। ऐसा करने में उनका एकमात्र उद्देश्य यह है कि मत्रीमण्डल पर उनका (सरदार का) प्रभाव न रहे, जिससे नेहरू जी के साथ मिल कर वह अपनी मनमानी कर सके। गाधी जी ने उनकी बात सुन कर उनके सामने अपना हृदय खोल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि वह इस मामले

पर बहुत समय से विचार कर रहे थे। लार्ड माउण्टबेटन ने उनसे यह बल दे कर कहा था कि सरदार तथा नेहरू दोनो का मन्त्रीमण्डल में रहना राष्ट्रहित की दृष्टि से आवश्यक है। उचित यही है कि असन्तुष्ट लोग अपना सिर बादलो तक ऊचा किये हुए भी उस व्यक्ति के साथ हाथ में हाथ मिला कर काम करें, जिसके चरण पृथ्वी पर दृढता से जमे हुए हे। देश के लिये यही सम्मिलन आदर्श होगा। गाधी जी ने यह भी कहा कि पहले उनका यह मत बन गया था कि सरदार तथा नेहरू में से कोई एक मन्त्रीमण्डल से पृथक् हो जावे। किन्तु अब वह इस दृढ परिणाम पर आ चुके हैं कि वहा दोनो का रहना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि आज प्रार्थना के पश्चात् वह इसी विषय पर भाषण करेंगे। इस पर सरदार ने वचन दिया कि वह नेहरू जी को सदा पूर्ण सहयोग देते रहेंगे।

सरदार पटेल के चले जाने के पश्चात् महात्मा गाधी प्रार्थना सभा की ओर चले। सायंकाल पाच बजकर पाच मिनट पर जब वह प्रार्थना मच पर चढ रहे थे तो नाथूराम गोडसे नामक एक महाराष्ट्रीय युवक ने उनके ऊपर पिस्तौल से गोलिया छोडी। एक गोली महात्माजी के सीने में तथा दो पेट मे लगी। उन्होने मुह से "हे राम" कहा और गिर पडे। पाच बजकर चालीस मिनट पर उनका देहान्त हो गया। आक्रमणकारी को पुलिस ने पकड लिया। महात्माजी का ७९ वर्ष की आयु में स्वर्गवास हुआ।

प्रोफेसर हुमायू कबीर ने अपने ग्रन्थ मे मौलाना आजाद के नाम से जो यह आरोप लगाया है कि महात्मा गाधी की हत्या का कारण सरदार पटेल तथा पुलिस की अकर्मण्यता थी, वह मिथ्या था।

इस सम्बन्ध में श्री अनन्तशयनम् अय्यगर के एक अल्पकालीन प्रश्न के उत्तर में सरदार पटेल ने भारतीय सविधान परिषद् में दो फरवरी १९४८ को निम्न-लिखित वक्तव्य दिया—

"बम विस्फोट से पूर्व विरला भवन में जहा गाधी जी ठहरे हुए थे एक हेड कास्टेबिल तथा चार कास्टेबिल रक्षा के लिये रखे गये थे। बम विस्फोट के बाद वहा रक्षा के लिये निम्नलिखित प्रबन्ध किये गये :

१—एक असिस्टेंट सब इन्सपैक्टर, दो हेड कास्टबिल तथा सोलह कास्टेबिल प्रवेश द्वार पर, मुख्य भवन के समीप विभिन्न महत्वपूर्ण नाको पर तथा प्रार्थना-स्थल पर नियुक्त किये गये थे। उनको यह आज्ञा दी गई थी कि वह सदिग्ध गतिविधि वाले सभी व्यक्तियो को रोक ले।

२—सादे वस्त्रो में एक सब इन्सपेक्टर, चार हेड कास्टेबिल तथा दो कास्टबिल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिये रखे गय थ। उन सबको पिस्तौलें दी हुई थीं।

उनका कार्य प्रार्थना-सभा में सन्दिग्ध गतिविधि वाले व्यक्तियों पर निगरानी रखना तथा दंगा होने अथवा हत्या का प्रयत्न किये जाने पर तत्काल कार्यवाही करना था। यह प्रार्थना सभा में श्रोताओं के बीच में घुल-मिलकर कार्य करते थे।

३—तीन सादे वस्त्रों वाले व्यक्ति उस मार्ग पर लगाये गये थे, जो मुख्य भवन से प्रार्थना स्थल को जाता था। उनका कार्य सन्दिग्ध व्यक्तियों अथवा महात्मा जी पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों को रोकना था।

४—एक नान-कमीशण्ड आफीसर की कमान में बीस से अधिक सैनिकों का एक दस्ता सहन की रखवाली के लिये रखा गया था। सीमा की दीवार को लांघ कर आने वालों को रोकना भी उसका ही कर्त्तव्य था। पुलिस का कहना था कि जब तक वहां आनेवाले प्रत्येक नये आगन्तुक की तलाशी न ली जावे, उपरोक्त प्रबन्ध से भी सुरक्षा के विषय में निश्चिन्तता नहीं हो सकती। नई दिल्ली के पुलिस सुपरिन्टेन्डेण्ट ने इस आशय की प्रार्थना गांधी जी के सचिवों से की, किन्तु उनसे कहा गया कि गांधी जी इस पर सहमत नहीं होंगे। डी. आई. जी के प्रयत्न का भी वही परिणाम हुआ। इस पर डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल पुलिस ने स्वयं गांधी जी से भेंट कर उनसे कहा कि "जीवन का खतरा वास्तव में है। अतएव उनको तलाशी लेने की अनुमति दी जावे। अन्यथा कोई अनिष्टकर घटना हो जाने पर उनको ही दोष दिया जावेगा।" किन्तु गांधी जी सहमत नहीं हुए। उन्होंने उत्तर दिया कि 'उनका जीवन ईश्वर के हाथ में है यदि उनको मरना ही है तो किसी प्रकार की सावधानी के प्रयत्न भी उनको नहीं बचा सकते। वह यह सहन नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति को प्रार्थना सभा में आने से रोका जावे अथवा कोई व्यक्ति उनके तथा श्रोताओं के बीच में हस्तक्षेप करे। मैंने स्वयं भी गांधी जी से तर्क किया कि वह पुलिस को उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्य का पालन करने दें। किन्तु गांधी जी सहमत न हुए।"

आक्रमणकारी नाथूराम गोडसे के लिये आत्मा चरण नामक एक विशेष जज ८ मई १९४८ को नियुक्त किया गया। २७ मई को यह मुकदमा लाल किले में आरम्भ करके १० फर्वरी १९४९ को उसे फांसी का दण्ड दिया गया। दो मई १९४९ को उसकी अपील पंजाब हाईकोर्ट में की गई, जिसे २१ जून १९४९ को अस्वीकार कर दिया गया। १२ अक्तूबर १९४९ को उसकी अपील प्रीवी कौंसिल में की गई, किन्तु जूडीशियल कमेटी ने १५ नवम्बर १९४९ को उसे भी अस्वीकार कर दिया। ७ नवम्बर १९४९ को गवर्नर जनरल ने उसकी दया की प्रार्थना को भी अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार नाथूराम गोडसे को १५ नवम्बर १९४९ को फांसी पर लटका दिया गया।

गांधी जी के स्वर्गवास के पश्चात् सरदार में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन

देखने में आया। उनके नेत्रों तथा होठों से हसी गायब हो गई और वह उदास रहने लगे। मणिबेन ने उनके छोटे से नाती—डाह्याभाई के पुत्र गौतम—को बम्बई से बुलवाया, किन्तु सरदार का उसके साथ खेलने में भी मन नहीं लगता था। तब मणिबेन को महादेव भाई की डायरी के यह शब्द याद आने लगे "सरदार ने गांधी जी से कहा था कि आपके स्वर्गवास के बाद मेरी भी जीने की इच्छा नहीं है। मैं प्रार्थना करता हू कि हम दोनों की मृत्यु साथ साथ हो।" गांधी जी के स्वर्गवास से सरदार को इतना अधिक दुःख हुआ कि पन्द्रह बीस दिन के अन्दर ही उनको हृदय रोग हो गया और उनको स्वास्थ्य लाभ के लिये देहरादून जाना पडा।

अध्याय ११

देशी राज्यों का एकीकरण

भारत में विभिन्न राज्यो का अस्तित्व उसके सभ्यता काल के आरम्भ से ही था। पहिले राजाओ का निर्वाचन किया जाता था, किन्तु बाद में उनको वशानुगत क्रम से शासन करने का अधिकारी मान लिया गया। इस पर प्रजा के निर्वाचित प्रतिनिधियों की अपेक्षा राजा के अधिकार क्रमश अधिकाधिक बढते गए। यहा तक कि वह पूर्णतया निरकुश होकर शासन करने लगे। अब राजाओ की ओर से यह प्रचार किया जाने लगा कि राजा में ईश्वरीय अश होता है। अतएव उसकी आज्ञा का उल्लघन करना पाप है। देश में आरम्भ से ही राजाओ की सख्या बहुत अधिक थी और वह सभी अपने अपने राज्य का विस्तार करने की इच्छा से एक दूसरे के साथ प्राय युद्ध करते रहते थे, जिससे उनके कारण प्रजा को बराबर कष्ट पहुचता रहता था। कालान्तर में कुछ विशेष बलवान राजाओ ने उन सब राजाओ को एकछत्र शासन में लाने के उद्देश्य से भारत में एक केन्द्रीय सरकार स्थापित करने के भी प्रयत्न किये। इन प्रयत्नो को राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ अथवा चक्रवर्ती की दिग्विजय नाम दिया गया। इस प्रकार का सर्वप्रथम प्रयत्न ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती ने किया था। इसी से इस देश का नाम भारतवर्ष पडा। इसके पश्चात् नहुष, ययाति, राजा दशरथ, रामचन्द्र आदि अयोध्या के राजाओ तथा शाकुन्तल भरत तथा युधिष्ठिर आदि हस्तिनापुर के राजाओ ने भी यह प्रयत्न किया। किन्तु उनमें सबसे अधिक सगठित प्रयत्न मगध साम्राज्य के सस्थापक जरासन्ध का था। क्योकि जहा अयोध्या तथा हस्तिनापुर के चक्रवर्ती राजा अन्य राजाओ से अपनी आधीनता स्वीकार करा कर ही सन्तुष्ट हो जाते थे, वहा जरासन्ध ने उनको राज्यच्युत कर उनके राज्य पर अधिकार करने की प्रथा चलाई। बाद में जब मगध सम्राट् श्रेणिक बिम्बसार ने मगध साम्राज्य की पुन स्थापना की तो उसने, उसके उत्तराधिकारी सम्राट् अजातशत्रु, उदायी, नन्दिवर्द्धन, महापद्म नन्द तथा महानन्द ने इस प्रथा पर अधिकाधिक कठोरता से आचरण किया। तब भी इन राजाओ के हृदय में देशभक्ति की भावना की अपेक्षा व्यक्तिगत मान-मर्यादा की भावना ही अधिक प्रबल थी। इसी से मौर्य सम्राट् अशोक के आक्रमण का मुकाबला कलिंग जैसे छोटे से राज्य ने सात वर्ष तक किया। किन्तु भारत के एकीकरण का यह प्रयत्न विन्ध्याचल के उत्तर में ही किया गया। दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण श्रेणिक बिम्बसार के पौत्र तथा अजातशत्रु के पुत्र उदायी ने ख्रीष्टपूर्व ४९० में किया था। उसने इस सेना को अपने पुत्र अनिरुद्ध की

आधीनता में भेजा। अनिरुद्ध ने दक्षिण को विजय कर श्री लंका को भी जीता और वहा अपने नाम से अनिरुद्ध पुर (अनुराधपुर) नामक नगर बसाया। पुष्यमित्र सुग, समुद्रगुप्त तथा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने तो देशभक्ति की भावना से ही विभिन्न राज्यों को एक करने का प्रयत्न किया। किन्तु उनकी सफलताओ का कारण बहुत कुछ उनका व्यक्तित्व था। अतएव उनके स्वर्गवास के बाद उनमें से किसी का भी कार्य स्थायित्व प्राप्त न कर सका। पठान शासकों में अलाउद्दीन खिल्जी ने भी भारत को एक करने का प्रयत्न किया, किन्तु उसका उद्देश्य धन-लिप्सा तथा धर्मान्धता होने के कारण उसके उद्देश्य के साथ किसी भी ऐतिहासिक विद्वान् की सहानुभूति नहीं पाई जाती। मुगल शासको में से हम अकबर के हृदय को देश-भक्ति से ओत-प्रोत पाते हैं। इसी से उसका साम्राज्य कई पीढियों तक स्थायी रहा और वह औरगजेब की धर्मान्धता की चट्टान से टकरा ही छिन्न-भिन्न हुआ।

वास्तव में भारत को एकछत्र शासन में सबसे अधिक सगठित अग्रेजो ने किया। उनके १५० वर्ष के लम्बे शासन काल में जहा भारतीयो को स्थिर तथा सुसगठित शासन, निष्पक्ष न्याय तथा व्यक्तित्व एव सम्पत्ति की सुरक्षा का अपूर्व लाभ प्राप्त हुआ, वहा भारतीयो को विदेशों में तथा अपने देश में भी अग्रेजो तथा अन्य गोरी जातियों के सामने पग पग पर अपमानित होना पडा। इससे हमारे जातीय आत्मसम्मान को ठेस लगी। फलत: देश में देशभक्ति की भावना जाग्रत हुई। महात्मा गाधी तथा सरदार वल्लभ भाई आदि नेताओ ने भारतीयो की देशभक्ति की उसी भावना का समुचित विकास कर देश को अग्रेजो की दासता के बधन से छुडाया। इस समय तक ब्रिटिश भारत ही स्वतत्र हुआ था। देशी राज्यो में अभी तक न केवल निरकुश शासन था, वरन् वहा प्रजा पर अनेक प्रकार के अत्याचार भी किये जा रहे थे।

देशी राज्यो की प्रजा का सघर्ष—गत पृष्ठो में १९३० से १९३४ तक स्वतन्त्रता के लिये किये गए जिस राजनीतिक सघर्ष का वर्णन किया गया है, उसमें देशी राज्यो की प्रजा ने भी बहुत अच्छा भाग लिया था। काग्रेस ने पहिले से ही गाधी जी के परामर्श के अनुसार देशी राज्यो के मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति अपना रखी थी। १९३८ तथा १९३९ मे उत्तर में काश्मीर से लेकर दक्षिण में ट्रावनकोर तथा पूर्व में उडीसा से लेकर पश्चिम मे काठियावाड तक अनेक देशी राज्यो की प्रजा ने उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्राप्त करने के लिये सघर्ष किया। उत्तर में काश्मीर और नाभा राज्य में तथा राजस्थान के अलवर, उदयपुर और जयपुर राज्यो में प्रजा ने उत्तरदायित्पूर्ण शासन के लिये अच्छा सघर्ष किया।

विभिन्न देशी राज्यो में सन् १९३८–३९ में प्रजा मण्डलो के सघर्ष का

इतिहास बडा दिलचस्प है। सरदार उन सभी सघर्षों में पूर्ण रुचि लेते थे। मैसूर, माणसा (उत्तर गुजरात) तथा बडौदा राज्य के सघर्षों के पश्चात् सरदार को राजकोट में कठिन परिश्रम करना पडा।

राजकोट सत्याग्रह—राजकोट यद्यपि एक छोटा सा राज्य था, किन्तु काठियावाड की एजन्सी का केन्द्र होने के कारण राजकोट नगर तथा राज्य का काठियावाड में अधिक महत्व था। गाधी जी के पिता कबा गाधी (कर्मचन्द गाधी) किसी समय राजकोट में दीवान थे। राजकोट के भूतपूर्व ठाकुर लाखाजीराज गाधी जी को पिता तुल्य मानते थे। किन्तु उनके पुन धर्मेन्द्रसिंह बिल्कुल भिन्न प्रकार के थ। उन्हे राजकोट के राजकुमार कालेज में शिक्षा मिली थी। सरदार कहा करते थे कि "उस कालेज में मनुष्य को पशु बनाया जाता है। वहा वही राजकुमार होशियार माना जाता है, जिसे अनेक प्रकार की शरावो के नाम और उनका पीना आता हो। वहा यही सिखाया जाता है कि प्रजा से किस प्रकार पृथक् रहा जावे।" वहा शिक्षा प्राप्त कर धर्मेन्द्रसिंह विलायत गये। इस विषय में सरदार ने कहा है कि "यहा जानवर जैसा बनाने के बाद राजाओ को इग्लैण्ड ले जाया जाता है। मैंने देखा है कि वहा से कितने ही राजा गवार बन कर आते हैं।" यही दशा राजकोट के राजा की हुई। उन्होने वेश्याओ के नाच, गान, शराब तथा भोगविलास में राज्य की पूजी को नष्ट कर खजाना खाली कर दिया। अतएव दीवान वीरावाला ने राज्य की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उलटे मार्ग अपनाने आरम्भ किये। नगर में दियासलाई, चीनी, बर्फ तथा सीनेमा आदि के ठेके दिये जाने लगे। धानमण्डी जैसे मकान बेचे जाने लगे। नगर का बिजलीघर गिरवी रखने की बात भी चली। राज्य में "कार्निवाल" को बुलाकर उसे जुआ खेलने का ठेका दिया गया।

इन्ही दिनो राज्य के स्वामित्व वाली कपडे की मिल के मजदूरो ने अपना सगठन बनाकर इस बात का विरोध किया कि उनसे लगातार चौदह घण्टे काम न लिया जावे। वीरावाला ने उन के कुछ नेताओ को राज्य से निकाल दिया, किन्तु मजदूरो की हडताल से प्रभावित होकर उसने उनके निर्वासन की आज्ञाए रद कर दी।

इसके पश्चात् राज्य में जुए के विरुद्ध वातावरण तैयार करने के लिये १५ अगस्त १९३८ को एजेंसी की सीमा मे एक सार्वजनिक सभा की गई। दीवान वीरावाला ने यह प्रबन्ध किया कि इस सभा पर पहिले एजेंसी की पुलिस और बाद में राज्य की पुलिस लाठी प्रहार करे। राजकोट के नेता ढेबर भाई यह समाचार सुन कर एजेंसी के अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट से मिले। उन्होने उनसे कहा "हमारा झगडा एजेंसी के साथ नहीं है, किन्तु सभा की घोषणा हो चुकी है। अतएव जनता तो एकत्रित होगी ही। आप सभा बन्दी की आज्ञा दें तो हम बिना झगडा किये शान्ति-

श्री महादेव देसाई तथा गांधी जी के साथ

नई दिल्ली के लोदी गार्डन में

पूर्वक सारी सभा को लेकर राज्य की सीमा मे चले जावेंगे। ढेवर भाई यह प्रवन्ध करके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अफसर के साथ सभा स्थल में आए। परन्तु पुलिस अफसर के सभा बन्दी की आज्ञा सुनाने के पहिले ही पुलिस ने अपनी पहले की व्यवस्था के अनुसार एक दम सभा पर लाठी चलाना आरम्भ कर दिया। उस अफसर ने सीटी बजा कर पुलिस को रोका और मच पर से जनता से क्षमा प्रार्थना की। फिर ढेवरभाई सारी सभा को वहा से राजकोट नगर की सीमा में ले गए। किन्तु वहा भी पुलिस ने बिना सभा बन्दी की आज्ञा दिये सभा पर लाठिया बरसाईं। ढेवर भाई आदि नेताओ पर भी मार पडी। साथ ही ढेवर भाई आदि नेताओ को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके प्रतिवादस्वरूप नगर में भारी हड़ताल हुई। अब तो जिस चौक में लाठी प्रहार हुआ था, वहा प्रतिदिन रात्रि को सभाए होने लगी। बाद में वहा लाठी प्रहार तो नही किया गया, किन्तु भाषण देने वालो को गिरफ्तार कर लिया जाता था। पाच दिन बाद गोकुल अष्टमी के दिन ढेवर भाई आदि सभी नेताओ को जेल से छोड दिया गया।

सरदार पटेल ने यह समाचार पढ कर २२ अगस्त १९३८ को कराची जाते हुए गाडी पर से उन्हे छूटने पर बधाई देते हुए सदेश दिया की कि वह एकाध सप्ताह में राजकोट राज्य की समस्त प्रजा की एक आम सभा करें और उस सभा के सामने उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के लिये एक माग उपस्थित की जावे। अपने इस सदेश में सरदार ने यह भी कहा कि कराची से लौटने पर उस आम सभा में वह भी उपस्थित होंगे।

सरदार का यह सदेश मिलने पर यह निश्चय किया गया कि राजकोट राज्य की प्रजा परिषद् का यह सम्मेलन ५ सितम्बर को किया जावे। दरबार वीराबाला के विरोधी प्रचार करने पर भी परिषद् अत्यन्त समारोहपूर्वक हुई। सरदार पटेल ने इसमें एक प्रभावशाली भाषण देते हुए राज्य मे उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के स्थापित किये जाने की माग उपस्थित की।

दरबार वीरावाला ने उसी दिन सरदार को चाय के लिये अपने बगले पर बुलाया। दोनो मे अच्छी तरह वार्तालाप हुआ। दरबार वीरावाला एक ओर तो सरदार के साथ राज्य में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना के लिये वार्तालाप कर रहे थे, दूसरी ओर उन्होने ठाकुर साहिब से रेजीडेण्ट मिस्टर गिब्सन के नाम एक पत्र द्वारा उनसे अनुरोध करवाया कि वह एक पुराने आई सी एस अग्रेज सर पैट्रिक केडल को राज्य का दीवान बनाने मे सहायता दें। अस्तु सर पैट्रिक केडल ने १२ सितम्बर को दीवान का काम सभाल लिया और दरबार वीरावाला ठाकुर साहिब के निजी परामर्शदाता बने।

केडल साहिब ने ढेवर भाई से दो एक बार कुछ वार्तालाप किया, किन्तु

उसका कोई परिणाम नही निकला । इसलिये ढेवर भाई ने ठेकेवाली दियासलाई की पेटी का सार्वजनिक नीलाम करके सत्याग्रह का मगलाचरण कर दिया । इस पर ढेवर भाई को गिरफ्तार कर उन्हे १५ दिन की सजा दी गई । राज्य में सभाओं तथा जुलूसो पर पाबन्दी लगा दी गई । तथापि लोग इन आज्ञाओ का उल्लघन कर जेल जाने लगे । यह आन्दोलन जब गावो तक जा पहुचा तो केडल साहिब घबराए और ठाकुर साहिब से बातचीत करने गए । किन्तु ठाकुर ने उनको समय देकर भी उनसे वार्तालाप नही किया ।

दरबार वीराबाला यह समझ गया कि केडल से उसकी आशा पूरी नही होगी। अतएव उसने ठाकुर साहिब से रेजीडैण्ट को दूसरा पत्र लिखवा कर उन्हे वापिस बुला लेने की माग की । रेजीडैण्ट इसमे वीरावाला की चाल को भाप गया और उसने केडल को न हटा कर वीराबाला को यह आज्ञा दी कि वह राज्य से चला जावे। बडी कठिनता से वीरावाला राजकोट से विदा हुआ ।

१ नवम्बर को ढेवर भाई को फिर पकड लिया गया। अब सभाओ का इतना जोर बढा कि पुलिस को एक ही दिन में ११ बार लाठी चार्ज करना पडा । ११ नवम्बर को प्रजामण्डल के तत्वावधान में बम्बई में एक सभा हुई, जिसमें सरदार पटेल ने राजकोट में अत्याचार करने वालो को काफी आडे हाथो लिया । इसके पश्चात् राजकोट के विषय में सरदार ने एक अन्य भाषण २१ नवम्बर १९३८ को अहमदाबाद की एक सार्वजनिक सभा में दिया ।

ढेवर भाई के १ नवम्बर को दुबारा पकडे जाने के बाद सरदार ने ११ नवम्बर को अपनी पुत्री मणिबेन को राजकोट भेजा । वहा उन्हे ५ दिसम्बर को गिरफ्तार कर लिया गया । यह समाचार सुनकर अहमदाबाद से मृदुला बहिन साराभाई तथा उनकी माता सरला देवी राजकोट गई । किन्तु उनको रेलवे स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिया गया ।

राजकोट के इस आन्दोलन से काठियावाड के अन्य राजा तथा दीवान भी घबराने लगे । उन्होने समझौता कराना चाहा । भावनगर के दीवान श्री अनत राय पट्टणी ने दरबार वीरावाला को राजकोट बुलाकर उनके साथ ठाकुर साहिब से भेंट की । इस समय ठाकुर साहिब भी समझौता करना चाहते थे । इसलिये श्री अनन्त राय पट्टणी गाधी जी से मिलने वर्धा गए । गाधी जी ने समझौते का मसविदा बना दिया । उसे लेकर अनन्त राय अहमदाबाद में सरदार से मिल कर बाद में राजकोट में ठाकुर साहिब तथा दीवान सर पैट्रिक केडल से मिले । ठाकुर साहिब ने उस मसविदे को स्वीकार कर लिया । इस पर यह निश्चय किया गया कि केडल सरदार से बम्बई में मिले । तदनुसार श्री अनन्त राय ने सरदार के साथ बम्बई में केडल से भेंट २९ नवम्बर को कराई। इस भेंट में सब कुछ तय हो गया। किन्तु केडल

तथा रेजीडैण्ट समझौता नही चाहते थे। अतएव केडल ने राजकोट जा कर १४४ धारा की अवधि दो मास के लिये और बढा दी।

केडल के समझौते से मुकर जाने पर दरबार वीराबाला ने उसका यश स्वय लेने का निश्चय किया। उसका प्रस्ताव था कि ध्रागध्रा के राजा मध्यस्थ बनें। अतएव ठाकुर साहिब ने ६ दिसम्बर १९३८ को इस विषय में ध्रागध्रा के एक सज्जन श्री दुर्गाप्रसाद को एक पत्र लिखा। इस पत्र में ठाकुर साहिब ने सरदार के विषय में लिखा कि "यही एक समझदार व्यक्ति है, जिनके साथ उचित समझौता हो सकता है और जो इस झगडे को समाप्त करा सकते हैं।"

यह दुर्गाप्रसाद राजकोट के ठाकुर साहिब का पत्र लेकर बम्बई में सरदार से मिले। ठाकुर साहिब ने सरदार को राजकोट आने का निमन्त्रण दिया। इस पर सरदार २५ दिसम्बर १९३८ को विमान द्वारा राजकोट पहुचे। सरदार का ठाकुर साहिब से आठ घण्टे तक वार्तालाप हुआ। इस वार्तालाप के समय दीवान सर पैट्रिक केडल तथा कौसिल के दो अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। इस वार्तालाप के फलस्वरूप एक समझौता हो गया, जिसपर रात के दो बजे ठाकुर साहिब ने हस्ताक्षर किये। इस समझौते में छै धारायें थी। यह निश्चय किया गया कि "दस सदस्यो की एक समिति नियुक्त की जावेगी, जिनमें से तीन राज्य के कर्मचारी तथा सात प्रजा के प्रतिनिधि होगे। प्रजा के प्रतिनिधियो के नाम सरदार वल्लभभाई बतलाएगे और उनको बिना परिवर्तन के ठाकुर साहिब स्वीकार कर लेंगे।'

"यह समिति राज्य में शासन सुधार की ऐसी योजना बनाकर ठाकुर साहिब के सामने जनवरी १९३९ के अन्त तक उपस्थित करेगी, जिसमे प्रजावर्ग को अधिक से अधिक सत्ता दी जा सके तथा ठाकुर साहिब के सम्राट् के प्रति कर्त्तव्यो और राजा के नाते उनके अधिकारो में बाधा भी न आवे।

"ठाकुर साहिब ने यह वचन दिया कि इस समिति द्वारा उपस्थित की हुई योजना को वह पूर्णतया कार्यान्वित करेंगे।

"इस समय सविनय अवज्ञा के सब कैदियो को छोड देने, वसूल किये जुर्मानो को लौटा देने और दमनकारी कार्यवाहिया को वापिस लेने का निश्चय भी किया गया।"

इस समझौते को प्रातःकाल २६ दिसम्बर १९३८ को गजट निकाल कर प्रकाशित कर दिया गया। उसी दिन सारे कैदियो को भी छोड दिया गया। यद्यपि इस समझौते के सम्बन्ध में देश भर में प्रसन्नता प्रकट की गई, किन्तु रेजीडेण्ट मिस्टर गिब्सन को यह समझौता पसन्द नही आया। उसने राजकोट के ठाकुर साहिब को बुलवा कर उन्हें हल्की फटकार दी। किन्तु ठाकुर साहिब सर केडल

बनाना भी नहीं आता था। बादमें मणिबेन को उनसे अलग करके राजकोट जेल में रखा गया तो उन्होंने वहा तब तक खाने से इन्कार कर दिया, जब तक बा के पास उनकी कोई परिचित स्त्री न रखी जावे। दूसरे दिन उनको बा के पास सणोसरा ले जाकर उन दानो को वहा से हटा कर त्रबा के अतिथिगृह में पहुचा दिया गया।

इस बीच वहा कैदियो पर इतने अधिक अमानुषिक अत्याचार किये गये कि उन्होने उनके प्रतिकारस्वरूप अनशन आरम्भ कर दिया। यह समाचार पाकर महात्मा गाधी २५ फरवरी १९३९ को राजकोट चले। चलते समय उन्होंने सरदार को राजकोट में सत्याग्रह सग्राम रोकने की आज्ञा दी। अतएव सरदार की आज्ञा से राजकोट में सत्याग्रह रोक दिया गया।

गाधी जी २७ फरवरी १९३९ को राजकोट पहुचे। वहा उनका कौंसिल के प्रथम सदस्य फतह मुहम्मद खा ने स्वागत किया। उनसे कहा गया कि कैदियो के साथ अत्याचार की बात असत्य है। जेलो में विशेष सफाई करा कर तथा कैदियो को साफ कपडे पहना कर उन्हें जेल ले जाया गया, किन्तु अत्याचारो के प्रमाण मिलते ही गये। गाधी जी बा से मिलने त्रबा भी गये। फिर वह ठाकुर साहिब से मिले। वहा दरबार वीरावाला भी उपस्थित थे। अगले दिन गाधी जी रेजीडेंण्ट मिस्टर गिब्सन से भी मिले। इस सारे वार्तालाप से उन्हे इतनी अधिक अन्तर्वेदना हुई कि उन्ह रात को देर तक नीद नही आई। प्रात काल उठकर उन्होने ठाकुर साहिब को पत्र लिखा कि "यदि मेरी मागें नही मानी गई तो दूसरे दिन तीन मार्च से मेरा उपवास आरम्भ हो जावेगा।" अपन इस पत्र में गाधी जी ने जो मागें उपस्थित कीं, उनमें मुख्य यह थी —

१—तारीख २६ दिसम्बर १९३८ के गजट में जो आपकी घोषणा छपी है वह कायम है। ऐसी दुबारा प्रजा के सामने घोषणा की जावे।

२—तारीख २१ जनवरी १९३९ के गजट की घोषणा को रद्द किया जावे।

३—समिति के सदस्यो में राजकोट प्रजा परिषद् का बहुमत रहे।

४—सत्याग्रही कैदियो को छोड दिया जावे। जब्तिया माफ की जावें तथा जुर्माने लौटा दिये जावें।

इस पत्र की नकले रेजीडेण्ट तथा दरबार वीरावाला को भी भेजी गईं। सरदार पटेल को भी सारी परिस्थिति से सूचित कर दिया गया।

ठाकुर साहिब का उत्तर न आने पर ३ तारीख को बारह बजे दोपहर से उपवास आरम्भ कर दिया गया। ४ तारीख को गाधी जी ने अपने

उपवास और उसके कारण की सूचना रेजीडेण्ट के द्वारा वाएसराय के पास भी भेज दी। ६ मार्च को श्रीमती कस्तूर बा, मणिबेन तथा मृदुला साराभाई को जेल से बिना शर्त छोड दिया गया, जिससे वह गाधी जी के पास पहुच गईं।

गाधी जी का पत्र पहुचा तो वाएसराय दौरे पर गये हुए थे। वह अपना दौरा बीच में ही छोड कर ६ को ही दिल्ली लौट आये। ७ को उन्होंने मिस्टर गिब्सन के द्वारा गाधी जी के पास यह सन्देश भेजा।

"मैं देखता हू ठाकुर साहिब की जिस घोषणा की पूर्ति बाद में उनके द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल को लिखे गये पत्र से की गई थी उसके अर्थ के बारे में शका की गुजाइश हो सकती है। मेरे विचार से ऐसी शका के निवारण करने का सबसे उत्तम उपाय यही है कि उसका अर्थ देश के सबसे बडे न्यायाधीश सर मारिस ग्वायर से करा लिया जावे।"

महात्मा गाधी ने वाएसराय के इस अनुरोध को स्वीकार कर अपना उपवास उसी दिन भग कर दिया। सत्याग्रह के सभी कैदियो को उसी दिन छोड दिया गया।

सर मारिस ग्वायर ने दिल्ली में दोनो पक्ष की युक्तियो को कई दिन तक सुन कर गाधीजी के पक्ष में निर्णय ३ अप्रैल को दिया। ७ अप्रैल को वाएसराय की ओर से एक पत्र द्वारा यह विश्वास दिलाया गया कि ठाकुर साहिब अपना वचन पूरी तरह पालन करेंगे।

९ अप्रैल को गाधीजी दिल्ली से तथा सरदार बम्बई से चलकर राजकोट पहुचे। उनके राजकोट पहुचते ही मुसलमानो, जागीरदारो और दलितवर्ग वालो ने उनसे मिल कर बनने वाली कमेटी में अपना प्रतिनिधित्व मागा। इतना ही नहीं, उन्होंने गाधीजी के प्रत्येक कार्यक्रम में हुल्लड मचा कर बाधा पहुचाई। सरदार को वह शारीरिक चोट भी पहुचाना चाहते थे, जो उस दिन प्रजामण्डल के काम से अमरेली गए थे। किन्तु सरदार के कार्यक्रम का ठीक २ पता न लगने से उनकी अभिलाषा मन की मन में ही रह गई। अन्त मे गाधीजी ने घोषणा की कि परिषद् इस कमेटी से बिल्कुल पृथक् रहेगी। ठाकुर साहिब सारी कमेटी को अपनी घोषणा के अनुसार स्वय ही मुकर्रर करें। यह कमेटी एक मास चार दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट दे। प्रजा परिषद के सात सदस्य उस रिपोर्ट की जाच कर लें और आवश्यक समझें तो अपनी भिन्न रिपोर्ट द। वह दोनो रिपोर्टें भारत के प्रधान न्यायाधीश के सामने उपस्थित की जावें और उनके निर्णय को दोनो पक्ष मान लें।' परन्तु दरबार वीरावाला न यह सुझाव नही माना। अन्त में गाधीजी सारे लाभ ठाकुर साहिब के पक्ष में छोड कर राजकोट से चले आये। उन्होंने यह अनुभव किया कि हृदय परिवर्तन के बिना सार्वभौम सत्ता के दबाव से कराया

हुआ निर्णय भी हिंसा ही है। सरदार पटेल ने महात्मा गाधी के निर्णय को सिर झुका कर स्वीकार कर लिया।

राजकोट के बाद बडौदा, लीमडी तथा भावनगर में भी प्रजामण्डलो ने आन्दोलन किये। राजकोट सत्याग्रह के सम्बन्ध में देश तथा विदेशो में पर्याप्त प्रतिकूल आलोचनाए हुई है। किन्तु इन आलोचनाओ मे इस बात की ओर ध्यान नही दिया गया कि इस असफलता का मुख्य कारण था इस विषय में श्री ढेवर भाई की अदूरदर्शिता। सरदार पटेल ने अपने जीवन काल में जितने भी सत्याग्रह किये उन सबके लिये वह जनता को प्रशिक्षित करके पहले से ही पूर्ण तैयारी किया करते थे। किन्तु श्री ढेवर ने इस प्रकार की कोई तैयारी न कर दियासलाई की पेटी का नीलाम कर जल्दबाजी में सत्याग्रह आरम्भ कर दिया। उन्होंने न तो राजकोट की जनता को समझाया कि सत्याग्रह क्यो किया जा रहा है, उसमें क्या-क्या बाधाए आवेंगी और जनता को उसमें क्या-क्या कष्ट भोगने पडेंगे, न उन्होने राज्य से बाहिर की जनता मे प्रचार कर उसकी सहानुभूति प्राप्त करने का ही यत्न किया। इस प्रकार इस सत्याग्रह के लिये न तो जनता को शिक्षित किया गया, न कोई पूर्व योजना बनाई गई और न इस सम्बन्ध में नेताओ से कोई पूर्व परामर्श किया गया। उनके इस अदूरदर्शितापूर्ण पग के कारण सरदार को इस कार्य को अपने हाथ में लेना पडा। जब माता कस्तूर बा राजकोट जाने लगी तो सरदार ने पहिले तो उनको वहा जाने से मना किया और जब वह न मानी तो उनके साथ अपनी पुत्री मणिबेन को भेजा। इस प्रकार महात्मा गाधी को भी उसमें भाग लेने को विवश होना पडा। वास्तव में ढेवर भाई ने अपनी जल्दबाजी तथा अदूरदर्शिता से राजकोट में यह ऐसा काण्ड रच डाला कि उसमे सरदार के तो प्राणो तक पर सकट आ गया था। महात्मा गाधी तथा सरदार पटेल श्री ढेवर की इस अदूरदर्शिता को समझते थे, किन्तु उन्होने अपनी स्वाभाविक उदारता-वश इसका उल्लेख नही किया।

भारत के औपनिवेशिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने की १२ मई १९४७ की घोषणा का कई देशी राज्यो ने यह अर्थ लगाया कि वह भी पूर्णतया स्वतन्त्र हो जावेंगे। इस प्रसग मे ट्रावनकोर ने स्वतन्त्र रहने की अपनी इच्छा की घोषणा ११ जून को ही कर दी। बाद में नीजाम ने भी ऐसी ही घोषणा की। इस पर प० नेहरु तथा सरदार पटेल ने इस मामले को पार्टी नेताओ की बैठक में १३ जून १९४७ को उपस्थित किया। इस मीटिंग को लार्ड माउण्टबेटन ने बुलाया था। इसमें काग्रेस की ओर से प० नेहरू, सरदार पटेल तथा आचार्य जे०बी० कृपलानी (तत्कालीन काग्रेस अध्यक्ष) तथा मुस्लिम लीग की ओर से मि० जिना, श्री लियाकत अली खा तथा श्री अब्दुर रब निश्तर, सिखो की ओर से सरदार

बलदेव सिंह तथा राजनीतिक परामर्शदाता सर वालटर मांकटन ने भाग लिया। नेहरूजी तथा सरदार पटेल के देशी राज्यों की अलग रहने की नीति का विरोध करने पर श्री जिना ने उनकी अलगाव की नीति का समर्थन किया। अन्त में बहुत वाद विवाद के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि देशी राज्यों से सम्पर्क रखने के लिये भारत सरकार एक नए विभाग की स्थापना करे। इस सम्बन्ध में राव बहादुर वी० पी० मेनन को—जो अब तक गवर्नर जेनेरल के विधान सम्बन्धी परामर्शदाता थे—एक नोट प्रस्तुत करने को कहा गया। श्री मेनन के नोट के अनुसार २५ जून १९४७ को अन्तरिम सरकार के मन्त्रीमण्डल ने रियासती विभाग की स्थापना सरदार वल्लभभाई पटेल की आधीनता में करने का निश्चय किया। ५ जुलाई १९४७ को इस विभाग की स्थापना की जाने पर सरदार पटेल ने श्री वी० पी० मेनन को ही इसका सेक्रेटरी बनाया। इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी राज्यों के नाम एक संदेश में उनसे अनुरोध किया कि वह भारत सरकार के साथ शीघ्र ही यथापूर्व समझौते करके अपने रक्षा, विदेशी सम्बन्ध तथा यातायात के विषय केन्द्रीय सरकार को सौंप दें। १० जुलाई को कई राजाओं तथा देशी राज्यों के मन्त्रियों ने सरदार के निवास स्थान पर उनसे भेंट की। उनमें पटियाला तथा ग्वालियर के महाराजा भी थे। उन्होंने सरदार के साथ दिल खोल कर वार्तालाप किया और यह स्वीकार किया कि देश-भक्ति के दृष्टिकोण से भी देशी राज्यों तथा शेष भारत का इस प्रकार का सहयोग वाञ्छनीय है। श्री जिना ने इस योजना का एक सार्वजनिक वक्तव्य द्वारा विरोध किया। २५ जुलाई १९४७ को कतिपय राजाओं तथा उनके मन्त्रियों ने सरदार पटेल से उनके निवास स्थान पर फिर भेंट करके श्री जिना के वक्तव्य से असहमति प्रकट की।

यथापूर्व समझौते—लार्ड माउण्टबेटन ने १५ जुलाई १९४७ को नरेन्द्र-मण्डल की एक पूरी बैठक बुलाई। उसमें उन्होंने राजाओं से अनुरोध किया कि वह अपने रक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध तथा यातायात के साधनों के विषय अपने-अपने समीप के क्षेत्र भारत या पाकिस्तान की केन्द्रीय सरकार को सौंप दें। इसी बैठक में यथापूर्व समझौतों का मसविदा बनाने के लिये भी एक उपसमिति बनाई गई। इस समिति ने यथापूर्व समझौतों तथा सम्मिलन समझौतों की रूपरेखा भारत सरकार के परामर्श से तैयार कर ली और उस पर १५ अगस्त १९४७ तक हैदराबाद, काश्मीर तथा जूनागढ के अतिरिक्त सभी देशी राज्यों के शासकों के हस्ताक्षर हो गये, यद्यपि इसके पश्चात् सरदार पटेल, लार्ड माउण्टबेटन तथा श्री वी०पी० मेनन को राजाओं तथा उनके मन्त्रियों से कई-कई बार मिलकर स्थिति को स्पष्ट करना पड़ा। जोधपुर, जैसलमेर तथा बीकानेर के राजाओं को श्री जिना ने पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिये बहुत कुछ फुसलाया। जोधपुर के महा-

राजा हनुवतसिंह इसके लिय सहमत भी हो गए, किन्तु बाद में उन्होंने लार्ड माउण्टबेटन, श्री वी०पी० मेनन तथा सरदार पटेल से दिल्ली में भेंट करके उपरोक्त समझौतो पर हस्ताक्षर कर दिये। नवाव भोपाल तथा इन्दौर नरेश ने इन समझौतो पर बडी कठिनता से हस्ताक्षर किये। सम्मिलन समझौतो (Instruments of accession) द्वारा राज्यो पर भारत सरकार की प्रभुसत्ता की स्थापना हो गई। यथापूर्व समझौतो के द्वारा भारत सरकार तथा देशी राज्यो की पिछली सधियो को दुबारा स्वीकार किया गया।

उडीसा तथा छत्तीसगढ़ राज्यो का विलय—उन दिनो इन राज्यो में प्रजा-मण्डलो ने उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्राप्त करने के लिये वल प्रयोग करना आरम्भ कर दिया। शासको ने भी राजभक्तो का दल बनाकर गुरखो की भर्ती की तथा धेनकनल के राजा से सहायता की याचना की। इस पर अक्तूबर १९४७ के अन्त में आदिवासियो ने इन राज्यो म विद्रोह कर किसानो की भूमि तथा अन्न भडार पर अधिकार करना आरम्भ किया। बाद में उन्होंने गावो पर आक्रमण करके लूट-मार करना भी आरम्भ कर दिया। यह कहा जाता था कि नीलगिरि के राजा ने उनको प्रजामण्डलो पर आक्रमण करने के लिये उकसाया था। किन्तु राजा का कहना था कि अपने आर्थिक सकट के कारण वह बिना उकसाए हुए ही लूटमार कर रहे थे।

बिहार सरकार से उन मामलो की शिकायत पाने पर सरदार पटेल ने बिहार सरकार के द्वारा बालासोर के कलेक्टर को आदेश भेजा कि वह नीलगिरि राज्य पर अधिकार कर ले। अतएव १४ नवम्बर १९४७ को नीलगिरि पर अधिकार कर लिया गया।

इस समय उडीसा में हीराकुण्ड बाध के लिये सरकार किसानो की भूमि पर अधिकार कर रही थी। पटना के राजा ने किसानो को सरकार के विरुद्ध सक्रिय पग उठाने के लिये भडकाया।

उन दिनो यह भी पता चला कि बस्तर के शासक वहा की खनिज सम्पत्ति को हैदराबाद के पास गिरवी रख रहे थे। सरदार पटेल ने इसका कागजी सबूत पाने पर बस्तर के अल्पवयस्क राजा को दिल्ली बुलाकर ऐसा न करने की चेतावनी दी।

उडीसा के मुख्यमन्त्री श्री हरेकृष्ण मेहताव से इन राज्यो के विरुद्ध इस प्रकार की अनेक शिकायत पाने पर सरदार पटेल ने उन सब राज्यो के सम्बन्ध में २० नवम्बर १९४७ को अपने अधिकारियो से परामर्श कर यह अनुभव किया कि राज्यो का आकार छोटा होने के कारण वह उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के व्यय का भार सहन नही कर सकते। सरदार ने यह भी अनुभव किया कि प्रजा के सहयोग

के बिना राज्यों में कानून तथा व्यवस्था की स्थापना नही की जा सकती और ऐसी दशा में भारत सरकार को उन राज्यो का शासन अपने हाथ में लेने को विवश होना पडेगा । इसका अन्तिम हल यही दिखलाई दिया कि शासक गुजारा लेकर अपना २ राज्य भारत सरकार को सौंप दें । गुजारे के प्रश्न पर अनक दृष्टिकोण से विचार करने के उपरान्त यह निश्चय किया गया कि रियासत की वार्षिक आय के आधार पर गुजारे की रकम इस प्रकार निश्चित की जावे कि प्रथम एक लाख की वार्षिक आय पर १५ प्रतिशत, अगले चार लाख की वार्षिक आय पर १० प्रतिशत तथा पाच लाख से अधिक की समस्त आय पर साढे पात प्रतिशत दिया जावे । यह भी निश्चय किया गया कि दस लाख रुपए वार्षिक से अधिक किसी को भी न दिया जावे । इसके लिये १९४५-४६ के वर्ष की आय का आधार माना गया । राजाओं की व्यक्तिगत सम्पत्ति आदि के सम्बन्ध में भी उचित निर्णय किया गया । इतनी तैयारी के पश्चात् सरदार पटेल श्री वी०पी० मेनन को साथ लेकर १३ दिसम्बर १९४७ को कटक पहुचे । सरदार न १४ दिसम्बर को प्रथम छोटे छोटे राजाओ की मीटिंग बुलाकर उनके सन्मुख एक प्रभावशाली भाषण दिया । उसमें उन्होंन यह बतलाया कि उनके राज्य की आन्तरिक अशान्ति को दूर करने का उपाय केवल यही है कि या तो उनके शासन को भारत सरकार हस्तगत कर ले, अथवा वे स्वेच्छा से गुजारा लेकर अपना अपना राज्य भारत सरकार को सौंप दें । इस समय राजाओ को विलय सधिपत्रो की प्रतिया भी दी गईं । पर्याप्त वाद-विवाद तथा प्रश्नोत्तर के पश्चात् उन सब राजाओ ने विलय पत्रो पर हस्ताक्षर कर दिये । इसके पश्चात् सरदार पटेल ने बडे-बडे राजाओ को बुला कर उनसे भी वार्तालाप किया । उन लोगो का वार्तालाप यद्यपि कुछ लम्बा चला, किन्तु अन्त में उन सबने भी विलय पत्रो पर हस्ताक्षर कर दिये ।

उडीसा के राज्यों की समस्या को सुलझा कर सरदार १५ दिसम्बर १९४७ को विमान द्वारा नागपुर पहुचे । वहा उन्होंने उसी दिन छत्तीसगढ के राजाओ से भेंट कर उनके सामन तत्कालीन परिस्थिति का वर्णन करते हुए उडीसा के राज्यो का उदाहरण उपस्थित किया । नागपुर की इस मीटिंग में छत्तीसगढ के ३८ राजाओ के अतिरिक्त सरदार पटेल, मध्यप्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री मगलदास पकवासा, रियासती विभाग के सचिव श्री वी०पी० मेनन तथा मध्य प्रान्त के मुख्य मन्त्री पडित रविशकर शुक्ल ने भी भाग लिया । इस बैठक में उन सभी राजाओ न अपने-अपन राज्यो को भारत में विलय करन का निर्णय किया और बाद में वह मध्य प्रान्त म विलीन हो गए । यह सारा कार्य शीघ्रतापूर्वक समाप्त कर सरदार पटल १६ दिसम्बर १९४७ को दिल्ली लौट आए । उन्होंने उसी दिन राज्यो की समस्या को सुलझाने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया, जिस म उन्होंने बतलाया कि अग्रेजो के भारत छोड देने से रजवाडो की प्रजा भी उत्तर-

दायित्वपूर्ण शासन के लिये छटपटाने लगी है। किन्तु अधिकाश राज्य इतने छोटे हैं कि वह उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की सस्थाओ के व्यय को सहन नही कर सकते। ऐसी दशा में प्रजा का आन्दोलन इतना बढ सकता है, जिसमे राज्य के अस्तित्व तक के समाप्त होने की सम्भावना है। अपने इस वक्तव्य में सरदार पटेल ने उडीसा तथा छत्तीसगढ के राज्यो का उदाहरण देते हुए कहा कि 'उन सभी राज्यो को प्रजामण्डलो के आन्दालन के कारण ही भारत में मिलने का निर्णय करना पडा। अब इन राज्यो के राजा अपनी आजीविका तथा सम्मान का उत्तर-दायित्व भारत सरकार को सौंप कर शेष भारत के भाग्य का निर्णय करने में भी भाग ले सकते हैं। इन राज्यो की प्रजा अपने कष्टो को दूर करने के लियें काग्रेस सरकारो से कह सकेगी।'

इसी दिन सरदार पटेल ने श्री वी० पी० मेनन से कहा कि वह इस सारी परिस्थिति का विवरण महात्मा गाधी तथा प० नेहरू के सामने उपस्थित कर। उन दोनो ने श्री मेनन से भेंट कर इस सारे कार्य पर अपनी सहमति प्रकट की। गाधी जी ने तो इस पर आश्चर्य प्रकट करते हुए यहा तक कहा—"सरदार ने तो यह सौदा बडे सस्ते में निबटा लिया।" इसके पश्चात् सरदार पटेल के इस कार्य को मन्त्री मण्डल ने भी स्वीकार कर लिया। इन राज्यो के विलय से सरदार पटेल को एक नवीन अनुभव हुआ और उन्होंने अन्य राज्यों के मामलो पर भी विचार करना आरम्भ किया।

सरदार ने इन ५५२ देशी राज्यो के भाग्य का निर्णय तीन प्रकार से किया। कुछ को प्रान्तो में मिला दिया गया। कुछ को भारत सरकार के अधिकार मे रखा गया और कुछ को आपस में मिला कर उनके सघ बना दिये गए।

सरदार के सामने देशी राज्यो की समस्या कम से कम सन् १९३९ के उस समय से थी जब महात्मा गाधी ने राजकोट के ठाकुर साहब के वचन भग से दुखी होकर वहा उपवास किया था। पडित नेहरू भी काश्मीर में पर्वत से टक्कर मार कर इसी निश्चय पर पहुचे थे कि भारत से अग्रजो के चले जाने तक देशी राज्यो की समस्या को स्थगित रखा जावे।

अग्रेजो के भारत छोड देने पर देशी राज्यो के अपनी प्रजा पर किये जाने वाले अत्याचारो को ढकने की प्रक्रिया समाप्त हो गई। फलत लगभग सभी राज्यों में प्रजामण्डलो ने उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के लिये केवल शान्तिपूर्ण आन्दोलन पर निर्भर न रह कर बल प्रयोग करना भी आरम्भ कर दिया। इससे अनेक राज्यो का शासन कार्य ठप्प हो गया और वहा भारत सरकार की ओर से सरदार पटेल को हस्तक्षेप करना पडा। उडीसा तथा छत्तीसगढ राज्यो के प्रान्तो में विलय से सरदार पटेल को वह मार्ग मिल गया, जिस पर चल कर देशी राज्यो

की गम्भीर समस्या को सदा के लिये सुलझाया जा सकता था। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि भारत के किसी भी देशी राज्य की स्वतन्त्र सत्ता न रहने दी जावे। अस्तु उन्होंने इस कार्य के लिये क्रमश अनेक राज्यो में अपने सेक्रेटरी तथा सहायक श्री वी०पी० मेनन को भेजना आरम्भ किया। अब सभी देशी राज्यो के शासकों को भी यह दिखलाई देने लगा कि उनका भविष्य क्या है। तथापि कुछ राज्य अंग्रेजो के भारत छोडने से पूर्व ही विलय का निश्चय कर चुके थे। इनमें से कई राज्य बम्बई प्रान्त में थे। इन दक्षिणी राज्यों में से कुछ के शासको ने २८ जुलाई १९४६ को पूना में महात्मा गाधी से भेट कर उनसे अपने राज्यों के उस सघ के लिये आशीर्वाद मागा, जिसको बनाने का वह निश्चय कर चुके थ। महात्मा जी ने इस विचार को पसन्द न करते हुए उनको सुझाव दिया कि वह इस सम्बन्ध में प० नेहरू से वार्तालाप करे। प० नेहरू ने इस विचार का समर्थन करते हुए भी राजाओं को यह सुझाव दिया कि प्रथम वह अपने-अपने राज्य में उत्तर-दायित्वपूर्ण शासन की स्थापना करे। अन्त में दक्षिणी राज्यो के एक सघ राज्य का विधान बनाया गया। उसमें यह व्यवस्था की गई कि विलय होने वाले सभी शासको की एक समिति बनाई जावे, जिसका नाम "राज-मण्डल" हो। इस समिति को प्रतिवर्ष अपने सदस्यो में से बारी-बारी से अपना एक अध्यक्ष चुनना था, जिसे राजप्रमुख कहा जाने वाला था। एक अन्य सदस्य को उपराजप्रमुख बनाने की बात भी थी। काग्रेस ने डा० राजेन्द्रप्रसाद, डा० वी० पट्टाभि सीतारामैया तथा श्री शकर राव देव की एक उपसमिति बना कर उसे यह कार्य सौंपा कि वह प्रत्येक राजा के लिये गुजारे की रकम (प्रिवी पर्स) निश्चित करे। १७ अक्तूबर १९४७ को इसके अन्तिम विधान पर औंध, भोर आदि के आठ राजाओं ने हस्ताक्षर किये। औंध नरेश को उसका प्रथम राजप्रमुख तथा भोर नरेश को उसका प्रथम उपराजप्रमुख चुना गया। सघ का अन्तिम विधान बनाने के लिये २१ सदस्यो की एक सविधान परिषद का भी निर्वाचन किया गया। किन्तु प्रशासनिक कठिनाइयो के कारण इस सघ को मूर्तरूप न दिया जा सका। प्रथम तो इन आठो राज्यो की सीमाए एक दूसरे से न मिलने के कारण उनका एक सगठित राज्य नही बन सकता था, दूसरे राजेन्द्र बाबू, डा० पट्टाभि तथा शकर राव देव की उपसमिति भावना प्रधान होते हुए भी इसका व्यवहारिक हल न खोज सकी। फिर ५७ राज्यो में से कुल आठ राज्यो ने ही सघ बनाने का निर्णय किया था। इसी समय जामखण्डी नरेश ने घोषणा की कि यदि उनकी प्रजा चाहे तो वह अपने राज्य का बम्बई प्रान्त मे विलय कर देगे।

इसके पश्चात् सघ बनाने वाले उन राजाओं में से कुछ ने श्री वी०पी० मेनन से भेंट की। इस प्रसग में बात चलने पर सरदार पटेल ने कहा कि यदि वह अपनी प्रजा की सहमति से बम्बई प्रान्त में विलीन हो जावे तो वह उसको स्वीकार कर

तथा उपराजप्रमुख का निर्वाचन किया जाना था। नवानगर तथा भावनगर के राजाओं को इस सभापति-मण्डल में स्थान दिया गया। शेष तीन स्थान राजाओं द्वारा निर्वाचित किये जाने के लिये छोड़ दिये गये। इस राज्य संघ के निर्माण के संधिपत्र पर सभी राजाओं ने १३ जनवरी १९४८ को हस्ताक्षर करके उसका नाम सौराष्ट्र राज्य संघ रखा। इसका उद्‌घाटन सरदार पटेल ने १५ फर्वरी १९४८ को भावनगर में किया।

जूनागढ़ की समस्या—जूनागढ़ का नवाब साम्प्रदायिक मुस्लिम मनोवृत्ति का था। यद्यपि उसकी सीमा पाकिस्तान को कहीं भी स्पर्श नहीं करती थी, किन्तु उसने भारत में सम्मिलित होने का आश्वासन देकर भी पाकिस्तान के साथ मिलना पसन्द किया। यद्यपि वह यह निर्णय करने योग्य नहीं था और यह निर्णय उसके दीवान सर शाहनवाज खां भुट्टो का था। क्योंकि नवाब तो केवल अपने आमोद प्रमोद तथा कुत्तों में ही रात दिन लगा रहता था। जूनागढ़ के साथ मानवदर तथा माग्रोल की समस्याएं भी जुड़ी हुई थीं। मानवदर का क्षेत्रफल कुल १०० मील था। उसके तीन ओर जूनागढ़ तथा उत्तर की ओर गोंडल राज्य था। माग्रोल पोरबन्दर तथा जूनागढ़ के बीच में था। दोनों की अधिकांश प्रजा हिन्दू होते हुए भी उनके शासक मुसलमान थे। माग्रोल के २१ गावों पर जूनागढ़ का आधिपत्य होने के कारण वह जूनागढ़ की आधीनता भी मानता था। उसने इस शर्त पर भारत के साथ सम्मिलन तथा यथापूर्व समझौतों पर हस्ताक्षर किये कि उसके ऊपर जूनागढ़ का प्रभुत्व न रहे। ब्रिटिश सरकार की ३ जून की घोषणा के अनुसार उसके ऊपर से जूनागढ़ का प्रभुत्व स्वयमेव समाप्त हो जाना था। अतएव भारत सरकार ने उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। किन्तु माग्रोल का शेख जूनागढ़ के दबाव के कारण फिर अपने समझौते से मुकर गया। बाबरियावाद ५१ गावों का राज्य था और जूनागढ़ के प्रभाव में था। जूनागढ़ ने वहां सेना भेज कर उस पर तथा माग्रोल पर अधिकार कर लिया। बाबरियावाद ने इसकी शिकायत भारत सरकार से की और उसने सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। सरदार गढ तथा बेतना राज्यों का मामला भी माग्रोल तथा बाबरियावाद जैसा ही था। मानवदर यद्यपि पाकिस्तान में शामिल हो गया, किन्तु वहां हिन्दुओं पर अत्याचार किये जा रहे थे। अतएव अक्तूबर के अन्त तक माग्रोल, बाबरियावाद तथा मानवदर इन तीनों पर भारतीय सेना ने अधिकार कर लिया।

अब जूनागढ़ में पाकिस्तान से गुण्डे आ-आ कर वहां की हिन्दू प्रजा को अनेक प्रकार के कष्ट देने लगे। प्रजा ने भारत सरकार से पुकार की, किन्तु वैधानिक अड़चन के कारण सरदार वल्लभभाई पटेल ने इस मामले में सीधे हाथ

डालना उचित नही समझा। अतएव जूनागढ की प्रजा विद्रोह के लिये तैयार हो गई। उसने सावल दास गाधी के नेतृत्व में सैनिक रूप में सगठित होकर नवाब को चुनौती दे दी। अब प्रजा की सेना जूनागढ राज्य का एक-एक स्थान जीतती हुई आगे बढती जाती थी और नवाब को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करती जाती थी। जब नवाब ने देखा कि, आत्मसमर्पण किए बिना काम नही चलेगा और उसे पाकिस्तान से कोई सहायता नही मिल सकती तो वह २५ अक्तूबर १९४७ को अपने परिवार, प्यारे कुत्तो तथा एक करोड रुपये से भी अधिक की धन सम्पत्ति तथा सरकारी सेक्युरिटियो को लेकर हताश होकर विमान द्वारा पाकिस्तान भाग गया। उसके प्रधान मन्त्री ने ७ नवम्बर को पाकिस्तान भागते समय भारत सरकार से प्रार्थना की कि वह राज्य के शासन को अपने हाथ में लेकर वहा रक्तपात को रोके। फलत ९ नवम्बर १९४७ को भारत सरकार ने वहा का शासनभार सभाल लिया और वहा सावलदास गाधी सहित तीन लोक प्रतिनिधियो की सरकार अपने प्रशासक की आधीनता में स्थापित कर दी। फर्वरी १९४८ में भारत सरकार ने वहां जनमत लेकर जनता से यह जानना चाहा कि वह भारत अथवा पाकिस्तान में से किस म मिलना चाहती है। जनता ने सर्व-सम्मति से भारत के पक्ष में निर्णय किया। दिसम्बर १९४८ में वहा के लोक प्रतिनिधियो ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि जूनागढ का सौराष्ट्र सघ में सम्मिलित कर दिया जावे और उसके प्रतिनिधियो को सौराष्ट्र की विधान सभा में बैठने का अधिकार दिया जाए। इसी प्रकार के प्रस्ताव मानवदर, माग्रोल, बटवा, बाबरियावाड तथा सरदारगढ के प्रतिनिधियों भी पास करके भारत सरकार के पास भेजे। फलत उचित कानूनी कार्यवाही के पश्चात् जूनागढ आदि उक्त राज्यो को २० जनवरी १९४९ को सौराष्ट्र में सम्मिलित कर दिया गया।

सावलदास गाधी बाद में प्रशासक के रूप मे जूनागढ के मुख्यमन्त्री बन गए थे। उन्होने अपना मन्त्री मण्डल भी बनाया था। जिस समय उनकी प्रेरणा पर जूनागढ सौराष्ट्र सघ में मिला तो सौराष्ट्र के मुख्य मन्त्री श्री यू० एन० ढेबर ने (जो बाद में काग्रेस अध्यक्ष भी बने) उनको अपने मन्त्री मण्डल में स्थान दिया। किन्तु श्री गाधी का मुख्य मन्त्री श्री ढेबर से शीघ्र मनभेद हो गया और उनको सरदार पटेल के स्वर्गवास से कुछ मास पूर्व ही सौराष्ट्र मन्त्रीमण्डल से हटना पडा। इसके कुछ समय बाद उनका अत्यन्त निर्धन परिस्थिति में स्वर्गवास हो गया। काग्रेस नेताओ के उनके परिवार की सुध न लेने पर श्री वी० पी० मेनन ने उनकी विधवा पत्नी को निजाम के फण्ड से दो सौ रुपये मासिक की सहायता दिलवाई, जिसके वह एक ट्रस्टी थे।

मालवा का राज्यसघ—इसके पश्चात् सरदार पटेल ने ग्वालियर तथा

मालवा ऐजेन्सी के राज्यो की ओर ध्यान दिया। यद्यपि इन सभी राज्यों में भाषा सम्बन्धी तथा भौगोलिक एकता थी, किन्तु ग्वालियर तथा इन्दौर की प्रतिस्पर्द्धा इसके निर्माण में बाधक बन रही थी। श्री मेनन से इन समस्याओ का विवरण सुनकर सरदार ने इन सब का एक सघ बनाने का आदेश दिया। सरदार ने कहा कि राजाओ का हित विलय में ही अधिक है। क्योकि ऐसी दशा में उनको प्रीवि पर्स देने तथा उनकी सम्पत्ति की देखभाल करने का उत्तरदायित्व भारत सरकार का होगा। यदि सलामी वाले बडे राज्यो को पृथक् रहने दिया गया तो उनके शासको के अधिकार तथा सुविधाए स्थानीय धारा सभाओ की दया पर निर्भर रहेंगे, जिनसे शासको को पूर्णतया निराश होना पडेगा। सरदार ने यह भी कहा कि यदि ग्वालियर तथा इन्दौर को पृथक् पृथक् केन्द्र बना कर दो सघ बनाये जावेंगे तो छोटे राज्यों का अस्तित्व इन दोनो बडे राज्यो में विलीन हो जावेगा और फिर भी इन दोनो सघ की जनता में पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा बनी रहेगी। सरदार ने कहा कि ग्वालियर तथा इन्दौर द्वारा किये हुए छोटे राज्यो के शोषण के उदाहरण पर अन्य बडे राज्य भी उनका अनुकरण करेंगे। तब क्यो न पटियाला, नालागढ तथा कैलसिया को अपने में सम्मिलित कर ले और क्यो न बीकानेर जैसलमेर को निगल जावे ? क्यो न उदयपुर अपने चारो ओर के राज्यो को हडप कर अपना विस्तार करे ? अत सरदार ने कहा कि इन सब कारणो से इन सब राज्यो का केवल एक सघ बनाना चाहिये। अन्त में इस सघ के राजाओ की एक सभा २०, २१ तथा २२ अप्रैल सन् १९४८ को सरदार पटेल की उपस्थिति में हुई। इसमें इस सघ का नाम "ग्वालियर, इन्दौर तथा मालवा का सयुक्त राज्यसघ" रखा गया। इसका निर्माण करने के सधिपत्र पर सम्बद्ध राजाओ ने २२ अप्रैल १९४८ को हस्ताक्षर किये। इसमें महाराजा ग्वालियर को राजप्रमुख तथा महाराजा इन्दौर को उपराजप्रमुख बनाया गया। इस राज्य सघ का उद्घाटन प्रधान मत्री प० जवाहरलाल नेहरू ने २८ मई १९४८ को किया। बाद में सरदार पटेल ने इसकी विधान सभा का उद्घाटन ४ दिसम्बर १९४८ को किया।

फरीदकोट पर अधिकार—इस समय पजाब में सिक्खो के साम्प्रदायिक दल अपने अपने भावी लाभ की दृष्टि से विलय के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे थे कि फरीदकोट के राजा ने शेख अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कार्य करने वाले प्रजामण्डल के राजवन्दियों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया कि वहा से मुसलमान लोग शरणार्थी बन कर भागे और उन्होंने राजा फरीदकोट के विरुद्ध सरदार पटेल तथा श्री मेनन से शिकायतें की। इस सम्बन्ध में परामर्श किये जाने पर लार्ड माउण्टबेटन ने सुझाव दिया कि फरीदकोट के राजा के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने से पूर्व कुछ बडे राजाओ से परामर्श कर लिया जावे। अतएव ग्वालियर, बीकानेर तथा पटियाला के महाराजाओ तथा नवानगर के जामसाहब

को तत्काल दिल्ली बुलाया गया। इस मीटिंग का सभापतित्व लार्ड माउण्टबेटन ने किया। इसमें सर्वसम्मति से निश्चय किया गया कि भारत सरकार फरीदकोट राज्य पर अधिकार कर ले। अतएव फरीदकोट के राजा को झुकना पड़ा और उसके राज्य पर अगले ही दिन अधिकार कर लिया गया।

इस मीटिंग के सिलसिले में एक दिलचस्प घटना हो गई। इस मीटिंग के लिये महाराजा ग्वालियर को तत्काल दिल्ली आने का सन्देश भेजा गया था। उनके पास उस समय कोई सवारी न होने से उनको लाने के लिये एक विमान ग्वालियर भेजा गया। इस प्रकार तत्काल बुलाये जाने पर महाराजा घबरा गये। देश में यह अफवाह गर्म थी कि महात्मा गांधी की हत्या में कुछ राजाओं का भी हाथ था। महाराजा अलवर को यह आज्ञा दी जा चुकी थी कि वह सरकार को सूचना दिये बिना दिल्ली से न जावें। महाराजा को सन्देह हुआ कि उनको इसी विषय में दिल्ली बुलाया गया है। अतएव विमान में बैठने से पूर्व उन्होंने उदास मुख से अपनी पत्नी तथा मित्रों से विदाई ली। महाराजा के मुख से यह घटना सुनकर सरदार पटेल आदि सभी उपस्थित व्यक्ति बहुत हंसे।

पटियाला तथा पंजाब राज्य संघ—इस समय सिक्ख लोग पंजाब के देशी राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिलाने का आन्दोलन कर रहे थे। सरदार इन दिनों हृदय के दौरे के कारण देहरादून में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। तो भी सिक्खों के राजनीतिक दाव-पेंचों की उनको पूर्ण जानकारी थी। अतएव श्री मेनन ने उनसे देहरादून में भेंट करके इस सम्बन्ध में निर्देश मांगा। अनेक प्रकार के प्रस्तावों पर विचार करने के उपरान्त यह तय किया गया कि पूर्वी पंजाब (आजकल पंजाब) तथा हिमाचल प्रदेश को छुए बिना पटियाला सहित पंजाब के सभी राज्यों का एक संघ बना दिया जावे। इस संघ का नाम 'पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ' रखा गया। इसके विधान पर ५ मई १९४८ को हस्ताक्षर किये गये। सरदार के इस कार्य से मास्टर तारासिंह सहित अकाली सिक्ख, राष्ट्रीय सिक्ख तथा ज्ञानी करतार सिंह सभी सन्तुष्ट हो गये। इस संघ का उद्घाटन करने के लिये सरदार पटेल तथा श्री मेनन १५ जुलाई १९४८ को पटियाला पहुचे। उन्होंने इस संघ का मन्त्रीमंडल भी इस प्रकार बनाया कि चार स्थान कांग्रेस को, दो लोक सेवा सभा को तथा दो अकालियों को दिये गये। एक तटस्थ सिक्ख मुख्य मन्त्री के रूप में सरदार पटेल द्वारा नियुक्त किया जाने वाला था। अन्त में सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला को उसका मुख्य मन्त्री बनाया गया।

इसी प्रकार बाद में गुजरात के राजा भी बम्बई प्रान्त में मिल गये। उनमें १७ पूर्ण अधिकार प्राप्त तथा १२७ अर्द्ध अधिकार प्राप्त राज्य थे। इसके बाद

दाता राज्य भी बम्बई प्रान्त में मिल गया। किन्तु कोल्हापुर राज्य के विलीनीकरण के लिये श्री मेनन तथा सरदार पटेल को अधिक परिश्रम करना पडा। फर्वरी १९४९ में कोल्हापुर नरेश ने भी अपने राज्य को बम्बई प्रान्त में मिलाना स्वीकार कर लिया।

विंध्यप्रदेश—अब सरदार ने निश्चय किया कि भारत के शेष राज्यो के स्वतन्त्र अस्तित्व को भी समाप्त कर दिया जावे। प्रथम उन्होने बुन्देलखण्ड तथा बघेलखण्ड के राज्यो की ओर ध्यान दिया। श्री वी० पी० मेनन के समझाने पर बुन्देलखण्ड तथा बघेलखण्ड के सभी राजाओ ने मार्च १९४८ मे विलय पत्रो पर हस्ताक्षर कर दिये। इन सब राज्यो का एक सघ बना कर उसे विंध्यप्रदेश नाम दिया गया। उसका उद्घाटन अप्रैल १९४८ में किया गया। बाद में विंध्यप्रदेश को एक उपराज्यपाल के आधीन एक प्रथक् प्रान्त बना दिया गया।

राजस्थान संघ—राजस्थान में प्रथम अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के चार राजाओं ने २८ फर्वरी १९४८ को मत्स्य सघ बनाया। इसके पश्चात् राजस्थान सघ का निर्माण तीन बार में किया गया। प्रथम छोटे छोटे नौ राज्यो का सघ २५ मार्च १९४८ को बनाया गया। बाद में मेवाड के महाराणा के उसमे मिलने का निर्णय करने पर दूसरे राजस्थान सघ का उद्घाटन प० जवाहरलाल नेहरू के हाथो १८ अप्रैल १९४८ को किया गया। इसके पश्चात् जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर के राजाओ द्वारा भी राजस्थान सघ में मिलने का निश्चय किये जाने पर ३० मार्च १९४९ को तीसरे राजस्थान सघ का निर्माण किया गया। इस अवसर पर सरदार पटेल ने राजप्रमुख महाराजा जयपुर को राजप्रमुखपद की शपथ दिला कर राजस्थान सघ का उद्घाटन किया। बाद में मत्स्य सघ के चारो राज्यो को भी १५ मई १९४९ को राजस्थान सघ में मिला दिया गया। इस समय यह भारत का सबसे बडा राज्य सघ था। उसमे पन्द्रह प्राचीन राज्यो का लगभग डेढ लाख वर्गमील क्षेत्रफल, १ करोड ३१ लाख जनसख्या तथा लगभग दस करोड वार्षिक आय थी।

ट्रावनकोर-कोचीन—१३ अप्रैल १९४९ को ट्रावनकोर तथा कोचीन राज्यों के मन्त्रियो ने सरदार पटेल से भेंट कर के दोनो राज्यो का एक सघ बनाने की अनुमति मागी। ट्रावनकोर के राजा को इसका राजप्रमुख बनाया गया। यद्यपि इसके उद्घाटन के लिये सरदार पटेल नही जा सके, किन्तु मई १९५० में उन्होने उस स्थान की यात्रा करते हुए १९ मई १९५० को इस राज्य सघ के मुख्यमन्त्री टी० के० नारायण पिल्ले के साथ कुमारी अन्तरीप जाकर वहा कन्याकुमारी के मन्दिर की यात्रा की।

रामपुर—रामपुर राज्य का क्षेत्रफल ९०० वर्गमील था। उसके नवाब

सरदार पटेल राजस्थान सघ का उदघाटन करते हुए महाराजा जयपुर को राजप्रमुख पद की शपथ दिला रहे है

सरदार का राजस्थान के महाराजप्रमुख महाराजा उदयपुर द्वारा स्वागत

सरदार का ग्वालियर हवाई अड्डे पर महाराजा ग्वालियर तथा महाराजा इदौर द्वारा स्वागत

भारत के प्रथम वित्त मंत्री
श्री जान मथाई तथा उनकी
पत्नी के साथ

ट्रावनकोर महाराज सहित

कोचिन महाराज सहित

सर सैयद रजा अली खा एक प्रगति शील विचारों के शासक थे। भारत विभाजन के समय भारत के साथ यथापूर्व तथा सम्मिलन समझौतो पर हस्ताक्षर करने वाले वह प्रथम मुस्लिम शासक थे। रामपुर के विलय का प्रश्न उपस्थित होने पर मई १९४९ में वहा साम्प्रदायिक तत्वो ने विद्रोह कर दिया। इस समय रामपुर में भी अन्य मुस्लिम राज्यो के समान पुलिस तथा सेना में ९९ प्रतिशत मुसलमान थे। राज्य के अन्य अधिकारियों में भी हिन्दुओ की सख्या नगण्य थी। मुसल्मानों के इस विद्रोह मे राज्य की पुलिस तथा सेना की पूर्ण सहानुभूति विद्रोहियो के साथ थी। इनके विरुद्ध नवाब स्वय साम्प्रदायिक भावनाओ से शून्य थे। अतएव रामपुर में विद्रोह होने पर वह वहा से गुप्त रूप से भाग कर नई दिल्ली आकर सरदार पटेल से मिले। उनसे मिल कर उन्होने १५ मई १९४९ को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। अब सरदार पटेल ने सेनाओ को शीघ्रतापूर्वक रामपुर भेजा। विद्रोह पूर्णतया शान्त कर दिया गया और १ जुलाई १९४९ को रामपुर पर अधिकार कर लिया गया। इसके पाच मास बाद उसे उत्तर प्रदेश में मिला दिया गया।

भोपाल—भोपाल के वर्तमान नवाब सर हमीदउल्ला खा १९२६ में गद्दी पर बैठे थे। अग्रेजो के भारत छोडते समय नवाब भोपाल नरेन्द्र मण्डल के चैंसेलर थे। भारत में अन्तर्कालीन सरकार बनने पर तथा उसमें मुस्लिम लीग के न आने से नवाब भोपाल को खेद हुआ और उन्होने वायसराय लार्ड वावेल से जोड तोड करके मुस्लिम लीग का अर्न्तकालीन सरकार में पीछे के द्वार से प्रवेश कराया। जुलाई १९४७ मे जब राज्यो के भारत अथवा पाकिस्तान में से किसी एक म सम्मिलित होने के लिये राजाओ की मीटिंग २५ जुलाई १९४७ को की गई तो वह उसमें सम्मिलित नहीं हुए। क्योकि वह सम्मिलन के विरुद्ध थे। नवाब भोपाल की इच्छा भारत तथा पाकिस्तान दोनो से सम्बन्ध स्थापित करने की थी। अधिकाश राज्यो के यथापूर्व समझौता तथा सम्मिलन समझौतो पर हस्ताक्षर कर देने के उपरान्त भी वह यही सोचते रहे कि वह सम्मिलन समझौते पर हस्ताक्षर किये बिना केवल यथापूर्व समझौते पर हस्ताक्षर करें। बहुत कुछ हिचर मिचर के पश्चात् उन दोनो पर हस्ताक्षर करने के बाद भी उन्होंने इस बात का अनुरोध किया कि इस घटना को १० दिन तक गुप्त रखा जावे।

अप्रैल १९४८ में भोपाल म प्रजामण्डल ने उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के लिये आन्दोलन आरम्भ किया। इस पर नवाब ने सरदार पटेल से परामर्श किया। इस परामर्श में बहुत समय लगा। नवाब ने समझौते की एक एक धारा पर वकीलो के समान बहुत अधिक वादविवाद किया। उसने इस बात पर भी बल दिया कि उसके राज्य के विलय की बात को अभी कुछ समय तक गुप्त रखा जावे। इस समय यह भी तय किया गया कि भोपाल को मध्य भारत में विलीन न करके चीफ कमिश्नर

भारत के प्रथम वित्त मत्री
श्री जान मथाई तथा उनकी
पत्नी के साथ

ट्रावनकोर महाराज सहित

कोचिन

अध्यक्षता में एकत्रित होकर दो प्रस्ताव पास किये। एक में उन्होंने घोषणा की कि सर प्रतापसिंह राज्य करने योग्य नही हैं और उनको अपने बड़े पुत्र के पक्ष में राज्य-त्याग कर देना चाहिये। इस विषय में भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया कि वह राज्य में रिजेंसी कौंसिल बनाकर अल्पवयस्क शासक के स्वत्वो की रक्षा करे। दूसरे प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया कि वह राज्य के हिसाब की विस्तृत जाच पडताल करके सुरक्षित कोष की रक्षा करे और महाराजा से उसकी क्षतिपूर्ति करावे।

सर प्रताप सिंह यह समाचार सुनकर योरुप से लौट आये और दिल्ली आकर सरदार पटेल से मिले। अब वह अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित करने के लिये सहमत हो गये। इस समय वह इस बात पर भी सहमत हो गये कि राज्य के शासन कार्य का सचालन एक रिजेंसी कौंसिल करे, जिसमें महारानी शान्तादेवी, दीवान जीवराज मेहता तथा न्यायमन्त्री हो। वह इस बात पर भी सहमत हो गये कि भारत सरकार राज्य के सुरक्षित कोष के हिसाब की जाच पडताल करे, जिसके समस्त ऋण चुकाने का उन्होंने वचन दिया।

भारत सरकार की जाच से यह पता चला कि १९४३ से १९४७ तक के बीच में खजाने से ६ करोड रुपये निकाले गये थे। साथ ही यह भी पता चला कि अनेक बहुमूल्य रत्न, जिनमें प्रसिद्ध सात लडवाला मोतियो का हार, हीरो का हार तथा तीन अमूल्य रत्न हटाये जाकर इगलैण्ड भेज दिये गये थे। सभी राज्यो में यह प्रथा थी कि इन रत्नो को धारण करने के उपरान्त जवाहर खाने में लौटा दिया जावे। बाद में महाराजा तथा उनके मन्त्रियों में भी पर्याप्त मतभेद बढ गए। इस पर सरदार पटेल जनवरी १९४९ में स्वय बडौदा आये और पर्याप्त वाद विवाद के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि बडौदा राज्य को बम्बई प्रान्त में विलीन कर दिया जावे। इस प्रस्ताव को राज्य की कौंसिल ने २८ फर्वरी १९४९ को स्वीकार कर लिया। सर प्रतापसिंह की प्रिवी पर्स २६ लाख ५० हजार रुपया वार्षिक निश्चित की गई। उन्होंने एक एक करोड रुपये के उन दोनों ट्रस्टो को भी राज्य को सौंपना स्वीकार कर लिया, जिन्हें उनके पूर्वजों ने बनाया था। इन दोनो ट्रस्ट्रो में से एक की धन राशि से बाद में सरदार पटेल की प्रेरणा से महाराजा सरदारजीराव बडौदा विश्वविद्यालय बनाया गया। महाराजा सर प्रताप सिंह ने राज्य का उधार चुका कर उन रत्नो को भी ला देने का वचन दिया, जो इग्लैण्ड पहुचा दिये गये थे। किन्तु उन रत्नो को वह श्री वी० पी० मेनन के बार बार तकाजा करने पर ही बडी कठिनता से इगलैण्ड से वापिस लाये। किन्तु मुक्ताहार की सात लडों में से एक लड गायब हो चुकी थी। जौहरियो का कहना था कि वैसे मोती लाखो रुपये व्यय करके भी नही मिल सकते। हीरक हार को तोड दिया गया

के प्रान्त के रूप में उसका पृथक् राज्य बनाया जावे। भोपाल पर १ जून १९४९ को अधिकार किया गया। बाद में उसे मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, जिसकी वह आजकल राजधानी है।

बडौदा—बड़ौदा नरेश सर प्रतापसिंह गायकवाड सन् १९३९ में गद्दी पर बैठे थे। तीन चार वर्ष तक राज्य करने के उपरान्त वह बुरे परामर्शदाताओं की सगति में पड गये और उन्होंने दूसरा विवाह किया, जिससे उनके सम्मान को भारी धक्का लगा। उनका प्रथम विवाह १९२९ में कोल्हापुर के घोरपड परिवार की महारानी शान्ता देवी से हुआ था। इससे उनके आठ बच्चे हुए। १९४४ में उन्होंने मद्रास राज्य के एक जमीदार की पुत्री सीतादेवी के साथ विवाह किया। सीतादेवी का पहिले भी १९३३ में एक और विवाह हो चुका था। उसके प्रथम पति से उसके एक पुत्र भी था। किन्तु अक्तूबर १९४३ मे उसने मुसलमान बनने की घोषणा की और धर्म परिवर्तन के आधार पर अपने पूर्व पति से न्यायालय द्वारा तलाक ले लिया। दिसम्बर १९४३ में आर्य समाज ने उसकी शुद्धि करके उसे फिर हिन्दू बना लिया। इसके शीघ्र बाद उसका विवाह सर प्रतापसिंह के साथ हो गया। सन् १९४४ में सर प्रतापसिंह ने अपनी प्रिवी पर्स २३ लाख रुपये से बढा कर ५० लाख रुपये प्रति वर्ष कर ली।

यद्यपि भारतीय सविधान की रचना होने पर देशी राज्यो की ओर से सर्व-प्रथम उन्होंने ही उसमें अपना प्रतिनिधि भेजा था, साथ ही उन्होंने अगस्त १९४७ में अग्रेजा के भारत छोडने पर भी भारत के साथ सम्मिलन समझौते पर हस्ताक्षर करके अन्य राजाओ को मार्ग प्रदर्शन किया था, किन्तु बाद मे जब भारत पाकिस्तान तथा जूनागढ के कारण कठिनता में पड गया तो उन्होंने उसके साथ सौदेबाजी करके अपने सभी किये कराये पर पानी फेर दिया। वह अपने राज्य का विस्तार करना तो चाहते ही थे, अपनी सेना को भी विस्तृत करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त वह गुजरात तथा काठियावाड के 'किंग" भी बनना चाहते थे। अपनी यह इच्छाए उन्होंने सरदार पटेल को लिखे हुए अपने २ सितम्बर १९४७ के पत्र मे प्रकट की थी। जनवरी १९४८ में उनकी प्रजा ने उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्राप्त करने के लिये आन्दोलन आरम्भ किया, जिसके लिये वह अप्रैल १९४८ मे हारे मन से तैयार भी हो गये। वह डा० जीवराज मेहता को अपना दीवान बना कर मई १९४८ में योरुप चले गये।

डा० जीवराज मेहता को चार्ज लेने पर पता लगा कि महाराजा ने राज्य के सुरक्षित कोष से बडी बडी रकमें निकाली थी और वह अनेक रत्नो को बेच भी चुके थे। उधार की रकम २२० लाख रुपये थी। २९ मई १९४८ को उन्होंने १०५ लाख रुपये खजाने से और भी लिये। इस पर प्रजा के प्रतिनिधियो ने दीवान की

अध्यक्षता में एकत्रित होकर दो प्रस्ताव पास किये। एक मे उन्होने घोषणा की कि सर प्रतापसिंह राज्य करने योग्य नही है और उनको अपने बडे पुत्र के पक्ष मे राज्य-त्याग कर देना चाहिये। इस विषय में भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया कि वह राज्य में रिजेंसी कौंसिल बनाकर अल्पवयस्क शासक के स्वत्वो की रक्षा करे। दूसरे प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया कि वह राज्य के हिसाब की विस्तृत जाच पडताल करके सुरक्षित कोष की रक्षा करे और महाराजा से उसकी क्षतिपूर्ति करावे।

सर प्रताप सिंह यह समाचार सुनकर योरुप से लौट आये और दिल्ली आकर सरदार पटेल से मिले। अब वह अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित करने के लिये सहमत हो गये। इस समय वह इस बात पर भी सहमत हो गये कि राज्य के शासन कार्य का सचालन एक रिजेंसी कौंसिल करे, जिसमें महारानी शान्तादेवी, दीवान जीवराज मेहता तथा न्यायमन्त्री हो। वह इस बात पर भी सहमत हो गये कि भारत सरकार राज्य के सुरक्षित कोष के हिसाब की जाच पडताल करे, जिसके समस्त ऋण चुकाने का उन्होने वचन दिया।

भारत सरकार की जाच से यह पता चला कि १९४३ से १९४७ तक के बीच में खजाने से ६ करोड रुपये निकाले गये थे। साथ ही यह भी पता चला कि अनेक बहुमूल्य रत्न, जिनमें प्रसिद्ध सात लडवाला मोतियो का हार, हीरो का हार तथा तीन अमूल्य रत्न हटाये जाकर इगलैण्ड भेज दिये गये थ। सभी राज्यो मे यह प्रथा थी कि इन रत्नो को धारण करने के उपरान्त जवाहर खाने में लौटा दिया जावे। बाद में महाराजा तथा उनके मन्त्रियो में भी पर्याप्त मतभेद बढ गए। इस पर सरदार पटेल जनवरी १९४९ में स्वय बडौदा आये और पर्याप्त वाद विवाद के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि बडौदा राज्य को बम्बई प्रान्त में विलीन कर दिया जावे। इस प्रस्ताव को राज्य की कौंसिल ने २८ फर्वरी १९४९ को स्वीकार कर लिया। सर प्रतापसिंह की प्रिवी पर्स २६ लाख ५० हजार रुपया वार्षिक निश्चित की गई। उन्होने एक एक करोड रुपये के उन दोनो ट्रस्टो को भी राज्य को सौंपना स्वीकार कर लिया, जिन्हें उनके पूर्वजो ने बनाया था। इन दोनो ट्रस्टो में से एक की धन राशि से बाद में सरदार पटेल की प्रेरणा से महाराजा सरदारजीराव बडौदा विश्वविद्यालय बनाया गया। महाराजा सर प्रताप सिंह ने राज्य का उधार चुका कर उन रत्नो को भी ला देने का वचन दिया, जो इग्लैण्ड पहुचा दिये गये थे। किन्तु उन रत्नो को वह श्री वी० पी० मेनन के बार बार तकाजा करने पर ही बडी कठिनता से इगलैण्ड से वापिस लाये। किन्तु मुक्ताहार की सात लडो में से एक लड गायब हो चुकी थी। जौहरियो का कहना था कि वैसे मोती लाखो रुपये व्यय करके भी नही मिल सकते। हीरक हार को तोड दिया गया

था, किन्तु तीन प्रसिद्ध रत्न वापिस मिल गए। मोतियों के दोनों फर्श कभी भी वापिस नही मिले।

किन्तु महाराजा सर प्रताप सिंह का हृदय फिर बदल गया और जिस समय सरदार पटेल दिसम्बर १९५० में बम्बई में मृत्यु शय्या पर पड़े हुए थे, उन्होंने राष्ट्रपति को एक पत्र लिख कर बडौदा के विलय की वैधानिकता को चुनौती दी।

१५ दिसम्बर १९५० को सरदार पटेल का स्वर्गवास होने पर श्री एन० गोपाल स्वामी ऐयगर को सचार साधना के अतिरिक्त राज्य विभाग का मन्त्री भी बनाया गया। उनकी सम्मति मे महाराजा बडौदा को उनके उपरोक्त पत्र के उत्तर में एक चेतावनी दी गई। किन्तु उन पर उस चेतावनी का भी कोई प्रभाव नही पडा और उन्होने बम्बई मे विलय विरोधी राजाओ का एक सघ बनाने का यत्न किया। इस कार्य मे महाराजा जोधपुर की भी सहानुभूति देखने में आई। उन लोगों का कार्यक्रम यह था कि भारत तथा पाकिस्तान का युद्ध आरम्भ होने पर वह अपने अपने राज्य को वापिस ले लें। भारत सरकार में इन समाचारो पर बडी गम्भीर प्रतिक्रिया हुई। बहुत कुछ सोच विचार के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि भारतीय सविधान की धारा ३६६ की उपधारा २२ के अनुसार सर प्रताप सिंह को दी हुई मान्यता वापिस ले ली जावे और उनके स्थान पर उनके पुत्र युवराज फतह सिंह को महाराजा बडौदा बनाया जावे। इस आज्ञा को महाराजा सर प्रतापसिंह पर उनके दिल्ली के निवास स्थान में १२ अप्रैल १९५१ को तामील किया गया।

यद्यपि महारानी शान्ता देवी को सर प्रताप सिंह के हाथो अनेक कष्ट सहने पडे थे, किन्तु अपने पति की इस आपत्ति मे वह उसकी रक्षा के लिये तैयार हो गई। वह अपने पति को लेकर दिल्ली आई और श्री वी० पी० मेनन, श्री गोपाल स्वामी ऐयगर, प्रधान मन्त्री प० नेहरू तथा राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद से मिली और उनसे प्रार्थना की कि वह महाराजा का अपराध क्षमा कर द। किन्तु उनका प्रार्थना पत्र २० मई १९५१ को अस्वीकार कर दिया गया। बाद में सर प्रताप सिंह के पास 'हिज हाईनेस' की उपाधि रहने दी गई और गुजारे के लिये उनको कुछ रकम भी दी गई।

काश्मीर की समस्या—जम्मू तथा काश्मीर राज्य आरम्भ में भारत या पाकिस्तान किसी म भी न मिल कर स्वतन्त्र रहना चाहता था। किन्तु पाकिस्तान ने २० अक्तूबर १९४७ के लगभग कबाइलियो की सेना से उस पर आक्रमण करा दिया। उस समय काश्मीर राज्य के पास सैनिक शक्ति नाम मात्र को ही थी। लुटेरे सार्वजनिक विनाश का दृश्य उपस्थित करते हुए श्रीनगर के द्वार तक आ

गये। काश्मीर के महाराजा हरिसिंह अपने समस्त परिवार तथा सामान सहित श्रीनगर से भाग निकले और दिल्ली आकर २६ अक्तूबर १९४७ को उन्होंने उसी प्रकार के सम्मिलन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये, जिस प्रकार अन्य राज्यों ने किये थे। किन्तु नेहरूजी ने तब भी काश्मीर का मामला रियासती विभाग को न देकर अपने पास ही रखा। इस पर भारत सरकार ने काश्मीर की रक्षा के लिये विमानों द्वारा सेना भेजी, जिसने लुटेरों को पीछे भगा दिया। बाद में पाकिस्तानी सेना भी काश्मीर के मैदान में आ गई। इस पर नेहरूजी ने सरदार पटेल के विरोध करने पर भी पाकिस्तान द्वारा काश्मीर में हस्तक्षेप करने की शिकायत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में की। किन्तु सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन तथा अमरीका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया और उसे काश्मीर में आक्रमक न मान कर भारत पर दवाब डाला कि वह काश्मीर के विषय में पाकिस्तान के साथ समझौता कर ले। तब से अब तक सुरक्षा परिषद की ओर से भारत में अनेक प्रतिनिधि समझौता कराने आये, किन्तु भारतीय दृष्टिकोण से मौलिक मतभेद होने के कारण यह समझौता न करा सके। १८ नवम्बर १९४९ को काश्मीर के तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेख अब्दुल्ला ने प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में काश्मीर गवर्नमेंट अतिथि भवन में एक भोज दिया, जिसमें सरदार पटेल ने बख्शी गुलाम मुहम्मद के साथ काश्मीर के भविष्य के सम्बन्ध में वार्तालाप किया। इससे पूर्व सरदार पटेल महात्मा गांधी से कई बार यह कह चुके थे कि शेख अब्दुल्ला विश्वसनीय नहीं है, किन्तु नेहरूजी ने महात्मा गांधी के द्वारा यह बात सुन कर भी उस पर ध्यान नहीं दिया। तथापि बाद की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि इस विषय में सरदार का दृष्टिकोण उचित था।

काश्मीर में काश्मीर संविधान परिषद अपना नया विधान बना चुकी है और उस विधान के अनुसार काश्मीर में वहां के युवराज कर्णसिंह वहां का शासन कार्य चला रहे हैं। १४ नवम्बर १९५२ को काश्मीर संविधान परिषद ने उनको अपना प्रथम "सदरे रियासत" चुना, जिसे भारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने १५ नवम्बर १९५२ को स्वीकार कर लिया।

३ जून १९५३ को काश्मीर जेल में संसद सदस्य डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी का स्वर्गवास हुआ। इस समय काश्मीर के मुख्य मन्त्री शेख अब्दुल्ला का काश्मीर भर में अविश्वास किया जाने लगा था। अतः ८ अगस्त १९५३ को सदरे रियासत युवराज कर्णसिंह ने उनको पदच्युत करके ९ अगस्त को बख्शी गुलाम मुहम्मद को नया मुख्य मन्त्री बनाया। बख्शी गुलाम मुहम्मद ने मुख्य मन्त्री बनते ही ९ अगस्त को शेख अब्दुल्ला को ३० साथियों सहित पाकिस्तान भागते हुए गुलमर्ग में गिरफ्तार करवाया। तब से शेख अब्दुल्ला अभी तक नजरबन्द है और उस पर

से प्रशिक्षित अफसरों की कमी विशेष रूप से हो गई। अतएव सरदार ने अन्य मुख्यमन्त्रियो की सहमति प्राप्त कर पुरानी सिविल सर्विस के ढग पर भारतीय प्रशासन सेवा (Indian Administrative Service) की स्थापना की। उन्होंने इस के लिये योग्य व्यक्तियो की भर्ती करके उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबन्ध भारत में ही किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अखिल भारतीय आधार पर 'भारतीय पुलिस सर्विस' की भी स्थापना की।

इसमे सदेह नही कि इन राज्यो की समस्या को हल करने में सरदार को अपना दिन रात एक करना पडा। जिस प्रकार गत पृष्ठो में इन राज्यो की विलीनीकरण प्रक्रिया को दिया गया है उनके एक करने में उससे कई सहस्र गुनी शक्ति सरदार पटेल को लगानी पडी। वास्तव में अपने केवल एक इसी कार्य के कारण सरदार आज इतिहास में अमर बन गए हैं। इतना ही नहीं, वरन् वह आधुनिक भारत के एक महान् निर्माता के रूपमें भावी इतिहास में स्मरण किये जावेंगे।

षड्यन्त्र का मुकदमा चलाया जा रहा है, जिस पर भारत सरकार का करोड़ो रुपया खर्च हो चुका है।

अब काश्मीर सविधान परिषद ने काश्मीर का सविधान बनाने का कार्य अपने हाथ में लिया। उसने नवम्बर १९५६ में सर्व सम्मति से यह निर्णय किया कि काश्मीर भारत का अभिन्न अग रहेगा। काश्मीर की भावी विधान सभा में पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के प्रतिनिधियों के लिये भी स्थान सुरक्षित रखे गये। इस सविधान को २७ जनवरी १९५७ से काश्मीर पर लागू किया गया। इसके बाद काश्मीर सविधान परिषद भग हो गई। काश्मीर सविधान परिषद के सदस्यो ने इस सविधान की चार प्रतियो पर १९ नवम्बर १९५६ को हस्ताक्षर किये।

इस लिये पाकिस्तान का काश्मीर में जनमत सग्रह कराने का आग्रह किसी प्रकार भी उचित नही है। काश्मीर की सविधान परिषद भारत में मिलने का स्पष्ट निर्णय कर चुकी है और उसकी सपुष्टि उसके पश्चात् काश्मीर के दो दो निर्वाचनो में की जा चुकी है।

सरदार पटेल का सुझाव था कि काश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर उसे भारत में पूर्णतया मिला कर वहा शरणार्थियो को बसाया जावे और वहा जाने की अन्य भारतवासियों पर जो पाबन्दी लगी हुई है उसे हटाया जावे। किन्तु प० नेहरू ने केवल भावुकतावश सरदार पटेल के इन दोनो सुझावो को अस्वीकार कर दिया।

सरदार का कहना था कि यदि काश्मीर का मामला उनके निर्देशन में सुलझाया जावे तो उसका निर्णय १५ दिन में हो सकता है। किन्तु पडित नेहरू ने सरदार की बात नही मानी, जिसके फलस्वरूप काश्मीर की समस्या को १५ वर्ष हो जाने पर भी नही सुलझाया जा सका और देश के कई करोड रुपये काश्मीर पर प्रति वर्ष खर्च होते हुए भी इसके विषय में भारत की बदनामी ससार भर में हो रही है।

भारत विभाजन के फलस्वरूप हम से ३,६४,७३७ वर्गमील भूमि तथा आठ करोड तीस लाख जन सख्या छिन गई, किन्तु राज्यो के एकीकरण से हमको लगभग ५ लाख वर्गमील भूमि तथा आठ करोड सत्तर लाख जनसख्या मिली। इसमें जम्मू तथा काश्मीर के अक सम्मिलित नही है।

भारत के इस प्रकार के विस्तार से यह अनुभव किया गया कि भारत में शासन कार्य चलाने योग्य अफसरो की पर्याप्त कमी थी। अग्रेजो के भारत से चले जाने तथा भारत विभाजन के फलस्वरूप अनेक अफसरो के पाकिस्तान चले जाने

से प्रशिक्षित अफसरो की कमी विशेष रूप से हो गई। अतएव सरदार ने अन्य मुख्यमन्त्रियो की सहमति प्राप्त कर पुरानी सिविल सर्विस के ढग पर भारतीय प्रशासन सेवा (Indian Administrative Service) की स्थापना की। उन्होने इस के लिये योग्य व्यक्तियो की भर्ती करके उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबन्ध भारत में ही किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अखिल भारतीय आधार पर 'भारतीय पुलिस सर्विस' की भी स्थापना की।

इसमें सदेह नही कि इन राज्यो की समस्या को हल करने में सरदार को अपना दिन रात एक करना पडा। जिस प्रकार गत पृष्ठो में इन राज्यो की विलीनीकरण प्रक्रिया को दिया गया है उनके एक करने में उससे कई सहस्र गुनी शक्ति सरदार पटेल को लगानी पडी। वास्तव मे अपने केवल एक इसी कार्य के कारण सरदार आज इतिहास में अमर बन गए हैं। इतना ही नही, वरन् वह आधुनिक भारत के एक महान् निर्माता के रूपमे भावी इतिहास में स्मरण किये जावेंगे।

अध्याय १२

हैदराबाद की समस्या

हैदराबाद राज्य की स्थापना मीर कमरुद्दीन ने अठारवी शताब्दी के आरम्भ में की थी। उसे दिल्ली के बादशाह फर्रुखसियर ने १७१३ में नीजामुल-मुल्क की उपाधि देकर दक्षिण का सूबेदार बनाया था। बाद में सम्राट् मुहम्मद शाह ने उसे आसिफ शाह की उपाधि दी। इसी से इस वंश को आज आसिफशाही वंश कहा जाता है। १७२४ में उसने दिल्ली साम्राज्य से पृथक् होकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, यद्यपि यह घराना दिल्ली के शासक वंश की १८५८ में समाप्ति होने तक नाममात्र को उसके आधीन बना रहा।

सन् १७६६ में तीसरे नीजाम नीजाम अली खा ने अंग्रेजो का संरक्षण स्वीकार किया। वर्तमान नीजाम उस्मान अली खा सातवी पीढी पर हैं। वह २९ अगस्त, १९११ को गद्दी पर बैठा था। १९१८ में उसे "हिज एग्जाल्टेड हाइनेस' की वंशानुगत उपाधि मिली।

इस राज्य की ८५ प्रतिशत जनसंख्या हिन्दू थी, फिर भी नागरिक सेवाओं, पुलिस तथा सेना में मुसलमान ही मुसलमान रखे गये थे। यहा तक कि १९४६ में बनाई हुई विधान सभा के कुल १३२ सदस्यो मे भी मुसलमानो की संख्या हिन्दुओ से १० अधिक थी।

नीजाम के वंश में न तो कोई नीजाम और न कोई उनका प्राइम मिनिस्टर वीरता के लिए चमका, परन्तु जहा उनकी वीरता में कमी रही, वहा उन्होने उसकी पूर्ति चतुरता से कर ली। व्यवहारिक दृष्टि एवं चाणक्य नीति के खेल में शायद ही कोई इस वंश से बाजी ले सका। नीजाम के पास एक विशाल राज्य बिना किसी युद्ध के आ गया था। उसकी सीमा की कल्पना इसी से की जा सकती है कि आज के महाराष्ट्र के बराबर के चारो जिले एवं मराठावाडा के पाचो जिले तथा मैसूर राज्य के तीन जिले एवं लगभग समूचा वर्तमान आन्ध्र प्रदेश इस वंश को अनायास मुगलो से मिला। युद्ध तो इस वंश को कई लडने पडे, पर किसी भी युद्ध में यह यशस्वी नहीं हो पाया। हर युद्ध में मार खाने पर भी यह राज्य न सिर्फ टिका रहा, बल्कि ब्रिटिश भारत का सबसे बडा राज्य बना रहा। यही काफी सबूत है इस बात का कि नीजाम ने चाणक्य नीति से पूरा पूरा लाभ उठाया था। उस जमाने में उसके गुप्तचर पूना, मैसूर, अंग्रेज एवं फ्रासीसियों के मुख्य मुख्य स्थानों पर नियुक्त थे और उनसे इन्हे पूरी-पूरी खबर मिलती थी। हर पराभव पर

२५ फरवरी १९४९ को बेगमपेठ हवाई अड्डे पर नीजाम सरदार का अभिवादन कर रहे हैं

आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री बी रामकृष्ण राव सरदार का हैदराबाद में स्वागत करते हुए (बाए से) श्री विनायक राव विद्यालकार, श्री वेलोडी तथा श्रीमती वेलोडी आदि। (मच पर) श्री बिन्दु, सरदार तथा मणिबेन बैठे हैं।

नीजाम द्वारा दिये हुए उद्यान भोज में।

सरदार के स्वागत म श्री बिन्दु तथा श्री बी रामकृष्ण राव

नीज़ाम ने कामयाबी के साथ समझौते की बात की। और हर बातचीत में आम-तौर पर वह सफल निकल आया।

जब अंग्रेज़ सर्वोपरि सत्ता के रूप में उभर आये और फ्रेंच, पुर्तगाल एव डच आदि को भारत से खदेड दिया गया तो अंग्रेज़ों ने अपने रेज़ीडेंट को हैदराबाद में नियुक्त किया और मूसा नदी के एक ओर अपनी विशाल कोठी बनाई। कन्टोनमेंट के तौर पर बहुत बडा भाग उन्होने हासिल कर लिया था, जिन भागो में धीरे धीरे रेजीडेंसी बाजार, सिकन्दराबाद, बुकारम एव तिरमिलगिरी जैसे नगर निकल आये। उस सारे ज़माने में जब कि अंग्रेज़ो की चतुर नीति के सामने किसी भी देशी नरेश ने कोई नई चीज़ हासिल नही की और हर अवसर पर कुछ न कुछ खोया, नीज़ाम एव उसके प्रधान मन्त्रियो ने हर बार एक-एक करके कई चीज़ें प्राप्त की। सर्वप्रथम 'हिज एग्ज़ाल्टेड हाइनेस' की और उसके बाद "दि फयफुल ऐली आफ ब्रिटिश एम्पायर" की उपाधिया हासिल की। बरार पर अपने सार्वभौमिकता के अधिकारो को स्वीकार कराया। रेजीडेंसी बाजार एव सिकन्दराबाद को प्राप्त किया। रेजीडेंसी बाज़ार का नाम वर्तमान नीज़ाम न सुलतान बाज़ार रख दिया।

नीजाम के राज्य में ८५ प्रतिशत जनता हिन्दू थी और वह तीन भाषाओं —तेलगू मराठी एव कन्नड में विभक्त थी। नीजाम ने इसका पूरा लाभ उठाया और भेद नीति का अवलम्ब कर अपनी सत्ता को मजबूत किया। उसने हिन्दुओ में भी एक वर्ग ऐसा तैयार किया, जिसकी वफादारी नीज़ाम के साथ अधिक थी और जिसका कोई सम्पर्क स्थानीय हिन्दुओ से स्वाभाविक तौर पर हो नही पाता था। इसी प्रकार नीज़ाम ने कई व्यापारियों को भी राजस्थान एव उत्तर प्रदेश से बुलाया।

इस बात की चिन्ता नीज़ाम ने शुरू से ही की कि ब्रिटिश भारत का कम से कम सम्पर्क उसके राज्य की जनता से हो और वहा की जागृति का असर उसके राज्य म न फैलने पावे। यही कारण है कि जब रेल के मार्ग निर्धारित होने लगे तब उसने हैदराबाद को मुख्य मार्ग पर न आने दिया। हैदराबाद उस ज़माने में तीसरा बडा शहर था। इसके बावजूद न तो हैदराबाद दिल्ली मद्रास के मार्ग पर पडता है और न बम्बई मद्रास के मार्ग पर। इसका परिणाम यह निकला कि बाहर के बहुत कम नेता हैदराबाद आ पाये और हैदराबाद की जनता में जागृति बढा सके। गाधीजी, जो समूचे भारत का कई बार विस्तार के साथ भ्रमण कर चुके थे, हैदराबाद केवल दो बार ही आये थे और वह भी केवल एक दो दिन के लिए। केवल लोकमान्य तिलक एक पारिवारिक घटनावे कारण हैदराबाद राज्य म काफी घूमे थे और यही कारण है कि जहा जहां लोकमान्य तिलक गये थ, वहा सबसे पहले राजनीतिक जागृति प्रारम्भ हुई।

शिक्षा के प्रसार में भी नीज़ाम ने बडी धूर्तता बरती। उर्दू को माध्यम बना कर उसने दो उद्देश्यो को एक साथ साधा। अग्रेजी के मुकाबले में देशी भाषा को प्राथमिकता देकर उसने सारे भारतवर्ष में नाम कमाया। परन्तु उसका असली उद्देश्य था कि इस माध्यम के कारण मुसलमान कम सख्या में होने पर भी अधिक परिमाण में शिक्षा प्राप्त करें और हुआ भी यही। स्नातक एव उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों में मुसलमानो की सख्या हिन्दुओं से अधिक थी। हिन्दुओं में भी बहुत बडा भाग कायस्था और ब्रह्म खत्रियों से आया था। इस प्रकार नीजाम ने पूरे राज्य को अपने प्रभाव में जकड लिया।

इसके साथ ही उसने इस बात की कोशिश की कि व्यापारिक एव औद्योगिक प्रगति में बाहर वालो का कम भाग रहे। निस्सदेह इससे हैदराबाद आर्थिक रूप में पिछडा रहा, लेकिन उसे इसकी कोई चिन्ता नही थी। जो भी थोडे से उद्योग हैदराबाद राज्य में शुरू हुए वह लगभग मुसलमानों के हाथ में थे। व्यापार उत्तर भारतीय हिन्दुओ के हाथ में था। इस प्रकार बाहर की जनता का बहुत कम सम्पर्क रहा और राजनैतिक जागृति नही के समान हो पाई।

फिर भी धीरे-धीरे राजनैतिक शक्ति जागृत होने लगी। गणेशोत्सवो द्वारा धार्मिक आवरण में राजनैतिक एव सामाजिक विषयो पर चर्चा होने लगी। यही कारण है कि हैदराबाद के समूचे राज्य में गणेशोत्सव लोकप्रिय हुए, यद्यपि गणेशोत्सव आम तौर पर महाराष्ट्र में ही मनाये जाते हैं। पुस्तकालय आन्दोलन भी प्रारम्भ हुआ और धीरे-धीरे हर पुस्तकालय राजनीतिक कार्य का स्थल बनने लगा। आन्ध्र महासभा, महाराष्ट्र परिषद् तथा कर्नाटक परिषद् जैसी सस्थाओं ने अपने-अपने क्षेत्रो में सामाजिक कार्य के नाम पर राजनैतिक कार्य करना शुरू किया। फिर भी उग्रगामियो की प्यास इससे बुझ नही सकती थी। अत हैदराबाद राजनैतिक परिषद की स्थापना हुई। इसके तीन सम्मेलन हुए और वह तीनो भी हैदराबाद राज्य के बाहर ही हुए।

अप्रैल १९३८ में हैदराबाद स्टेट काग्रेस की स्थापना हुई। तत्कालीन प्रधान मत्री सर अकबर हैदरी ने फौरन उस पर प्रतिबन्ध लगाया। इस प्रतिबन्ध के विरोध में सत्याग्रह हुआ।

काग्रेस के सत्याग्रह के साथ-साथ हिन्दू महासभा ने भी अपना सत्याग्रह प्रारम्भ किया। उसी समय आर्य समाज ने भी बहुत बडे पैमाने पर सत्याग्रह आन्दोलन चलाया। इस प्रकार यह तीनो सत्याग्रह साथ-साथ चलते रहे। गाधीजी के आदेशानुसार काग्रेस का सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया और हिन्दू महासभा का सत्याग्रह फीका पड गया। परन्तु आर्य समाज के सत्याग्रह ने बहुत जोर पकडा। हजारो की सख्या में सत्याग्रही आते थे और नीजाम सरकार को उन्हे सम्भालना

मुश्किल हो जाता था। नई-नई जेले खुल गई और बाद में सत्याग्रहियो को गिरफ्तार करने से इन्कार कर दिया गया। इस प्रकार इन आन्दोलनो ने हैदराबाद के अन्दर बहुत बडा जन-जागृति निर्माण का कार्य किया और पहली बार हैदराबाद जन आन्दोलन की चर्चा भारत भर के पत्रो में की जाने लगी।

३ जून, १९४७ की घोषणा के बाद नीजाम ने घोषणा की कि वह भारत अथवा पाकिस्तान किसी की भी सविधान परिषद् में अपने प्रतिनिधि नही भजेगा और १५ अगस्त १९४७ को सर्वसत्ता सम्पन्न राष्ट्र कहलावेगा। किन्तु भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम की धारा ७ उसकी इस इच्छा में बाधक थी। अतएव ११ जुलाई को उसने एक प्रतिनिधि मडल नवाब छतारी की अध्यक्षता में भारत सरकार के पास दिल्ली भेजा। इस प्रतिनिधि मडल ने भारत सरकार के सम्मुख माग रखी कि बरार नीजाम का वापिस किया जावे तथा हैदराबाद को औपनिवेशिक स्वतन्त्रता दी जावे। वह सम्मिलन समझौते पर हस्ताक्षर किये बिना केवल यथापूर्व समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहता था। किन्तु सरदार का रुख स्पष्ट था। उन्होंने सम्मिलन समझौते पर हस्ताक्षर करने पर जोर दिया और २५ जुलाई १९४७ को नवाब छतारी को नरेन्द्र मडल की वार्तालाप समिति में सम्मिलित कर लिया। किन्तु नवाब छतारी ने उसमें भाग नही लिया और हैदराबाद का प्रतिनिधि मडल बिना किसी निर्णय के वापिस लौट गया। हैदराबाद को अपने निर्णय पर पुर्नविचार करने के लिए दो मास का समय दिया गया।

इस बीच हैदराबाद में 'इत्तिहादुल मुसलमीन' नामक एक साम्प्रदायिक सगठन ने साम्प्रदायिक विष फैलाना आरम्भ किया। सैयद कासिम रिज़वी उसका अध्यक्ष था। उसने रजाकार नाम से एक स्वयमेवी सैनिक सगठन भी बनाया हुआ था। इन लोगो के आतक तथा साम्प्रदायिक अत्याचारो से हैदराबाद के हिन्दुओ में असतोष बढता जाता था। इस समय सर वाल्टर माटकन नीजाम का विधान सबधी परामर्शदाता था। किन्तु वहा के मुस्लिम साम्प्रदायिक पत्रो ने उसके विरुद्ध भी विष उगलना प्रारम्भ किया।

सर वाल्टर माटकन ने प्रस्ताव किया कि सम्मिलन समझौते में कुछ सुधार कर नीजाम के लिए उसका नाम बदल दिया जावे। किन्तु सरदार पटल ने इस विचार को बिल्कुल पसन्द नही किया। क्योंकि उनकी दृष्टि में ऐसा करने का अर्थ था अन्य राज्यो के साथ विश्वासघात। सरदार का कहना था कि 'निर्णय का अधिकार नीजाम का नहीं, वरन् उसकी प्रजा का है।" सरदार का यह भी कहना था कि बरार के सम्बन्ध में भी वह नीजाम की प्रजा के निर्णय को स्वीकार कर लगे। किन्तु नीजाम ने अपनी प्रजा को ऐसा अधिकार देना स्वीकार नही किया।

इसी समय नीजाम ने ३० लाख पौंड के मूल्य के शस्त्रास्त्र जैकोस्लोवाकिया से मोल लेने का यत्न किया। इस समय नीजाम ने जिना से अनुरोध किया कि वह उसको सर जफरुल्ला खा को अपनी सेवा में लेने दें। किन्तु सर जफरुल्ला खा सयुक्त राष्ट्र सघ में पाकिस्तान के प्रतिनिधि बन कर चले गये।

इस बीच नीजाम के कई प्रतिनिधि मडल दिल्ली आये। एक प्रतिनिधि मडल के सदस्य नवाब अली यावर जग ने लार्ड माउटबेटन से कहा कि यदि हैदराबाद भारतीय सघ में मिल गया तो हैदराबाद नगर की मुस्लिम जनसख्या-जो वहा ५० प्रतिशत है--इसे सहन न करेगी और वह वहा इतना भयकर सघर्ष करेगी कि उसे दबाना तो दूर, वह राज्य के सभी जिलो में फैल जावेगा। इस पर लार्ड माउटबेटन ने उनसे पूछा कि 'यदि राज्य की हिन्दू प्रजा को का" दिया गया तो क्या वह यह समझते हैं कि भारत सरकार उसे शान्तिपूर्वक देखती रहेगी ?'

हैदराबाद से प्रतिनिधि मडल फिर भी आते रहे। किन्तु इस वार्तालाप का कोई परिणाम न निकला। अन्त में भारत सरकार ने यह सोच कर कि कही नीजाम पाकिस्तान में सम्मिलित न हो जावे, एक समझौते की रूप-रेखा बनाई। उसे सरदार पटेल, पडित नेहरू तथा लार्ड माउटबेटन के अतिरिक्त हैदराबाद के प्रतिनिधियो—सर वाल्टर माटकन, नवाब छतारी तथा सर सुल्तान अहमद ने भी स्वीकार कर लिया। वह उसे लेकर २२ अक्तूबर, १९४७ को उस पर नीजाम की स्वीकृति लेने के लिए हैदराबाद चले गये और २६ को वापिस आने का वचन दे गये।

नीजाम ने उस पत्र को देख कर उसके सम्बन्ध में अपनी कार्यकारिणी समिति का परामर्श मागा। कार्यकारिणी के ९ सदस्य थे। उन्होंने उस पर तीन दिन तक विचार करने के उपरान्त उसे ३ के विरुद्ध ६ मत से स्वीकार कर लिया। नीजाम ने भी उसे २५ की रात को स्वीकार कर लिया। किन्तु उस पर हस्ताक्षर उसने २७ तक भी नही किये।

२७ अक्तूबर को प्रातःकाल २५-३० सहस्र रजाकारो ने सर वाल्टर माटकन, नवाब छतारी तथा सर सुलतान अहमद के घरों को घेर लिया और उनसे माग की कि वह वापिस दिल्ली न जावें। इस अवसर पर हैदराबाद पुलिस का एक भी सिपाही वहा न था।

बडी कठिनता से नवाब छतारी सैनिक अधिकारियो से सम्पर्क स्थापित कर सके, जिससे उन तीनों तथा लेडी माटकन को वहा से हटा कर सेना के एक अंग्रेज अफसर के यहा पहुचा दिया गया। कुछ घन्टे बाद नीजाम ने भी उनको सदेश दिया कि वह दिल्ली न जावें।

अगले दिन नीजाम ने कासिम रिज़वी को बुलवाया। उसका कहना था कि भारत सरकार इस समय काश्मीर में फसी होने के कारण हैदराबाद के साथ झुक कर बात करने को बाध्य होगी और वह स्वय भी भारत सरकार को झुकने के लिए विवश करेगा। जब नीजाम ने सर वाल्टर माटकन, नवाब छतारी तथा सर सुल्तान अहमद के विरोध करने पर भी कासिम रिजवी की बात को मानने पर बल दिया तो तीनो ने अपने-अपने त्यागपत्र दे दिए। नीजाम ने लार्ड माउटबेटन के पास एक पत्र सर सुल्तान अहमद के द्वारा ३१ अक्तूबर को भेजा। उसमें नीजाम ने धमकी दी थी कि भारत के साथ समझौता वार्ता टूट जाने पर वह पाकिस्तान के साथ पत्र-व्यवहार करेगा। सर सुलतान अहमद ने लार्ड माउटबेटन को यह भी बतलाया कि नीजाम ने दो व्यक्ति कराची भेजे थे, जो २९ अक्तूबर को वापिस आ गये। सर सुलतान को आशा थी कि नीजाम को पाकिस्तान से कोई सदेश मिला होगा।

नीजाम की कार्यकारिणी के जिन तीन सदस्यो ने समझौते प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया था उनमें नवाब मोइन नवाज जग तथा अब्दुल रहीम प्रमुख थे। अब्दुल रहीम इत्तिहादुल मुसलमीन का सदस्य होने के कारण पक्का साम्प्रदायिकतावादी था। यह दोनो भारत के साथ समझौते के विरुद्ध थे। नीज़ाम ने उन दोनो के साथ पिगले वेंकटरमण रेड्डी को सम्मिलित करके उनको ३१ अक्तूबर को दिल्ली भेजा। सरदार पटेल नए प्रतिनिधिमण्डल के आने से रुष्ट हुए। यह प्रतिनिधिमण्डल बिना किसी परिणाम के ७ नवम्बर १९४७ को हैदराबाद लौट गया।

इस बीच नीज़ाम ने नवाब छतारी का त्यागपत्र स्वीकार कर मीर लायक अली को अपनी कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया। लायक अली हैदराबाद का एक प्रमुख व्यापारी था और सयुक्त राष्ट्र सघ में पाकिस्तान का प्रतिनिधि रह चुका था। यह नियुक्ति उसने कासिम रिजवी के कहने से की थी। कार्यकारिणी में भी कासिम रिजवी के कई आदमी लिये गए, जिससे हैदराबाद का शासन व्यवहारत: कासिम रिजवी के हाथ में आ गया।

इस बीच कासिम रिजवी भी दिल्ली आकर सरदार पटेल तथा श्री वी० पी० मेनन से मिला। उसका वार्तालाप धमकी से भरा हुआ था।

२५ नवम्बर को हैदराबाद से नया प्रतिनिधि मण्डल आया। उसने समझौते में सशोधन कराने के लिये पर्याप्त सघर्ष किया। फलत: नीज़ाम ने दो दस्तावेज़ो पर २९ नवम्बर, १९४७ को हस्ताक्षर कर दिये।

इस यथापूर्व समझौते में ५ धारायें थी। उसकी प्रथम धारा में रक्षा, परराष्ट्र

सम्बन्ध तथा संचार साधनो के हैदराबाद की ओर से भारत सरकार द्वारा बनाए रखने की बात थी। किन्तु उसमें भारत सरकार को यह अधिकार नही दिया गया था कि वह आन्तिरिक सुरक्षा में नीजाम को सहायता करने के लिए अथवा युद्ध स्थिति के अतिरिक्त किसी अन्य स्थिति में हैदराबाद में सेना भेज सके या रख सके। धारा दो के अन्तर्गत नीज़ाम तथा भारत सरकार ने अपने-अपने एजेंट जेनेरल हैदराबाद तथा दिल्ली में रखने का निश्चय किया। धारा तीन के अनुसार यह निश्चय किया गया कि भारत सरकार को हैदराबाद के ऊपर उच्च सत्ता नही माना जावेगा। धारा चार के अनुसार यह निश्चय किया गया कि भावी झगडो को पच फैसले द्वारा सुलझाया जावेगा। धारा पाच के अनुसार यह तय किया गया कि यह समझौता तत्काल लागू होगा और एक वर्ष तक रहेगा।

सलग्न पत्र में नीज़ाम ने कहा कि वह सर्व प्रभुत्व सम्पन्न शासनाधिकारी के रूप में अपने अधिकार को न छोडते हुए यथापूर्व समझौते के लागू होते समय कुछ मामलो में अपने अधिकार को स्थगित कर रहा है। विदेशो में अपने राज-नीतिक तथा व्यापारिक प्रतिनिधियो की नियुक्ति, हैदराबाद राज्य को शस्त्रास्त्र मिलते रहने, सैनिक महत्व की हल्की गाडियो के आयात, राज्य से भारतीय सैनिको के हटाये जाने, छावनियो की वापिसी, मुद्रा, सिक्को तथा डाक आदि के सम्बन्ध में उसके अधिकारो को बनाए रखने जैसे मामले अभी स्थगित किये जाते है।

इसके उत्तर में भारत सरकार की ओर से लार्ड माउंटबेटन ने यह आशा प्रकट की कि यह यथापूर्व समझौता सन्तोषजनक दीर्घावधि समझौते के लिये आधार का काम देगा। उसमें इस बात पर बल दिया गया था कि हैदराबाद का हित भारत के साथ सलग्न है। इसलिये इस समझौते की अवधि समाप्त होने के पूर्व हैदराबाद सम्मिलन समझौते पर हस्ताक्षर कर देगा। उठाए गए प्रश्नों के सम्बन्ध मे इस बात का आश्वासन दिया गया कि भारत सरकार उनके सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। लार्ड माउण्टबेटन के नाम लिखे हुए एक गुप्त पत्र में नीज़ाम ने इस बात का वचन दिया कि वह पाकिस्तान में सम्मिलित नही होगा। उस पत्र में यह भी कहा गया कि यदि भारत ने राष्ट्रमण्डल छोड़ने का निर्णय किया तो नीजाम अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने को स्वतन्त्र होगा और पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध होने पर वह तटस्थ रहेगा।

२९ नवम्बर १९४७ को सरदार पटेल ने इस समझौते की घोषणा भारतीय सविधान परिषद् में की।

इस समझौते की धारा दो के अनुसार भारत सरकार ने श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी को हैदराबाद में अपना एजेंट जेनेरल नियुक्त किया।

उसके थोडे समय पश्चात् नीजाम ने दो आर्डिनेंस निकाले। एक के द्वारा हैदराबाद से भारत को मूल्यवान धातुओ के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया और दूसरे आर्डीनेंस द्वारा भारतीय मुद्रा को हैदराबाद में अवैध कर दिया गया। नीजाम के यह दोनों कार्य समझौते के विरुद्ध थे। किन्तु उसने भारत सरकार के इस विषय के विरोध पत्र का गोलमोल उत्तर ही दिया। इसके पश्चात् भारत सरकार को पता चला कि नीजाम सरकार ने पाकिस्तान को भारत की प्रतिभूतियो में बीस करोड पौंड का ऋण दिया है। इस ऋण का वार्तालाप नवाब मोइन नवाज जग ने दिल्ली में समझौता वार्ता करते समय किया था। नीजाम ने भारत सरकार से परामर्श किये बिना कराची मे अपना एक जनसम्पर्क अधिकारी भी नियुक्त किया था।

३० जनवरी १९४८ को नवाब मोइन नवाज जग की अध्यक्षता में हैदराबाद का एक प्रतिनिधि मण्डल दिल्ली आया। उसने इस बात की शिकायत की कि भारतीय पत्रो में हैदराबाद के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा था। साथ ही उसने इस बात की शिकायत भी की कि हैदराबाद को शस्त्रास्त्र तथा अन्य आयातो पर अंकुश लगा हुआ है।

इन दिनों रज़ाकार लोग पूरे राज्यभर में हिन्दुओं के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। सम्पत्ति के अतिरिक्त महिलाओं के ऊपर भी आक्रमण किये जाते थे। भारतीय पत्रो में इन अत्याचारों के समाचार प्रकाशित होते रहते थे, जिससे भारतीय जनता में भी उत्तेजना फैल रही थी। हैदराबाद सरकार रजाकारों के इन अत्याचारो के प्रति केवल मूक दर्शक मात्र बनी हुई थी। रजाकारो ने मद्रास राज्य की सीमा में भी उपद्रव किये थे, जिसकी शिकायत मद्रास सरकार ने भारत सरकार से की थी।

इस प्रतिनिधि मण्डल में लायकअली भी था। उसने सरदार पटेल से भी भेंट की थी। सरदार ने उससे हैदराबाद में साम्प्रदायिक शांति बनाए रखने पर जोर दिया था। इस भेंट के समय सरदार को महात्मा गांधी की हत्या का समाचार मिला। अतएव लायक अली तथा उसके साथी हैदराबाद लौट गए।

कासिम रिज़वी इन दिनो साम्प्रदायिक विष भडकाने वाले व्याख्यान दिया करता था। अपने एक व्याख्यान में उसने कहा कि भारत सरकार हैदराबाद के हिन्दुओ को शस्त्रास्त्र दे रही है। एक अन्य व्याख्यान में उसने कहा कि रजाकार भारतीय मुसलमानो के रक्षक है। रजाकारो के सीमा संघर्षों को रोकने के लिये मद्रास, बम्बई तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की एक कान्फ्रेन्स २१ फर्वरी को नई दिल्ली के राज्य मंत्रालय में हुई। इसमें मद्रास तथा बम्बई के गृह मन्त्री तथा श्री के० एम० मुंशी भी उपस्थित थे। इस कान्फ्रेन्स की अध्यक्षता

सरदार पटेल ने की थी। अपने भाषण में सरदार ने हैदराबाद सरकार के नियम विरुद्ध कार्यों तथा रजाकारो के हिन्दुओं पर किये जाने वाले अत्याचारो का वर्णन किया। उन्होंने मुद्रा सम्बन्धी आर्डिनेंस तथा पाकिस्तान को दिये गये बीस करोड़ पौंड ऋण का उल्लेख भी किया, जो यथापूर्व समझौते का स्पष्ट उल्लघन के कार्य थे। उन्होंने कहा कि या तो हैदराबाद भारत में मिल जावे अथवा अपनी प्रजा को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन दे।

मुख्य मन्त्रियो के वाद-विवाद में मद्रास के मुख्य मत्री ने कहा कि उनके राज्य की सीमा पर दिन में रजाकार तथा रात्रि में साम्यवादी शासन करते थे। राज्य सरकारो को कहा गया कि वह सैनिक पुलिस का उपयोग कर स्थिति को सम्भालें। अन्य अनेक निश्चय भी किये गये।

इस समय तक नीजाम ने सर वाल्टर मौंटकन को लदन से फिर वापिस बुला लिया था। वह लायक अली तथा नवाब मोइन नवाज जग के साथ २ मार्च १९४८ को दिल्ली आया। यहा लार्ड माउटवेटन तथा श्री वी पी मेनन ने उससे समझौता भग करने वाली उपरोक्त सभी घटनाओ का उत्तर मागा। रजाकारों के सम्बन्ध में लायक अली ने कहा कि 'हैदराबाद के मुसलमान अपने प्राणो पर सकट समझते हैं। रजाकार उनकी रक्षा करते हैं।' लायक अली ने कराची जाकर ४ मार्च को वहा से लौट कर लार्ड माउटबेटन को बतलाया कि पाकिस्तान सरकार ने उसको यह वचन दिया है कि २० करोड पौंड के ऋण को तब तक वसूल नहीं किया जावेगा, जब तक हैदराबाद के साथ यथापूर्व समझौता लागू है। (किन्तु १९४८ में नीजाम के लदन स्थित एजेंट ने बीस करोड पौंड की नीजाम की प्रतिभूतिया पाकिस्तान के लदन स्थित हाई कमिश्नर के हिसाब मे जमा करा दी। भारत सरकार की सहायता से नीजाम ने लदन के एक न्यायालय द्वारा इस रकम को लदन के वेस्टमिंस्टर बैंक में रुकवा दिया।) लार्ड माउटवेटन ने कहा कि 'सरदार पटेल मुझसे मिलकर अभी २ गए हैं। उनका कहना है कि 'यदि हैदराबाद में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जावे तो सारी मुसीबतें हल हो जायेंगी और फिर हम सम्मिलन समझौते पर भी बल नहीं देंगे।' लार्ड माउटबेटन ने कहा कि यदि नीजाम ने अपने राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी तो उसका तथा उसके उत्तराधिकारियो का राज्य सदा बना रहेगा, अन्यथा उसे अपने राज्य से वचित होना पडेगा।

अत म एक सयुक्त विज्ञप्ति तैयार की गई, किन्तु अचानक सरदार को हृदय का दौरा पड गया, जिससे विज्ञप्ति न निकाली जा सकी।

लायक अली ने हैदराबाद लौट कर राज्य काग्रेस से वार्तालाप करना चाहा तो उसने उत्तर दिया कि जब तक उनका नेता स्वामी रामानन्द तीर्थ जेल में है वह

कोई बात नही करेंगे। रज़ाकारो के अत्याचार घटने के बजाये बढते ही गए।

२३ मार्च १९४८ को श्री वी पी मेनन ने श्री लायक अली को एक पत्र भेजकर निम्नलिखित घटनाओ की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया, जिनके कारण यथापूर्व समझौता भग हो रहा था—

१(क) परराष्ट्र सम्बन्ध में समझौता भग करने की घटनायें

१—पाकिस्तान को बीस पौंड का ऋण दिया गया,

२—कराची में जनसम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया गया,

२(ख) रक्षा सम्बन्ध मे समझौता भग की घटनायें—

१—भारत के देशी राज्यो की सेनाओं की १९३९ की योजना के उत्तरदायित्व को कार्यरूप में परिणत नही किया गया,

२—भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये बिना राज्य की सेनाओ की सख्या बढाई गई,

३—राज्य की पुलिस की सख्या के सम्बन्ध में वार्षिक विवरण नही भेजा गया,

४—रज़ाकारो की अनियमित सेना का हैदराबाद के मन्त्रालय तथा राज्य पुलिस के साथ-साथ उपयोग किया जा रहा है।

३—सचार साधनो के सम्बन्ध में समझौता भग करने की घटना यूनाइटेड प्रेस आफ अमरीका के साथ किया हुआ वह समझौता था, जिसके द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना हैदराबाद में सप्रेषण तथा सग्राहक यन्त्र लगाये गये थे।

४—सामान्य उपयोग के मामलो में समझौता भग करने की घटनायें

१—हैदराबाद राज्य में भारतीय मुद्रा को गैरकानूनी घोषित किया गया।

२—भारत को स्वर्ण, मूगफली तथा अन्य तिलहनो का निर्यात बन्द किया गया।

श्री मुशी ने भारत सरकार का यह पत्र जब श्री लायक अली को दिया तो उसने कहा कि 'नीजाम एक शहीद के समान मृत्यु का आलिंगन करने को प्रस्तुत है। उसके साथ अन्य लाखो मुसलमान भी मरने को तैयार हैं।'

वास्तव में रज़ाकारो के प्रोत्साहन के कारण इस समय हैदराबाद के शासकों की पूरी मनोवृत्ति सैनिक बन गई थी। नीजाम के परामर्शदाताओ का कहना था कि यदि भारत ने हैदराबाद की आर्थिक नाकाबन्दी की तो उसका मुकाबला कई

मास तक किया जा सकता है। हैदराबाद के सैनिक शासक भारत को सैनिक रूप से बहुत ही निर्बल समझते थे। उनको यह विश्वास था कि ससार के सभी मुसल्मान देश हैदराबाद के मित्र थे। वह हैदराबाद पर सैनिक आक्रमण नही होने देंगे। हैदराबाद रेडियो यहा तक घोषणा करता था कि युद्ध होने पर सैकडो पठान भारत में घुस आवेंगे।

रजाकारो की सभाए भी प्रतिदिन भिन्न-भिन्न स्थानो पर हुआ करती थी। उनके नेता युद्ध की बात किया करते थे। हैदराबाद की सेनाओ के प्रधान सेनापति एल एदरूस ने अपने रेडियो भाषण में सकट कालीन स्थिति के लिये तैयार होने को कहा था।

इत्तिहादुल मुसलमीन ने शस्त्र तथा उनके लिय धन एकत्रित करने के लिये 'हैदराबाद शस्त्र सप्ताह' मनाया था। इस की एक सभा में ३१ मार्च को भाषण देते हुए कासिम रिजवी ने कहा था कि 'हैदराबाद के मुसलमान तब तक अपनी तलवार को म्यान में नही रखेंगे, जब तक कि इस्लाम के प्रभुत्व के उद्देश्य की पूर्ति नही होती।' उसने यह भी कहा 'एक हाथ में कुरान तथा दूसरे हाथ म तलवार लेकर शत्रु पर टूट पडो। यह स्मरण रखो कि भारत के साढे चार करोड मुसलमान हमारे पाचवें कालम का काम करेंगे।'

लायक अली ने ५ अप्रैल १९४८ को पडित नेहरू के पास १७ टाइप किये पृष्ठो का एक लम्बा पत्र भेजा, जिसमें समझौता भग करने के दोषो से इकार करते हुए उलटे भारत सरकार के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे। इस पत्र के अत में यह प्रस्ताव किया गया था कि विवादास्पद मामलो को पचनिर्णय द्वारा सुलझा लिया जावे। नीजाम ने भी एक पत्र लार्ड माउटबेटन को भेजत हुए लायक अली के पत्र का समर्थन किया था।

८ अप्रैल को लार्ड माउटबेटन ने नीजाम के पत्र का उत्तर देते हुए रिजवी के उत्तेजक भाषणो का उल्लेख किया। इसके पश्चात् १५ अप्रैल को लायक अली ने दिल्ली आकर पडित नेहरू से भेंट की। उसने कहा कि कासिम रिजवी ने ऐसे कोई भाषण नही दिये। लायक अली ने १६ अप्रैल को सरदार पटेल से भी भेंट की। सरदार ने कहा कि 'कासिम रिजवी के व्याख्यानो से इकार नही किया जा सकता। हैदराबाद का भाग्य अन्य राज्यो से भिन्न नही हो सकता। यदि पुराना पोलिटिकल डिपार्टमेंट आज होता तो हैदराबाद की वर्तमान स्थिति को एक क्षण भी सहन नही किया जा सकता था। अन्त में चेतावनी देते हुए सरदार ने कहा

"आप और मैं दोनो ही इस बात को जानते हैं कि शक्ति किस के पास है और हैदराबाद में वार्तालाप का भाग्य अन्तिम रूप से किस के हाथ में है। वह व्यक्ति, (कासिम रिजवी) जो हैदराबाद पर छाया हुआ है, उत्तर दे चुका। उसने स्पष्ट

रूप से कहा है कि यदि भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया तो उसे वहा के डेढ करोड हिन्दुओ की हड्डियो के अतिरिक्त और कुछ नही मिलेगा। यदि स्थिति यह है तो यह नीजाम तथा उसके सम्पूर्ण वश की जड खोद रही है। मै आप से इसलिये स्पष्ट भाषण कर रहा हूँ कि मै आपको किसी प्रकार की गलतफहमी में रहने देना नही चाहता। हैदराबाद की समस्या निश्चय ही उसी प्रकार सुलझेगी, जिस प्रकार अन्य रियासतो की सुलझी है। इसका दूसरा मार्ग सभव नही है। हम एक ऐसे एकाकी स्थल को बने रहने देने के लिये सहमत नही हो सकते, जो हमारे उसी सघ को नष्ट कर देगा, जिसे हमने अपने रक्त तथा परिश्रम से बनाया है। साथ ही हम मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाए रखना चाहते हैं और इसीलिए हम मित्रतापूर्ण हल की तलाश में हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम हैदराबाद की स्वतन्त्रता के लिये कभी भी सहमत होगे। यदि वह स्वतन्त्र रहने की अपनी माग पर अडा रहा तो उसे निश्चय ही असफल होना पडेगा।'

अन्त में सरदार ने लायक अली को वापिस हैदराबाद जाने तथा नीजाम से परामर्श करने के उपरान्त एक अन्तिम निश्चय करने को कहा, जिससे 'हम दोनो को इस बात का पता लग जावे कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है।'

इस वार्तालाप के समय श्री वी पी मेनन भी उपस्थित थे। उनका कहना है कि सरदार के साथ भेंट करते समय लायक अली घबडाया हुआ सा दिखलाई देता था। लायक अली के उन दिनो के वार्तालाप के दिनो में ही लार्ड माउटबेटन, पडित नेहरू, सर वाल्टर माटकन तथा श्री वी पी मेनन से भी कई बार पारस्परिक परामर्श कर नीजाम की सहमति के लिये चार बातें तय की गईं।

१—रज़ाकारो को वश मे लाने के लिये उनके जुलूसो, प्रदर्शनों, सभाओ तथा व्याख्यानो पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

२—राज्य काग्रेस के सभी व्यक्तियो को जेल से छोड दिया जावे।

३—वर्तमान सरकार का इस प्रकार मौलिक रूप से तत्काल पुनर्निर्माण किया जावे कि सभी समाजो का उसमें प्रतिनिधित्व हो, तथा

४—वर्ष के अन्त तक एक विधान निर्मात्री परिषद् की रचना की जावे और उत्तरदायी सरकार की स्थापना तत्काल की जावे।

लायक अली ने १७ अप्रैल को सरदार के साथ फिर भेंट की। उसने अपनी नेहरू जी के साथ भेंट का वृत्तान्त सुनाते हुए सरदार से कहा कि 'वैधानिक सुधारो के सम्बन्ध में स्थिति जटिल थी, क्योकि उसे विभिन्न समुदायो का अनुपात तय करना था।' सरदार ने उत्तर दिया कि लायक अली के मन में जो कुछ था वह अपने वास्तविक अर्थ मे उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार नही था, किन्तु यह मामला विस्तार

का है। आवश्यकता सिद्धान्तो के सम्बन्ध में समझौता करने की है। यदि नीज़ाम ने अन्य राज्यो के समान कार्य करना तथा जनता की वास्तविक इच्छा को कार्यरूप में परिणत करना स्वीकार कर लिया तो उससे न केवल हैदराबाद में शान्ति स्थापित होगी, वरन् उसका अपना तथा उसके वंश का भविष्य भी निश्चय से स्थायी हो जायेगा। लायक अली को रजाकारो द्वारा बम्बई राज्य की सीमा में उपद्रव किये जाने तथा नीज़ाम द्वारा समझौता भग करने की घटनाएँ भी बतलाई गईं।

लायक अली और उसके साथी हैदराबाद लौट गए, किन्तु वहा जाकर भी उन्होने कुछ नही किया। इस पर लार्ड माउटबेटन ने नीज़ाम को दिल्ली बुलाया। किन्तु नीज़ाम ने दिल्ली न आकर लार्ड माउटबेटन को ही हैदराबाद बुलाया।

इस बीच सीमा सघर्ष और बढ गये तथा मद्रास से बम्बई जाने वाली एक गाडी पर हैदराबाद राज्य के अन्दर गगापुर में आक्रमण किया गया, जिसमें दो मारे गए, ११ भयकर रूप से घायल हुए तथा १३ लापता हुए, जिनमें ४ महिलाए तथा दो बच्चे थे। इस समय हैदराबाद का एक पुलिस अफसर भी बदूक लिये हुये प्लेटफार्म पर उपस्थित था। किन्तु इस आक्रमण को वह चुपचाप देखता रहा। सरदार उस समय मसूरी में थे।

लायक अली ने दिल्ली तथा हैदराबाद के फिर भी कई चक्कर लगाए। किन्तु परिणाम कुछ भी न निकला।

१३ जून को लार्ड माउटबेटन, पडित नेहरू तथा श्री वी पी मेनन सरदार पटेल से मिलने देहरादून गए। उन्होने लार्ड माउटबटन को समझौता कराने का अधिकार दिया। एक समझौता हो भी गया, किन्तु नीज़ाम ने उसे भी स्वीकार नही किया। यह समझौता भारत सरकार ने बहुत झुक कर किया था।

२१ जून १९४८ को लार्ड माउटबेटन भारत से चले गय और उनके स्थान पर श्री सी राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लार्ड माउटबेटन को नीज़ाम के समझौता स्वीकार न करने से बडी निराशा हुई।

इस बीच रजाकारो के अत्याचार इतने अधिक बढ गए कि उनके प्रतिवाद-स्वरूप नीज़ाम की कार्यकारिणी के एक सदस्य श्री जे वी जोशी ने त्यागपत्र दे दिया। इस समय कम्युनिस्ट भी रजाकारो से मिल गये। इस प्रकार के अनेक मामले हुए जब रजाकारा तथा हैदराबाद की पुलिस ने लूटने, आग लगाने, हत्या, अपहरण तथा महिलाओ के सतीत्व भग के कार्य किये। इससे राज्य के हिन्दू निराश होकर राज्य से बाहर भागने लग। श्री जोशी ने अपने त्यागपत्र में लिखा कि

'परमानी तथा नन्देद जिलो में पूर्णतया आतक का राज्य है। लोहा में मैंने

विनाश का ऐसा दृश्य देखा कि मेरे नेत्रों मे आसू आ गये। ....ब्राह्मणों को जान से मार कर उनकी आंखें निकाल ली गईं, औरतो को भगा लिया गया और उनके साथ व्यभिचार किया गया। मकानों को सामूहिक रूप में जलाया गया। मेरा हृदय निराशा से धड़कता रहा। ....ऐसी स्थिति में मैं ऐसी सरकार में अपना नाम नही रख सकता, जो इस प्रकार के हृदयविदारक अत्याचारों को, जिन्हे मैं अपने नेत्रो से देख चुका हूं—रोकने में शक्तिहीन है।'

राज्य के अन्दर इस प्रकार के अत्याचार केवल कांग्रेसियों अथवा हिन्दुओं के ऊपर ही नही किये जा रहे थे, वरन् उन मुसलमानो के ऊपर भी किये जा रहे थे जो रज़ाकारो के अत्याचारो से सहमत नही थे। लगभग १० सहस्त्र कांग्रेसी जेल में थे। कांग्रेस संगठन पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था। कासिम रिज़वी ने अपने एक भाषण में कहा था 'जो मुसलमान उनके विरुद्ध हाथ उठायेंगा उसके हाथ काट दिये जायेंगे।' उसी रात सोईं बुल्ला खां का, जो राष्ट्रीय वृत्ति के मुसलमान और एक राष्ट्रीय पत्र के सम्पादक थे, कत्ल किया गया। कातिलो ने उनके दोनों हाथ तलवार से काटे। इसी के साथ-साथ बाकिर अली मिर्ज़ा एवं उनके ६ मुसलमान साथियों की—जिन्होंने रज़ाकारो के विरुद्ध वक्तव्य दिया था और नीज़ाम को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की सलाह दी थी—जानें भी जोखम में पड़ गयी।

इस समय हैदराबाद में चोरी से शस्त्रास्त्र पहुंच रहे थे। सिडनी काटन नामक एक आस्ट्रेलियन यह शस्त्रास्त्र अपने विमान द्वारा कराची से हैदराबाद राज्य में रात्रि के समय बीदर तथा वारंगल में पहुंचाया करता था। फिर भी वह पाकिस्तान में न केवल स्वतन्त्रतापूर्वक घूमता था, वरन् उसने कराची में भारतीय हाई कमिश्नर श्री प्रकाश से मिलकर यह शेखी मारी कि वह हैदराबाद को शस्त्र देता रहेगा और भारत सरकार उसका कुछ भी नही बिगाड़ सकेगी।

इस समय पाकिस्तान ने नीज़ाम द्वारा दी हुई २० करोड़ पौंड की प्रतिभूतियों (सिक्यूरीटिज़) को भी भुनाना आरम्भ किया। अतएव भारत सरकार ने एक आर्डिनेन्स निकाल कर उनका भुनाना रोक दिया। हैदराबाद में सोना, चादी, जवाहरात तथा भारतीय मुद्रा का भारत से जाना बन्द कर दिया गया, जिससे वह उन से शस्त्रास्त्र मोल न ले सके।

फिर भी हैदराबाद में दो लाख रज़ाकारो के अतिरिक्त ४२ हज़ार और सेना भी थी। पठानो की अनिश्चित संख्या उनके अतिरिक्त थी। रज़ाकार लोग हैदराबाद राज्य के चारो ओर पड़ोसी राज्यो में आक्रमण कर रहे थे। अतएव जनता में विश्वास उत्पन्न करने के लिये मई १९४८ में हैदराबाद की चारों ओर की सीमा पर भारतीय सेनाएं तैनात कर दी गईं।

इस समय देश में यह व्यापक रूप में माग की जा रही थी कि रज़ाकारो के

इन अत्याचारो को रोकने के लिये भारत सरकार प्रभावशाली कार्यवाही करे। रजाकारो द्वारा भारतीय सीमा के अतिक्रमण पर कोई कार्यवाही न करने पर भारत सरकार की खुले आम निन्दा की जा रही थी। रेलगाडियो पर आक्रमण के कारण उनमे सशस्त्र सैनिक रक्खे जा रहे थे।

इस बीच लायक अली हैदराबाद के मामले को सयुक्त राष्ट्र सघ में ले जाने की योजना बना रहा था। नीज़ाम ने अमरीका के राष्ट्रपति को एक पत्र लिख कर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था, किन्तु उसने उसे स्वीकार नही किया।

अगस्त के अन्त में हैदराबाद का एक प्रतिनिधि मडल नवाब मोइन नवाजजग के नेतृत्व में कराची गया और वहा से अमेरीका जाकर उसने सुरक्षा परिषद् में हैदराबाद का मामला उपस्थित किया।

इस समय भारत सरकार की ओर से नीज़ाम को कई पत्र लिखे गये कि वह रजाकारो के अत्याचारो को बन्द करने के लिये उन पर पाबन्दी लगावे, किन्तु उसने रज़ाकारो के अत्याचारो की घटनाओ को निरी कपोलकल्पित बतलाया।

भारत सरकार के मन्त्रीमण्डल की रक्षा समिति में इस प्रश्न पर कई बार झगडा हुआ। सरदार पटेल रज़ाकारो द्वारा हिन्दुओ पर किये जाने वाले अत्याचारो से क्षुब्ध थे, किन्तु नेहरू जी को सरदार पटेल के इस असाम्प्रदायिक दृष्टिकोण में साम्प्रदायिकता की गन्ध आती थी। अतएव वह हैदराबाद के सम्बन्ध में किसी प्रकार के भी बल प्रयोग के विरुद्ध थे। यह वाद-विवाद रक्षा समिति में एक बार तो इतना अधिक उग्र हो उठा कि सरदार पटेल विरोध स्वरूप रक्षा समिति की बैठक से उठ कर चले गए। साथ ही उन्होंने अपना त्यागपत्र भी दे दिया। दूसरे दिन तत्कालीन गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सरदार को मना कर वापिस लाए। उसी दिन कनाडा के राजदूत ने नेहरू जी से रज़ाकारो द्वारा ईसाई महिलाओ पर आक्रमण किये जाने की शिकायत की। तब जाकर नेहरू जी ने हारे मन से हैदराबाद पर अधिकार करने की सहमति दी। फलत सरदार पटेल ने सेनाओ को आज्ञा दी कि १३ सितम्बर को हैदराबाद पर चढाई की जावे। इस समय भारत का प्रधान सेनापति जनरल ब्लूशर था। उसने सरदार से कहा कि १३ का दिन अशुभ है। अतएव चढाई १४ को की जावे। इस पर सरदार ने उत्तर दिया कि गुजरात में १३ का अक शुभ माना जाता है। फिर भी यदि आपको आपत्ति है तो चढाई १२ को की जावे। अतएव १३ सितम्बर को हैदराबाद पर दो ओर से मेजर जनरल जे एन चौधरी (जो आजकल भारतीय स्थल सेनाओ के चीफ आफ स्टाफ है) ने चढाई की। मुख्य सेना १८६ मील के शोलापुर-हैदराबाद मार्ग स चली। दूसरी छोटी सेना बेजवादा-हैदराबाद के १६० मील के मार्ग से चली। १३ तथा १४ सितम्बर को कुछ हल्का प्रतिरोध हुआ। तीसरे दिन विरोध शान्त हो गया।

भारतीय सेना के हताहत नगण्य थे, किन्तु रजाकारो के ८०० सैनिक मारे गये। १७ सितम्बर को हैदराबाद के प्रधान सेनापति एल. एदरूस ने जनरल चौधरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे तथा हैदराबाद की सेना को नि शस्त्र कर दिया गया। जनरल चौधरी ने १८ सितम्बर को हैदराबाद में प्रवेश किया।

लायक अली तथा उसके मंत्रीमण्डल को अपने २ घरो में नजरबन्द कर दिया गया। भारत के एजेन्ट जनरल श्री के. एम. मुन्शी को पाबन्दियों से मुक्त किया गया। १८ सितम्बर को ही मेजर जनरल चौधरी को हैदराबाद राज्य का सैनिक गवर्नर बनाया गया। १९ को कासिम रिजवी को गिरफ्तार किया गया।

२३ सितम्बर को नीजाम ने सुरक्षा परिषद् को एक तार भेजकर उसे सूचना दी कि हैदराबाद की शिकायत को सयुक्त राष्ट्र सघ से वापिस लिया जाता है। पाकिस्तान आदि कुछ विदेशी राज्यो ने इस मामले के वापिस लिये जाने पर आपत्ति की। किन्तु अत में मामला समाप्त कर दिया गया।

इस समय जनता की यह माग थी कि नीजाम को राज्यच्युत कर दिया जावे। किन्तु सरदार पटेल ने ऐसा करना उचित नही समझा।

यद्यपि लायकअली इस समय नजरबन्द था, किन्तु बाद मे वह वहां से गुप्त रूप से भागकर पाकिस्तान जा पहुचा। यह आश्चर्य की बात है कि भारत सरकार की ओर से इस प्रकार की आज तक कोई जाच नही की गई कि लायक अली को हैदराबाद तथा बम्बई से भागने में किसने सहायता दी और न उसकी हैदराबाद तथा बम्बई स्थित सम्पत्ति को निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित किया गया और न एक भगोडे अपराधी के रूप में उसकी सम्पत्ति को जब्त किया गया। उसने पाकिस्तान जाने के पश्चात् समस्त सम्पत्ति को ले जाने का प्रबन्ध किया।

फर्वरी १९४९ में सरदार पटेल ने अपनी दक्षिण की यात्रा के सिलसिले में हैदराबाद की यात्रा की। इस अवसर पर सरदार का स्वागत करने नीजाम हवाई अड्डे स्वयं आया। उसने अपने जीवन में प्रथम और अंतिम बार हाथ जोड़कर सरदार का अभिवादन किया और भारत-राष्ट्र के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा का परिचय दिया।

मेजर जनरल चौधरी का सैनिक शासन हैदराबाद मे दिसम्बर १९४९ तक रहा। फिर श्री एम० के० वेलोडी आई. सी. एस. को वहा का मुख्यमत्री बनाया गया। १९५० में हैदराबाद काग्रेस के चार प्रतिनिधियो को भी मन्त्री बनाया गया। मार्च १९५२ में समस्त भारत के साथ-साथ हैदराबाद मे भी सार्वजनिक निर्वाचन किये गये। इसके फलस्वरूप श्री बी. रामकृष्ण राव ने वहा काग्रेस का प्रथम निर्वाचित मन्त्रीमण्डल बनाया। अब श्री वेलोडी को इस सरकार का परामर्शदाता

बनाया गया और नीज़ाम एक वैधानिक राज-प्रमुख के रूप में शासन कार्य चलाने लगा।

१९५५ में भारत सरकार ने प्रान्तों के पुनर्विभाजन के सम्बन्ध में विचार करने के लिये एक आयोग बनाया, जिसे "राज्य पुनर्गठन आयोग" नाम दिया गया। उसने प्रस्ताव किया कि राजप्रमुख पद समाप्त करके सब राज्यो की एक जैसी स्थिति कर दी जावे। उसने हैदराबाद के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव किया कि उसका विभाजन करके उसके मराठी, तेलूगू, तथा कर्नाटकी भाषा वाले क्षेत्रो को उन २ भाषाओ के राज्यो में मिला दिया जाये। इस प्रकार १ अक्टूबर, १९५६ को हैदराबाद राज्य को समाप्त कर हैदराबाद नगर को नए आन्ध्र राज्य की राजधानी बना दिया गया। अब नीज़ाम ने सरकारी कार्यों में भाग लेना बन्द कर व्यक्तिगत जीवन व्यतीत करना आरम्भ किया।

सरदार का परिवार—सरदार के निजी सचिव विद्याशंकर, मणिबेन, भानुमती, विपिन, सरदार, गौतम तथा डाह्या भाई
खड़े हुए—श्री एस० के० पाटिल। ७४वां जन्म दिन

सिक्का बन्दर में सरदार जाम साहिब के साथ काडला
बन्दरगाह बनाने की चर्चा कर रहे हैं। साथ में
श्री गाडगिल, तथा श्री बुच हैं।

सोमनाथ में सरदार जामसाहिब सहित
उसके पुर्ननिर्माण का निश्चय कर रहे हैं

अध्याय १३

सरदार के ऐतिहासिक कार्य

सोमनाथ का मंदिर—सरदार का हृदय धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत था। एक हिन्दू के नाते वह सोमनाथ के महत्व को अनुभव करते थे। उसका प्रथम मन्दिर प्रथम शताब्दी में बनाया गया था। धन-सम्पत्ति का वहां इतना अधिक भण्डार था कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सदा ही उसे अपना लक्ष्य बनाया तथा उस पर कई बार आक्रमण किया। यहां तक कि सन् १०२४ में महमूद गजनवी ने उसके तृतीय मन्दिर को नष्ट किया। इसीलिये सोमनाथ का मन्दिर भारत की धार्मिक भावना का प्रतीक था।

सरदार की सोमनाथ की यात्रा—१३ नवम्बर १९४७ को सरदार पटेल ने भारत सरकार के तत्कालीन निर्माण-मन्त्री श्री गाडगिल तथा जामनगर के जामसाहब के साथ सौराष्ट्र प्रदेश में सोमनाथ का दौरा किया। मन्दिर की दुर्दशा देख कर उनका हृदय विदीर्ण हो गया और उन्होंने मन्दिर का पुनर्निर्माण कराने का सकल्प किया। सरदार पटेल के इस सकल्प की प्रतिक्रिया देश के कोने कोने में हुई। धन-राशि एकत्रित हो गई। भारत सरकार ने कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति नियुक्त की। सौराष्ट्र सरकार ने अपने राज-प्रमुख की अध्यक्षता में एक ट्रस्टी बोर्ड स्थापित किया, जिसके अन्य सदस्यों में श्री मुंशी तथा श्री गाडगिल भी थे।

अब सोमनाथ के प्राचीन मन्दिरों का स्थान खोजने के लिए खुदाई की गई। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के प्रतिनिधियों ने इस कार्य में सहायता दी। इस अन्वेषण से सोमनाथ के एक के ऊपर एक पाच प्राचीन मन्दिर भूगर्भ में मिले।

अन्त में यह निश्चय किया गया कि प्राचीन मन्दिर के खडहरों को हटा कर एक नए मन्दिर का निर्माण किया जाए। मूल पाचवें मन्दिर के आधार पर नए मन्दिर का एक ढाचा तैयार किया गया तथा उसे कार्य रूप में परिणत करने की व्यवस्था की गई। इस मन्दिर की मूर्तिप्रतिष्ठा का समारोह ११ मई १९५१ का किया गया और उसमें राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने भी भाग लिया। इस मूर्तिप्रतिष्ठा में शास्त्रीय विधि के अनुसार सभी महाद्वीपों की मिट्टी तथा सभी महासागरों और पवित्र नदियों के जल का उपयोग किया गया। इस प्रकार सरदार पटेल के सकल्प द्वारा भारत की एक महती राष्ट्रीय आकांक्षा की पूर्ति की गई।

सोमनाथ का प्रथम मन्दिर ईसा की प्रथम शताब्दी में बनाया गया था। महमूद गजनवी ने १०२४ में सोमनाथ के तृतीय मन्दिर को नष्ट किया था।

गांधी स्मारक निधि—गाधी जी के स्वर्गवास के पश्चात् उनका स्मारक बनाने के उद्देश्य से गाधी स्मारक निधि स्थापित करने की अपील की गई। किन्तु उन दिनो सरदार की बीमारी के कारण उसका कार्य आगे न बढ सका। काग्रेस नेताओ ने धन एकत्रित करने की कई एक योजनाए सुझाई। एक नेता का विचार था कि प्रत्येक भारतवासी से एक एक रुपया चन्दा लेने पर एक बडी भारी धन राशि एकत्रित की जा सकती है। किन्तु चन्दा जमा करने की कोई ठोस तथा व्यवहारिक योजना न बन सकी। हृदय रोग का आक्रमण होने पर सरदार पटेल दिल्ली में लगभग दो मास तक चिकित्सा कराने के पश्चात् देहरादून चले गये। वहा जाने के कुछ सप्ताह पश्चात् जब उनकी तबियत कुछ सुधरी तो वह गाधी स्मारक निधि के विषय मे चिन्ता करने लगे। प्रथम उन्होने सेठ घनश्यामदास बिरला को देहरादून बुला कर इस विषय पर उनके साथ विचार विमर्श किया। फिर उन्होने उनके द्वारा कलकत्ते से लगभग २५ प्रमुख व्यापारियो को देहरादून बुलवाया। साथ ही उन्होंने अपने पुत्र श्री डाह्याभाई के द्वारा बम्बई से इतने ही व्यापारियों को विमान द्वारा देहरादून बुलवाया। इन व्यापारियो से वार्तालाप करके सरदार पटेल ने उनके सन्मुख गाधी स्मारक निधि के सम्बन्ध मे अपनी योजना रखी। इसके फलस्वरूप प्रत्येक व्यापारी सघ तथा कम्पनी ने अपने अपने व्यापार की शक्ति के अनुसार निधि मे अपना अपना योगदान किया तथा अपने अपने कर्मचारियो से भी चन्दा लिया। इस प्रकार सरदार पटेल ने गाधी स्मारक निधि के लिये चन्दा जमा करने का कार्य उन व्यापारियो को सुपुर्द किया। सरदार प्राय आठवें या दसवें दिन उन व्यापारियो से उनके सग्रह कार्य की प्रगति का विवरण लिया करते थे। अब चन्दा जमा करने के कार्य को काग्रेस कमेटिया भी करने लगी तथा उसमें जनता की भी रुचि बढी।

सरदार पटेल का ७४ वा जन्म दिन—सरदार पटेल का ७४ वा जन्म दिन ३१ अक्तूबर १९४८ को देश भर में अत्यन्त समारोहपूर्वक मनाया गया। उनके बम्बई के मित्रो ने इस अवसर पर उनको स्वर्णमय रत्नजटित अशोक स्तम्भ भेंट किया। इसी अवसर पर बम्बई प्रान्तीय काग्रेस कमेटी के सदस्यो ने उनको ८०० तोले चादी की महात्मा गाधी की मूर्ति भेंट की।

विश्वविद्यालयों द्वारा सम्मान—सरदार पटेल की सेवाओ का समस्त देश में इतना अधिक मान किया गया कि भारत के लखनऊ आदि अनेक विश्वविद्यालयो ने उनको अपनी-अपनी सम्मानित उपाधिया प्रदान की।

प्रथम नागपुर विश्वविद्यालय ने ३ नवम्बर १९४८ को उनको कानून

सरदार नें उक्त नमूने को एयर फोर्स के एयर वाइस मार्शल मुकर्जी को सेना के लिए तत्काल भेंट कर दिया

१९४९ के आरभ में सरदार एक विमान में बैठकर दिल्ली से जयपुर जा रहे थे कि मार्ग में विमान के एंजिन बिगड गए, किन्तु विमान चालक नें अपनी अत्यधिक कुशलता का परिचय देते हुए विमान को इतने धीरे से भूमि पर उतारा कि सरदार को झटका तक न लगा, समाचारपत्रों से यह समाचार पाकर सरदार के स्वास्थ्य के विषय में समस्त भारत चिन्तित हो उठा, बाद में सरदार वहा से एक मोटर द्वारा जयपुर पहुचे, ऊपर के चित्र में सरदार के वायु दुर्घटना से बचने के उपलक्ष में ८ अप्रैल १९४९ को ससद सदस्यो की ओर से श्री नेहरू द्वारा उक्त विमान का चादी का नमूना भेंट किया जा रहा है

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के विशेष उपाधि वितरणोत्सव में सरदार को विधि के डाक्टर की उपाधि दी गई है। बाईं ओर श्री गोविन्द मालवीय तथा दाईं ओर श्री झा बैठे हैं

प्रयाग में पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त के हाथों सरदार को 'पटेल अभिनन्दन ग्रन्थ' दिया जा रहा है, साथ में तत्कालीन राज्यपाल सरोजिनी नायडू बैठी हैं।

काशी पंडित सभा द्वारा किया हुआ सम्मान तथा आशीर्वचन

(विधि) के डाक्टर (Doctor of laws) की सम्मानित उपाधि प्रदान की।

इसके पश्चात् काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने २५ नवम्बर १९४८ को उनको विधि के डाक्टर की सम्मानित उपाधि दी। २७ नवम्बर १९४८ को प्रयाग विश्वविद्यालय ने भी उनको 'विधि के डाक्टर' की सम्मानित उपाधि दी।

२६ फरवरी १९४९ को उस्मानिया विश्वविद्यालय के चैंसलर मेजर जनरल जे. एन. चौधरी ने उनको एक विशेष उपाधि वितरणोत्सव मे 'विधि के डाक्टर' की सम्मानित उपाधि प्रदान की।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान—सरदार पटेल अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के राजनीतिज्ञ थ। इसीलिए ब्रिटिश कजेर्वेटिव पार्टी के तत्कालीन उपनेता श्री एंथोनी ईडन ने नई दिल्ली आने पर उनसे २३ मार्च १९४९ को भेंट की। श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित के अमरीका में भारतीय राजदूत नियुक्त किए जाने पर सरदार पटेल ने २९ अप्रैल १९४९ को उनके अमरीका को प्रस्थान करते समय पालम हवाई अड्डे पर उनका पुत्री के समान आलिंगन कर उनको प्रेमपूर्वक बिदा किया।

श्री पटेल अभिनन्दन ग्रन्थ—सरदार पटेल की सेवाओ का आदर साहित्य ससार ने भी कम नही किया। इसीलिये पटेल अभिनन्दन ग्रन्थ तैयार किया गया, जिसे उत्तरप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमत्री श्री गोविन्दवल्लभ पन्त ने २६ नवम्बर १९४८ को सरदार पटेल के इलाहाबाद आने पर एक विशेष उत्सव मे उन्हे भेंट किया। सरदार के विषय में दो अभिनन्दन ग्रन्थ गुजराती में बम्बई में भी निकाले गये। एक जन्मभूमि द्वारा तथा दूसरा वन्देमातरम् द्वारा, जिसका सम्पादन श्री सावलदास गाधी ने किया था।

सरदार की गोआ विषयक आकांक्षा—श्री सी. एम श्रीनिवासन ने सरदार पटेल के जीवन चरित्र सम्बन्धी अपने ग्रन्थ में लिखा है कि—

"१९४८ में सरदार पटेल एक भारतीय युद्धपोत द्वारा बम्बई बन्दरगाह के बाहिर यात्रा कर रहे थे। जब युद्धपोत गोआ के निकट आया तो उन्होंने उसके कमाण्डिग अफसर से कहा कि वह युद्धपोत को गोआ के समीप ले जावे, जिससे वह उसे देख सके। कमाण्डिग अफसर ने सरदार को तटवर्ती सामुद्रिक सीमा के नियम स्मरण कराये तो सरदार मुस्करा कर बोले—

"कोई बात नही, बढे चलो, तनिक देखें तो सही।" कमाडिग अफसर विवश हो गया और वह सरदार को प्रसन्न करने के लिये युद्धपोत को पुर्तगाल की सामुद्रिक सीमा में एक मील तक ले गया। तब सरदार पटेल ने उस अफसर से पूछा—

"इस युद्धपोत पर तुम्हारे पास कितने सैनिक है ?"

"८००" कप्तान ने उत्तर दिया।

"क्या वह गोवा पर अधिकार करने के लिये पर्याप्त हैं ?" सरदार ने पूछा।

"मैं ऐसा ही समझता हू।" कप्तान ने निर्निमेष दृष्टि से देखते हुए कहा।

"अच्छा, चलो। जब तक हम यहा है गोआ पर अधिकार कर लो।" सरदार ने कहा। युद्धपोत के कमांडिंग अफसर ने उनपर दृष्टि जमाये हुए इस बात को दोहराने को कहा तो सरदार ने बडी गम्भीरता से अपनी बात को दोहरा दिया।

"श्रीमान्! इस विषय में आपको मुझे लिखित आज्ञा देनी पडेगी, जिसमे उसे रिकार्ड में रखा जा सके।" कप्तान बोला।

सरदार ने कुछ सोच कर उत्तर दिया "बाद में विचारने पर मैं यही सोचता हू कि हम वापिस चलें। तुम जानते हो पीछे क्या होगा? जवाहरलाल इस पर आपत्ति करेगा।"

वास्तव में ऐसे मामले पर वह अपनी इच्छानुसार कार्य कर जाते। गोआ को तो वह बहुत पहले भारतीय सघ में सम्मिलित कर लेते, यदि उनको यह विश्वास होता कि उनके कार्य का समर्थन प्रधानमन्त्री करेंगे।

सरदार कहा करते थे "कार्य निश्चय से पूजन है, किन्तु हसी जीवन है।" उनका जीवन भर का कार्य इसी सिद्धान्त पर आधारित था।

स्थानापन्न प्रधान मन्त्री—प्रधान मन्त्री प० जवाहरलाल नेहरू अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रूमैन के निमन्त्रण पर ७ अक्तूबर १९४९ को अमरीका, कैनाडा तथा इगलैण्ड की यात्रा पर चले गये। उनकी अनुपस्थिति में उप प्रधानमन्त्री सरदार पटेल को ७ अक्तूबर १९४९ से भारत का स्थानापन्न प्रधानमन्त्री बनाया गया। इस उपलक्ष में सरदार पटेल ने राष्ट्रपति भवन में १७ अक्तूबर १९४९ को सविधान परिषद के सदस्यो के सम्मान मे एक भोज दिया, जिसमें डा० राजेन्द्र प्रसाद ने भी, जो उस समय सविधान परिषद के अध्यक्ष थे, भाग लिया। अपने प्रधानमन्त्री काल में सरदार पटेल के निम्नलिखित कार्य उल्लेखनीय हैं —

१—अखिल भारतीय सेवाओं का भविष्य—१५ अगस्त १९४७ से पूर्व जिन अखिल भारतीय सेवाओ को 'भारत मन्त्री की सेवायें' कहा जाता था, उनके भविष्य के सम्बन्ध में भारतीय सविधान के परिषद के काग्रेस दल में भारी वाद विवाद था। अनेक प्रभावशाली व्यक्ति इस बात के विरुद्ध थे कि उनके भविष्य की गारण्टी के लिये विधान में कोई धारा रखी जावे। यहा तक कि इस मामले पर केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल में भी मतभेद था। अन्त में यह निश्चय किया गया कि यह मामला सरदार पटेल पर छोड दिया जावे। इस विषय में भारतीय सिविल सर्विस वाले अत्यधिक चिन्तित थे। उनके प्रतिनिधि मण्डल ने सरदार से मिल कर उनको बताया कि कई प्रान्तों में उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता।

भारत के स्थानापन्न प्रधान मंत्री के रूप में १७ अक्तूबर १९४७ को दिये हुए भोज में श्री सत्यनारायण सिन्हा, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद (जो उस समय संविधान परिषद के अध्यक्ष थे), सरदार पटेल तथा आचार्य जे बी कृपलानी

सरदार अपनी दिल्ली की कोठी में विश्राम करते हुए डाक्टर ढाढा तथा पौत्र विपिन सहित

सरदार अपनी दिल्ली की कोठी पर वार्तालाप मुद्रा में। श्री जयरामदास दौलतराम, सर शंकरलाल, डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद तथा सरदार की गोद में उनका पौत्र गौतम

अपने सहयोगियों सहित

मौलाना आजाद

आचार्य कृपलानी

पतजी

श्री एन० सी० केलकर

वास्तव में उन लोगो के वेतन उस मान से कही अधिक थे, जो केन्द्रीय वेतन कमीशन ने निश्चित किये थे। सिविल सर्विस वालो से यह आशा की जाती थी कि वह अपने वेतनो को स्वय कम करके वेतन कमीशन द्वारा निश्चित किया हुआ वेतन स्वीकार कर लेंगे। किन्तु सरदार पटेल का मत था कि उन लोगो को जो कुछ भी आश्वासन भूतकाल में दिये जा चुके है, उनके उत्तरदायित्व से मुख नही मोडा जा सकता। अतएव उनकी व्यवस्था विधान म की जानी चाहिये। काग्रेस पार्टी ने ८ अक्तूबर १९४९ को सरदार पटल के इस सुझाव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। फिर भी ९ अक्तूबर को श्री अनन्त शयनम् ऐयगर, श्री महावीर त्यागी, श्री रोहिणी कुमार चौधरी तथा श्री आर० के० सिधवा ने सविधान परिषद की बैठक में सरदार के इस सुझाव का विरोध किया। अत में सरदार के प्रभावशाली भाषण के पश्चात् सभी विरोध शान्त हो गया तथा इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया।

२—**केन्द्रीय मन्त्रियो के वेतन में कटौती**—सरदार की प्रेरणा पर केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल के सभी सदस्यो ने १० अक्तूबर १९४९ को यह घोषणा की कि वह १ अक्तूबर १९४९ से अपने वेतन में १५ प्रतिशत कटौती करेंगे।

३—**८० करोड रुपये की बचत**—सरदार पटेल इस समय भारत के बढते हुए व्यय से चिन्तित थे। उन्होने स्थानापन्न प्रधानमन्त्री के रूप में भारत सरकार के सभी मन्त्रालयो को अपने अपने भावी बजट में मितव्ययिता करने की प्रेरणा की। फलत १९५०-५१ के आर्थिक वर्ष के प्रधान प्रधान मदो के व्यय में कमी करके ८० करोड रुपये की बचत की गई।

४—**अन्न तथा वस्त्र के मूल्य में कमी**—इस समय भारत में अन्न तथा वस्त्र के मूल्य बराबर बढ़ते जा रहे थे। सरदार पटेल की प्रेरणा पर भारत सरकार ने यह घोषणा की कि १ नवम्बर से उनका मूल्य कम किया जावे।

७५वा जन्म दिन—३१ अक्तूबर १९४९ को जब सरदार का ७५वा जन्म-दिन नई दिल्ली में मनाया गया तो उन्होने स्थानापन्न प्रधानमन्त्री के रूप में राष्ट्र को यह सन्देश दिया :

"उत्पादन बढाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिलकुल मत करो।" सरदार पटेल के इस सन्देश पर मद्रास के अग्रेजी दैनिक 'हिन्दू' ने अपने २ नवम्बर १९४९ के अक में एक प्रभावशाली सम्पादकीय अग्रलेख लिखा।

सरदार के ७५वें जन्म दिन पर उनको १५ लाख रुपये की थैली अहमदाबाद में दी गई। यह धन उन्होने मुरारजी भाई को दे दिया। मुरारजी ने उसे चुनाव में लगा दिया, न कि सरदार का जीवन चरित्र प्रकाशित करने में।

डा० राजेन्द्र प्रसाद के राष्ट्रपति बनने पर सरदार पटेल ने उनसे विनोद करते हुए कहा कि "आपने तो काग्रेस अध्यक्ष से राष्ट्रपति पद छीन लिया।" क्योकि इस समय तक काग्रेस अध्यक्ष को ही राष्ट्रपति कहा जाता था। सरदार ने अपने जीवन काल में तीन चार बहुत बडे कार्य किये। उन्होने अग्रेजो को भारत से निकाला, राजाओ को विशेष सुविधा सम्पन्न वर्ग के रूप में समाप्त कर उनके राज्यो को भारत में मिलाया तथा सविधान परिषद द्वारा भारत को एक आदर्श सविधान दिया। सरदार ने यह सारे महत्वपूर्ण कार्य भारत-विभाजन के पश्चात् अपने जीवन के अन्तिम तीन चार वर्ष में किये। उन्होने स्वास्थ्य निर्बल होते हुए भी इन्ही दिनो समस्त भारत में सामान्य रूप से तथा राजधानी दिल्ली में विशेष रूप से कानून तथा व्यवस्था को बनाये रखा। विभाजन के बाद मुसलमान लोग भारत में कानून तोड कर कानून तथा व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने पर उतारू थे। नेहरू जी का उनके साथ पक्षपात था, जिसका वह उपयोग करते थे। इससे उनको न केवल प्रोत्साहन मिलता था, वरन् वह सरदार पटेल की नेहरू जी तथा गाधी जी से शिकायतें भी करते रहते थे। ऐसी दशा में सरदार पटेल ने अत्यन्त दृढतापूर्वक अपना कर्तव्य पालन करते हुए कानून तथा व्यवस्था को बनाये रखा तथा उनको कायम रखने के लिये अखिल भारतीय शासन तथा पुलिस सेवाओ तथा उनके स्कूलो की स्थापना की।

नेहरू जी के अमेरिका, कैनाडा तथा इगलैण्ड की यात्रा से १५ नवम्बर १९४९ को वापिस आने तक सरदार पटेल स्थानापन्न प्रधानमन्त्री बने रहे।

भारत का नवीन विधान—देशी राज्यो की समस्या के समान भारत के नवीन विधान के निर्माण में भी सरदार पटेल का महत्वपूर्ण भाग रहा है। यह पीछे बतलाया जा चुका है कि भारतीय सविधान परिषद की प्रथम बैठक ९ दिसम्बर १९४६ को आरम्भ हुई थी। उस समय ब्रिटिश कैबीनेट मिशन की योजना के अनुसार ऐसा विधान बनाने का विचार था, जिसमें केन्द्र को केवल रक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध तथा यातायात के अतिरिक्त और विषयो पर शासन करने का अधिकार न हो और प्रातो को इतनी अधिक स्वतन्त्रता हो कि वह जब चाहे केन्द्र से अपना सम्बन्ध तोड सके। किंतु १५ अगस्त १९४७ को पाकिस्तान बन जाने पर इन पाबदियो का मूल्य कुछ नही रहा। अत अब भारतीय सविधान परिषद् ने एक ऐसा विधान बनाया, जिसमें केन्द्रीय सरकार एव राष्ट्रपति को सभी आवश्यक अधिकार इस प्रकार दिए गए कि भारत बराबर उन्नति करता रहे।

यह निश्चय किया गया कि इस विधान को २६ फरवरी १९५० से लागू किया जावे। अस्तु २६ जनवरी के दिन अतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राज-

गोपालाचार्य ने भारतीय शासन का भार नवनिर्वाचित भारत के राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद को दे दिया।

संविधान में संशोधन—संविधान की धारा ३१ के अनुसार व्यक्तिगत सम्पत्ति की सुरक्षा की गारण्टी देकर यह व्यवस्था की गई थी कि उसका उचित मूल्य दिये बिना उसको सार्वजनिक उपयोग के लिये भी हस्तगत नहीं किया जा सकेगा। इस धारा में संशोधन करने के सम्बन्ध में जब कांस्टीट्यूशन क्लब में कांग्रेस दल की बैठक में विचार किया गया तो सरदार पटेल ने उसका इतना प्रबल विरोध किया कि उनका हृदय बैठने लगा और उनको वहां से कुर्सी पर बिठला कर घर लाया गया।

नासिक कांग्रेस तथा नई कार्यसमिति—कांग्रेस का ५६ वां अधिवेशन पंचवटी के समीप नासिक में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन की अध्यक्षता में २० तथा २१ सितम्बर १९५० को अत्यन्त समारोहपूर्वक मनाया गया। यद्यपि अधिवेशन से पूर्व नेहरू सरकार की अत्यधिक आलोचना की जा रही थी, किंतु अधिवेशन के समय जो कुछ भी नेहरू जी अथवा सरदार पटेल ने कहा वही स्वीकार किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष टण्डन जी ने १६ अक्तूबर १९५० को नयी दिल्ली में अपनी कार्य समिति के नामों की घोषणा की। सरदार पटेल इस कार्य समिति में भी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बने रहे। कांग्रेस कार्यसमिति ने ५ दिसम्बर को निम्नलिखित ६ सदस्यों का कांग्रेस पार्लमेंटरी बोर्ड बनाया—टण्डन जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, राजगोपालाचारी, मौलाना आजाद तथा जगजीवन राम।

७६वां जन्म दिन—२८ अप्रैल १९५० को सरदार अपने प्यारे नगर अहमदाबाद आए। यहां उनको उनके ७६वें जन्म दिन पर १५ लाख रुपये की थैली दी गई। इस अवसर पर नगरवासियों ने एक विजयी के समान उनका जुलूस निकाला। उत्साही जनता उनके मार्ग में अपने पलक पांवड़े बिछाए सड़क के दोनों ओर एकत्रित थी और सरदार पर फूलों की वर्षा कर रही थी। नागरिकों द्वारा दिये हुए अभिनन्दन पत्र के उत्तर में सरदार ने कहा "मैं तो केवल एक किसान तथा कांग्रेस का एक नम्र सेवक हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैंने किसान को स्वाभिमान की शिक्षा दी।"

नेपाल में वैधानिक परिवर्तन—नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह अभी तक वंशानुक्रम से प्रधानमन्त्री के बंदी के रूप में चले आते थे। उन्होंने ६ नवम्बर १९५० को अपने महल से चल कर काठमाण्डू के भारतीय दूतावास में शरण ली। भारत सरकार के प्रबन्ध से १९ को वह विमान द्वारा नई दिल्ली आए। उन्होंने २८ नवम्बर को नई दिल्ली में नेहरू जी तथा सरदार पटेल से भेंट

की। किन्तु बाद में भारत सरकार के यत्न से उनको अपने सब अधिकार वापिस मिल गए और राणा सरकार का पतन हुआ।

सरदार की दिनचर्या—भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर सरदार में भी बडा भारी परिवर्तन आ गया। इससे उनके जीवन की एक बडी अभिलाषा पूर्ण हो गई। उनकी दूसरी अभिलाषा भारतवासियों को गाधी जी के शब्दो में रामराज्य के समान सुख दिलाने की थी। अपने इस उद्देश्य में वह बराबर लगे रहे। गृह मन्त्री बनने पर भी उनकी दिनचर्या नही बदली। उनका प्रात काल ४ बजे उठने का स्वभाव नही बदला। दिन निकलने पर वह मणिबेन तथा घनश्याम दास बिरला के साथ लोदी गार्डन में जाया करते थे। इस समय भारत के विभिन्न भागो से आने वाले अनेक व्यक्ति भी उनके साथ हो कर उनके सामने अपने अभाव अभियोग उपस्थित किया करते थे। ७ बजे वह लौटकर नई दिल्ली के अपने निवासस्थान औरगजेब रोड पर आ जाया करते थे। आठ बजे वह समाचार पत्र पढा करते थे। हल्का भोजन करने के उपरान्त वह आगन्तुको से मिला करते थे। ग्यारह बजे या एक बजे वह अपने कार्यालय या ससद में जाया करते थे। दोपहर बाद मीटिंग होती थी या आने वालो से भेट की जाती थी। सायकाल साढे सात बजे भोजन करके दस बजे या उसके पश्चात् वह सो जाया करते थे। सोने के पूर्व वह किसी प्रान्त के मुख्य मत्री या अपने तीनो सेक्रेटरियो—वी० पी० मेनन, एच० वी० आर० ऐयगर तथा वी० शकर—में से किसी से, जो उनसे दिन में नहीं मिल पाते थे, टेलीफोन पर वार्तालाप करके उनसे ताजा समाचार पूछ कर तदनुसार आज्ञाए दिया करते थे।

हृदय रोग का आक्रमण होने पर प्रात कालीन भ्रमण छोडना पडा और शयन का समय भी जल्दी कर दिया गया। किन्तु अपने मकान में वह तब भी टहला करते थे।

चीनी आक्रमण की भविष्यवाणी—उनका अतिम सार्वजनिक भाषण अपने ढग का अनूठा था। यह भाषण केन्द्रीय आर्य सभा दिल्ली के तत्वावधान में ऋषि दयानन्द के ६७वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में ९ नवम्बर १९५० को दिया गया था। सरदार का स्वभाव अन्तर्राष्ट्रीय विषयो पर भाषण देने का नहीं था। किन्तु अपने इस भाषण में उन्होने तिब्बत तथा नेपाल के सबन्ध में चीन की प्रसारवादी नीति की आलोचना करते हुए यह सम्भावना प्रकट की थी कि चीन का आक्रमण भारत पर भी हो सकता है।

सरदार पटेल ने अपने इस भाषण में कहा कि "आज तिब्बत तथा नेपाल में जो कुछ हो रहा है, उसने खतरे का मुकाबला तभी किया जा सकता है जब भारतीय जनता दलगत भावना से ऊपर उठे। नवीन प्राप्त की हुई स्वतत्रता की रक्षा इसी प्रकार की जा सकती है। महात्मा गांधी तथा स्वामी दयानन्द के दिखलाए हुए मार्ग

का अनुसरण करके ही आज की कठिन स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है।" उन्होंने इस बात पर बल दिया "नेपाल के आन्तरिक सरदारो ने भारत की उत्तरी सीमा पर बाह्य खतरे की सम्भावना को बढाया है। अतएव भारतीयो को किसी भी क्षेत्र से आने वाले खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिये।"

सरदार पटेल ने तिब्बत में चीन के हस्तक्षेप की आलोचना करते हुए कहा कि 'प्राचीन काल म सदा ही शान्ति की उपासना करने वाले तिब्बतियो के विरुद्ध शस्त्र का प्रयोग करना अनुचित है। तिब्बत के जैसा शान्ति का उपासक ससार का कोई देश नही है।' उन्होंने यह भी कहा "चीन सरकार ने भारत के परामर्श को नहीं माना कि वह तिब्बत के मामले को शान्तिपूर्वक तय करे। उसने तिब्बत में अपनी सेनाए धसा दी और उसका कारण यह बतलाया कि वह तिब्बत में चीन विरोधी विदेशी षड्यत्रो को समाप्त करेगी। किन्तु यह भय निराधार है। तिब्बत में किसी बाह्य शक्ति की रुचि नही है।"

सरदार पटेल ने अपने भाषण में आगे कहा कि "चीन के इस कार्य का क्या परिणाम होगा, इसे कोई नहीं बतला सकता। किन्तु बल प्रयोग ने अधिक विभीषिका तथा आतक उत्पन्न कर दिया है। यह सम्भव है कि बल तथा शक्ति सम्पन्न राष्ट्र किसी मामले पर शान्तिपूर्वक विचार नहीं किया करते।"

सरदार पटेल को बीमारी—अपने गृह मन्त्री तथा राज्य मन्त्री के पूरे कार्य-काल भर सरदार पटेल रोगी हो रहे। उनके ऊपर कई बार रोग के भयकर आक्रमण हुए। किन्तु देश के भाग्यवश वह हर बार बच गये। किन्तु बार-बार की बीमारी से वह इतने अधिक निर्बल हो गए कि भारतीय पार्लमेंट मे वह प्रश्नो का उत्तर बैठे २ ही दिया करते थे।

सरदार पटेल का स्वर्गवास—दिसम्बर १९५० के आरम्भ में उन पर रोग ने फिर आक्रमण किया। नई दिल्ली के वायुमण्डल से कोई लाभ होता न देखकर वह १२ दिसम्बर १९५० को वायुपरिवर्तनार्थ बम्बई गए। बम्बई में वह नपियन रोड पर बिरला भवन में ठहरे। किन्तु बम्बई जा कर उनकी तबियत और भी अधिक खराब हो गई। अन्त में १५ दिसम्बर १९५० को प्रातःकाल ९ बज कर ३७ मिनट पर उनका ७६ वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया। उनके स्वर्गवास का तार उसी समय नेहरू जी को दिल्ली में मिला। अतएव भारतीय ससद (पार्लियामेंट) ने उसी दिन ११॥ बजे उनके सम्बन्ध में एक शोकप्रस्ताव पारित किया। इसके पश्चात् राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद तथा प० नेहरू नई दिल्ली से १२ बजे चल कर शवयात्रा का जलूस प्रारम्भ होने से पूर्व ही बम्बई पहुच गये। नेहरू जी ने अपने केन्द्रीय मन्त्रियो को इस अवसर पर बम्बई न जाने की आज्ञा दी। किन्तु पूना में होने के कारण श्री गाडगिल बम्बई पहुच गये। नेहरू जी ने तो राष्ट्रपति

राजेन्द्र प्रसाद को भी रोकने का यत्न किया था, किन्तु वह उनकी बात न मान कर उनसे पहले बम्बई पहुच गये। विशाल जनता के इस जुलूस में सम्मिलित होने के लिये प्राय सभी प्रान्तो के मुख्य मन्त्री भी विमान द्वारा यथासमय बम्बई पहुच गये। शवयात्रा का जुलूस सायकाल ५ बज कर २० मिनट पर आरम्भ हुआ। सरदार पटेल के शव को एक सैनिक गाडी पर रख कर उसको सैनिक सम्मान के साथ ले जाया गया। नेताओ की इच्छा उनका अन्तिम सस्कार चौपाटी पर करने की थी। किन्तु बम्बई के तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री बी० जी० खेर इसके विरुद्ध थे। वह नहीं चाहते थे कि चौपाटी पर दाहसस्कार करके सरदार पटेल को तिलक जैसा सम्मान दिया जावे। अतएव उन्होने अपने गृह मन्त्री श्री मुरारजी देसाई को एकान्त में सहमत कर चौपाटी पर दाहसस्कार न करने का आग्रह किया और यह बहाना किया कि शवयात्रा के जुलूस का प्रबन्ध सेना ने किया है वह अपने कार्यक्रम में इतनी शीघ्र परिवर्तन नहीं कर सकेगी। चौपाटी पर सस्कार करने का प्रस्ताव सायकाल ५ बजे किया गया था। अतएव सम्भव है कि इस विषय में श्री बी० जी० खेर ने टलीफोन पर प० नेहरू से भी परामर्श किया हो। उस समय वहा सरदार के अनुज श्री काशीभाई पटेल तथा उनके पुत्र श्री डाह्याभाई भी थे। उनसे उस समय इस विषय में परामर्श किया गया तो उन्होने उत्तर दिया कि जनता जैसा करने को कहे वैसा ही किया जाये। बाद में जनता के आग्रह पर श्री काशी भाई तथा श्री डाह्याभाई ने भी चौपाटी पर ही दाह सस्कार करने की सम्मति दी। किन्तु श्री बी० जी० खेर तथा श्री मुरार जी भाई ने उसे स्वीकार नही किया। सेना की आपत्ति की बात सुन कर सेना के तत्कालीन कमाण्डर से पूछा गया तो उसने कहा, "मैं पन्द्रह मिनट के अन्दर सारी व्यवस्था कर सकता हू।" समाचार पत्रो में इसकी चर्चा की जाने पर कुछ दिन पश्चात् मणिबेन से यह घोषणा करवाई गई कि सरदार की इच्छा यह थी कि उनकी अन्त्येष्टि क्वीस रोड के श्मशान घाट पर उसी स्थान पर की जावे, जहा उनकी पत्नी तथा उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री विट्ठल भाई की की गई थी। सरदार पटेल के शव को श्मशान भूमि पर फौजी गाडी से उतार कर नेताओ ने अपने कधो पर रखा। इसके पश्चात् राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद, प० जवाहर लाल नेहरू, बम्बई के तत्कालीन राज्यपाल सर महाराजसिंह, मद्रास के तत्कालीन राज्यपाल महाराजा भावनगर, अनेक प्रदेशो के मुख्य मन्त्रियो तथा अन्य मन्त्रियो ने निष्ठा पूर्वक अग्नि सस्कार से पूर्व उनके चरण छुए। पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त को तो उस समय रोना आ गया। उसी समय शाम को ७ बज कर ४० मिनट पर उनके एक मात्र पुत्र डाह्या भाई पटेल ने उनकी चिता में अग्नि लगा दी। इस प्रकार ससार का यह एक महान व्यक्ति अपनी जीवन लीला में ७६ वर्ष तक अपने पौरुष का ससार को अद्भुत परिचय देकर इस ससार से चल बसा।

श्रद्धांजलियां—सरदार के प्रति संसार के सभी भागों से श्रद्धाञ्जलियां प्रकट की गईं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जेनरेल ने न्यूयार्क से संदेश भेजा कि "भारत का महान नेता तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रबल मित्र चल बसा।" लार्ड माउण्टबेटन ने उनके द्वारा किये हुए सभी महान् कार्यों का उल्लेख किया। बम्बई के गवर्नर ने कहा 'जनता का नेता चल बसा।' लन्दन टाइम्स, मानचेस्टर गार्जियन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति वाले समाचार पत्रों ने भी श्रद्धाञ्जलियां प्रकट की।

राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद के उद्‌गार—अक्तूबर १८५१ के प्रथम सप्ताह में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने शिमला से दिल्ली आते हुए पटियाला के असेम्बली हाल में सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण किया। उस समय उन्होंने कहा—"जो आजादी हमें मिली है, जैसे-जैसे उसका महत्व हम समझते जायेंगे, वैसे-वैसे ही हमारे दिलों के अन्दर सरदार की कद्र बढ़ती जायेगी। १९१६-१७ से अपनी जिन्दगी के आखिरी समय तक महात्मा गांधीजी ने जितने बड़े-बड़े काम किये, जो कुछ आन्दोलन उन्होंने चलाये, जो भी कदम उन्होंने उठाए, उन सब में सरदार वल्लभभाई का इतना बड़ा हिस्सा रहा कि यदि कोई कहे कि गांधीजी के जो विचार और कार्यक्रम होते थे उसको अमली काम की शक्ल सरदार देते थे तो यह कहना बिल्कुल सही होगा। महात्मा गांधीजी का उन पर इतना विश्वास था कि हर किसी काम में वह सरदार से सलाह करना अपने लिये जरूरी समझते थे। इतना ही नहीं, मैं यह भी कह सकता हूँ कि कभी-कभी सरदार का मत उनसे नहीं भी मिलता था, लेकिन, अन्त में जब किसी बात का फैसला हो जाता था, तब जो कुछ भी फैसला होता था उसका सरदार पालन किया करते थे। महात्मा गांधी की मृत्यु से सरदार को कितना बड़ा धक्का लगा उसका अन्दाज आप नहीं कर सकते। जितना भी उनसे होता था, गांधीजी के बताये रास्ते पर चल कर जो काम बाकी रह जाता था, उसको पूरा करने में वह अपने जीवन के अन्तिम समय तक लगे रहे। जीवन के आखिरी समय में जो कुछ भी उन्होंने किया उसको सबसे अधिक महाराजा लोग जानते होंगे। सैंकड़ों राज्यों को भारत में मिलाने के लिये उन्होंने जो कुछ भी किया, इतने बड़े काम का उदाहरण हमारे देश के इतिहास में नहीं है और मैं समझता हूं कि दुनियां के दूसरे देशों के इतिहास में भी नहीं है। यह कोई आसान काम नहीं था।"

इससे पूर्व सरदार के जीवन काल में ही राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने १७ अक्तूबर १९५० को बारडोली में सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की थी। १ मार्च १९५२ को उन्होंने भड़ौच में तथा उससे अगले दिन २ मार्च १९५२ को उन्होंने कोचासन के वल्लभ विद्यालय में सरदार पटेल की मूर्तियों का अनावरण करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी।

अध्याय १४

पटेल-नेहरू मतभेद

सरदार तथा नेहरू के मतभेद—महात्मा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी श्री प्यारेलाल अपने महात्मा गांधी नामक ग्रन्थ में लिखते हैं—

"मतभेद मन्त्रीमण्डल में भी थे। सरदार पटेल तथा प० नेहरू में सदा ही इस प्रकार के मतभेद रहे, जिनका सम्बन्ध उनकी अपनी-अपनी निजी प्रकृति से था। विभिन्न प्रश्नों के सम्बन्ध में उनके दृष्टिकोण में भी अन्तर था। नेहरूजी के हृदय तथा उनके मस्तिष्क की अप्रतिम विशेषताओं का सरदार के हृदय में बहुत अधिक मान था। किन्तु उनको यह शिकायत रहती थी कि वह सदा ही अपने को बुरे परामर्शदाताओं से घिरा हुआ रखते थे और इसीलिये उन पर पर्याप्त विश्वास नहीं रखते थे और इस प्रकार के कार्यों में लग जाया करते थे, जिनमें उनकी सदभिलाषाएं लुप्त हो जाती थी। इसके विरुद्ध प० नेहरू सरदार पटेल की सतर्क बुद्धि, शासन सम्बन्धी प्रतिभा तथा संघर्ष करने के अप्रतिम गुणों के प्रशंसक थे। और इसीलिये वह उनके अतिरिक्त और किसी के सामने नहीं झुकते थे। नेहरूजी सरदार पटेल के विभिन्न प्रश्नों को हल करने की प्रणाली से असन्तुष्ट थे तथापि वह दोनों एक दूसरे को पूर्ण सहयोग देते थे।"

जब महात्मा गांधी पूर्वी पाकिस्तान में नोआखली की यात्रा पर गए तो कुछ समय के लिये उनका सरदार पटेल से सम्पर्क टूट गया और लोगों को सरदार के विरुद्ध महात्मा गांधी के कान भरने का अच्छा अवसर मिल गया। ब्रिटिश पत्रकार माइकेल ब्रेचर ने अपने ग्रन्थ "नेहरूजी के राजनीतिक जीवन चरित्र" में पृष्ठ ३३ पर लिखा है कि

"जब प० नेहरू महात्मा जी से बंगाल में मिल कर लौटे तो महात्मा गांधी ने दिसम्बर १९४६ में सरदार पटेल को निम्नलिखित पत्र लिखा :—

"मैंने आपके विरुद्ध बहुत सी शिकायतें सुनी हैं। आपके व्याख्यान भड़काने वाले होते हैं और जनता को प्रसन्न करने के लिये दिये जाते हैं। आपने हिंसा तथा अहिंसा के बीच सभी प्रकार के भेद की उपेक्षा की है। आप लोगों को तलवार का बदला तलवार से लेने की शिक्षा दे रहे हैं। मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो या न हो आप उसका अपमान करने से कभी नहीं चूकते। यह बहुत हानिप्रद है। कहा जाता है कि आप पदों से चिपके

रहने की बात करते हो। यदि यह सत्य है तो यह बुरी बात है। मैंने जो कुछ सुना है आपके विचार करने के लिये आपको लिख दिया है। . कांग्रेस कार्य समिति में वह ऐकमत्य नहीं है, जो वहां होना चाहिए। भ्रष्टाचार को निर्मूल कर दो। आप जानते हैं कि उसे किस प्रकार निर्मूल किया जावे। . . यह दिखलाई देता है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते। यह बुरी बात है।"

सरदार पटेल ने ७ जनवरी १९४७ को इस पत्र का निम्नलिखित उत्तर दिया —

"आपका पत्र मिला। मुझे उससे कष्ट हुआ। स्वाभाविकतया आपने उन सूचनाओं तथा शिकायतों के आधार पर लिखा है, जो आपको मिली हैं। शिकायतें निश्चय से झूठी हैं। उनमें से कुछ में तो कोई युक्ति तक नहीं है। मेरे ऊपर यह आरोप कि मैं पद से चिपके रहना चाहता हू, बनावटी है। मैं केवल इस बात का विरोधी हू कि जवाहरलाल जो अन्तर्कालीन सरकार से त्यागपत्र देने की व्यर्थ की धमकियां दिया करते हैं, उससे कांग्रेस के सम्मान को धक्का लगता है तथा सेवाओं का नैतिक पतन होता है। प्रथम हमको दृढ चित्तता से एक मत स्थिर कर लेना चाहिए। थोथी धमकियों से हम वाएसराय की निगाह में भी गिरे हैं। अब वह हमारी त्यागपत्र की धमकियों को कोरी गप्प समझते हैं। जब वाएसराय ने मुझसे गृह विभाग मांगा तो मुझे त्यागपत्र देने में एक मिनट भी नहीं लगा था। वह मेरी ओर से कोरी धमकी नहीं थी और उसका इच्छित प्रभाव भी पडा। पद से चिपके रहने में मेरा क्या स्वार्थ है ? मैं तो बन्धन में फस गया हू। यदि मैं पद मुक्त होकर एक बार फिर स्वतन्त्र हो जाऊ तो मुझे प्रसन्नता होगी। . . . मैं यह समझने में असमर्थ हू कि आप ऐसी बातें क्यों सुनते हैं।

"मेरे विषय में मुस्लिम लीग तक ने यह कभी नहीं कहा कि मैं उसका बार बार अपमान करता हू। यह मेरे लिये समाचार है कि मैं अपने व्याख्यान गैलरी की ओर मुखातिब होकर देता हू। मेरा स्वभाव है कि मैं जनता को नग्नतम सत्य बतला दू। तलवार का उत्तर तलवार से देने की बात एक बडे भारी वाक्य में से तोड मरोड कर निकाली गई है और प्रसग के बिना प्रयोग की गई है। कार्य समिति के मतभेद आज के नहीं हैं। वह वहां बहुत समय से हैं। इसके विरुद्ध वहां आज अनेक मामलों में बहुत अधिक मतैक्य है। आप मुझे बतलायें कि मेरा कौन सा साथी आप से

"सरदार पटेल महात्मा गांधी के पुराने मित्र तथा अनुयायी थे। वह आन्दोलन के आरम्भ में ही महात्मा गांधी के पास एक स्वयंसेवक के रूप में आये थे। उस समय भी वह एक चतुर तथा सफल वकील थे। वह महात्मा गांधी के बतलाये हुए नियमों पर चलते, खद्दर पहिनते, शाकाहारी भोजन किया करते तथा गीता पढ़ा करते थे। अर्थात् गांधी युग की क्रान्ति में वह पूर्णतया घुलमिल गये थे। इससे पूर्व वह पाकिस्तान के संस्थापक श्री मुहम्मद अली जिना के जैसे चालाक वकील थे। सरदार पटेल ने कांग्रेस दल का ऐसा सगठन बनाया, जैसा वह उससे पूर्व कभी नहीं था। और जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो वह स्थानीय राजनीति के एक अच्छे खिलाड़ी बन चुके थे।.... वह प्रत्येक मामले के गुण दोष के अनुसार दल के अनुशासन की दृष्टि से या तो पारितोषिक अथवा दण्ड दिया करते थे। तथापि वह महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी थे। उनकी गांधीवादी विचारधारा पूंजीवादी विकास के पक्ष में थी, जबकि पं० नेहरू अपनी गांधीवादी विचार धारा में सोशलिस्ट सिद्धान्तों को विकसित करना चाहते थे। इस सम्बन्ध में मेरे मन में कभी भी सन्देह नहीं हुआ कि सरदार पटेल एक सच्चे देशभक्त तो थे ही, सबसे अधिक वह राष्ट्रीय स्वत्वों के रक्षक थे।

"गांधीजी ने अपनी मृत्यु के दिन सरदार पटेल से कहा था कि 'कांग्रेस का अस्तित्व स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये ही था। एक राजनीतिक इकाई के रूप में अब उसकी आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस को अब अपने आप को समाज कल्याण के कार्य में सीमाबद्ध कर लेना चाहिये।"

भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद के प्राइवेट सेक्रेटरी श्री वाल्मीकि चौधरी ने "राष्ट्रपति भवन की डायरी" नामक अपने ग्रन्थ में २६ फरवरी १९५० के विषय में लिखा है कि:

"आज सरदार वल्लभभाई पटेल की कोठी पर राष्ट्रपतिजी गांधी स्मारक निधि की एक सभा में भाग लेने गये। .... सभा के पश्चात् दोपहर का भोजन राष्ट्रपतिजी ने सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ उनकी कोठी न० १ औरंगजेब रोड पर ही किया। सरदार वल्लभभाई के साथ राष्ट्रपति का बहुत प्रेम सम्बन्ध रहा है। सरदार हास्य प्रेमी हैं।

"सरदार वल्लभभाई से श्री जवाहरलालजी का मेल नहीं बैठ रहा है। सरदार दुखी रहते हैं। देशी रजवाड़ों का निबटारा कर रहे हैं। बड़े महत्व के काम में लगे हुए हैं। काश्मीर जवाहरलाल पर छोड़ रखा है। कहते थे कि 'सब जगह तो मेरा वश चल सकता है, पर जवाहरलाल की ससुराल में मेरा वश नहीं चलेगा।' वह यह भी कहते थे कि 'शेख अब्दुल्ला वगैरह क्या राष्ट्रीय मुसलमान रहेगा? इस देश में तो एक ही राष्ट्रीय मुसलमान है और वह है जवाहरलाल।'

मेरी शिकायतें करता है। उनमें से मुझसे तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा।"

इस सम्बन्ध में अमेरिकन पत्रकार श्री विंसेन्ट शीन ने अपने ग्रन्थ "नेहरू जी के जीवन चरित्र" में लिखा है —

"भारतीय स्वतन्त्रता के आरम्भिक वर्षों में सरदार पटेल तथा प० नेहरू का मतभेद बहुत कुछ बढ गया था। उनका मतभेद देश की सामाजिक तथा आर्थिक नीति सम्बन्धी अनेक सिद्धान्तों के विषय में था। पाकिस्तान विषयक दृष्टिकोण के सम्बन्ध में भी उन दोनो का एक दूसरे के साथ पर्याप्त मतभेद रहता था। किन्तु इस प्रकार के मामलो पर उनके वाद विवाद बिल्कुल एकान्त में हुआ करते थे। एक दूसरे के ऊपर उन दोनो में से किसी ने भी दूसरो के सामने आक्रमण नही किया।

"उनके विचारों तथा उनकी मान्यताओ में भी बहुत अन्तर था। फिर भी वह दोनो एक दूसरे की सच्चाई पर विश्वास करते हुए एक दूसरे का सम्मान करते थे। मैंने उन दोनो के साथ कई-कई बार पर्याप्त लम्बा वार्तालाप किया है। किन्तु उसम उन्होंने कभी भी एक दूसरे के सम्बन्ध में असम्मानजनक अथवा उग्र आलोचनात्मक बात नही कही।"

इस सम्बन्ध में भारतीय पत्रकार श्री फ्रैंक मोरायस के निम्नलिखित वाक्य भी ध्यान देने योग्य हैं —

"अपने अन्तिम दिनो में गाधीजी को भी इस बात की बडी चिन्ता लगी रहती थी कि प० नेहरू तथा सरदार पटेल का पारस्परिक मतभेद बराबर बढता जा रहा था। सरदार पाकिस्तान में हिन्दुओ तथा सिक्खो के हत्याकाण्ड से इतने रुष्ट थे कि वह भारतीय मुसलमानो के लिये महात्मा जी तथा प० नेहरू की अनुचित कृपा को पसन्द नही करते थे। सरदार पटेल ने अपने एक सार्वजनिक व्याख्यान में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि 'जब तक मुसलमान भारत के प्रति अपनी भक्ति की घोषणा स्पष्ट शब्दो में नही करते उनका विश्वास नही किया जा सकता'।"

अमरीकन पत्रकार श्री विंसेंट शीन ने नेहरू विषयक अपन ग्रन्थ में लिखा है कि —

"सरदार पटेल की मृत्यु से एक प्रमुख पुरातन पन्थी नेता उठ गया। अतएव अब प० नेहरू के व्यक्तित्व को खुलकर खेलने का अवसर मिला। क्योंकि सरदार पटेल ने कांग्रेस दल का सगठन देश भर में इतने अनुशासनात्मक ढग पर किया था कि उसको उनके हाथ की हथेली पर देखा जा सकता था।

"सरदार पटेल महात्मा गाधी के पुराने मित्र तथा अनुयायी थे। वह आन्दोलन के आरम्भ में ही महात्मा गाधी के पास एक स्वयसेवक के रूप में आये थे। उस समय भी वह एक चतुर तथा सफल वकील थे। वह महात्मा गाधी के बतलाये हुए नियमो पर चलते, खद्दर पहिनते, शाकाहारी भोजन किया करते तथा गीता पढा करते थे। अर्थात् गाधी युग की क्रान्ति में वह पूर्णतया घुलमिल गये थे। इससे पूर्व वह पाकिस्तान के सस्थापक श्री मुहम्मद अली जिना के जैसे चालाक वकील थे। सरदार पटेल ने काग्रेस दल का ऐसा सगठन बनाया, जैसा वह उससे पूर्व कभी नही था। और जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो वह स्थानीय राजनीति के एक अच्छे खिलाडी बन चुके थे। . वह प्रत्येक मामले के गुण दोष के अनुसार दल के अनुशासन की दृष्टि से या तो पारितोषिक अथवा दण्ड दिया करते थे। तथापि वह महात्मा गाधी के सच्चे अनुयायी थे। उनकी गाधीवादी विचारधारा पूजीवादी विकास के पक्ष में थी, जबकि प० नेहरू अपनी गाधीवादी विचार धारा में सोशलिस्ट सिद्धान्तो को विकसित करना चाहते थे। इस सम्बन्ध में मेरे मन में कभी भी सन्देह नही हुआ कि सरदार पटेल एक सच्चे देशभक्त तो थे ही, सबसे अधिक वह राष्ट्रीय स्वत्वो के रक्षक थे।

"गाधीजी ने अपनी मृत्यु के दिन सरदार पटेल से कहा था कि 'काग्रेस का अस्तित्व स्वतन्त्रता प्राप्त करन के लिये ही था। एक राजनीतिक इकाई के रूप में अब उसकी आवश्यकता नही है। काग्रेस को अब अपने आप को समाज कल्याण के कार्य म सीमाबद्ध कर लेना चाहिये।"

भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद के प्राइवेट सेक्रेटरी श्री वाल्मीकि चौधरी ने "राष्ट्रपति भवन की डायरी' नामक अपने ग्रन्थ में २६ फरवरी १९५० के विषय में लिखा है कि

"आज सरदार वल्लभभाई पटेल की कोठी पर राष्ट्रपतिजी गाधी स्मारक निधि की एक सभा में भाग लेने गये। . सभा के पश्चात दोपहर का भोजन राष्ट्रपतिजी ने सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ उनकी कोठी न० १ औरगजेब रोड पर ही किया। सरदार वल्लभभाई के साथ राष्ट्रपति का बहुत प्रेम सम्बन्ध रहा है। सरदार हास्य प्रेमी हैं।

"सरदार वल्लभभाई से श्री जवाहरलालजी का मेल नही बैठ रहा है। सरदार दुखी रहते हैं। देशी रजवाडा का निवटारा कर रहे हैं। बडे महत्व के काम में लगे हुए हैं। काश्मीर जवाहरलाल पर छोड रखा है। कहते थे कि 'सब जगह तो मेरा वश चल सकता है, पर जवाहरलाल की ससुराल में मेरा वश नही चलेगा।' वह यह भी कहते थे कि 'शेख अब्दुल्ला वगैरह क्या राष्ट्रीय मुसलमान रहेगा? इस देश में तो एक ही राष्ट्रीय मुसलमान है और वह है जवाहरलाल।'

इस तरह की बहुत सी बातें की। वह यह भी कहते थे कि वह लाचार हैं, क्योंकि गाधीजी को वचन दे चुके हैं कि जवाहरलालजी जैसा चाहेंगे वैसा ही उनके काम में सहयोग देते रहेंगे।"

गांधी सेवा संघ—जब गाधीजी सन् ३४ में वर्धा में बसे और काग्रेस वाले जेल में गये तो यह सोचा गया कि उनके कुटुम्ब के पोषण के लिये कुछ करना चाहिये। इस विचार से सरदार तथा सेठ जमनालालजी वजाज ने मिलकर एक सस्था गाधी सेवा सघ बनाई। उसके लिये वह दोनो धन एकत्र कर देते थे। इस धन से रचनात्मक कार्य करने वालो को २५-३० रुपये मासिक दिया जाता था। इसका हिसाब काग्रेस कार्य समिति के सम्मुख उपस्थित किया जाता था। एक बार इस हिसाब को सुनकर नेहरूजी ने कहा कि 'आपने तो अलग पार्टी बना ली' इस पर गाधी जी ने इसे भग कर दिया। किन्तु, कुछ वर्ष बाद ही नेहरूजी ने भारत सेवक समाज बनाई, जिसके कार्य-कलाप को सारा भारत आज जानता है।

सरदार ने नेहरूजी के सम्बन्ध में गाधी जी को दिये हुये अपने वचन का जीवन पर्यन्त पालन किया। किन्तु, नेहरू जी ने गाधी जी से वार्तालाप करके उसका पालन नही किया। उन्होंने गाधी जी को जो पहिले वचन दिये थे उनका वह पालन करते थे, किन्तु बाद में वह उससे मुकर गये। इसी से गाधी जी के पक्के अनुयायी श्री राजगोपालाचारी तथा आचार्य कृपलानी भी आज उनका विरोध कर रहे हैं।

नेहरू जी ने सन् १९५३ में भूतपूर्व राजाओ को एक ३० पृष्ठो का पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया कि वह अपनी प्रिवी पर्स में कमी कर दें, जिसका किसी ने उत्तर तक नही दिया। किन्तु सरदार ने उनके राज्य ही ले लिये और नेहरू जी इतना कार्य भी नही कर सके।

सरदार ईश्वर में विश्वास करते थे। अतएव अपने वचन का पालन करते थे। भारत की स्वतत्रता के आरम्भ के पाच वर्षों में ही पाच राज प्रमुखो के मर जाने से भारत को ५० लाख की बचत हो गई।

श्री के० एल० पजाबी ने सरदार के सम्बन्ध में लिखे हुये अपने ग्रन्थ के 'राजनीतिज्ञ' शीर्षक वाले अध्याय में लिखा है कि "महात्मा गाधी ने १९३१ के काग्रेस के कराची अधिवेशन में कहा था "जवाहरलाल विचारक है और सरदार कार्य करने वाले हैं।" वह यह भी कह सकते थे कि विचारक सरदार भी थे, किन्तु वह स्वप्न लेने वाले नही थे।"

प० नेहरू पहिले गाधीजी की हर बात मानते थे, किन्तु जब वह १९२७ में रूस से लौटे तो उनका मानसिक परिवर्तन हो गया।

नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज्य माना गया था। किन्तु श्रीनिवास

ऐयगर तथा श्री सुभाषचन्द्र बोस ने उसका विरोध किया। किन्तु प० नेहरू पहले उसका विरोध करके भी गांधी जी के साथ हो गए।

सरदार पटेल पर यह आरोप लगाया जाता था कि वह अपनी साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के कारण मुसलमानों के विरोधी थे। किन्तु श्री महावीर त्यागी ने अपने ग्रंथ "मेरी कौन सुनेगा" में एक ऐसी घटना का वर्णन किया है, जिससे न केवल इस तथ्य का खण्डन होता है, वरन् सरदार के मुसलमानों के प्रति कोमल हृदय का भी परिचय मिलता है। बात यह थी कि जो मेव लोग अलवर आदि राज्यों को छोड़ कर पाकिस्तान चले गये थे, मन्त्रीमडल ने अपनी बैठक में उनके सम्बन्ध में यह निर्णय किया कि उन्हें पाकिस्तान से वापिस भारत बुला कर उनका फिर से पुनर्वास किया जावे। यह निर्णय मन्त्रीमडल ने अपनी बैठक में दो बार किया। किन्तु कांग्रेस कार्य समिति के एक सदस्य की प्रेरणा से यह विषय वर्किंग कमेटी की विचार सूची के लिए रक्खा गया, जिससे कांग्रेस कार्य समिति द्वारा मन्त्रीमडल के इस निर्णय को बदलवा दिया जाये। किन्तु सरदार पटेल को यह नामजूर था। वह बीमारी के कारण कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नही जा सकते थे, जिससे इस प्रश्न का वहा विरोध किया जा सके। अतएव उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति और भारत के मन्त्रीमडल दोनो से त्यागपत्र देने का निश्चय किया। यह बात सन् १९४८ की है। उस समय सरदार पटेल देहरादून में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे और महावीर त्यागी नई दिल्ली में थे, जिनके साथ सरदार की गाढ मैत्री थी। अतएव सरदार ने इस प्रश्न के परामर्श के लिए महावीर त्यागी के पास टैलीफोन द्वारा सन्देश भिजवाया कि वह तत्काल देहरादून चले आवें। त्यागीजी के देहरादून पहुचने पर सरदार पटेल ने अपने दोनों त्यागपत्रों वाला नेहरू जी के नाम लिखा हुआ पत्र त्यागीजी को दिखला कर उनका परामर्श मागा। बहुत कुछ सोच विचार के पश्चात् त्यागी जी ने कहा "इस पत्र को भेजा अवश्य जाये, परन्तु यह पत्र मोघा. नेहरू जी. को. न. भेज. कर. प्रथम. कांग्रेस. के. अध्यक्ष. डा० राजेन्द्रप्रसाद. के पास भेज दिया जावे और उन्हे लिख दिया जावे "मैं बीमारी के कारण यहा अकेला पड़ा हू, कोई दूसरा साथी सलाह करने को है नहीं, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में आने से भी लाचार हू। उसका एजेन्डा देख कर मुझ पर जो उसकी प्रतिक्रिया हुई है उसके फलस्वरूप मैंने यह पत्र जवाहरलाल को लिखा है। आप कांग्रेस के प्रधान हैं। इसलिए मेरी इच्छा है कि यह पत्र प्रथम आपको दिखा दू। आप कृपया इसे पढ़ कर जवाहरलाल के पास भेज दें।" अन्त में यह पत्र पाकर राजेन्द्र बाबू घबडा गये और उन्होंने उसी समय टैलीफोन द्वारा सरदार पटेल को सूचित किया कि वह उनकी विचारधारा से सहमत हैं और उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति के एजेंडा में से उक्त विषय को निकाल दिया है।*

---

*त्यागी, महावीर : मेरी कौन सुनगा, दिल्ली १९६३

नेहरू और पटेल

पंडित नेहरू तथा सरदार पटेल की तुलना करते हुए डाक्टर पट्टाभि सीतारामैया ने लिखा है—"इस बात पर प्राय आश्चर्य प्रकट किया जाता है कि यदि इन दोनो विरोधियो का सहयोग इतना सुखदायक (Happy), इतना उपयुक्त और इतना एकाकार न होता तो दिल्ली की केन्द्रीय सरकार की कैसी दशा होती। यदि दो मित्र एक दूसरे की बात को हमेशा काटते रहे तो उनका सहयोग आदर्श नही हो सकता। यदि दो साथी एक दूसरे के ऊपर सदा आक्रमण करते रहे तो वह कोई उन्नति नही कर सकते और न कोई निर्णय कर सकते है। हमारे यह दोनो नेता बिल्कुल भिन्न प्रकार के है। अतएव हम को उनकी अपनी-अपनी उन विशेषताओ को समझना चाहिए, जिनके कारण वह एक दूसरे को उपयोगी सहयोग देते रहे।

विभिन्नता में एकता

"यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि सरदार तथा नेहरू का दृष्टिकोण एक था। किन्तु वह विभिन्नता में भी एकता के अद्भुत उदाहरण थे। एक हाथ की कोई सी भी दो अगुलिया एक जैसी नही होती। एक माता पिता की सतान कोई से दो भाई एक जैसा न तो सोचते, न अनुभव करते और न कार्य करते है। अच्छे से अच्छे मित्रो का भी आपस में मतभेद होता है। एक दूसरे से मतभेद रखना तथा भिन्न-भिन्न मार्ग पर चलना स्वाभाविक है। किन्तु मतभेद को पाटना कठिन है और उसे प्रयत्नपूर्वक ही किया जा सकता है। इस विषय मे हमारे दोनो नेता ससार के सम्मुख एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते है कि किस प्रकार एक उद्देश्य के लिये कार्य में लगे हुए दो व्यक्ति अनावश्यको मे से आवश्यको, तात्कालिक से सुदूरवर्ती को तथा आवश्यक में से मुख्य को छाट लेते है। दोनो के मतभेद केवल उनकी अपनी-अपनी प्रकृति के कारण ही नही थे, वरन् भारत सरकार में उनके अपने अपने विभाग के कारण भी थे। उनको इस प्रकार का दृष्टिकोण बनाना पडता था कि दोनो मामलो में उनका मतभेद होता रहता था।

आत्म विस्मरण

"गृहमन्त्री को आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति की अनिवार्य आवश्यकता की उच्चतम भावना को बनाए रखना पडता है, जब कि परराष्ट्र मन्त्री को किसी विशेष मामले या स्वीकृत नीति के सम्बन्ध में विदेशो की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखना पडता है। यदि गृहमन्त्री किसी विदेशी को अवाछनीय व्यक्ति मानता है तो उसी समस्या तथा उसी व्यक्ति के सम्बन्ध में परराष्ट्र मन्त्री का विचार अनतिउग्र तथा अधिक समझौते वाला हो सकता है।

पौत्र गौतम के साथ

कुमारी मणिबेन पटेल तथा श्रीमती भानुमती पटेल

विविध मुद्रा में

"सहयोग की कला—भले ही वह दम्पति अथवा एक मन्त्री मण्डल के दो मन्त्रियो मे हो, आत्म-विस्मरण तथा एक दूसरे की आधीनता की भावना पर निर्भर है । इस कला में हमारे पूज्य सरदार तथा हमारे प्यारे नेहरू दोनो ने अपनी उच्च योग्यता का परिचय दिया है ।

"इस प्रकार दृष्टिकोण तथा विचारों की विभिन्नता केवल राजनीतिक मामलो मे ही नही होती । सरदार पूर्णतया प्राच्य थे । वह अपने अन्तरात्मा से हिन्दू थे । फिर भी वह पाश्चात्य आदर्शों को हृदयगम कर लेते थे तथा अन्य जातियो के साथ अच्छे से अच्छे सम्बन्ध रख सकते थे । जहा अपने अतिरिक्त अन्य मामलो पर इतना प्रबल विश्वास हो कि उसके बारे मे किसी प्रकार भी समझौते की सभावना न हो यह सभव है कि वहा एकरूपता तथा साथीपने की भावना के विचार मे बुद्धिमत्तापूर्ण हिचकिचाहट द्वारा, वाणी के सयम द्वारा तथा कार्य मे बुद्धिमत्तापूर्ण विलम्ब द्वारा सबध बनाए रखा जा सके । इसी प्रकार काश्मीर समस्या के सम्बन्ध मे किया गया, जिसके सम्बन्ध मे नीतिनिर्द्धारण तथा आगे कार्य करने का भार पूर्णतया प्रधान मत्री पर छोड दिया गया, क्योकि काश्मीर के सम्बन्ध मे उनकी रुचि और वास्ता उनसे अधिक और किसी का नही हो सकता था ।

देश अपने से भी ऊपर

"यह ध्यान देने की बात है कि सरदार ने समय के विरुद्ध, डाक्टरो की सम्मति के विरुद्ध और यहा तक कि अपनी सरक्षिका—अपनी पुत्री की भी इच्छाओ के विरुद्ध कार्य किया । किन्तु उनके लिये देश अपने से भी ऊपर था ।"

पडित नेहरू तथा सरदार के मतभेद के विषय में पडित हरिभाऊ उपाध्याय के निम्नलिखित उद्गार भी ध्यान देने योग्य है—

"पडित जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार के मिजाज मे बडा भारी अन्तर था । यहा तक कि उन दोनो की कार्य प्रणाली भी एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न प्रकार की थी । किन्तु सरदार पडितजी को भारत के स्वतत्र होने के पश्चात् अपना नेता मानने लगे थे । इसके बदले में पडित जी सरदार को परिवार का सर्वाधिक वृद्ध पुरुष मानते थे । दोनों के मतभेद के विषय मे प्राय अफवाहें फैल जाती थीं और विभेदात्मक वृत्ति वाले अत्यन्त प्रसन्न होकर उनमें फूट पड जाने की आशा लगाये रहते थे । किन्तु सरदार ने पानी को कभी भी सिर के ऊपर नही निकलने दिया । यदि कोई उन दोनों में से किसी की भी नीति पर आक्रमण करता तो उक्त आलोचक को वह दोनो फटकार देते थे । वह दोना एक दूसरे के कवच थे । एक दिन एक काग्रेस कार्यकर्ता ने—जिसे सरदार का विश्वस्त व्यक्ति समझा जाता

था और नेहरूजी के दृष्टि पथ में अब भी आना नहीं चाहता—मुझ से कहा—"सरदार ने मुझ से अपनी मृत्युशय्या पर गुप्त रूप से कहा था कि हमको नेहरू जी की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। क्योंकि सरदार की मृत्यु से नेहरू जी को बहुत दुःख होगा।" मैं यह सुन कर द्रवित हो गया। किसी अन्य मित्र ने इसी प्रकार की बातें पंडित नेहरू के सम्बन्ध में की। सरदार अपने व्यंग के लिये प्रसिद्ध थे और एक दिन पंडितजी उनके व्यंग का शिकार बन ही गए। सरदार के एक निकट मित्र ने इस विषय में पंडित नेहरू से कहा तो प० नेहरू ने उत्तर दिया "इसमें क्या बात है? आखिर एक बजुर्ग के रूप में उनको हमारे हंसी उडाने का पूर्ण अधिकार है। वह हमारी चौकसी करने वाले हैं।" कहा जाता है कि पंडित जी की प्रतिक्रिया से घबरा कर वह सज्जन अपने घर लौट गए।

"किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अनुकूल परिस्थिति के विरुद्ध प्रतिकूल परिस्थितियों में चमकता है। सरदार तथा पंडितजी ने विभिन्न वातावरण में अपनी वीरता को सिद्ध किया है। भारत संकट के समय सरदार को स्मरण करता है। सरदार के जीवन की विभिन्न घटनाओं को सुनने से मन में उमंग उठती है, किन्तु सरदार का स्वर्गवास हुए अधिक समय न होने से उनके महत्वपूर्ण कार्य की समीक्षात्मक प्रशंसा का क्षेत्र अभी सीमित है। यदि पंडित जी भारत की उत्कृष्ट प्रेरणा हैं तो सरदार उसका प्रबल विनयानुशासन हैं।"

अध्याय १५

सरदार के उपकार

सरदार १९१७ में गांधी जी के प्रभाव के कारण जब से कांग्रेस में आये उसके अन्दर अधिकाधिक एकाकार होते गये। १९१९ में उन्होंने न केवल अपनी सहस्रो रुपये दैनिक आय वाली बैरिस्टरी को छोड दिया, वरन् अपना व्यक्तिगत जीवन ही समाप्त कर दिया। अपनी जीवन सहचरी के स्वर्गवास से वह पहले ही वानप्रस्थी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे कि कांग्रेस में आकर तो वह अपने पुत्र श्री डाह्याभाई तथा पुत्री मणिबेन से भी उदासीन से हो गये और उन्होंने उनको भी देश-कार्य में लगे रहने की प्रेरणा की। सरदार उस समय गीता के शब्दो में स्थितिप्रज्ञ बन चुके थे। असहयोग आन्दोलन के पश्चात् सरदार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामन्त्री बने और उनका समस्त घर उनका कार्यालय बन गया। इस समय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज थे।

सेठ जमनालाल बजाज का स्वर्गवास होने पर सरदार पटेल को कांग्रेस का कोषाध्यक्ष बनाया गया। इस पद पर वह अपने स्वर्गवास के समय तक बने रहे। उनके स्वर्गवास के समय कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय राजर्षि पुरुषोत्तमदास जी टण्डन थे। उन्होंने सरदार पटेल की मृत्यु से रिक्त हुए कांग्रेस कार्य समिति के स्थान पर उनकी पुत्री कुमारी मणिबेन को मनोनीत किया तथा कांग्रेस का कोषाध्यक्ष श्री मुरारजी देसाई को बनाया। कुमारी मणिबेन ने कांग्रेस कोषाध्यक्ष के दफ्तर के कागज पत्रो का चार्ज देते समय बीस लाख से अधिक की कांग्रेस फण्ड की रकम भी पूरे हिसाब सहित कांग्रेस को दे दी। इस पर नेहरू जी ने अत्यधिक आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, "मैं तो यह विश्वास भी नही कर सकता था कि कांग्रेस के पास बीस सहस्र रुपये जैसी बडी राशि होगी।"

१९२० में नागपुर में जब कांग्रेस ने प्रत्येक प्रान्त में अपनी शाखाए खोलने का निर्णय किया तो गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई। सरदार को उसका अध्यक्ष बनाया गया। गुजरातियों ने सरदार को उनके जन्म भर अपने अध्यक्ष पद से मुक्त नही किया।

कांग्रेस के प्राय मन्त्रियो की स्थाई सम्पत्ति उनके मन्त्रित्व काल में प्राय इतनी अधिक बढती रही है कि उनके सम्बन्धियो तक के पास अनेक मकान हो गये। किन्तु सरदार पटेल ने अपने पुत्र डाह्याभाई के लिये एक मकान तक बनाकर नही छोडा। जब से सन् १९३० में गाधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह आरम्भ

किया तब से सरदार पटेल ने अपना निजी घर समाप्त कर दिया। अहमदाबाद मे वह अपने एक मित्र के पास तथा बम्बई मे अपने पुत्र डाह्याभाई के पास रहा करते थे।

फिर भी सरदार को पूजीपतियो का मित्र तथा पक्षपाती कहा जाता था। इसमें सन्देह नही कि वह पूजीपतियो के मित्र थे, क्योकि उनसे धन लेकर ही उन्होने काग्रेस को दृढ बनाया था। उनकी यह मान्यता थी कि व्यापारी तथा उद्योगपति देश की समृद्धि को बढाते, बेकारी को दूर करते तथा अपने कारखानो में अधिक मजदूरो को खपाते है। किन्तु उनके साथ व्यवहार करते समय वह अपने सिद्धान्त से लेशमात्र भी विचिलित नही होते थे। इसका एक उदाहरण पर्याप्त होगा। बम्बई के सेठ बालचन्द हीराचन्द उनके बडे मित्र थे। वह सिंधिया कम्पनी के चेयरमैन थे। सिंधिया कम्पनी की प्रगति में सेठ बालचन्द की सहायता सरदार भी किया करते थे, क्योकि लार्ड इन्चकेप की अग्रेजी जहाजी कम्पनी उसकी प्रतियोगी थी। किन्तु जब सन् १९३६ में सेठ बालचन्द केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के चुनाव में खडे हुए तो सरदार ने उनके मुकाबले में काग्रेस की ओर से श्री गाडगिल तथा श्री जेदे को खडा किया और जिताया। निर्वाचन का परिणाम निकलने से दो दिन पूर्व सेठ बालचन्द ने सरदार पटेल से भेंट कर उनको इस बात का उपालम्भ दिया कि उन्होंने उसके मुकाबले गाडगिल तथा जेदे को खडा किया, जबकि विजय निश्चय से उसकी होगी। इस पर सरदार ने उत्तर दिया "यह तो निर्वाचन परिणाम देखने के बाद ही कहा जा सकेगा।" वास्तव में निर्वाचको ने सेठ बालचन्द की माटरो मे जा-जा कर भी वोट काग्रेस को ही दिये थे, जिससे सेठ बालचद चुनाव म हार गए।

१९४६ के निर्वाचन के लिये जब सरदार पटेल काग्रेस के लिये धन एकत्रित करने के लिए सेठ घनश्यामदास बिरला के यहा गय तो उन्होने सेठ रामकृष्ण डालमिया को भी बुलाया हुआ था। उनको देखकर सरदार ने कहा "मै इसका पैसा नही लूगा। इसने पिछले निर्वाचन में मुझे तीन लाख रुपया देकर सर जे० पी० श्रीवास्तव को काग्रेस का मुकाबला करने के लिये पन्द्रह लाख रुपये दिये थे।"

अबरतलाल सेठ सरदार के साथ काम करते थे। वह अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के सदस्य भी थे। अहमदाबाद में काग्रेस बनने पर उन्हे उसका कोषाध्यक्ष बनाया गया। कुछ दिनो बाद उन्हे अत्यधिक घाटा आ गया तो सरदार ने उन्हे काग्रेस का पैसा चुकाने की प्रेरणा की। अन्त में जब सरदार ने देखा कि वह दिवाला निकालने वाला है तो उन्होने न्यायालय द्वारा सेठ अबरतलाल से काग्रेस के धन को वसूल किया।

कमला नेहरू अस्पताल

श्री नेहरूजी की धर्मपत्नी श्रीमती कमला नेहरू का स्वर्गवास हो जाने पर कुछ उच्च कांग्रेस क्षेत्रों में यह निश्चय किया गया कि उनकी स्मृति को स्थाई बनाने के लिए इलाहाबाद में उनके नाम से "कमला नेहरू अस्पताल' की स्थापना की जावे। इस पर सरदार पटेल ने ८ अप्रैल, १९३६ को इस अस्पताल के लिए एक फंड बनाने की अपील निकाली। इस अपील के फलस्वरूप ५ लाख रुपया एकत्रित हुआ, जिससे २८ फरवरी, १९४१ को इस अस्पताल को आरम्भ किया गया।

जनवरी १९५७ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन श्री यू० एन० ढेबर की अध्यक्षता में इन्दौर में हुआ। उसमें भावी चुनाव के लिये कांग्रेस का निर्वाचन घोषणा पत्र विषय समिति के सन्मुख विचारार्थ उपस्थित किया गया, जिसके विभिन्न पैरे निम्नलिखित थे :—

१—"भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म ७५ वर्ष पूर्व हुआ था। उसका आरम्भ बहुत छोटे रूप में हुआ था। उस समय का यह शिशु सगठन बढ़ते-बढ़ते भारतीय जनता का प्रबल सगठन बनता गया और उसकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ देश की स्वतन्त्रता पर बल देता रहा। उसकी परिधि तथा दृष्टिकोण का प्रतिवर्ष विस्तार होता रहा। भारत की कहानी में प्रसिद्ध तथा बड़े-बड़े स्त्री पुरुषों ने इसको वर्तमान रूप देने में भाग लिया है, जिससे यह इस देश को स्वतन्त्र करने में भाग्यनिर्णायक भाग ले सकी। प्रथम दादाभाई नौरोजी ने स्वराज्य के उद्देश्य की परिभाषा बनाई। . . . . फिर लोकमान्य तिलक ने कांग्रेस के आधार को विस्तृत कर उसको शक्ति तथा स्फूर्ति प्रदान की। . . . . महात्मा गांधी ने उसे भारतीय जनता की प्रतिनिधि बनाकर उसमें आत्म विश्वास तथा आत्मनिर्भरता का समावेश किया। . . . .

२—प्रत्येक दशाब्दि के पश्चात्—अहिंसात्मक तथा क्रान्तिकारी संघर्ष भारत में चलता रहा, जिसमें उसने कई बार देश के जीवन को झकझोरते हुए लाखों मनुष्योंको अपने अन्दर खींचा। १९२९ के आरम्भ में लाहौर कांग्रेस ने स्वराज्य की परिभाषा पूर्ण स्वतन्त्रता की और २६ जनवरी १९३० को देश भर में जनता ने इसकी शपथ ली। . . . .

३—इसके तुरन्त बाद स्वतन्त्रता का सूर्य झगड़ों तथा विनाश से धुंधला पड़ गया और इसके थोड़े दिनों पश्चात् हमको अन्धकार से प्रकाश में लाने वाला नेता अपने उद्देश्य के लिये बलिदान देकर चल बसा। . . . .

४—भारत विभाजन के फलस्वरूप लाखों व्यक्ति अपने अपने स्थान से

उखडकर एक देश से दूसरे देश में गये, जिससे शरणार्थी समस्या ने विराट रूप धारण कर लिया। . . . .

५—अनेक रजवाडे विलीन होकर भारतीय सघ में मिल गये। यह भारी सफलता थोडे से समय मे भारत सरकार तथा रियासतो के शासको ने प्राप्त की। अन्य देशो में इस प्रकार की समस्याओ में भयकर दगे तथा भारी युद्ध हुए हैं। किन्तु भारत में हमने अपने ढग पर इस समस्या को शान्तिपूर्ण सहयोग की भावना में सुलझाया और इस प्रकार एक अविभक्त भारत की आधार-शिला रखी।"

इस प्रकार यह निर्वाचन घोषणा पत्र ५६ पैरो में २० पृष्ठो का था।

इस पर उत्तर प्रदेश काग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री अलगूराय शास्त्री ने उसमें एक सशोधन उपस्थित करते हुए हिन्दी में एक प्रभावशाली भाषण दिया। उन्होने अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी को स्मरण कराया कि वह उस इन्दौर में सभा कर रही है, जहा कुछ वर्ष पूर्व राजनीतिक सभा करना सम्भव नही था। राज्यो का विलय तथा उनको भारत का अग बनाना सरदार पटेल का कार्य था। इस स्थल पर उनका नाम लिये बिना उनके कार्य का उल्लेख करना एक भारी भूल है। काग्रेसको कृतज्ञतापूर्वक उनको स्मरण करके उनका नाम इस पैरे में जोडना चाहिये।

किन्तु मूल प्रस्ताव के प्रस्तावक प० जवाहरलाल नेहरू को श्री अलगूराय शास्त्री का यह सशोधन पसन्द नही आया। उन्होने कहा कि निश्चय से सरदार पटेल ने देश की बडी भारी सेवा की है। किन्तु इस चुनाव घोषणापत्र में उनके नाम का स्थान नही है। काग्रेस अध्यक्ष श्री ढेबर ने भी प० नेहरू से अपनी सहमति प्रकट की। उस समय पण्डाल में मच के ऊपर निम्नलिखित ऐसे व्यक्ति भी बैठे हुए थे, जिनको सरदार पटेल ही राजनीतिक क्षेत्र में लाये थे—श्री यू० एन० ढेबर, श्री मुरारजी देसाई, श्री खाण्डूभाई देसाई, श्री काजीभाई देसाई, श्री ठाकुरभाई देसाई, श्री गुलजारीलाल नन्दा, श्री एस० के० पाटिल, श्री भवान जी खेमजी, श्री मगन भाई एस० पटेल, श्री बाबू भाई चिनाय, श्री के०के० शाह तथा श्री रसिकलाल पारिख आदि। किन्तु नेहरूजी के शब्द सुनकर वह सभी चुप बैठे रहे। अलगूराय शास्त्री के सशोधन का तो उनमें से किसी ने समर्थन तक नही किया। काग्रेस अध्यक्ष श्री ढेबर ने श्री अलगूराय शास्त्री से विशेष रूप से अनुरोध किया कि वह अपना सशोधन वापिस ले लें।

भारतीय ससद में गृह मन्त्री प० गोविन्द वल्लभ पन्त ने तारीख ६ सितम्बर १९६० को घोषणा की थी कि सरदार पटेल की एक मूर्ति विजय चौक मे लगाई जावेगी। किन्तु बाद में इस निश्चय को बदल दिया गया और

उनकी मूर्ति को नई दिल्ली मे पार्लमेंट स्ट्रीट थाने के समीप चौराहे पर लगाया गया। जबकि ११ सितम्बर १९६३ को ससद में दिये हुए स्वास्थ्य मन्त्री डा० सुशीला नैयर के वक्तव्य के अनुसार मौलाना अबुल कलाम आजाद के मकबरे के निकट साढे नौ लाख रुपये की लागत से एक उद्यान बनाया जावगा, जिसमें सुन्दर फूलो तथा वृक्षो के अतिरिक्त फव्वारे लगाये जायेंगे तथा एक जलागार भी होगा।

कुछ वर्ष पूर्व नई तथा पुरानी दिल्ली के बीच आध एकड का एक भूमि खण्ड सरकार से लिया गया था, जिससे उसके ऊपर "सरदार पटेल मेमोरियल गुजराती स्कूल" का अपना भवन बनाया जा सके। उसकी आधार शिला अत्यन्त समारोहपूर्वक सन् १९५४ में तत्कालीन काग्रेस अध्यक्ष श्री यू० एन० ढेवर के हाथो स्थापित कराई गई थी। किन्तु बाद में सरकार ने यह कहकर उस भूमि खण्ड को वापिस ले लिया कि उसमे से आधी भूमि का उपयोग सडक को चौडा करने में किया जावेगा। इस स्कूल के लिये दिल्ली के वयोवृद्ध गुजरातियों ने मुक्तहस्त होकर दान दिया था। किन्तु सरकार ने उसके आधार शिला के पत्थर को वहा से उखडवा कर पुरानी दिल्ली से बहुत दूर ऐसे स्थान पर भिजवा दिया, जो उसके गुजराती दानदाताओ के लिये अत्यधिक असुविधाजनक है। फिर इस स्कूल का नाम सरदार पटेल स्कूल रखा गया। आजकल इस स्कूल का उपयोग उसके गुजराती दानदाताओ के बच्चो के लिये न होकर नई दिल्ली में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चो लिये किया जा रहा है। उनमें गुजराती विद्यार्थियो की सख्या दशमाश भी नही है। जिस मूल स्थान से आधारशिला के पत्थर को हटाया गया वह स्थान भी अभी तक वैसे ही पडा हुआ है और वहा किसी सडक को चौडा नही किया गया।

अध्याय १६

सरदार का व्यक्तित्व

सरदार पटेल स्वभाव से ही निर्भय, वीर तथा दृढ निश्चयी थे। उन्हे लोह पुरुष कहा जाता था। वह बोलते कम तथा कार्य अधिक करते थे। वह उत्तरदायी नेता तथा मूक अनुयायी थे।

व्यक्तिगत जीवन में सरदार न केवल एक अच्छे मित्र थे, वरन् वह सभी परिस्थितियो में अपने साथियो का साथ दिया करते थे। सार्वजनिक जीवन में यद्यपि उनको लोह पुरुष कहा जाता था, किन्तु उनका हृदय अत्यन्त कोमल था, जो उनके स्थिर तथा आत्मविश्वासपूर्ण नेत्रो के पीछे छुपा हुआ था। वह प्राय चुप रहते थे और बोलते भी थे तो बहुत कम शब्दो में, केवल काम की बात करते थे। उनके शब्द प्राय तीक्ष्ण तथा काट करने वाले होते थे। जिनको उनके निकट सम्पर्क में रहने का अवसर नही मिला, वह उनके कोमल हृदय को नही देख सकते थे। मनुष्यो तथा समस्याओ के सम्बन्ध म उनकी विशेष चतुरता तथा उनका ठोस निर्णय होने पर भी वह अपने विश्वासपात्र व्यक्तियो के सम्बन्ध में बहुत कुछ बच्चे जैसे सरल तथा विश्वासपात्र थे। किसी मित्र के आडे समय में काम आने के लिये वह अपने को वचनबद्ध मानते थे। अपने दृढ निश्चय के साथ साथ उनकी रुचिया तथा अरुचिया भी दृढ होती थी। अपराध के लिये तो वह प्राय दृढ ही होते थे। किन्तु उनका सबसे बडा गुण यह था कि वह किसी व्यक्तिगत उद्देश्य से कभी किसी पर प्रहार नही करते थे। न वह किसी मित्र को अनुगृहीत करने अथवा किसी शत्रु पर ही चोट करने का कोई कार्य करते थे। वह प्रत्येक वस्तु का जायजा लेकर उसके अनुकूल अपना रुख तथा आचरण इस प्रकार बनाते थे कि वह देश हित के अधिक से अधिक अनुकूल हो। उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता तथा उनका हास्य उनकी ऐसी विशेषता थी कि उनकी सगति में कोई भी व्यक्ति अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने को सुखी ही मानता था।

सरदार का व्यक्तित्व प्रेरणादायक था। वह किसी भी विचार को तत्काल समझ लेते, उस पर तत्काल विचार करते तथा तत्काल कार्यवाही करते थे। उनका विश्वास था कि मित्रों तथा साथी कार्यकर्ताओ के एक नेता के प्रति भक्ति में परस्पर बध कर सामूहिक रूप में कार्य करके ही किसी कार्य को सम्पन्न किया जा सकता है। वह सदा ही चुस्त रहने और सूचनाओ को ग्रहण कर उनको अपने मन में उसी प्रकार सजो कर रखते थे, जिस प्रकार शहद के छत्ते के किसी विशेष छिद्र मे शहद

जमा रहता है और उसे तब तक जमा रखते थे कि उस मामले के पक जान पर उसका उपयोग करने की आवश्यकता न पडती। वह स्वस्थ होते या अस्वस्थ, दिल्ली होते अथवा बम्बई में, सोते होते अथवा जागते होते, सोचते होते अथवा स्वप्न लेते होते तत्कालीन महत्व की समस्याओं पर न केवल उनका ध्यान लगा रहता था, वरन् वह उसका उसी समय हल भी सोच लेते और उनका टेलीफोन प्रथम उनके मन में कार्य करके फिर बाहर उनके कार्यालय में कार्य करता रहता। कभी कभी तो शेयर मार्केट के स्टाक दलालों के समान इस प्रकार उनके चार-चार टेलीफोन एक साथ कार्य किया करते थे। इसी प्रकार ५६२ रियासतो का भाग्य एक मिनट में तय किया जाता तथा ९ प्रान्तो के भाग्य का निबटारा एक सेकिण्ड में किया जाता था। जमीदारों तथा उनको मिलने वाले मुआवजे का प्रश्न होता तो प्रान्तीय सरकारो की लगाम एक क्षण में खेच ली जाती थी। कांग्रेस कमेटियो तथा प्रान्तीय मन्त्री-मण्डलो के सम्बन्ध का प्रश्न होता तो प्रत्येक को एक क्षण में अपने अपने स्थान पर स्थिर कर दिया जाता था।

यदि वह भारत के स्वातन्त्र्य युद्ध के एक वीर सैनिक तथा युद्धविद्या-विशारद थे तो वह एक नए राज्य के निर्माता के रूप मे, एक चतुर तथा अधिकार-सम्पन्न प्रशासक के रूप में तथा जादूगर की एक छडी को घुमाने वाले के रूप में भी कम बडे नही थे। इसी से उन्होंने लगभग छै सौ रियासतों को भारत म मिला कर एक कर दिया। भारत में कई प्रकार के साम्राज्य थे। भारत के बाहिर तो सम्भवत उससे भी बडे-बडे साम्राज्य थे, किन्तु उन्होने अपनी विचित्र राजनीतिज्ञता से राजनीतिक सस्थाओं का एक ऐसा बडा तथा विशाल प्रदर्शन कक्ष बना कर खडा कर दिया था, जिसमे मध्यकालीन तथा आधुनिक सभी प्रकार की प्रशासन प्रणालियो को स्थान देकर उसे एक सर्वसत्ता सम्पन्न ऐसा जनतन्त्र राज्य बना दिया, जिसमे एक महाद्वीप जैसा विशाल क्षेत्रफल तथा ३६ करोड जनसख्या थी।

राजनीतिक सफलता का मानदण्ड सदा एक जैसा नहीं रहता। आने वाले प्रत्येक युग का अपना निजी मानदण्ड होता है। किन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में, खतरे होने पर भी साहस द्वारा, एकबुद्धि तथा दृढ निश्चय द्वारा ईमानदारी से बनाये हुए आदर्शों को पूर्ण करने के निश्चल प्रयत्न द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले की प्रशसा को मानदण्ड का कोई भी परिवर्तन कम नहीं कर सकता। मनुष्य की योग्यता तथा उसके बडप्पन के यह भेदरहित एवम् अपरिवर्तनीय मानदण्ड है। सरदार पटेल मे भी अपनी कुछ त्रुटिया थीं। किन्तु उनकी रचनात्मक सफलता उनकी असफलता को स्मृतिपट से ओझल करके इतिहास में उनका स्थान अमर बना देती है।

नेतृत्व दो प्रकार का होता है। एक तो नेपोलियन जैसा नेता, जो नीति तथा

उसके विस्तार दोनो के अधिपति होते है। ऐसे नेताओ को केवल अपनी आज्ञाओ को कार्यरूप में परिणत करने वाले साधना की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अलौकिक महापुरुष बहुत कम जन्म लेते है। सरदार का नेतृत्व दूसरे प्रकार का था। उन्होने अत्यन्त सावधानी से अपने अफसर चुने और फिर उनके कार्य में हस्तक्षेप किये बिना उन पर उस कार्य को मूर्तरूप देने का उत्तरदायित्व डाल दिया। उन्होने यह कभी नही प्रदर्शित किया कि वह ससार की प्रत्यक बात जानते थे। उन्होंने अपने पदाधिकारियो से पूर्ण परामर्श किये बिना कभी कोई नीति निर्धारित नही की।

राष्ट्र के लिये की हुई बडी सफलताओ के कारण सरदार जितने महान् थे, अपने मानवी गुणो के कारण वह उससे भी अधिक महान् थे। उनके पास हाजिर-जवाबी तथा हसोडपने का एक निस्सीम कोष था। अपने सहायको तथा अनुयायियो के अपराध करने पर भी वह उन पर कृपा किया करते थे। वह उनकी देखभाल करते, उनका कुशलक्षेम पूछते रहते और प्रत्येक ऐसा कार्य करते थे, जो एक पिता अपने पुत्र के लिये किया करता है। जिस पर वह एक बार विश्वास कर लेते फिर वह उस पर कभी भी सदेह नही करते थ। विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। सरदार तथा उनके अनुयाइयो के सम्बन्ध का यही रहस्य था।

वह सत्याग्रह सग्राम के चीफ आफ स्टाफ थे। गाधी जी तथा काग्रेस की गुप्त सभा वाले एकान्त में बैठ कर उच्च आदर्शो, स्वप्न जैसी योजनाए तथा महत्वपूर्ण सघर्षों की योजनाए बनाते थे और बाते बना बना कर अपने अपने घर चले जाते थे, किन्तु सरदार पटेल वास्तविक कार्य करते थे। वह प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्थान पर नियुक्त करके उसे नियम में स्थिर रखते थे। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य के लिये अनुपयुक्त होता तो बिना लिहाज या मुरव्वत किये वह उसे उस कार्य से हटा देते थे। वह शुद्धि तथा सफाई करने वाले थे।

वह बहुत कम बोलते और सुनते अधिक थे। जब वह बोलते थे तो वह कार्य-करने की घोषणा ही किया करते थ और वह युद्ध-घोष होता था। उनको सहमत करने में बहुत समय लगता था।

गाधी जी ने काग्रेस में जान डाली। जवाहर लाल नेहरू ने उसके दृष्टिकोण तथा उसकी कल्पना को विस्तृत किया। डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने उसमें आचरण का प्रवेश कराया। सरोजिनी नायडू ने उसमें शान दी, किन्तु उसे कार्य-क्षमता सरदार पटेल ने ही दी। उन्होने उसमें सम्पूर्णता तथा शक्ति की भावना का सचार किया। काग्रेस पदवियो तथा उपाधियो से घृणा करती रही है। किन्तु पटेल उसका अपवाद हैं। वहा वह सदा सरदार रहे।

देश के सभी शक्तिशाली पुरुष उनके हाथ में बन्धक थे, जिनका वह काग्रेस

की विजय के लिये चाहे जहा उपयोग कर सकते थे। उनको यह पता था कि किस कार्य के लिये कौन सा व्यक्ति सबसे अधिक उपयुक्त है। वह अधुनिक सहस्त्रनेत्र थे, क्योकि उनका प्रत्येक कार्यकर्ता उनका एक-एक नेत्र था। इसी प्रकार उनके सहश्रकर्ण तथा सहश्र हाथ भी थे।

भारतवर्ष के १५० वर्ष के दासताकाल में ऐसा एक भी मनुष्य उत्पन्न नही किया जा सका, जो मनुष्य की आन्तरिक शक्ति को झाक कर देखने मे गलती न करते हुए कार्य करे और उसकी विस्तृत रूप रेखा को भाप सके। भारत सरकार के सचालन में प्रदर्शित की हुई उनकी शासन सम्बन्धी योग्यता अप्रतिम थी।

सरदार पटेल का मस्तिष्क इन्डेक्स कार्डो जैसा था। ऐसा जान पडता था कि उनके मस्तिष्क में प्रत्येक बात अपनी अपनी सूची के अनुसार लेबिल लगी हुई रखी रहती थी। उसमें उनकी धारणाए गुप्त रूप से गुथ कर वर्षों तक एकत्रित पडी रहती थी और अवसर आते ही तात्कालिक निर्णय के साथ शीघ्रतापूर्वक अपना कार्य करती थी। उनसे कोई बात नही छूटती थी।

काग्रेस के सभी नेताओ म अकेले वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो मृत्यु से कई बार बाल-बाल बचे। भावनगर के प्रजा आन्दोलन के समय मृत्यु उनकी प्रतीक्षा करती रही और वह भाग्यवश बच गये। साम्यवादी वहा उनकी दिन दहाडे हत्या करनी चाहते थे।

यद्यपि उनको शक्ति को हथियाना तथा हठी विद्रोहियो को विनयानुशासन में लाना आता था, किन्तु उन्होने कभी भी शक्ति प्राप्त करने की लालसा नही की। वह तो उनके हाथ में जबर्दस्ती थमा दी जाती थी। उसका अन्तिम क्षण आने तक वह अपने को पर्दे में रखते थे। किन्तु जिस युद्ध का उनको सेनापति बनाया जाता, उसमें उनकी आज्ञा अन्तिम होती थी। सेनापति के रूप म उनको युद्ध कला के अतिरिक्त उसके दाव पेच भी आते थे। वह युद्ध-कौशल दिखलाना तथा अन्तिम चोट करना भी जानते थे। व्यक्तिगत ईर्ष्या द्वेष तथा विरोधी व्यक्तियो अथवा दलो की निर्बलताओं को स्मरण रख कर वह अपने मस्तिष्क में सावधानी से लेखा जोखा रखते थे और उससे वह अपने विरोधी को पछाड दिया करते थे। उनका निशाना अन्तिम प्रहार ही होता था।

वह सकटकाल के समय के सेनापति थे। भले ही भारतीय जनता उनके लिये रेलवे स्टेशनो पर भीड नही लगाती थी और न वह उनके चरण छूने के लिये एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करती थी, किन्तु ऐसा कोई भारतीय नही है, जिसे उनका अभिमान न हो।

आक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त भारतीय राजनीतिज्ञो के इस युग में, जो ड्राइगरूम के सोफियाना व्यवहार में सिद्धहस्त होते है, उनका रूखापन तथा उनके अनूठे ढग भले ही असगत लगते है, किन्तु युद्ध के अवसर पर बारडोली के इस

वीर योद्धा के अलौकिक शौर्य वाले कार्य-कलाप को समस्त भारत बाल सुलभ विश्वास के साथ देखा करता था। उनका सम्मान इसलिये नहीं किया जाता था कि आप उनका सम्मान करना चाहते थे, वरन् इसलिये किया जाता था कि आपको उनका सम्मान करना ही पड़ता था। उनको केवल एक व्यक्ति की निन्दा अथवा प्रशसा की चिन्ता रहती थी। वह गाधीजी थे।

वह एक उदार नेता, विनम्र अनुयायी, कृपालु मित्र और निर्भय किन्तु सम्मानीय शत्रु थे। वह एक निर्माता थे। वह अपने चरण भूमि पर दृढता से जमा कर राष्ट्र का निर्माण करने का यत्न करते रहते थे। उन्होंने भारत को स्वतन्त्र करने के लिये कठिन परिश्रम किया। उसके स्वतन्त्र हो जाने पर उन्होंने उसे सयुक्त तथा सबल बनाने के लिये उससे भी अधिक परिश्रम किया, जिससे वह अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा कर सके। डाक्टरो के यह चेतावनी दे देने पर भी कि उनका अन्त समय निकट है वह बिना रुके कार्य करते रहते थे, क्योंकि उनकी यह महती आकाक्षा थी कि भारत अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने योग्य बन जावे। भारतीय स्वतन्त्रता सग्राम के इतिहास में सरदार वल्लभभाई पटेल का नाम महात्मा गाधी, लोकमान्य तिलक, प० मोतीलाल नेहरू तथा देशबन्धु चित्तरजन दास के नामो के साथ साथ स्वर्णाक्षरो में चमक रहा है।

सरदार तथा सोशलिज्म—वह सोशलिज्म के विरोधी नहीं थे। उनका निजी जीवन गाधीजी के जैसा आदर्श एव त्याग से परिपूर्ण था। उन्होंने अपने बच्चो के लिये कोई सम्पत्ति नहीं छोडी। और जो कुछ उनके हाथ में आया वह सब कुछ उन्होंने देश को दे दिया। सोशलिस्टो ने जिस प्रकार अपनी पार्टी बनाने के लिये दलगत भावना से महात्मा गाधी तथा उन के साथियो का विरोध किया वह उसका विरोध करते थे। इससे सोशलिस्ट लोग उनसे चिढकर उनपर सख्त सार्वजनक प्रहार करते थे। फिर भी यूसुफ मेहरअली तथा अच्युत पटवर्धन जैसे सोशलिस्टो से उनका मधुर सम्बन्ध था, जिनका व्यक्तिगत जीवन उज्ज्वल था।

कालिज से निकलने वाले युवक सोशलिस्टो से वह कहा करते थे कि 'तुम्हारे होठो मे तो अभी मा का दूध भी नहीं सूखा, फिर भी तुम हमारे जैसे वृद्ध-व्यक्तियो को सिखाने आये हो।"

सन १९४५ मे जेल से वापिस आने पर चुनाव सग्राम का सचालन करने के लिये उन्होंने शान्तिलाल शाह नामक एक सोशलिस्ट को अपना निजी सेक्रेटरी बनाया था। उनका कहना था कि मेरे पास कोई गुप्त बात नहीं है। जब सोशलिस्टो ने काग्रेस से अलग पार्टी बनाने का यत्न किया तो उन्होंने बम्बई की एक सार्वजनिक सभा में अपील की कि वह धैर्य से काम लें और काग्रेस में फूट न बढावें। उन्होंने यह भी कहा कि 'हम वृद्ध व्यक्ति तो इस ससार से जल्दी ही चले जायेंगे। फिर तो नेतृत्व उनका ही होगा।'

अध्याय १७

सरदार का परिवार

यह पीछे बतलाया जा चुका है कि सरदार पटेल के चार भाई के अतिरिक्त एक छोटी बहिन भी थी। उनमें से इस समय सन् १९६३ में केवल सबसे छोटे भाई श्री काशी भाई ही जीवित हैं। वह वकालत करते थे।

पीछे यह भी लिखा जा चुका है कि सरदार के सन्तति के नाम पर केवल एक पुत्री मणिबेन तथा एक पुत्र डाह्याभाई ही हुए। कुमारी मणिबेन का जन्म अप्रैल १९०३ में तथा श्री डाह्याभाई का जन्म २८ नवम्बर १९०५ को हुआ था। उनकी धर्मपत्नी के पेट में एक ग्रन्थि थी, जिसका आपरेशन बम्बई के कामा अस्पताल में किया गया था। किन्तु आपरेशन के पश्चात् ११ जनवरी १९०९ को उनका स्वर्गवास हो गया। इस समय मणिबेन की आयु ५॥ वर्ष तथा श्री डाह्याभाई की कुल तीन वर्ष की थी। इस प्रकार दोनो बच्चो को बहुत कम आयु में ही मातृसुख से वंचित होना पडा।

इस समय सरदार के ज्येष्ठभ्राता श्री विट्ठल भाई बम्बई में बैरिस्टरी करते थे। सरदार की पत्नी का स्वर्गवास होने पर उन्होने दोनो मातृहीन बच्चो के लालन पालन तथा उनकी शिक्षा दीक्षा का उत्तरदायित्व लिया। वह इन दोनो बच्चो को बिल्कुल अपना बच्चा ही समझते थे। उनकी पत्नी भी इन दोनो बच्चो को अच्छी तरह रखती थी। किन्तु एक वर्ष के पश्चात् उनका भी स्वर्गवास हो जाने पर श्री विट्ठल भाई ने दोनो बच्चो को स्वयं ही रखा।

श्री विट्ठल भाई तथा वल्लभ भाई दोनो भाइयो का विचार इन दोनो बच्चो को न केवल उच्चकोटि की अंग्रेजी शिक्षा देने का था, वरन् वह बाद में उनको कालेज शिक्षा के लिये इंगलैण्ड भी भेजना चाहते थे। सरदार वल्लभभाई ने बैरिस्टरी के लिये इंगलैण्ड जाते समय उन्हे बम्बई के क्वीन मैरीज हाई स्कूल में भर्ती करा दिया। वहां बोर्डिंग न था। वरन् सब योरोपियन अध्यापिकाएं एक साथ रहा करती थी। उनके साथ इन दोनो को भी बोर्डर के रूप में रख दिया गया। वहा उन दोनो को यूरोपियन वेष में रहना पडता था। उस समय उनके बूट, मोजे, हैट तथा अन्य वस्त्र व्हाइट वे तथा इवान्स फ्रेजर के यहा से मोल लिये जाते थे। वहा उन दोनो के लिये एक ईसाई आया भी रख दी गई थी। दो वर्ष अंग्रेजी स्कूल म रहने के उपरान्त श्री डाह्याभाई को काली खासी हो गई। इससे विट्ठल

भाई दोनो बच्चो को अपने घर ले आए। सरदार के विलायत से लौट आने पर भी दोनो भाई बहिन बहुत समय तक बम्बई में श्री विट्ठल भाई के पास ही रहे।

क्वीन मैरीज हाई स्कूल लडकियो का था। अतएव बारह वर्ष की आयु होने पर श्री डाह्याभाई को वहा से हटा लिया गया। वह इस स्कूल में कुल दो वर्ष तक रहे। इसके पश्चात् दोनो भाई बहिन बादरा के दो पृथक् पृथक् स्कूलो में भर्ती हो गए। इसके पश्चात् डाह्याभाई ने बम्बई के जान कानन हाई स्कूल में नाम लिखाया।

मणिबेन १९१७ में अहमदाबाद आकर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में भर्ती हो गई। सन् १९२० में असहयोग आन्दोलन आरभ होने तथा गुजरात विद्यापीठ की स्थापना होने पर प्रोप्राइटी स्कूल जब गुजरात विद्यापीठ से सम्बद्ध हो गया तब वह तथा डाह्या भाई दोनो उसी में भर्ती हो गए, और दोनो ने वहीं से मैट्रिक पास किया। श्री डाह्याभाई अपनी माता के स्वर्गवास के पश्चात् सन् १९०९ से १९२० तक बम्बई में अपने ताऊ श्री विट्ठलभाई के पास रहे। उन्होने असहयोग आन्दोलन आरम्भ होने के बाद १९२० में बम्बई छोडी। अहमदाबाद आकर वह भी प्रोप्राइटरी स्कूल में भर्ती हो गए। मणिबेन तथा डाह्याभाई के अहमदाबाद में आने से भी सरदार के समय विभाग में कोई अन्तर न आया। डाह्याभाई सरदार से वार्तालाप किया करते और कभी-कभी प्रेम के उद्रेक में उनसे चिपट भी जाया करते थे। किन्तु मणिबेन उनके साथ लेशमात्र भी वार्तालाप नहीं करती थी। यहा तक कि मणिबेन को तो सरदार के सामने आने में भी सकोच होता था। सरदार जिस समय प्रातःकाल दीवानखाने में चहलकदमी करते होते तो मणिबेन स्नान आदि करके पास वाले हिस्से के द्वार में आकर खडी हो जाती। सरदार उनसे पूछते "क्या हाल है ?" वह उत्तर दिया करती "अच्छा है।" दिन भर में दोनो में केवल इतना ही वार्तालाप हुआ करता था। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल मणिबेन मुह दिखाती और फिर वही वार्तालाप हुआ करता था।

इस समय सरदार पटेल अहमदाबाद में "भद्र" नामक एक किले जैसे एक बडे मकान के एक भाग में रहा करते थे। उनके पडोस में ही श्री मावलकर भी रहा करते थे। मणिबेन उनकी माता तथा पत्नी के पास अधिक उठती बैठती थी। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना होने पर दोनो भाई बहिनो ने प्रोप्राइटरी स्कूल छोड कर विद्यापीठ में नाम लिखाया। यहा अध्ययन करते समय मणिबेन को पेट का भयकर रोग हुआ। अनेक प्रकार की चिकित्सा की जाने पर भी जब उनको कोई लाभ न हुआ तो सूरत के समीप उनको हजीरा नामक उस गाव में ले जाया गया, जहा के दो कुओं का जल उदर रोगो में चमत्कारिक ढग से लाभदायक है।

यद्यपि विद्यापीठ में दोनों भाई बहिन एक ही कक्षा में साथ-साथ पढ़ा करते थे, किन्तु इस रोग के कारण मणिबेन एक वर्ष पीछे रह गई। डाह्याभाई सन् १९२४ में गुजरात विद्यापीठ के स्नातक बने। मणिबेन १९२५ में स्नातिका बनी।

मणिबेन इन दिनों महात्मा गांधी तथा उनके सखा एवं प्राइवेट सेक्रेटरी श्री महादेव भाई देसाई से अत्यधिक मिलती रहती थी। महादेव भाई न केवल महात्मा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, वरन् वह उनकी माता के समान देखभाल भी किया करते थे। वह एक क्षण भी खाली नहीं रहते थे। रेल यात्रा में भी वह थर्ड क्लास के डिब्बे में बराबर लिखते रहते थे और स्थान न मिलने पर डिब्बे की दोनों सीटों के बीच में बैठ कर लिखा करते थे। बाद में सरदार की १९३२-३३ की जेल की बीमारियों के पश्चात् जब मणिबेन ने अपने पिता की सेवा का भार अपने ऊपर लिया तो उन्होंने महादेव भाई के आदर्श को अपने सामने रख कर ही सरदार की सेवा की। डाह्याभाई अपनी माता के स्वर्गवास के पश्चात् १९०९ से १९२०, तक बम्बई में श्री विट्ठल भाई के पास रहते हुए मैट्रिक तक पढ़े। जब महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में विलायती कपड़ों की होली जलाई तो दोनों भाई बहिन ने उसमें अपने समस्त वस्त्र जला कर खादी धारण की। मणिबेन ने तो श्वेत खादी के अतिरिक्त रंगीन साड़ी अथवा रंगीन किनारी वाली साड़ी भी कभी नहीं पहनी। उनके पास कुछ जेवर था। उन्होंने वह भी उतार कर गांधीजी को दे दिया। तब से ही वह प्रतिदिन काता करती थी। वह इतना सूत कात लेती थी कि उससे तब से लगा कर सरदार का स्वर्गवास होने तक उनके तथा सरदार के सभी वस्त्र बन जाया करते थे।

जब श्री विट्ठल भाई पटेल केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य बन कर दिल्ली आये तो डाह्याभाई भी उनके पास कई बार दिल्ली आये। श्री विट्ठल भाई के केन्द्रीय व्यवस्थापिका का अध्यक्ष (स्पीकर) बन जाने पर वह बहुत कुछ उनके पास दिल्ली में ही रहने लगे। अपने इस दिल्ली के निवास काल में डाह्याभाई को भारत के अनेक सरकारी तथा गैरसरकारी व्यक्तियों से परिचित होने तथा उनके जीवन को निकट से देखने का अवसर मिला। स्नातिका बनते बनते मणिबेन की आयु लगभग २२ वर्ष की हो चुकी थी। महात्मा गांधी ने उनको सम्मति दी कि वह भारत के स्वतन्त्र होने पर ही विवाह करें। किन्तु लोकव्यवहार के कारण सरदार उसके विवाह के सम्बन्ध में कुछ चिंतित अवश्य थे। उन्होंने मणिबेन को परोक्ष रूप से विवाह करने की प्रेरणा की, किन्तु जब उनको पता चला कि मणिबेन की इच्छा विवाह करने की नहीं है तो उन्होंने अपनी सुधारवादी प्रवृत्ति का परिचय देते हुए उसपर विवाह के लिये लेशमात्र भी दबाव नहीं डाला। वास्तव में सरदार के सामाजिक विचार अत्यधिक उदार थे। स्त्री स्वातन्त्र्य के तो वह

अत्यधिक हिमायती थे। भला ऐसी स्थिति में वह अपनी पुत्री को इस स्वतन्त्रता का उपयोग क्यों न करने देते।

कुमारी मणिबेन

कुमारी मणिबेन गुजरात विद्यापीठ की स्नातिका बन कर कुछ समय तक वर्धा में रही। स्नातिका बनने से पूर्व ही उन्होंने १९२० में खेड़ा जिले में बाढ़ संकट निवारण का महत्वपूर्ण कार्य किया था। १९२८ में उन्होंने 'पाटीदार भगिनी सभा' के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। जब सरदार पटेल ने सन् १९३० में अपने गार्हस्य जीवन का त्याग किया तो कुमारी मणिबेन ने उनकी सेवा को अपने जीवन का उसी प्रकार व्रत बनाया, जिस प्रकार महादेव देसाई गाधीजी की सेवा किया करते थे। अब कुमारी मणिबेन ने सरदार की सेक्रेटरी तथा परिचारिका का कार्य सम्भाल लिया। उन्होंने १९३० से लेकर १९५० में सरदार के स्वर्गवास के समय तक इस कार्य को अत्यन्त निष्ठा तथा तत्परतापूर्वक किया।

परिचारिका के रूप में वह सरदार के भोजन, सोने, रोग परिचर्या आदि दैनिक जीवन के सभी कार्यों की व्यवस्था किया करती थी। यदि भोजन सरदार के अनुकूल न होता तो वह अपने हाथ से स्वय भी बनाती थीं। सरदार के सेक्रेटरी के रूप में वह इस बात का ध्यान रखती थीं कि सरदार के ऊपर कार्य का भार कम से कम पड़े। सरदार की मेज के सभी कागजों को देखकर वह उनका सक्षेप बना कर रख दिया करती थीं। जो लोग सरदार से मिलने आते थे उनकी भेंट के समय वह इस बात का ध्यान रखती थी कि कोई व्यक्ति अपने लिये निर्धारित समय से अधिक समय न लेने पावे। कई बार वह ऐसे व्यक्तियों को सकेत द्वारा समय का स्मरण कराया करती थी। वास्तव में यदि कुमारी मणिबेन सरदार के पास आने वालों के साथ इस प्रकार का पूर्णतया नियमबद्ध व्यवहार न करती तो सरदार का जीवन इससे पूर्व ही समाप्त हो गया होता। इन दिनों कुमारी मणिबेन सरदार के दैनिक कार्यों का विवरण नियमित रूप से लिखा करती थी। उक्त दैनिक डायरी उनके पास अब भी है। महादेव भाई का कहना था कि गाधीजी का सेक्रेटरी बनने के लिये तो 'पीर, बवर्ची, भिश्ती, खर' सभी कुछ बनना आवश्यक है। महादेव भाई के इस गुरुमन्त्र को मणिबेन ने भी अपने जीवन में चरितार्थ किया था।

कुमारी मणिबेन १९३० के बाद सरदार के प्रत्येक कार्य में सम्मिलित रहीं। इसीलिये १९३५ में बोरसद में भयकर प्लेग होने पर सरदार के साथ वहा उन्होंने भी प्लेग निवारण का कार्य किया। इस बीच उनको १९३०, १९३३ से १९३४ तक, १९३८-३९, १९४० तक १९४२ से १९४५ तक जेल में भी

रहना पड़ा। चर्खा चलाने का इनको इतना अधिक चाव है कि वह अपने तथा अपने पिता के वस्त्र अपने काते हुए सूत से ही बनवाती रही।

उनको काग्रेस का रचनात्मक कार्य करने का व्यसन है। सरदार पटेल का स्वर्गवास होने पर तत्कालीन काग्रेस अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन ने उनको सरदार के स्थान पर काग्रेस कार्य समिति का सदस्य तथा काग्रेस का कोषाध्यक्ष बनाया। किन्तु कुछ मास पश्चात् ही उनका कार्यकाल समाप्त हो जाने पर उनके स्थान में मुरारजी भाई देसाई को काग्रेस का कोषाध्यक्ष बनाया गया। नवीन विधान के अनुसार भारत में प्रथम निर्वाचन होने पर मणिबेन को भारत की प्रथम लोकसभा का सदस्य बनाया गया। वह १९५२ से १९५७ तक तथा इसके पश्चात् १९५७ से १९६२ तक ससद सदस्या रही। एम०पी० काल की आपकी यह विशेषता थी कि सभी ससद सदस्या के समान रेल का फर्स्ट क्लास का पास होते हुए भी आप सदा ही थर्ड क्लास में यात्रा किया करती थी।

सादा जीवन

महावीर त्यागी ने उनके सम्बन्ध में अपने ग्रन्थ में लिखा है कि—

'एक बार मणिबेन सरदार को कुछ दवाई पिला रही थी। मेरे आने-जाने पर तो कोई रोक टोक थी ही नहीं। मैंने कमरे में दाखिल होते ही देखा कि मणिबेन की साडी में एक बहुत बडी थेगली (पैवन्द) लगी है। मैंने जोर से कहा, "मणिबेन, तुम तो अपने को बहुत बडा आदमी मानती हो। तुम एक ऐसे बाप की बेटी हो कि जिसने साल भर में इतना बडा चक्रवर्ती अखण्ड राज्य स्थापित कर दिया है कि जितना न रामचन्द्रजी का था, न कृष्ण का, न अशोक का, न अकबर का और न अग्रेज का था। ऐसे बडे राजा, महाराजों के सरदार की बेटी होकर तुम्हें शर्म नहीं आती।' बहुत मुह बनाकर और बिगड कर मणि ने कहा, 'शर्म आए उनको जो झूठ बोलते और बेईमानी करते हैं। हमको क्या शर्म आए?' मैंने कहा, 'हमारे यहां शहर में निकल जाओ तो लोग तुम्हारे हाथ में दो पैसे या इकन्नी रख देंगे, यह समझ कर कि एक भिखारिन जा रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती कि थेगली लगी धोती पहनती हो।' मैं तो हसी कर रहा था। सरदार भी खूब हसे और कहा, 'बाजार में तो बहुत लोग फिरते हैं। एक-एक आना करके भी शाम तक बहुत रुपया इकट्ठा कर लेगी।'

'पर मैं तो शर्म से डूब मरा जब सुशीला नायर ने कहा, "त्यागीजी, किस से बात कर रहे हो? मणि बहन दिन भर सरदार साहब की बडी सेवा करती हैं, फिर डायरी लिखती हैं और फिर नियम से चरखा कातती हैं। जो सूत बनता है उसी से सरदार के कुर्ते-धोती बनते हैं। आपकी तरह सरदार साहब कपड़ा खद्दर-

भडार से थोडे ही खरीदते हैं। जब सरदार साहब के धोती कुर्ते फट जाते हैं तब उन्ही को काट-सीकर मणि बहन अपनी साडी-कुर्त्ता बनाती हैं।"

'मैं राक्षस-रूप उस देवी के सामने अवाक् खडा रह गया। कितनी पवित्र आत्मा है मणिबेन ! उनके पैर छूने से हम जैसे पापी पवित्र हो सकते हैं। फिर सरदार बोल उठे, "गरीब आदमी की लडकी है, अच्छे कपडे कहा से लाये? उसका बाप कुछ कमाता थोडे ही है।" सरदार ने अपना चश्मे का केस दिखाया। शायद बीस बरस पुराना था। इसी तरह तीसियो बरस पुरानी घडी और एक कमानी का चश्मा देखा, जिसके दूसरी ओर धागा बधा था। कैसी पवित्र आत्मा थी? कैसा नेता था। उसी त्याग-तपस्या की कमाई खा रहे हैं हम सब नई-नई घडिया बाधने वाले देशभक्त।"

कुमारी मणिबेन का निम्नलिखित सस्थाओ से भी सम्बन्ध रहा है—

सन् १९५१ से आप गुजरात प्रदेश काग्रेस कमेटी की सदस्या रही। १९५३ से १९५६ तक आप उसकी मन्त्री भी रही। फिर १९५६ में उसकी उपाध्यक्षा चुनी गई। वह गुजरात विद्यापीठ कौसिल की सदस्या १९२८ से लेकर अब तक हैं। निम्नलिखित सस्थाओ की भी वह सदस्या रही—

१—बिरला महाविद्यालय वल्लभ विद्यानगर आनन्द, १९५१ से १९५५ तक।

२—कृषि सस्था आनन्द १९५१ से।

३—सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारक निधि अहमदाबाद १९५३ से।

४—केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की प्रबन्ध समिति १९५३ से १९५८ तक।

५—परिवार कल्याण सहकारी इन्डस्ट्रियल समिति दिल्ली की प्रबन्ध समिति १९५३ से १९५७ तक।

६—विद्या मण्डल लोक भारत (सणोसरा, गोहिलवाद, सौराष्ट्र) १९५३ से।

७—आकाशवाणी की अहमदाबाद बडौदा कार्यक्रम परामर्श समिति, १९५५ से।

८—सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ विद्यानगर की सीनेट, १९५६ से।

९—पश्चिमी रेलवे की यात्री सुविधा समिति बम्बई, १९५३ से १९६१ तक।

आप महागुजरात सकट निवारण मण्डल अहमदाबाद की सेक्रेटरी १९५४ से हैं। इसके अतिरिक्त आप श्री विट्ठल कन्या केलवणी मण्डल नदियाद की १९५१ से सदस्या हैं।

कुमारी मणिबेन निम्नलिखित चार सस्थाओं की ट्रस्टी भी है:—

१—नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद ।

२—श्री महादेव देसाई मैमोरियल ट्रस्ट अहमदाबाद ।

३—कस्तूरबा गांधी नेशनल मैमोरियल ट्रस्ट, इन्दौर ।

४—कस्तूरबा मैमोरियल प्रसूतिग्रह तथा आतुरालय रास (जिला खेड़ा) १९५२ में ।

आप ने निम्नलिखित ग्रन्थों की गुजराती में रचना की है :—

१—बापू के पत्रों का सम्पादन (सरदार वल्लभभाई के नाम लिखे हुए गांधी जी के पत्रों का सम्पादन) ।

२—गांधी जी द्वारा मणिबेन तथा श्री डाह्याभाई के नाम लिखे हुए पत्रों का सम्पादन।

३—सरदारनी सीख ।

गाधीजी द्वारा सरदार पटेल के नाम लिखे हुए पत्रों में से प्रायः पत्र ऐसे हैं, जिनमें गांधीजी ने डाह्याभाई का उल्लेख और वह भी अत्यधिक वात्सल्यपूर्ण शब्दों में किया है ।

श्री डाह्याभाई पटेल

श्री डाह्याभाई ने स्नातक बनने के पश्चात् श्रीमती यशोदादेवी के साथ विवाह किया। यह विवाह महात्मा गाधी ने सन् १९२५ में साबरमती आश्रम में करवाया था। इस समय महात्मा गाधी ने सत्याग्रह आश्रम में प्रथम बार तीन विवाह करवाये थे, जिनमें एक उनकी पौत्री—उनके ज्येष्ठतम पुत्र हरिलाल गाधी की पुत्री का विवाह था। इस विषय में गांधीजी ने नवजीवन मे लिखा था—

"श्री वल्लभभाई के पुत्र चि० डाह्याभाई तथा श्री काशीभाई अमीन की पुत्री चि० यशोदा का विवाह तो स्वेच्छा से हुआ ही माना जावेगा। दोनो ने एक दूसरे को ढूंढ लिया और बड़ों की सम्मति से अपनी इच्छानुसार ही विवाह का निश्चय किया। पाटीदार जाति के लिये यह आदर्श विवाह कहा जा सकता है। दोनों प्रसिद्ध परिवार हैं। श्री काशीभाई खर्च करना चाहते तो कर सकते थे। फिर भी उन्होंने जानबूझ कर बिना खर्च किये विवाह करने का निश्चय किया और किसी हद तक अपने सम्बन्धियों की नाराजगी भी मोल ली। मुझे आशा तो यही है कि ऐसी शादियां अन्य पाटीदार परिवार भी करेंगे और अन्य जातियां भी करेंगी तथा अधिक व्यय के भार से बचेंगी। ऐसा हो तो गरीबों को

शान्ति मिले और धनिक लोग अपनी इच्छानुसार देश सेवा या धर्म के कार्यों में पैसा लगा सकें ।"

यहा यह बात स्मरण रखने की है जब सरदार १९२१ में अहमदाबाद कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष थे तो श्री डाह्या भाई ने उसमें एक साधारण स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया था। श्री डाह्या भाई की अभिलाषा १९२३ के नागपुर के झण्डा सत्याग्रह में भी भाग लेने की थी। किन्तु उस समय आपकी आयु १८ वर्ष से कम होने के कारण आपको उसमें भाग लेन की अनुमति नही मिली। १९३० से १९३२ तक के नमक सत्याग्रह में आप इस लिये भाग नहीं ले सके कि उन्ही दिनो आपकी प्रथम पत्नी का स्वर्गवास हुआ था और गोद में उसका चार वर्ष का बालक विपिन था। फिर श्री डाह्याभाई को उन्ही दिनो ५० दिन तक टाइफाइड ज्वर भी रहा।

सरदार पटेल जब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे तो कांग्रेस की रकम को उगाहना, उसे सभाल कर रखना, बतलाई हुई मदो में खर्च करना अथवा उसे जमा करके उसकी पूरी व्यवस्था करने का सारा कार्य भी आपको ही करना पडता था।

अमरीका में डाह्याभाई का पुत्र डाकुओ के कब्जे में

श्री डाह्याभाई के श्रीमती यशोदा देवी से सन् १९२७ में एक पुत्र हुआ, जिसका नाम विपिन है। उसे सन् १९४६ में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमरीका भेजा गया था। सन् १९४७ में वह वहा लास ऐंजलीस से अपनी कार में अकेला ओकलाहामा जा रहा था कि मार्ग में कुछ व्यक्तियो ने उसकी कार रोक कर उससे अनुरोध किया कि वह उन्हें अपनी मोटर मे थोडी दूर पहुचा दें, क्योंकि उस समय वहा अन्य कोई सवारी उपलब्ध नही थी। जब विपिन की कार सुनसान स्थान में आई तो उन व्यक्तियो ने विपिन को बबस करके कार से निकाल दिया और उसे उस दिसम्बर मास के अत्यधिक ठण्डे दिनो में लगभग नगा करके उसके हाथ पीछे को बान्ध कर उसके मुख में कपडा ठूस कर उसे भी बाध दिया, जिससे वह शोर न मचा सके। फिर वह उसको एक वृक्ष से बाध कर उसकी कार लेकर भाग गये। उसमें विपिन के दो रेडियो सेट, दो बढिया कैमरे आदि बहुमूल्य सामान था।

बदमाशो के जाने के पश्चात् विपिन ने अत्यधिक ईचातानी करके अपने पैरो को बन्धन-मुक्त कर लिया। फिर वह मुह तथा हाथ बधे हुए ही किसी प्रकार एक किसान के घर पर पहुचा। उसके बार-बार दरवाजा खटखटाने पर जब किसान ने अन्दर से झाक कर उसे देखा तो भयभीत हो कर पुलिस को टेलीफोन किया। पुलिस ने विपिन को बन्धनमुक्त करके बदमाशो तथा मोटर की तलाश आरम्भ कर दी। तीसरे दिन मोटर का पता चलने पर वह लोग पकडे गये और सामान भी

थोड़ा-बहुत मिल गया। उस समय सरदार के पौत्र के इस प्रकार लुट जाने का समाचार अमरीका के सभी प्रमुख पत्रों में छपा।

उसने बम्बई के एलफिन्स्टन कालेज से साइंस में प्रथम श्रेणि में इण्टर पास करके अमरीका में व्यापारिक प्रबन्ध की शिक्षा प्राप्त की। सरदार के स्वर्गवास के पश्चात् वह एक अमरीकन कम्पनी में मैनेजर बन गया।

श्रीमती यशोदा देवी का ३१ मई १९३० को स्वर्गवास हो गया। इस बीच श्री डाह्याभाई पर फिर विवाह करने के लिये अनेक प्रकार के दबाव डाले गए। यहां तक कि एक बार तो इस विषय में आग्रह करने के लिये स्वयं गांधी जी ने महादेव भाई को उनके पास भेजा। किन्तु आप टस से मस न हुए। उसके पश्चात् श्री डाह्याभाई ने २३ मई १९४० को बड़ौदा में श्रीमती भानुमती के साथ दूसरा विवाह किया। उनसे उनके १९४५ में गौतम नामक एक पुत्र हुआ, जो प्रथम श्रेणी में इंटर पास करने के उपरान्त इस समय इन्जीनियरिंग कालेज में पढ रहा है।

श्री डाह्याभाई ने अपने निर्माण में उसी प्रकार किसी से सहायता नहीं ली, जिस प्रकार उनके पिता ने नहीं ली थी। वास्तव में उन्होंने अपने जीवन का निर्माण स्वयं किया है। सन् १९२७ में आप ओरियण्टल बीमा कम्पनी में प्रशिक्षार्थी के रूप में सौ रुपये मासिक वेतन पर अन्य निर्वाचित ग्रेजुएट ऐपरेन्टिसों के साथ सम्मिलित हुए। वहां आप उन्नति करते-करते ऐजेन्सी मैनेजर हो गए। अपने पिता के गृहमन्त्री बन जाने पर आप ने समय से सतरह वर्ष पूर्व ही नौकरी छोड़कर पेन्शन ले ली।

वास्तव में कांग्रेस तथा श्री डाह्याभाई का पालन-पोषण प्रायः एक ही घर में समान परिस्थितियों में एक साथ हुआ। जब वह अपने ताऊ श्री विट्ठल भाई के यहां रहते हुए बम्बई में पढ़ते थे तो उनके बादरा वाले मकान में ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का दफ्तर भी था। गांधी जी के असहयोग आन्दोलन आरम्भ करने पर आप बम्बई छोड़ कर अहमदाबाद चले आए और गुजरात विद्यापीठ में पढने लगे। इसके थोडे ही समय पश्चात् सरदार पटेल कांग्रेस के महामन्त्री बने। तब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का दफ्तर फिर आपके घर में आ गया। इस प्रकार आपने अपने ताऊ जी तथा पिता जी के साथ कांग्रेस को न केवल फलते फूलते हुए देखा, वरन् उसके लिये काम भी कम नहीं किया। इस प्रकार सन् १९२० से लेकर १९५६ तक आप ने अत्यन्त निष्ठापूर्वक कांग्रेस की निस्वार्थ भाव से सेवा की और कभी कोई पद नहीं मांगा। कांग्रेस कार्य करते समय आप आर्डिनेन्स के अनुसार नजरबन्द भी रहे।

बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री एस० के० पाटिल के के अत्यधिक आग्रह पर आप ने १९३८ में कांग्रेस टिकट पर बम्बई म्युनिसिपल

कार्पोरेशन के लिये चुनाव लडना स्वीकार किया। आप अत्यधिक बहुमत से कार्पोरेशन के सदस्य चुने गये। सन् १९४४-४५ में आप कार्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने। आप १९४६ में कार्पोरेशन में कांग्रेस पार्टी के नेता चुने गये और १९४९ तक इस पर पद बने रहे। १९५४ में आपको कार्पोरेशन का मेयर चुना गया। एक वर्ष तक मेयर रहने के पश्चात् आपकी कार्पोरेशन की सदस्यता समाप्त हो गई। क्योंकि बम्बई में ऐसी परिपाटी है कि मेयर बन जाने वाला व्यक्ति फिर कार्पोरेशन का सदस्य नही बनता।

श्री डाह्याभाई निम्नलिखित सस्थाओ से भी सम्बद्ध हैं—

१—इण्डियन मर्चेन्ट्स चैम्बर की कमेटी के सदस्य,

२—वेस्टर्न इण्डिया आटोमोबाइल ऐसोसिएशन के सदस्य, १९५२ तक तथा १९६१ में उसके अध्यक्ष भी रहे।

३—बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य १९४६ से १९५६ तक।

४—बम्बई विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य १९४९ से १९५४ तक।

५—नारुतर विद्यामण्डल के अध्यक्ष सन् १९५५ से १९५८ तक।

६—सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ की सीनेट तथा सिन्डीकेट के सदस्य १९५५ से।

७—सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ के वाएस चान्सलर अल्पकाल के लिये।

सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ के प्रथम वाएस चान्सलर श्री भाई लाल भाई जब विदेश यात्रा को गये तो उनके स्थान पर श्री डाह्याभाई पटेल सन् १९५० में लगभग ४ मास तक वाएस चान्सलर रहे।

८—वेस्टर्न रेलवे की जोनल ऐडवाइजरी कमेटी के सदस्य सन् १९६० से।

सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ

सन् १९४५ में सरदार वल्लभभाई पटेल श्री भाईलाल भाई के साथ ग्रामोद्धार के विषय पर लगातार तीन दिन तक विचार विमर्श करते रहे। श्री भाईलाल भाई पी डब्ल्यू डी के एक अत्यधिक कुशल इजीनियर थे। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में एक कुशल इजीनियर की कमी अनुभव की जाने पर वह सरदार की प्रेरणा पर सरकारी नौकरी से अवकाश लेकर अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में आ गये थे। बाद में उन्होंने उस नौकरी को भी छोड दिया। तीन दिन के इस वार्तालाप में सरदार ने कहा—

"अधिकाश भारत गावो में ही है। यदि देश को अल्पतम समय में एक सफल आत्मनिर्भर जनतन्त्र के रूप में उन्नति करनी है तो देश के विशाल ग्रामीण क्षेत्रो को शीघ्रतापूर्वक सशक्त बनाना होगा। भूतकाल में ग्रामीण भारत को उन सुविधाओं

इस समय तक ईंटो के भट्टे, चूने के भट्टे, आरा मिल, ढलाई का कारखाना, एक वर्क शाप, एक बिजलीघर, एक नलों का कारखाना तथा एक टाइलो का कारखाना भी बना लिये गए। अर्थात् भवन निर्माण के लिये सभी आवश्यक वस्तुए यहीं बनाई जाने लगी। इस प्रकार बहुत कम समय में ४६ हजार वर्ग गज भूमि पर भवन बना लिये गये, जिनमें विट्ठलभाई महाविद्यालय, ५०० विद्यार्थियो का एक छात्रावास, अध्यापकों के क्वार्टरों तथा प्रिन्सिपल का बगला बनाये गये। इनके अतिरिक्त मण्डल के कर्मचारियों के लिये भी क्वार्टर बनाये गये। सरदार पटेल ४ अप्रैल १९४७ को इस महाविद्यालय के उद्घाटन उत्सव के लिये आये। वह इस बात से बड़े प्रसन्न हुए कि इतना बडा कार्य सरकारी सहायता अथवा बड़े-बड़े धनियो के दान के बिना ही पूर्ण कर लिया गया। इस समय उन्होने श्री भाईलाल भाई से एक इन्जीनियरिंग कालेज बनाने की योजना बनाने को भी कहा। मण्डल ने एक आधुनिकतम इन्जीनियरिंग कालेज की योजना बनाई। सरदार की प्रेरणा से बिरला शिक्षा ट्रस्ट ने उसके लिये २५ लाख रुपये का दान दिया। उक्त इन्जीनियरिंग कालेज ४० लाख रुपये की लागत से बनाया गया। उसमें सिविल, मैकेनिकल तथा बिजली की इन्जीनियरिंग की डिग्री तथा डिप्लोमा की शिक्षा का कार्य २० जून १९४८ से आरम्भ किया गया। विट्ठलभाई पटेल महाविद्यालय में एम. ए. की शिक्षा भी दी जाने लगी। सेठ भीखाभाई जीवाभाई पटेल ने कामर्स कालेज के लिये ३ लाख रुपये का दान दिया, जिससे उसका कार्य जून १९५१ में आरम्भ कर दिया गया। इस प्रकार बनाये जाने वाले नगर का नाम 'वल्लभ-विद्यानगर' रक्खा गया।

अब इस बात की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी कि बम्बई सरकार से सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ ऐक्ट पास करवा कर उसे नियमित रूप से विश्व-विद्यालय का रूप दिया जावे। अतएव चारुतर विद्यामण्डल के चेयरमैन श्री डाह्याभाई पटेल ने १९ सितम्बर १९५४ को बम्बई सरकार को इस उद्देश्य से एक पत्र लिखा। इस पत्र पर उस समय कोई कार्यवाही नहीं की गई। किन्तु एक वर्ष के पश्चात् बम्बई सरकार के शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी ने एक पत्र भेज कर यह पूछा, "क्या चारुतर विद्यामण्डल यह आश्वासन दे सकेगा कि वह इस प्रकार बनाये हुए विश्वविद्यालय के लिये किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की माग नहीं करेगा?"

इस प्रकार का आश्वासन मिलने के पश्चात् सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ ऐक्ट बम्बई विधान सभा तथा विधान परिषद् के दोनों सदनों द्वारा २५ अक्तूबर १९५५ तक पास कर दिया गया। इस ऐक्ट में यह व्यवस्था की गई कि इस विश्व-विद्यालय की शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगा। इस विद्यापीठ ऐक्ट की व्यवस्था के अनुसार सभी कालेजो के प्रिन्सिपल सीनेट के सदस्य होते है। डिग्री कालेज के

प्रिन्सिपल सिन्डीकेट में सदस्य होते हैं। चारुतर विद्यामण्डल तथा विभिन्न कालेजो के दान दातारो को भी सीनेट तथा सिन्डीकेट में प्रतिनिधित्व दिया गया। बम्बई की सहायता के सम्बन्ध में बम्बई विधान सभा में प्रश्न किये जाने पर तत्कालीन मुख्य-मन्त्री श्री मुरारजी देसाई ने शिक्षा मन्त्री की ओर से उत्तर दिया कि "नये विद्यापीठ को दो वर्ष तक सरकारी सहायता नही दी जावेगी।" अतएव यह आशा की जाती थी कि इस सस्था को १९५८ से सरकारी सहायता मिलने लगेगी। बम्बई सरकार ने १५ दिसम्बर १९५५ को श्री भाईलाल भाई को उसका प्रथम वाइस चान्सलर बनाया।

यह पीछे बतला दिया गया है कि सरदार पटेल चारुतर विद्यामण्डल के अध्यक्ष (प्रेसीडेण्ट) थे। उनके स्वर्गवास के पश्चात् श्री गणेश वासुदेव मावलकर को उस का अध्यक्ष बनाया गया। २७ फरवरी १९५६ को उनका स्वर्गवास होने पर श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुशी को उसका अध्यक्ष बनाया गया।

श्री डाह्याभाई पटेल ने श्री मुरारजी भाई को सरकारी सहायता न लेने का आश्वासन देकर सस्था को विश्वविद्यालय तो बनवा लिया, किन्तु आर्थिक चिंता उनके ऊपर फिर भी सवार रही। इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में श्री भाई लालभाई के कार्य से श्री डाह्याभाई इतने अधिक प्रसन्न हुए कि १९५८ में उनके ७० वर्ष का हो जाने पर उन्होने उनके लिए अभिनन्दन ग्रन्थ निकालने की योजना बनाई। इस कार्य के लिए श्री डाह्याभाई ने एक लाख से अधिक रुपया एकत्रित करके अभिनन्दन ग्रन्थ निकाला। आज इस विद्यापीठ में छै सहस्त्र विद्यार्थी शिक्षा लाभ कर रहे हैं। इसके लिये उन्होने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष श्री चितामणि द्वारिका नाथ देशमुख को विद्यापीठ का निरीक्षण करने का निमन्त्रण दिया। श्री देशमुख ने १६ तथा १७ फर्वरी १९५७ को दो दिन तक विद्यापीठ की सभी शिक्षा सस्थाओ को ध्यानपूर्वक देखा। उसके कार्य से वह इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होने विद्यापीठ के पृथक् २ कार्यों के लिये ८० लाख रुपये की एक मुश्त सहायता विद्यापीठ को दी।

सन् १९५२ के निर्वाचनो से पूर्व बम्बई प्रान्तीय काग्रेस कमेटी के नेताओ —उसके अध्यक्ष श्री एस० के० पाटिल, उप-प्रधान श्री भवान जी० ए० खीमजी, सेक्रेटरी श्री के०के० शाह एम० पी० तथा कोषाध्यक्ष श्री बाबू भाई चिनाय एम० पी० ने श्री डाह्याभाई से प्रस्ताव किया कि निर्वाचनो का प्रचार करने के लिये एक अखिल भारत प्रेस खोला जावे। इस प्रेस से अग्रेजी, गुजराती, तथा मराठी में पत्र निकाले गये। श्री डाह्याभाई ने उनकी बातो में आकर उस प्रेस में अपनी समस्त पूजी लगा दी। उनको यह भी वचन दिया गया था कि प्रेस से उनको प्रतिमास तीन सहस्त्र रुपये वेतन दिया जावेगा। सरदार का स्वर्गवास हो

जानेपर जब कम्पनी फेल हो गई तो डाइरेक्टरों ने श्री डाह्याभाई को वेतन देना तो दूर उनकी पूजी भी वापिस नही की ।

जनवरी १९५७ में इन्दौर में अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के वार्षिक सम्मेलन में जब श्री डाह्याभाई ने यह अनुभव किया कि उनके पिता के नाम को मिटा देने का काग्रेस में सगठित रूप से प्रयत्न किया जा रहा है तो उनको काग्रेस से घृणा हो गई और उन्होने काग्रेस का त्याग कर दिया ।

मार्च १९५८ में बम्बई विधान सभा के कुछ मित्रो ने श्री डाह्याभाई से अनुरोध किया कि वह राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व करें। उनका कहना था कि वह महागुजरात जनता परिषद् के टिकट पर चुने हुए विधान सभा के तीस प्रतिनिधियो की ओर से उनके पास यह प्रस्ताव लाये हैं । इस प्रकार अप्रैल १९५८ में आप राज्य सभा के लिये चुने गए ।

श्री डाह्याभाई ने अपने पार्लियामेंट के कार्य का विवरण अपनी दो इगलिश पुस्तको "ससद में मेरा प्रथम वर्ष" तथा "द्वितीय एवम् तृतीय वर्ष का कार्य" के रूप में प्रकाशित किया है । श्री डाह्याभाई ने योरुप, अमरीका तथा पूर्वी अफ्रीका की यात्रा भी की है। अपनी इस यात्रा का विवरण आपने अपने एक अन्य ग्रन्थ में दिया है । इनके अतिरिक्त भी उन्होने अपने ससद-कार्यों तथा भाषणो के सम्बन्ध में अन्य कई ग्रथो की रचना की है ।

राज्य सभा में आप १९६० में डेमोक्रेटिक ग्रुप के नेता बनाये गये । जब श्री राजगोपालाचारी ने स्वतन्त्र पार्टीकी स्थापना की तो आप उसमें सम्मिलित हो गए। आप आरम्भ से ही स्वतन्त्र पार्टी की प्रबन्ध समिति तथा उसके पार्लिमेण्टरी बोर्ड के सदस्य हैं। १९६२ में आप राज्य सभा में स्वतन्त्र पार्टी के नेता बने।

श्रीमती भानुमती पटेल

श्री डाह्या भाई पटेल की द्वितीय पत्नी श्रीमती भानुमती का जन्म २४ जनवरी, १९१४ को बडौदा में हुआ था । उनका परिवार धार्मिक तथा देशभक्त था । वडौदा में सहशिक्षा प्राप्त करने वाली वह प्रथम महिला हैं । उन्होने इटर तक शिक्षा प्राप्त की। अपने शिक्षा काल में वह स्कूल व कालिज की सभी प्रवृत्तियो में लडको के साथ बराबर भाग लिया करती थीं । सन् १९३०-३२ के आन्दोलन के कारण आपकी पढाई मे बाधा आ गई । आपके घर में सभी लोग खादी पहनते थे । आपके भाई परसाभाई पटेल राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के कारण सभी नेताओ से परिचित थे ।

श्री डाह्या भाई के साथ आपका विवाह १९४० मे हुआ । गोद में छोटी

बन्दी होने के कारण आप १९४२ में जेल नहीं जा सकी। इस समय सरदार, मणिबेन तथा डाह्या भाई सभी पृथक्-पृथक् जेलों में बन्द थे। श्रीमती भानुमती इन सभी जेलों में जाकर उन सब की सुविधाओं का प्रबन्ध किया करती थीं।

सरदार पटेल गौतम के जन्म के १४ दिन पश्चात् जेल से छूटे थे। अतः वह उसे बहुत प्यार करते थे। सरदार के गृह-मंत्री बनने पर आप दिल्ली रहने लगीं। उनके स्वर्गवास के पश्चात् जब डाह्या भाई १९५४ में बम्बई के मेयर बने तो आप बम्बई में रह कर घर का कार्य करते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करती रहीं। इस समय आपने इस प्रकार की निम्नलिखित संस्थाओं में कार्य किया:—

१. फोर्ट महिला समाज, २. गुजराती महिला समाज, ३. अखिल भारतीय महिला सम्मेलन।

जब श्रीडाह्या भाई १९५८ में राज्य सभा के लिए चुने गये तो आप फिर दिल्ली में रहने लगीं।

इसके ६ मास पश्चात् जब महागुजरात आन्दोलन के नेताओं ने सत्याग्रह करने का निश्चय अहमदाबाद में किया तो श्री डाह्या भाई की बारी आने पर आपने पहिले जेल जाने का आग्रह किया, जिससे आपको अक्तूबर १९५८ में दो मास जेल की सजा दी गई। आपके जेल से वापिस आने के ८ दिन बाद श्री डाह्या भाई को महा गुजरात आन्दोलन के सत्याग्रह में एक मास जेल की सजा दी गई।

सन् १९६२ के चुनाव में आप लोक-सभा के लिए सौराष्ट्र से खडी हुईं, क्योंकि स्वतंत्र पार्टी को वहां कम्युनिस्ट उम्मेदवार को खडे होने से रोकना था। आप सौराष्ट्र में प्रथम बार गईं थीं। यहां तक कि श्री डाह्या भाई भी आपके साथ न जा सके, क्योंकि वह अहमदाबाद में बैठ कर सारे गुजरात की स्वतन्त्र पार्टी के चुनाव का प्रबन्ध कर रहे थे। फिर भी आपका प्रतिद्वन्द्वी बहुत कम वोटों से जीता।

सरदार के अन्य भाई

यह पीछे बतलाया जा चुका है कि सरदार पांच भाई थे, जिनमें सबसे बड़े सोमाभाई थे। उनकी शिक्षा अधिक नहीं थी। साथ ही उनको अपने गाव का प्रेम भी बहुत था। इसलिये वह घर पर रह कर कृषि तथा अन्य कार्य में अपने पिता की सहायता किया करते थे। उनके तीन पुत्र थे, जिनमें से द्वितीय पुत्र ईश्वरभाई बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बनने के बाद उसके कोषाध्यक्ष बने। वह बम्बई कार्पोरेशन के सदस्य भी रहे। सोमाभाई के सबसे छोटे पुत्र पुरुषोत्तम मेडीकल कालेज से असहयोग करके पूर्वी अफरीका चले गये। वह वहां से व्यापार द्वारा पर्याप्त धन कमा कर लाये और अब अहमदाबाद में रहते हैं। मणिबेन अहमदाबाद में उनके पास ही रहती हैं।

दूसरे नरसी भाई गाव में अत्यधिक जनप्रिय थे। वह सबके कार्यों में भाग लेते रहते थे। अतएव गाव में उनकी बडी धाक थी। उनके दो पुत्र हैं, जिनमें से एक शम्भुप्रसाद पूर्वी अफरीका में व्यवसाय करते है। दूसरे चिमनभाई अहमदाबाद कार्पोरेशन के सदस्य हैं।

तीसरे विट्ठल भाई के कोई सन्तान नही हुई। वह डाह्याभाई को ही अपना पुत्र समझते थे।

सबसे छोटे काशी भाई जिला वकील थे। वह सत्याग्रह में जेल भी गये थे। उनके तीन पुत्र बम्बई में व्यापार करते हैं।

सरदार की बहिन डाहिबा २५-२६ वर्ष की आयु में निस्सन्तान मरी। सरदार उनसे इतना अधिक प्रेम करते थे कि वह उनका स्वर्गवास होने पर अपने आसू न रोक सके।

अध्याय १८

सरदार के हास्य विनोद

पीछे यह कई स्थलों पर लिखा जा चुका है कि सरदार विनोदी स्वभाव के थे। वह मनोरंजन के लिये तो हंसते ही थे, आलोचना के लिये व्यग भी करते थे। अपने हास्य एव विनोद से उन्होंने अपने अध्यापकों तथा पिता को भी नही बख्शा।

यह पीछे लिखा जा चुका है कि बडौदा हाई स्कूल में विद्यार्थी वल्लभभाई के संस्कृत न लेकर गुजराती लेने के कारण आपके अध्यापक छोटेलाल आपसे रुष्ट हो गये। उन्होंने बिगड कर एक से लगा कर दस तक के पहाडे लिख कर लाने की आज्ञा दी। एक दिन हुआ, दो दिन हुए, किन्तु वल्लभभाई पहाड़े लिख कर नही लायें। मास्टर साहब प्रतिदिन रुष्ट होते और प्रतिदिन दण्ड बढाते जाते। "कल दो बार," "कल चार बार," "कल आठ बार" कहते-कहते दो सौ पहाडे लिखने की आज्ञा दी गई। किन्तु उन पर कोई प्रभाव नही पडा। फिर अध्यापक ने पूछा "लिखकर लाना है या कुछ अन्य दण्ड देने पर विचार करूं?" शिष्य ने उत्तर दिया :

"दो सौ पाडे लाया तो था, परन्तु उनमें एक इतना मरखना निकला कि उससे बिदक कर सभी दरवाजे के सामने से भाग गए। इसलिए एक भी पाड़ा नही रहा।"

पाड़ा गुजराती भाषा में पहाड़े के अतिरिक्त भैंस के बच्चे को भी कहा जाता है। अध्यापक ने शिष्य को धमका कर ताकीद कर दी। दूसरे दिन फिर पूछा गया तो विद्यार्थी ने बिना घबराए हुए उत्तर दिया कि "हा साहिब लिख लाया हूं।" यह कह कर अध्यापक को एक कागज दिखलाया जिस पर लिखा था "दो सौ पहाडे"। अब विद्यार्थी को हेडमास्टर के सन्मुख उपस्थित किया गया। वहा विद्यार्थी ने कहा "यह भी कोई दण्ड है। पहाड़े नकल कराने से मुझे क्या लाभ हो सकता है। मेरी पाठ्य पुस्तक से नकल करने को कहा जाता तो इससे मुझे लाभ भी होता।" निदान हेडमास्टर ने केवल शिक्षा देकर ही आपको छोड़ दिया। अब एक व्यंग का विवरण दिया जाता है—

एक वृद्ध किन्तु स्वस्थ एवं गठे हुए शरीर वाले सशक्त पुरुष सीढियां चढ़कर ऊपर आये। वह बिल्कुल श्वेत वस्त्र पहने हुए थे। धोती, कुर्ता, खेस

और पगडी सभी सफेद वस्त्र दूध के समान धवल श्वेत थे। उन्हें देखते ही मुह में से हुक्के की नली निकाल कर वल्लभभाई खडे हो गए और बोले—

"पिताजी आप कहा से ?"

"भाई, तुमसे काम पडा है। इसीलिये तो आया हू।"

"परन्तु मुझे क्या नही कहलवा दिया ? करमसद आ जाता। लाडबाई से भी मिलना हो जाता।"

"परन्तु काम तो बोरसद में है। इससे तुम्हे वहा बुलाकर क्या करता ?"

"ऐसा क्या काम है ?"

"सारे जिले में तुम्हारी धाक है और हमारे महाराज पर वारन्ट निकले। क्या यह ठीक है ? तुम्हारे बैठे महाराज को पुलिस पकड सकती है ?"

"महाराज पर और वारन्ट ? यह कैसे ? वह तो पुरुषोत्तम भगवान के अवतार कहलाते हैं। सबको ससार सागर से पार उतारने वाले है। उन्हें कौन पकड सकता है ?"

"इस समय तुम अपनी दिल्लगी रहने दो। मैंने पक्के तौर पर सुना है कि वडताल और बोचासन के मन्दिरो के बारे में झगडा हुआ है और उसमें हमारे महाराज पर भी वारन्ट निकला है। तुम्हे यह वारन्ट रद कराना ही पडेगा। महाराज को पकड लें तब तो मेरे साथ तुम्हारी इज्जत भी जायेगी।"

"हमारी इज्जत क्यो जायेगी ? जो ऐसे कर्म करेगा उसकी जायेगी। परन्तु मैं जाँच करूंगा। वारन्ट यो ही थोडे निकला करते हैं। मुझ से जो कुछ हो सकेगा सब करूंगा।"

"बाद में तनिक गम्भीर होकर किन्तु नम्रता से पिता जी से बोले—"अब आप इन साधुओं को छोड दीजिए। जो इस प्रकार के प्रपच करते हैं, झगडे करके अदालतों में जाते हैं और जो इस लोक में अपनी रक्षा नही कर सकते, वह परलोक में हमें क्या तारेंगे ? हमारा क्या उद्धार करेंगे ?"

"यह सब झझट हम क्यो करे ? परन्तु देखो, तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि महाराज पर वारन्ट निकला है तो वह रद होना चाहिए।"

यह कह कर पिता जी दफ्तर से चले गए।

बाद में सरदार ने मामले में पड कर दोनो पक्ष का समझौता करा दिया, जिससे वारन्ट रद हुआ।

यहा यह बात स्मरण रखने की है कि वल्लभभाई अपनी माता को लाडबाई कह कर पुकारा करते थे।

उनकी हाजिर जवाबी अद्भुत थी। उनके हसमुख स्वभाव का उदाहरण कांग्रेस में तो क्या भारत भर में मिलना कठिन है।

एक बार गांधी जी किसी कालेज के एक प्रिन्सिपल की नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार विनिमय कर रहे थे तो सरदार बोले :

"आप वहा का प्रिन्सिपल मुझे बना दीजिए।"

"वहां आप विद्यार्थियों को क्या पढायेंगे ?"

"भारत के विद्यार्थियों को आज याद करने की आवश्यकता न होकर पढ़े हुए पाठ को भूल जाने की आवश्यकता है।"

अगस्त क्रान्ति के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था :

"भूतपूर्व भारतमन्त्री ने कहा था कि गांधी जी की गिरफ्तारी पर भारत में एक कुत्ता भी नही भौंका और सारा कारवा निकल गया। किन्तु इस बार कुत्ता भौंक कर नहीं बैठा रहेगा, वरन् काट भी खावेगा। आगामी संघर्ष में ऐसे कुत्तों के काटने के अनेक उदाहरण मिलेंगे।"

भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डा. राजेन्द्र प्रसाद जब १९५० में प्रथम बार राष्ट्रपति बने तो सरदार ने उनसे विनोद करते हुए कहा—

"आपने तो कांग्रेस अध्यक्ष से राष्ट्रपति पद छीन लिया।" क्योंकि उस समय तक कांग्रेस अध्यक्ष को ही राष्ट्रपति कहा जाता था।

जमनालाल अथवा शादीलाल

सेठ जमनालाल बजाज के आग्रह से जब गांधी जी ने वर्धा के पास अपना सेवाग्राम आश्रम बनाया तो जमनालाल जी के ऊपर कुछ भार पुनर्वास के कार्य का भी आ गया। जिन भाई बहिनों की वह पुनर्वास में सहायता किया करते थे उनके नाम वह पुन. स्मरण करने के लिये अपनी एक निजी डायरी में लिख लिया करते थे। उनमें विवाहेच्छु युवक युवतियों तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम भी हुआ करते थे, जिनका सेठ जी बाद में विवाह करा दिया करते थे। सेठ जी के इस कार्य की हसी उड़ाते हुए सरदार ने उनका नाम ही शादीलाल रख दिया। इतना ही नहीं, सेठ जी के इस शादीलाल नाम का उपयोग वह अपने निजी पत्र व्यवहार में खुल कर किया करते थे। जेल से लिखे हुए पत्रो में तो इस शादीलाल नाम ने सांकेतिक भाषा का काम भी दिया।

एक बार सरदार पटेल ने सेठ जमनालाल जी से उनकी वही डायरी देखने को मांगी। उसमें लड़के लड़कियों के फोटोग्राफ भी रहते थे। बहुत कुछ ननुच के बाद जब सरदार के सामने उस डायरी में विवाहेच्छु युवकों की सूची आई तो उन्होंने उसमें सबसे ऊपर अपना नाम लिख दिया।

सरदार पटेल महात्मा गाधी तथा महादेव भाई देसाई के साथ यरवडा

जेल में बन्द थे कि १३ मार्च १९३२ को वह भोजन के पश्चात् गांधी जी के लिये दातौन काट रहे थे कि कुछ सोच कर बोले—

"गिनती के दात रह गये हैं, तो भी बापू घिस घिस करते हैं। पोला हो तो ठीक, किन्तु यह तो मूसल बजाने का प्रयत्न करते हैं।"

इस पर महादेव भाई ने विनोद में कहा "सन् तीस में तो हमारा मूसल भी खूब बजा था।" इस पर बापू न मुस्करा कर सम्मतिसूचक सिर हिलाया। इस पर वल्लभभाई बोले—

"इस बार भी ऐसा ही होगा। किन्तु क्या करें कारवाँ आगे चला जा रहा है।"

महादेव भाई ने इस दिन की डायरी में लिखा है—

"वल्लभभाई की दिल्लगी दिन भर चलती ही रहती है। बापू सब चीजों में सोडा डालने को कहते हैं। इसलिये वल्लभ भाई को मजाक का एक बड़ा विषय मिल गया है। कुछ भी अड़चन आए तो वह उठते हैं। "सोडा डालो न !" और उसकी हास्यजनकता बताने के लिये वैद्य के जमालगोटे की बात कह कर खूब हसाया।"

रचनात्मक गफलत

२४ मार्च १९३२ के अखबार में एक शब्द आया : "गांधी जी की रचनात्मक गफलत।" इस पर महादेव भाई ने बापू से पूछा।

"रचनात्मक गफलत कैसी होती होगी ?"

वल्लभभाई कहने लगे : "जैसे आज तुम्हारी दाल जल गई थी वैसी।"

बापू खिलखिला कर हस पड़े। वास्तव में नया कुकर आया था। वल्लभभाई को अच्छी दाल नही मिली थी और आज अच्छी दाल मिलने की आशा थी। किन्तु यहां तो प्रथम दिन ही जल कम और आच अधिक होने के कारण दाल जल गई।

चिमटा और तूंबी

वल्लभभाई यरवदा जेल में लिफाफे बनाया करते थे। २५ मई १९३२ को उन्हे लिफाफे बनाते, कई वस्तुए एकत्रित करते तथा कई प्रकार की बाते करते देख कर बापू उनसे बोले

"स्वराज्य में आप कौन सा विभाग लेंगे ?"

"स्वराज्य मे मैं लूगा "चिमटा और तूबी।"

"दास और मोतीलालजी अपने-अपने ओहदों की गिनती लगाते थे और मुहम्मदअली ने अपने को शिक्षा मन्त्री तथा शौकतअली ने अपने आपको प्रधान सेनापति माना था। आबरू बची आबरू, जो स्वराज्य न मिला और कोई कुछ न बने।"

मुन्शी का अवतार

२६ मई १९३२ को बापू को उर्दू कापी लिखते देखकर सरदार कहने लगे, "इसमें जी रह जायगा तो उर्दू मुंशी का अवतार लेना पड़ेगा।"

बापू प्रातः ९ बजे और शाम को ६ बजे प्रतिदिन सोडा और नीबू पिया करते थे। नीबू गर्मियों में महगे हो जाते थे। इसलिये १४ जून १९३२ को बापू ने वल्लभभाई को इमली का सुझाव दिया। क्योंकि इमली के वृक्ष जेल में भी बहुत थे। वल्लभभाई ने हंस कर उत्तर दिया—

"इमली के पानी से हड्डिया गल जाती हैं, बादी हो जाती है।" बापू ने पूछा, "तो जमनालालजी क्यों पीते हैं ?"

वल्लभभाई, "जमनालालजी की हड्डियों तक पहुचने का इमली के लिये रास्ता ही नहीं।"

दशहरे के टट्टू

महादेव देसाई ने १० जुलाई १९३२ की डायरी में लिखा है कि "आज जयकर तथा सर तेज बहादुर सप्रू के गोल मेज कान्फ्रेंस की सलाहकार समिति से त्यागपत्र का समाचार पढ़कर वल्लभभाई बोले—

"दशहरे के टट्टू दौड़े तो सही।"

महादेव भाई ने लिखा है कि "यह कहावत मैंने पहले नही सुनी थी। कल भी ऐसी ही एक कहावत उनके मुख से निकली, "बूढी होकर तो निंबोली भी पक जाती है, इसमें क्या ?"

महादेव भाई ने २५ जुलाई की डायरी में लिखा है कि "वल्लभभाई के विनोद कभी-कभी तीर की तरह चलते हैं। जेलर मेजर मेहता पूछने लगे, "ओटावा में क्या होगा ?" इस पर वल्लभभाई कहने लगे—

"नाहक ओटावा तक गए हैं। जो चाहे सो यही आर्डिनेंस से कर लें। फिर वहा तक जाना ही क्यों पड़े ?" जेलर बेचारा सिटपिटा गया।

२ अगस्त १९३२ को महादेव भाई ने शयन के समय वल्लभभाई से पूछा, "तो कल से गीता आरम्भ करेंगे न ?" इस पर वह बोले—

"आदौ वा यदि वा पश्चात् वा वेद कर्म मारिष।"

उस दिन मैं सुपरिन्टेन्डेण्ट की कुछ आलोचना कर रहा था। इस पर मुझ से कहने लगे—

"नैतत्त्वय्युपपद्यते।"

और मैक्स के लिये बार बार "कृतार्थोऽहम्" कहते हैं।

मरवडा जेल में बरसात के लिये हल्की चारपाई मगवाई गई तो उसके

नारियल के बानों को देखकर वल्लभभाई २३ अगस्त १९३२ को बापू से कहने लगे कि उनमें निवाड लगवा ली जावे। बापू के इन्कार करने पर वह बोले—

"इस प्रकार इन मुट्ठी पर हड्डियों पर से चमडी उखड जावेगी।"

"और निवाड तो 'बूढ़ी घोडी लाल लगाम' जैसी हो जावेगी।"

खाट के नीचे लाये जाने पर बापू से बोले

"यदि बरसात आ गई तो" ?

"तो ऊपर ले लेंगे।"

"ततो दुखतर नु किम्।"

"यह तो मैं जानता था कि आप इस श्लोक का उपयोग करने के लिये ही यह प्रश्न कर रहे थे।"

बापू जेल से जाने वाले प्रत्येक पत्र में वल्लभभाई के लिफाफे बनाने और सस्कृत पढने की प्रशसा किया करते थे। २७ अगस्त १९३२ को बाबा के पत्र में उन्होने लिखा "वल्लभभाई की पढाई उच्चैःश्रवा की गति से चल रही है।" २८ को प्यारेलाल को लिखा "वल्लभभाई अरबी घोडे की तेजी से दौड रहे हैं। सस्कृत की पुस्तक हाथ से छूटती ही नही। मुझे इसकी आशा नही थी। लिफाफो में तो कोई उनकी बराबरी नही कर सकता। लिफाफे वह नापे बिना बनाते है और अन्दाज से काटते है, किन्तु बराबर वे निकलते है और फिर भी ऐसा नही लगता कि उसमें बहुत समय लगता हो। उनकी व्यवस्था आश्चर्यजनक है। जो कुछ करना हो उसे याद रखने के लिये छोडते ही नही। जैसे आया वैसे ही कर डाला। कातना जब से आरम्भ किया है, तब से बराबर समय पर कातते है। इस प्रकार सूत कातने की गति में भी प्रतिदिन सुधार होता जा रहा है। हाथ में लिये हुए काम को भूल जाने की बात तो शायद ही होती है और जहा इतनी व्यवस्था हो, वहा धाधली तो हो ही कैसे?"

४ अगस्त १९३२ को बापू और वल्लभभाई को जेल में ८ महीने पूरे हुए। बापू ने कहा—

"महादेव के सात पूरे हुए।"

इस पर वल्लभभाई कहने लगे।

"हा, परन्तु "पर्याप्तमिदमेतेषा।" हमारी तो "अपर्याप्त" मुद्दत जो है।"

११ सितम्बर १९३२ को यरवडा जेल में वल्लभभाई ने दिल्लगी में कहा "लिखपढ कर कौन अमर हुआ है? मार कर या मर कर अमर होते हैं।"

ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधान मन्त्री रामसे मैकडोनल्ड द्वारा किये हुए साम्प्रदायिक निर्णय के प्रतिवादस्वरूप जब महात्मा गाधी ने यरवडा जेल में अनशन किया तो वल्लभभाई का विनोद सूख गया था। उपवास खुलते ही वह फिर हरा-

भरा हो गया। बापू की अलमारी में से कई अगोछे "स्पज बाथ" देने के लिये निकाले गये थे। उनकी बात चलने पर बापू बोले :

"मैं सबका हिसाब मागूगा।"

इस पर वल्लभभाई बोले "यह हिसाब किससे लिया जावे ? हम तो आप को खो बैठे थे। हमें क्या क्या पता था कि आप हिसाब मागने वापिस आ जावेंगे।" फिर उन्होने बा से कहा "देखिये तो बा, इनका जुल्म। मालवीयजी को खादी पहनाई, अछूतो से छुवाया, जेल में लाये, विलायत ले गये और अब अछूतो के साथ रोटी बेटी का व्यवहार भी करावेंगे।" २१ दिसम्बर १९३२ को जमनादास द्वारिकादास का चिढ से भरा पत्र आया। उन्होने लिखा था कि अस्पृश्यता का काम ही करना हो तो "इन शास्त्रो को बन्द कीजिये न।" इस पर वल्लभभाई उसे याद कर कहने लगे।

"अब इन शास्त्रो को बन्द कीजिए न!"

हिलाल या हलाल

यरवडा जेल में महादेव देसाई से एक मार्च १९३३ को तेल मलवाते समय बापू बोले, "आज चन्द्रमा सुन्दर दीखता है। इसे तो हिलाल ही कहते होगें न ?" इस पर महादेव बोले, "हिलाल तो दोयज के चन्द्रमा का नाम है न ?" हिलाले ईद" (ईद का चाद) कहा जाता है।" इस पर बापू ने पूछा, "ईद के हिलाल के समान तीज का हिलाल नही कह सकते ?"

इस पर वल्लभभाई बोले "हलाल का मतलब तो यही नही है न, कि एक ही बार में दो कर डालें ? और सिक्खो को झटके का गोश्त चाहिये न ?"

बापू और महादेव भाई खिलखिला कर हस पडे।

एक बार जिना ने अपने व्याख्यान में कहा कि "गाधी ने क्या किया ?"

इसके सम्बन्ध में सरदार ने उत्तर दिया "निश्चय से गांधीजी ने कुछ नही किया, किन्तु जिना को कुरान पढवा दिया।"

चौरी चौरा काण्ड के बाद जब बारडोली में सत्याग्रह आरम्भ न करने का निश्चय किया गया तो विट्ठल भाई बोले

"बारडोली थरमा पोली।"

इस पर सरदार बोले थर अर्थात् झाड की जड पोली हो उसका निश्चय उसमें मूसल बजा कर किया जावे।

बारडोली सत्याग्रह के दिनो में कुर्की वालो से बचने के लिये पशुओ को बहुत समय तक मकान में बन्द रखा गया, जिससे उनका काला रग हल्का पड गया। एक बार सरदार ने अपने व्याख्यान में आए हुए कुछ अग्रेजो को सुना कर कहा।

"हमारे यहा तो भैंस भी मैडम बन गई।",

अध्याय १९

सरदार-सम्बन्धी मेरे संस्मरण

आधुनिक इतिहास तथा राजनीति के सम्बन्ध में अनेक ग्रन्थों का निर्माण करने के कारण इन पंक्तियों के लेखक का आधुनिक भारत के लगभग सभी राष्ट्र-नेताओं के साथ पर्याप्त व्यक्तिगत सम्बन्ध रहा है। इसीलिये लेखक का सरदार के साथ भी इतना अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध रहा कि वह उस पर पर्याप्त विश्वास करते थे।

भारतीय आतंकवाद का इतिहास

१९३९ के आरम्भ में 'भारतीय आतंकवाद का इतिहास' नामक ग्रन्थ लेखक ने लिख कर उसे स्वयं ही प्रकाशित किया। इस ग्रन्थ में भारतीय स्वतंत्रता के लिए किये हुए उस सशस्त्र संघर्ष का शृङ्खलाबद्ध नियमित इतिहास दिया गया है जो १८५७ में आरम्भ होकर १९३५ तक पूरे ७८ वर्ष तक चलता रहा। बाद में इस ग्रन्थ के अवतरणों की नकल कर अनेक व्यक्तियों ने इस आन्दोलन का इतिहास-लेखक बनने का ढोंग किया तथा कई प्रकाशक उनके धोखे को न समझ कर उनके जाल में फंस गए। भारत की तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने इस ग्रन्थ को निकलते ही जब्त कर लिया और द्वितीय महायुद्ध के पूरे समय भर लेखक को अनेक प्रकार की पाबन्दियों में जकड़े रखा। सन् १९४२ में जब जब्त पुस्तकों को हाथ में लेकर जेल जाने का आन्दोलन चला तो इस ग्रन्थ को हाथ में लेकर जेल जाने वाले युवकों की संख्या अन्य सभी जब्त पुस्तकों से अधिक थी। भारत में अन्तर्कालीन सरकार बनने पर लेखक ने सरदार से ६ सितम्बर १९४६ को भेंट कर उनसे लिखित अनुरोध किया कि वह उसके ग्रन्थ 'भारतीय आतंकवाद का इतिहास' पर से जब्ती की आज्ञा को उठा लें। सरदार ने इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही कर लेखक के पास १२ नवम्बर, १९४६ को सूचना भिजवाई कि उक्त ग्रन्थ के उपर से पाबंदी उठा ली गई है। सरदार की आज्ञा से भेजे हुए उक्त पत्र को नीचे दिया जा रहा है।

No 37/6/46-Poll (I).
Government of India,
Home Department

From
G V. Bedekar Esquire, I C S ,
Deputy Secretary to the Govt. of India,

To
Acharya Chandra Shekhar Shastri,
M O Ph, H M D,
Gurgaon Road, Shamlal Building,
Delhi

New Delhi, the 12th November 1946

Subject Books and publications—
BHARTIYA ATANKVAD KA ITIHAS
(*History of the Indian Terrorist movement*)

Sir

With reference to your letter dated the 6th September 1946, addressed to the Hon'ble the Home member, I am directed to inform you that the Chief Commissioner Delhi, has removed the ban on your book mentioned above under his notification no F 8 (31)/46—Home, dated the 7th November 1946.

I have the honour to be
Sir
Your most obedient Servant,
G V. Bedekar
Deputy Secy to the Govt of India.

कलकत्ते के दंगे की जांच रिपोर्ट

१६ अगस्त १९४६ को जब मुस्लिम लीग के सीधी कार्यवाही दिवस मनाने से कलकत्ते में भयंकर दंगा हुआ तो उसके कारणों की जांच का कार्य भारत के फेडरेल कोर्ट के चीफ जस्टिस सर पैट्रिक स्पेंस को सौंपा गया। उन्हीं दिनों इन पंक्तियों के लेखक को सर पैट्रिक स्पेंस के निवासस्थान पर एक दिन चाय पर जाना पड़ा। कलकत्ते के दंगों की जांच का कार्य उनको दिया जा चुका था। उसके सम्बन्ध में भी लेखक ने उनसे विस्तृत चर्चा की। उस समय लेखक मुसलमानों के जिस किसी अत्याचार का उनसे उल्लेख करता था, वह उसके उत्तर में तत्काल हिन्दुओं के एक काल्पनिक अत्याचार का वर्णन लेखक को सुना दिया करते थे। लेखक उनके उत्तरों से अधिक निराश होकर सरदार पटेल के पास गया और उसने उनको सर पैट्रिक स्पेंस के साथ हुए अपने सारे वार्तालाप का वर्णन यथावत् कह सुनाया।

अगले ही दिन सरदार का वक्तव्य प्रकाशित हुआ कि 'कलकत्ते के दंगों के सम्बन्ध में भारत सरकार सर पैट्रिक स्पेंस की जांच को नहीं मानेगी।'

दिल्ली के दंगे

दिल्ली में हिन्दू-मुस्लिम दगों की किम्वदन्ती फैली हुई थी कि लेखक पहाडगज दिल्ली के घी मडी मुहल्ले मे रहता था। वहा प्राय मुसलमानो के ही घर थे। हिन्दुओ के घर कुछ गिने चुने ही थे और वह हिन्दुओ को प्राय दबाते तथा धमकाते रहते थे। उन दिनों वहा दुन्नो नामक पहलवान भी रहता था, जिसने लेखक को घेरने का कई बार षड्यत्र किया। एक दिन लेखक टागे में बैठ कर पहाडगज से कुतुब रोड जा रहा था कि उसका पडोसी एक मुसलमान रईस भी उसी टाग म बैठा हुआ था। उसने लेखक से कहा :

"मुसलमान अब हिन्दुओ से निपटने के लिये पूर्णतया तैयार है। उनके पास गोला, बारूद तथा सभी प्रकार के शस्त्रो का अपार भडार है। अच्छा हो आप दिल्ली छोड कर कही बाहर चले जावे।"

पडोसी की यह बाते सुन कर लेखक का सिर चकरा गया। वह कुतुब रोड से सीधा सरदार पटेल की कोठी न० १ औरगजेब रोड पर पहुचा और उनको अपने पडोसी से हुए वार्तालाप का विवरण सुना कर यह आशका प्रकट की कि दिल्ली में शीघ्र ही हिन्दू-मुस्लिम दगा होने वाला है। सरदार ने उसी दिन सायकाल के समय से दिल्ली में कर्फ्यू लगवा दिया।

दिल्ली का उक्त कर्फ्यू भी बडा विचित्र था। नाम को कर्फ्यू लगा हुआ था, किन्तु पुलिस का कही भी पता नही था। क्योकि दिल्ली की पुलिस में प्राय मुसलमान थे, जो कर्फ्यू लगने ही ड्यूटी छोड २ कर दगाइयो से मिल गए थे।

दगे के दिनो में पहाडगज के डाक्टर अब्दुल करीम तथा उसकी दोनो लडकियों ने अपनी बदूको का खुलकर प्रयोग किया और अनेक हिन्दुओ को जान से मारा। करौलबाग म डाक्टर कुरेशी ने प्रसिद्ध सर्जन डाक्टर जोशी को जान से मार दिया। डाक्टर कुरेशी के गिरफ्तार हो जाने पर पाकिस्तान ने उसको बडी चालाकी से अन्य कैदियो के बदले में बदल कर उसको पाकिस्तान बुलवा कर उसकी जान बचाई तथा उसको अपने यहा उच्च पदाधिकारी बनाया।

यदि उन दिनो दिल्ली के दगो को दबाने के लिये सरदार सेना न बुलाते तो दिल्ली में हिन्दुओ का नाम भी शेष न रहता। दिल्ली की काली मस्जिद के अदर से सेना के आने के बाद भी कई दिन तक गोलिया चलती रही।

डाक्टर हुमायूं कबीर ने जो ग्रथ मौलाना आजाद के नाम से लिखा है उसमें दिल्ली के दगो में प्रयुक्त अस्त्रो की एक लघु प्रदर्शिनी का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि उसमें केवल कुछ छुरिया ही थी। किन्तु उक्त ग्रथ इन पक्तियो के लेखक के अपने नेत्रो से देखे हुए वर्णन का खण्डन नहीं कर सकता।

धौला गूजरी

इस ग्रन्थ की समाप्ति के पश्चात् होडल निवासी श्री प० बाल दिवाकर जी हस से हम को निम्नलिखित विवरण मिला, जिसे इस अध्याय में प्रसगविरुद्ध होते हुए भी यहा दिया जाता है —

पलवल से पूर्व दिशा मे गुलावद नामक ग्राम में सन् १९४७ के ज्येष्ठ दशहरा से अगले दिन एकादशी को एक भयकर हिन्दू-मुस्लिम दगा हुआ, जिसमें ईंट, पत्थर, लाठियो तथा बल्लमो के अतिरिक्त बन्दूको का भी खुलकर उपयोग किया गया। हिन्दुओ की सख्या अधिक होने पर भी उनके पास बन्दूकें आदि कम ही थी, किन्तु मुसलमानो की सख्या कम होने पर भी उनके पास लगभग सौ बन्दूके थी। इससे हिन्दू लोग पराजित होकर भाग निकले। धौला गूजरी युद्ध करने वाले हिन्दुओ को जहा से लाकर जल पिला रही थी, उस स्थान पर भी कुछ युद्ध-रत युवक आकर छिप गए थे।

उक्त गूजरी हिन्दुओ को मैदान छोडते देख रोष में भर गई। उसने मकान की छत पर चढकर ऊपर से मुस्लिम बदूकचियो के सरदार के सीने को लक्ष्य करके एक ईंट इतने वेग से मारी—जो मुस्लिम सरदार के सीने में लगी और उससे वह वहीं धराशायी हो कर तत्काल मर गया। फलत शेष मुस्लिम बदूकची भी भाग निकले। इस पर धौला गूजरी ने छिपे हुए हिन्दू युवको को भागते हुओ का पीछा करने को ललकारा और स्वय भी एक बडी पडा भाला लेकर उनपर टूट पडी। फलत एक और आक्रमक भी घायल होकर वहीं गिर पडा। हिन्दू युवको में इस दृश्य ने साहस का सचार कर दिया और वह आक्रमण करने वालो पर टूट पडे। आक्रमणकारी मुस्लिम भाग गये और ग्राम की रक्षा हो गई। किन्तु धौला गूजरी के भी बाए कधे के नीचे एक गोली लगी, जिसका तत्काल उपचार कर उसे बचा लिया गया।

भारत के १५ अगस्त १९४७ को स्वतन्त्र होने के पश्चात् समस्त इलाके वालो तथा जिला काग्रेस कमेटी के अनुरोध पर सरदार पटेल अक्तूबर मास में पलवल होते हुए होडल पहुचे। इस अवसर पर किये हुए एक विशेष समारोह में धौला गूजरी को एक रथ में बिठाकर सरदार के सम्मुख उपस्थित किया गया। सरदार ने उसकी वीरता की प्रशसा करते हुए निम्नलिखित भाषण दिया —

"जिस इलाके में धौला गूजरी जैसी वीर महिलाए रहती हो, वहा के पुरुष मुझ से सहायता मागें, यह ठीक नहीं लगता। आप झगडे न करें, पर बहादुरी से रहें। मैं अपना कर्तव्य भली प्रकार समझता हू। जो मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट देते रहे हैं और पाकिस्तान जाना चाहते हैं वे जायें। जो यहाँ रहना चाहते हैं उनकी

हम रक्षा करेंगे, किन्तु जो लोग गुण्डागिरी करते हैं उन्हे कुचल दिया जावेगा। यह न भूले कि सरकार के हाथ बडे लम्बे हैं।"

धौला गूजरी की सरदार द्वारा की हुई प्रशसा से प्रोत्साहित होकर पजाब सरकार ने उसे उसकी वीरता के उपलक्ष म एक सहस्र रुपया पारितोषिक दिया।

डा० राजेन्द्रप्रसाद का राष्ट्रपति-पद पर चुनाव

भारतीय सविधान परिषद् जब भारत का विधान बना रही थी तो इन पक्तियो का लेखक स्थानीय दैनिक नव-भारत के प्रधान सम्पादक के रूप में उसकी पूरी कार्यवाही होने तक प्रेस-गैलरी में प्राय उपस्थित रहा करता था। विधान निर्माण का कार्य समाप्त होने पर सविधान-परिषद् ने यह निश्चय किया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का निर्वाचन भी वही करेगी। इस समय भारत के अतिम गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अएतव नेहरू जी की इच्छा उन्ही को प्रथम राष्ट्रपति बनाने की थी। इस समाचार से प्रेस गैलरी में भी बडी सनसनी फैल गयी और हम लोग समाचारो के लिये सविधान-परिषद् के मुख्य मुख्य सदस्या के पास दौड धूप करने लगे। इन दिनो डा० राजन्द्र प्रसाद के विरुद्ध सविधान परिषद् के सदस्यो में इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा था कि वह अपने अत्यधिक सादे रहन सहन के ढग के कारण राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद के लिये उपयुक्त व्यक्ति नही हैं। इससे डा० राजेन्द्र प्रसाद जैसे सात्विक व्यक्ति को भी क्षोभ हुआ और उन्होने सरदार पटेल को—जो उन दिनो बम्बई में बीमार पडे हुए थे—एक पत्र लिखा। सरदार इस पत्र को पढ कर द्रवित हो गये। बम्बई से दिल्ली आने पर उनसे काग्रेस के अनेक ऐसे सदस्य मिलने आये, जो अपने को सरदार की अपेक्षा नेहरूजी के अधिक निकट समझते हुए भी डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद को ही राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, किन्तु राजाजी के सम्बन्ध में नेहरूजी के विचार जान कर उनके सामने खुल कर नही बोल सकते थे। सरदार ने उनसे पूछा कि जब आप लोगो ने राजाजी को काग्रेस का अध्यक्ष बनाने से इन्कार कर दिया तब क्या उन्हें राष्ट्रपति पद देना स्वीकार करेंगे। मिलने को आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उत्तर यही था कि निश्चय से राजाजी को राष्ट्रपति पद नही दिया जा सकता। इस बीच सरदार ने भी इसके ऊच-नीच फलितार्थों का नेहरूजी के सम्मुख वर्णन करते हुए उनसे कहा कि "सविधान-परिषद् के अधिकाश सदस्य राजेन्द्र बाबू को राष्ट्रपति बनाना चाहते है।" इस पर नेहरूजी ने उनसे पूछा "तब क्यो न इस विषय पर सबकी सम्मति ले ली जावे ?" इस पर सरदार ने उत्तर दिया कि "यदि आपने राजाजी के पक्ष में खुलकर प्रचार किया

और बहुमत ने आपका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो लोकतन्त्र के सिद्धान्त की रक्षा के लिये आपको प्रधान मन्त्री पद से त्याग-पत्र देना पड सकता है।"

इसके कुछ दिन पश्चात् सरदार पटेल ने कांग्रेस के कुछ सदस्यों को परामर्श के लिये अपने निवास स्थान नम्बर १ औरंगजेब रोड पर बुलाया। उन लोगों में सरदार तथा नेहरूजी के अतिरिक्त श्री महावीर त्यागी, श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्री खुरशेद लाल, श्री मोहन लाल सक्सेना तथा श्री जसपत राय कपूर भी थे। उन दिनों राजकुमारी अमृतकौर सरदार के यहा ही ठहरी हुई थीं। अतएव इस मीटिंग में वह भी शामिल थीं। इस बैठक में न केवल खुलकर विचार-विमर्श किया गया, वरन् प्रत्येक सदस्य से पृथक्-पृथक् उसकी सम्मति पूछी गई। सदस्यों ने अपने-अपने विचार खुलकर प्रकट किये तथा यह भी कहा कि जब राजाजी को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिये उपयुक्त नहीं समझा गया तो उन्हें राष्ट्रपति जैसा उच्चतम पद किस प्रकार दिया जा सकता है। इस पर स्वर्गीय बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रस्ताव किया "अच्छा हो कि अब इस मामले को नेहरू जी पर छोड दिया जाये। वह सब की सम्मति पर ध्यान देकर उचित निर्णय करेंगे।" इस पर श्री जसपतराय कपूर ने सुझाव दिया—"इस मामले को नेहरू जी तथा सरदार पटेल दोनों पर संयुक्त रूप से छोडा जावे।" इस प्रस्ताव को सभी ने पसन्द किया। अन्त में सरदार के साथ वार्तालाप के पश्चात् नेहरू जी को यह स्वीकार करना पडा कि बहुमत राजाजी के साथ न होकर डा० राजेन्द्रप्रसाद के साथ है। अतएव उन्होंने डा० राजेन्द्र प्रसाद के नामांकन पत्रपर प्रस्तावक के रूप में सरदार पटेल के साथ साथ स्वयं अपने भी हस्ताक्षर किये। इस प्रकार डा० राजेन्द्रप्रसाद निर्विरोध भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गये।

अपने यह संस्मरण लिख कर हम पाठकों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि यद्यपि कांग्रेस संगठन पर अपने पूर्ण नियन्त्रण के कारण *सरदार सारे कांग्रेस संगठन पर अपनी इच्छा अथवा सहमति को थोपने की क्षमता* रखते थे, किन्तु उनका स्वभाव पूर्णतया जनतांत्रिक (Democrat) था। वास्तव में वह भारतीय राष्ट्र की आत्मा थे। इसलिये कांग्रेस के सारे संगठन को भी वही सम्मति होती थी, जो उनकी होती थी। दोनों के सोचने का ढंग एक था।

अपने इस अंतिम निवेदन में हमने सरदार की कार्य शैली का वर्णन किया है कि वह जनता से यदि अपना मनोनुकूल कार्य करवाते भी थे, तो उसके लिये इतनी अधिक पृष्ठभूमि तैयार कर दिया करते थे कि करने वाले यही समझते थे कि वह कार्य स्वयं उन्होंने ही किया है, सरदार ने तो केवल उसके करने की अनुमति दी है। देशी राज्यों के एकीकरण की घटना इसका एक अच्छा उदाहरण है। सरदार ने उन सबके राज्य ले लिये और फिर भी वह सरदार का अपने

ऊपर उपकार मानते हैं। उनके विरोधियों ने उन पर महात्मा गाधी के रक्षा प्रयत्नो में उदासीनता बरतने का मिथ्या आरोप भी लगाया, किन्तु वह एक सच्चे कर्मयोगी के समान विरोधियों की कोई चिन्ता किये बिना अपने अन्त समय तक अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे, जैसा कि गीता में कहा गया है—

तस्मादसक्त सतत, कार्यं कर्म समाचर।
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुष ॥

अध्याय ३ श्लोक १९

अभिनन्दन-गीत

मेरे भारत के लोह पुरुष।
सरदार तुम्हारा अभिनन्दन ॥

तुमने देखा मा का बधन।
था देखा शोषण उत्पीडन ॥
दीनो के नयनो का पानी।
असहायो का करुणा क्रन्दन ॥

तुम मुक्ति युद्ध में गरज उठे।
सरदार तुम्हारा अभिनन्दन ॥

स्वातन्त्र्य क्रान्ति से जगा दिया।
तुमने गुजरात बारडोली ॥
हाथो में अपना शीष लिये।
चल पडी जवानो की टोली ॥

चल पडी विजय तुम चले जिधर।
सरदार तुम्हारा अभिनन्दन ॥

यह मन्त्र तुम्हारा था जिसने।
सब भिन्न राज्य एकत्र किये ॥
सगठित राष्ट्र के कर्णधार।
तुम बढते ज्योति स्वतन्त्र लिये ॥

तुम अमर तुम्हारी कीर्ति अमर।
सरदार तुम्हारा अभिनन्दन ॥

अजंता की यात्रा

सरदार के ७५वें जन्म दिन के अवसर पर ३१ अक्तूबर १९४९ को दिल्ली में (बैठे हुए) श्रीमती लक्ष्मी देवदास गांधी अपने पुत्र सहित, सरदार पटेल की गोद में गौतम, कुमारी मणिबेन, श्री विद्याशंकर की पुत्री लीला (खड़े हुए) श्रीमती भानुमती, श्री देवदास गांधी, श्री विद्याशंकर तथा श्री डाह्या भाई

यह एक बहुत बडी कहानी है, जिसे हम सब जानते है और सारा देश भी जानता है। इसे इतिहास के अनेक पृष्ठो मे लिखा जावेगा, जहा उन्हे नवीन भारत का निर्माता तथा एकीकरणकर्ता बतला कर उनके विषय में अन्य भी अनेक बाते लिखी जावेंगी। स्वतन्त्र्य-युद्ध की हमारी सेनाओ के एक महान् सेनापति के रूप मे उनको हममें से अनेक व्यक्ति सभवत सदा स्मरण करते रहेगे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने सकटकाल मे तथा विजय वेला म सदा ही ठोस और उचित परामर्श दिया। वह एक ऐसे मित्र, सहयोगी तथा साथी थे, जिनके ऊपर निर्विवाद रूप से शक्ति की ऐसी मीनार के रूप म भरोसा किया जा सकता था, जिसने हमारे सकट के दिनो में हमारे द्विविधा में पडे हुए हृदयो को पुन शक्ति प्रदान की।

जवाहरलाल नेहरू

परिशिष्ट—१

प्रान्तों में मिलने वाले राज्यों का विवरण

क्रम संख्या	मिलने की तारीख	राज्यों के नाम	राज्यों की संख्या	किस प्रान्त में मिले	क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)	जनसंख्या (हजारों में)
१.	१-१-१९४८	अजयगढ आदि	२३	उडीसा	२३,६३७	४,०४८
२.	१-१-१९४८	बस्तर, चगभाकर आदि	१४	मध्य प्रान्त	३१,५९८	२,८२०
३.	१-२-१९४८	मकरई	१	मध्य प्रान्त	१५१	१४
४.	२३-२-१९४८	लोहारू	१	पूर्वी पंजाब	२२६	२८
५.	२३-२-१९४८	बंगनापल्ले	१	मद्रास	२५९	४५
६	३-३-१९४८	पुदुक्कोट्टाई	१	मद्रास	१,१८५	४,३८
७	३-३-१९४८	दुजाना	१	पूर्वी पंजाब	९१	३१
८.	८-३-१९४८	अलकोट, औंध आदि	१७	बम्बई	७,६५१	१,६९३
९.	७-४-१९४८	पाटौदी	१	पूर्वी पंजाब	५३	२२
१०.	१०-६-१९४८	गुजरात के १७ पूर्णाधिकार वाले अनेक छोटे राज्य	१४४	बम्बई	१७,६८०	२,६२४
११.	१८-५-१९४८	सराय केला, खारसवान	२	बिहार	६२३	२०५
१२.	६-११-१९४८	दाता	१	बम्बई	३४७	३१
१३.	१-१-१९४९	मयूरभंज	१	उडीसा	४,०३४	९९१
१४.	५-१-१९४९	सिरोही	१	बम्बई	६,९९४	२३९
१५.	१-३-१९४९	कोल्हापुर	१	बम्बई	३,२१९	१,०९२
१६.	१-५-१९४९	बडोदा	१	बम्बई	८,२३६	२,८५५
१७.	११-४-१९४९	सडूर	१	मद्रास	१५८	१६
१८.	१-८-१९४९	टिहरी गढवाल	१	उत्तर प्रदेश	४,५१६	३९७
१९	५-१०-१९४९	बनारस	१	उत्तर प्रदेश	८६६	४५१
२०.	१-१२-१९४९	रामपुर	१	उत्तर प्रदेश	८९४	४७७
२१.	१-१-१९५०	कूच बिहार	१	पश्चिमी बंगाल	१,३२१	६४१
		योग	२१६		१,०८,७३९	१९,१५८

परिशिष्ट–२

केन्द्र द्वारा शासित देशी राज्यों का विवरण

सख्या	मिलने की तिथि	राज्यो का नाम	राज्यो की सख्या	प्रदेश का नाम	क्षेत्रफल (वर्गमीलो में)	जनसख्या (हजारों में)
१.	१५-४-१९४८	पजाब के पहाडी राज्य	२१	हिमाचल प्रदेश	१०,५००	९३५
२.	१-६-१९४८	कच्छ	१	कच्छ	८,४६१	५०१
३.	१२-१०-१९४८	बिलासपुर	१	बिलासपुर	४५३	११०
४.	१-६-१९४९	भोपाल	१	भोपाल	६,९२१	७८५
५.	१-१०-१९४९	त्रिपुरा	१	त्रिपुरा	५,०४९	५१३
६.	१५-१०-१९४९	मणिपुर	१	मणिपुर	८,६२०	५१२
७.	१-१०-१९५०	अजयगढ, ओरछा, पन्ना आदि	३५	विन्ध्य प्रदेश	२४,६००	३,५६९
		योग	६१		६४,६०४	६,९२५

परिशिष्ट–३

संघों में मिल जाने वाले देशी राज्यों का विवरण

संख्या	मिलने की तिथि	राज्यों का नाम	राज्यों की संख्या	क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)	जनसंख्या (हजारों में)
१.	१५-२-१९४८	गुजरात तथा सौराष्ट्र के राज्य मय जूनागढ, मावनदर आदि के।	२२२	सौराष्ट्र	२१,०६२	३,५५६
२.	७-४-१९४८	जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बासवाड़ा उदयपुर, अलवर आदि।	१८	राजस्थान	१,२८,४२४	१३,०८५
३.	१५-६-१९४८	देवास, ग्वालियर, इन्दौर आदि	२५	मध्य भारत	४६,७१०	७,१४१
४.	२०-८-१९४८	पटियाला, कपूरथला, नाभा, मालेरकोटला, फरीदकोट, जीन्द, नालागढ़ और कलसिया।	८	पटियाला तथा पूर्वी राज्यसंघ	१०,०९९	३,४२४
५.	१-७-१९४९	ट्रावनकोर और कोचिन	२	ट्रावनकोर-कोचिन	९,१५५	७,४९३
		योग	२७५		२,१५,४५०	३४,६९९
		समस्त देशी राज्यों का योग	५५२		३,८७,८९३	६०,७८३

Maulana also said in his Tadhkirah "I have never tried to tread the foot path of another, but have sought out a path for myself and left my foot prints for those who come later I wish to make it quite clear that in all my spiritual distress, I have not been obliged to anyone for guidance I am in no obligation for guidance to any man's hand or tongue nor to my family nor to any syllabus of education"

I would refer you to another passage of Maulana's writings which Professor Faruqui has translated as follows —

"In religion, in literature, in politics, in the highways of thought, in whichever direction I had to go, I had to go alone On no road could I travel with the caravans of the age

Alas I went forth alone into the deserts of Love! In whatever way I set my foot, I left the Age so far behind that when I turned round to look, I could see nothing, but the clouds of dust which my own speedy advance had raised

Not that I forsake my fellow men
But the caravan moves fast, how can I wait
for those whose feet are blistered!
My rapid advance raised blisters on my feet, but
perhaps my feet also cleared the road of some of the
encumbrances which littered it"

You have asked whether Maulana Azad had read Mr. Pyarelal's book I do not know

Regarding differences between Maulana Azad's version and Mr Pyarelal's version, it is quite likely that different persons may have different interpretations of the same event

You have asked whether the manuscript bears Maulana Saheb's signature As I have said in the Preface there was no manuscript, but only a typed script which was seen by Maulana Saheb and approved by him Since he was thinking of publishing it himself and had carried on the negotiations with the publishers, the question of any signature of the typed script never arose

Yours sincerely,
Sd Humayun Kabir

Shri Dahyabhai V Patel,
Member of Parliament,
68, Marine Drive,
Bombay 1

परिशिष्ट–५

(इस ग्रन्थ की सहायता के विषय में श्री डाह्याभाई पटेल द्वारा श्री एस. के. पाटिल के नाम लिखा हुआ पत्र तथा उसका श्री बाबू भाई चिनाय द्वारा दिया हुआ उत्तर।)

18 Dr. Rajendra Prasad Rd.
New Delhi-1.
March 15, 1963.

Dear Shri Patil:

Acharya Chandra Shekhar Shastri had some years ago written the Life of Sardar, which he, is now revising and trying to bring it up-to-date. I have helped him to revise and collect more material for this book. I think it is well written and I like the style.

Will you be able to give him some grant and/or loan to help him to continue his work and to undertake printing the publication of the book.

With regards,

Yours sincerely,
Dahyabhai V. Patel.

Shri S.K. Patil,
Minister of Food & Agriculture,
Rajendra Prasad Road,
New Delhi.

BABUBHAI M. CHINAI
Member of Parliament
(Rajya Sabha)

Great Western Bldg.
130/132 Apollo St., Fort,
Bombay-1.
28th March, 1963.

My dear Dahyabhai,

Yours of 25th instant is to hand. Mr. H.M. Patel is not writing a Biography. Regarding your suggestion for Rs. 5000/- to Mr. Shastri, the same will be put before the next meeting of the Sardar Vallabhbhai Patel Memorial Trust, and I shall let you know their decision.

With kind regards,

Yours sincerely,
Babubhai M. Chinai

Shri Dahyabhai V. Patel, M.P.,
68, Marine Drive,
Bombay-1.

परिशिष्ट—६

सरदार की हस्त लिपि

ટેલિફોન - ૪૦૪૦૭
Telephone 40407

વલ્લભભાઈ પટેલ
VALLABHBHAI PATEL

૧, ઔરંગઝેબ રોડ
નઈ દેહલી

1, Aurangzeb Roa
NEW DELHI

[illegible]

सहायतार्थ प्रयोग किये हुए ग्रन्थो की सूची

1 Menon, V P Transfer of Power in India
2 Menon, V P The story of Integration of the Indian States
3 Patel, G I Vitthalbhai Patel—Life and Time
4 Saggi, P D Life and Work of Sardar
5 Punjabi, K L The Indomitable Sardar
6 Kabir, Humayun India wins Freedom
7 Parikh, Narhari D Sardar Patel Vol 1 & 2
8 Shrinivasan, C M The maker of modern India
9 Sitaramayya, P History of Indian National Congress
10 Jawaharlal Nehru's speeches 1949-57
11 Pyarelal Mahatma Gandhi, The last Phase
12 A Bunch of old letters, written mostly to Jawaharlal Nehru, Asia Publishing House, 1958
13 Vincent Sheean Nehru, the year of power, N Y, 1960
14 Frank Moraes Nehru, a biography, New York, 1956
15 Michael Brecher Nehru, A political Biography, London, 1959
16 'भारत की एकता का निर्माण' Publications Division, 1954
17 Sardar Patel Rajhans publication, 1949
18 Muhar Singh The man of few words, Lahore, 1945
19 Hira Lal Seth The Iron Dictator, Lahore, 1943
20 Sardar Patel on Indian Problems Publi Division 1947
21 Jysbee, Dr S The Iron man of India, New Delhi
22 Indian States memoranda Govt of India Publication
23 White paper on Indian States July 1948 Edition
24 White paper on Indian States 1950 Edition
25 Upadhyaya, Hari Bhau In contrast with Nehru
26 Allen Campbell-Johnson Mission with Mountbatten, London
27 Chauwdhry Khaliquzzaman Pathway to Pakistan, Lahore, 1961
28 Mosley, Leonard The Last days of the British Raj, London
29 Pattabhi Sitaramayya Feathers and Stones
30 Patel, Dahyabhai V My first year in Parliament.
31 Patel, Dahyabhai V The Second Phase
32 नवजीवन प्रकाशन अहमदाबाद महादेव भाई की डायरी तीसरा भाग १९५१
33 त्यागी श्री महावीर मरी क न गुनगा, दिल्ली
34 Parliamentary Reports for 1646, 47 and 48
35 Gandhiji's Correspondence with the Government, 1944-47

समयानुक्रमणिका

१८७५ ३१ अक्तूबर को बोरसद ताल्लुक के करमसद गाव मे सरदार पटेल का जन्म ।

१८९३ झवेर बा के साथ विवाह ।

१८९७ नडियाद से हाई स्कूल परीक्षा पास की ।

१९०० गोधरा में मुख्तारकारी आरम्भ की ।

१९०३ अप्रैल म आपकी पुत्री मणिबेन का जन्म ।

१९०५ २८ नवम्बर को आपके पुत्र डाह्या भाई का जन्म ।

१९०९ ११ जनवरी को आपकी पत्नी का बम्बई में स्वर्गवास ।

१९१० बैरिस्टरी पढने के लिए इगलैंड की यात्रा ।

१९१३ १३ फरवरी को बैरिस्टरी पास कर वापिस बम्बई आये ।

१९१६ गाधी जी के साथ प्रथम सम्पर्क हुआ ।
—गुजरात सभा के प्रतिनिधि के रूप म लखनऊ काग्रेस मे भाग लिया ।

१९१७ खेडा सत्याग्रह म प्रमुख भाग लिया ।
—गाधी जी के साथ घनिष्ठता बढी ।
—अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के प्रथम बार सदस्य चुने गये, फिर उसकी सैनिटरी कमेटी के चेयरमैन चुने गये ।
—अहमदाबाद म प्लेग निवारण का कार्य किया ।

१९१८ अहमदाबाद म इन्फ्लूएजा निवारण का कार्य किया ।
—महात्मा गाधी के साथ सैनिक भर्ती का कार्य किया ।

१९१९ ६ अप्रैल को रौलट ऐक्ट के विरोध म अहमदाबाद म भारी जलूस निकाला तथा जब्त पुस्तकों को बेचा ।
—७ अप्रैल को सरकार से अनुमति लिए बिना सत्याग्रह पत्रिका निकाली ।

१९२० ११ जुलाई को गुजरात विद्यापीठ की स्थापना करने का निश्चय किया ।

१९२१ गुजरात प्रान्तीय काग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष चुने गये ।
ने सदा के लिए बैरिस्टरी छोडो ।
रदार अहमदाबाद म काग्रेस के स्वागताध्यक्ष चुने गये ।

सरदार पटेल गाथा

बच्चो भारत में जन्मा था, ऐसा पुरुष महान।
लोग उसे कहते थे वह है, लोहे का इन्सान।
वल्लभ भाई बचपन से ही, थे निर्भय स्वाधीन।
कठिन समय में भी वे होते, कभी न थे नत दीन।
बाधाओं से भिड जाते थे, बन कर अटल पहाड।
सदा किया करते थे निर्भय, खतरों से खिलवाड।
लगी हुई थी तब भारत में, मुक्ति समर की आग।
गांधीजी का आवाहन सुन, देश उठा था जाग।
हुए प्रभावित गांधीजी से, बढे साथ निर्द्वन्द।
विश्वासी थे वे बापू के, चढते साथ अमन्द।
सचमुच था सौभाग्य देश का, था अद्भुत संयोग।
वल्लभ भाई-जैसे का था गांधी को सहयोग।
छोड वकालत फूका पथ पथ, असहयोग का मन्त्र।
अंग्रेजो के सफल न होने, देते थे षड्यन्त्र।
रक्खेगा इतिहास बारडोली, सत्याग्रह याद।
नौकरशाही के जुल्मों की, रही न थी तादाद।
इस सत्याग्रह ने पाया था, देश व्यापि विस्तार।
बापू ने था उन्हें पुकारा, वह सब का सरदार।
मुक्त देश था नया जोश था मिला शुभ्र वरदान।
वल्लभ भाई ने भारत का, किया नवल निर्माण।
किया एक ने भारत का भू-अखिल कीर्ति विस्तार।
एक राष्ट्र का संयोजक था, शिल्पी कुशल अपार।
बिखरे राज्यों को मोती का, गूथ मनोहर हार।
पूर्ण किया सदियों का सपना, धन्य-धन्य सरदार।

समयानुक्रमणिका

१८७५ ३१ अक्तूबर को बोरसद ताल्लुक के करमसद गाव मे सरदार पटेल का जन्म ।

१८९३ झवेर बा के साथ विवाह ।

१८९७ नडियाद से हाई स्कूल परीक्षा पास की ।

१९०० गोधरा मे मुख्त्यारकारी आरम्भ की ।

१९०३ अप्रैल मे आपकी पुत्री मणिबेन का जन्म ।

१९०५ २८ नवम्बर को आपके पुत्र डाह्या भाई का जन्म ।

१९०९ ११ जनवरी को आपकी पत्नी का बम्बई म स्वर्गवास ।

१९१० बैरिस्टरी पढने के लिए इगलैंड की यात्रा ।

१९१३ १३ फरवरी को बैरिस्टरी पास कर वापिस बम्बई आये ।

१९१६ गाधी जी के साथ प्रथम सम्पर्क हुआ ।
—गुजरात सभा के प्रतिनिधि के रूप म लखनऊ काग्रेस मे भाग लिया ।

१९१७ खेडा सत्याग्रह मे प्रमुख भाग लिया ।
—गाधी जी के साथ घनिष्ठता बढी ।
—अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के प्रथम बार सदस्य चुने गये, फिर उसकी सैनेटरी कमेटी के चेयरमैन चुने गये ।
—अहमदाबाद म प्लेग निवारण का कार्य किया ।

१९१८ अहमदाबाद म इफ्लूएजा निवारण का कार्य किया ।
—महात्मा गाधी के साथ सैनिक भर्ती का कार्य किया ।

१९१९ ६ अप्रैल को रोलट ऐक्ट के विरोध मे अहमदाबाद मे भारी जलूस निकाला तथा जब्त पुस्तको को बेचा ।
—७ अप्रैल को सरकार से अनुमति लिए बिना सत्याग्रह पत्रिका निकाली ।

१९२० ११ जुलाई को गुजरात विद्यापीठ की स्थापना करने का निश्चय किया ।

१९२१ गुजरात प्रान्तीय काग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष चुने गये ।
—सरदार ने सदा के लिए बैरिस्टरी छोडी ।
—दिसम्बर मे सरदार अहमदाबाद मे काग्रेस के स्वागताध्यक्ष चुने गये ।

१९२३ ९ सितम्बर को नागपुर के झंडा सत्याग्रह में विजय प्राप्त की।
—दिसम्बर में बोरसद सत्याग्रह में विजय प्राप्त की।

१९२४ अहमदाबाद म्युनिसिपैल्टी के चेयरमैन चुने गये।

१९२७ अहमदाबाद म्युनिसिपैल्टी के चेयरमैन दुबारा चुने गये।
—गुजरात के बाढ़ संकट का निवारण किया।

१९२८ फर्वरी २९ से बारडोली में करबन्दी सत्याग्रह आरम्भ किया।
—अक्तूबर में बारडोली संग्राम में पूर्ण विजय प्राप्त की।
—दिसम्बर में कलकत्ता कांग्रेस में अभूतपूर्व सम्मान मिला।

१९३० ७ मार्च को सरदार को भाषण बन्दी की आज्ञा भंग करने पर रास गांव में गिरफ्तार कर पौने चार मास जेल की सजा दी गई।
—२६ को पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस के स्थानापन्न अध्यक्ष बनाये गये।
—१ अगस्त को बम्बई में जलूस निकालने के कारण और उसका नेतृत्व करने के कारण गिरफ्तार कर ३ मास जेल की सजा दी गई।
दिसम्बर में भाषणबन्दी की आज्ञा भंग करने पर ९ मास जेल की सजा।

१९३१ ब्रिटिश प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुसार कांग्रेस कार्य समिति के २५ सदस्यों सहित २५ जनवरी को जेल से छूटे।
—मार्च में कराची में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की।

१९३२ ४ जनवरी को महात्मा गांधी सहित गिरफ्तार कर पूना की यरवडा जेल में नजरबन्द किये गये।

१९३४ १४ जुलाई को सरदार को रोग के कारण जेल से छोड़ा गया।
—पटना में कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए।

१९३५ २३ मार्च से बोरसद में प्लेग निवारण का कार्य आरम्भ किया।

१९३६ ८ अप्रैल को कमला नेहरू अस्पताल के फंड के लिये दान देने की अपील निकाली।
—२ जुलाई को पुनर्गठित कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गये तथा कांग्रेस चुनाव संघर्ष का संचालन किया।

१९३८ बारडोली ताल्लुके के हरिपुरा गांव में कांग्रेस का सर्वप्रथम ग्रामीण वार्षिक अधिवेशन अत्यन्त कुशलतापूर्वक किया। उसके स्वागताध्यक्ष सरदार पटेल तथा अध्यक्ष श्री सुभाषचन्द्र बोस थे।

१९३८ २५ दिसम्बर को सरदार पटेल ने राजकोट के ठाकुर साहब के साथ आठ घंटे तक वार्तालाप करके प्रजा पक्ष की ओर से एक समझौता किया, जिसको ठाकुर साहिब द्वारा भग किये जाने के कारण

१९३९ २५ जनवरी १९३९ को सरदार ने भी उसके भग करने की घोषणा की। —इसी से गाधीजी ने वहा ३ मार्च से ७ मार्च तक उपवास किया।

१९४० १८ नवम्बर को अहमदाबाद में युद्ध विरोधी नारे लगाने का सकल्प प्रकट करने के कारण व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन में गिरफ्तार कर नजरबन्द किया गया।

१९४१ सरदार के धन सग्रह करने की अपील के फलस्वरूप एकत्रित ५ लाख रुपये से २८ फर्वरी १९४१ को इलाहाबाद में कमला नेहरू अस्पताल आरभ किया गया।

—२० अगस्त को उन्हे रोग के कारण छोडा गया।

१९४२ सरदार पटेल ने प्रयाग में काग्रेस कार्य समिति की बैठक में अप्रैल में प्रथम बार "अग्रेज चले जाओ" प्रस्ताव उपस्थित किया।
—जुलाई में वर्धा में उक्त प्रस्ताव को दोहराया गया और यह निश्चय किया गया कि इस प्रस्ताव की सम्पुष्टि ८ अगस्त को बम्बई में की जावे।
—२६ जुलाई को सरदार ने अहमदाबाद में एक लाख जनसमूह के सामने "अग्रेज चले जाओ" आन्दोलन के सम्बन्ध में भाषण दिया।
—२८ जुलाई को उन्होने इस सम्बन्ध में अहमदाबाद में पत्रकार परिषद् बुलाई और पत्रकारो के अनेक प्रश्नो के उत्तर भी दिये।
—३० जुलाई को उन्होंने इस विषय में महिलाओ की एक सभा में तथा मसकटी मार्केट अहमदाबाद में अलग-अलग व्याख्यान दिये।
—२ अगस्त को उन्होने बम्बई में चौपाटी पर 'अग्रेज चले जाओ' आन्दोलन की भावी रूपरेखा पर प्रकाश डाला।
—७ अगस्त को उन्होंने बम्बई में काग्रेस महासमिति की बैठक में महात्मा गाधी द्वारा उपस्थित किये हुए "अग्रेज चले जाओ" प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एक उत्तम भाषण दिया।
—९ अगस्त को उन्हें अन्य नेताओं सहित गिरफ्तार करके अहमदनगर किले में नजरबन्द कर दिया गया।

१९४५ सरदार को अन्य नेताओ के साथ १५ जून को जेल से छोड दिया गया। इसके पश्चात् उन्होने भारत के भावी राजनीतिक ढाचे के सम्बन्ध में

वाएसराय द्वारा बुलाई हुई शिमला कान्फ्रेंस में भाग लिया, जिसका कोई परिणाम न निकला।

१९४६ २३ फर्वरी को सरदार ने भारतीय जल सेनाओ के विद्रोह को शान्त किया।

—फिर उन्होने वाएसराय लार्ड वावेल के अनुरोध पर भारत व्यापी डाक हड़ताल को तोड़ा।

—५ मई से उन्होने केबीनेट मिशन के तीनो सदस्यो के साथ शिमला में वार्तालाप किया।

—२४ जून को सरदार से केबीनेट मिशन के तीनों मन्त्रियो ने नई दिल्ली में निजी परामर्श किया।

—२५ जून सोमवार को उन्होने अपने २४ जून के निश्चय की स्वीकृति केबीनेट मिशन के तीनो मन्त्रियो की उपस्थिति में भगी कालोनी में महात्मा गान्धी से ली।

—२ सितम्बर को सरदार पटेल भारत की अन्तर्कालीन सरकार में गृह सदस्य बने।

—९ दिसम्बर को उन्होंने भारतीय सविधान परिषद् में प्रथम बार भाग लिया।

१९४७ ४ अप्रैल को वल्लभ विद्या नगर में विट्ठल भाई महाविद्यालय का उद्घाटन किया।

—५ जुलाई को सरदार की अध्यक्षता में देशी राज्यो की समस्या को सुलझाने के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई।

—५ जुलाई को ही सरदार ने देशी राज्यों के राजाओ के नाम एक अपील निकाली कि वह भारत के साथ यथापूर्व समझौतो तथा सम्मिलन समझौतो पर हस्ताक्षर करके १५ अगस्त तक भारत में सम्मिलित हो जाए।

—इस अपील के फलस्वरूप इन समझौतो पर हैदराबाद, काश्मीर तथा जूनागढ के अतिरिक्त १५ अगस्त तक सभी देशी राज्या के राजाओ ने हस्ताक्षर कर दिये।

—१५ अगस्त को सरदार नवीन भारतीय उपनिवेश के उप-प्रधान मन्त्री तथा गृह मन्त्री बने।

—३० सितम्बर को सरदार ने अमृतसर में सिक्ख जत्थेदारो से यह अपील की कि वह भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिम शरणार्थियो की हत्या न कर उन्हे सुरक्षित मार्ग दें।

—९ नवम्बर को सरदार की आज्ञा से जूनागढ पर अधिकार किया गया।

—१३ नवम्बर को सरदार ने सोमनाथ के भग्न मंदिर का दौरा करके उसका पुनर्निर्माण कराने का संकल्प किया। उनकी इस योजना के अनुसार ११ मई १९५१ को नव-निर्मित सोमनाथ के मंदिर की प्रतिष्ठा की गई।

—१४ नवम्बर को सरदार ने बिहार के नीलगिरि राज्य पर अधिकार करने की आज्ञा दी।

—नवम्बर मे नेहरूजी ने सरदार के विरोध करने पर भी काश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान की शिकायत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् में की।

—१४ दिसम्बर को सरदार ने कटक जाकर उडीसा के २३ राज्यो के राजाओ को समझा बुझा कर उनसे उनके राज्यो के विलय पत्रो पर हस्ताक्षर कराये।

—१५ दिसम्बर को सरदार ने नागपुर जाकर छत्तीसगढ के अडतीस राज्यो के राजाओ को समझा-बुझा कर उनसे उनके राज्यो के विलय पत्रो पर हस्ताक्षर कराये।

१९४८ महात्मा गाधी के उपवास के फलस्वरूप सरदार पटेल, नेहरू जी तथा उनकी सरकार ने १५ जनवरी को पाकिस्तान को ५५ करोड रुपये देने का निर्णय किया।

—२ फर्वरी को सरदार पटेल ने भारतीय संविधान परिषद् में एक वक्तव्य देते हुए गाधी जी की रक्षा के लिये किये हुए पुलिस प्रबन्धो का विवरण उपस्थित किया।

—१५ फर्वरी को सरदार पटेल ने भावनगर में सौराष्ट्र राज्य संघ का उद्घाटन करते हुए उसके राजप्रमुख नवानगर के जाम साहब को राजप्रमुख पद की शपथ दिलाई।

—२०, २१, २२ अप्रैल को सरदार पटेल ने ग्वालियर, इन्दौर आदि मध्य भारत के २५ राजाओ को समझा बुझा कर उनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराके एक संघ राज्य बनाने की प्रेरणा की।

—२२ अप्रैल को उक्त २५ राजाओ ने सरदार की उपस्थिति में एक संघ राज्य बनाने के संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर उसका नाम 'ग्वालियर, इन्दौर तथा मालवा का संयुक्त राज्य संघ' रखा।

—मई के आरम्भ में सरदार ने अपनी रोगावस्था में ही अनेक धनपतियो

को मसूरी बुला कर गाधी स्मारक निधि के लिए धन सग्रह करने में उनका सहयोग लिया।

—१५ जुलाई को सरदार ने पटियाला जा कर "पटियाला तथा पजाब राज्य सघ" का निर्माण किया।

—१३ सितम्बर को सरदार की आज्ञा से हैदराबाद पर चढाई करके उस पर १७ सितम्बर को अधिकार किया गया।

—३१ अक्तूबर को उनके ७४वें जन्मदिन पर उनको बम्बई में स्वर्णमय रत्नजटित अशोकस्तम्भ तथा ८०० तोले चादी की गाधी जी की मूर्ति भेंट की गई।

—३ नवम्बर को सरदार को नागपुर विश्वविद्यालय ने विधि के डाक्टर (डाक्टर आफ लाज) की सम्मानित उपाधि दी।

—२५ नवम्बर को उन्हे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने विधि के डाक्टर (डाक्टर आफ लाज) की सम्मानित उपाधि दी।

—२६ नवम्बर को उनको इलाहाबाद में पडित गोविन्दवल्लभ पन्त के हाथो से 'पटेल अभिनन्दन ग्रन्थ' भेंट कराया गया।

—२७ नवम्बर को प्रयाग विश्वविद्यालय ने उनको विधि के डाक्टर (डाक्टर आफ लाज) की सम्मानित उपाधि दी।

—४ दिसम्बर को सरदार ने ग्वालियर में "ग्वालियर, इन्दौर तथा मालवा के राज्य सघ" की विधान सभा का उद्घाटन किया।

१९४९ जनवरी में सरदार ने बडौदा जाकर वहा के राजा सर प्रतापसिह गायकवाड को बडौदा राज्य को बम्बई राज्य मे विलीन करने के लिए सहमत किया।

—२४ फर्वरी को सरदार अपनी दक्षिण यात्रा के सिलसिले में जब हैदराबाद आये तो उनका स्वागत करने के लिए नीजाम हवाई अड्डे पर स्वय आया। उसने अपने जीवन में प्रथम और अतिम बार हाथ जोड कर सरदार का अभिवादन किया।

—२६ फर्वरी को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने सरदार को विधि के डाक्टर (डाक्टर आफ लाज) की सम्मानित उपाधि दी।

—३० मार्च को सरदार पटेल ने तीसरे राजस्थान सघ का उद्घाटन कर महाराजा जयपुर को उसके राजप्रमुख पद की शपथ दिलवाई।

—१३ अप्रैल को त्रावनकोर तथा कोचिन राज्य के मन्त्रियो से भेंट कर सरदार ने उन दोनो राज्यो का एक सघ बनवाया।

—१५ मई को सरदार पटेल ने नई दिल्ली में नवाब रामपुर से उसके राज्य के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराये।

—सरदार ने मई के अन्त में नवाब भोपाल को समझा बुझा कर उससे भोपाल के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा कर १ जून को भोपाल पर अधिकार कराया।

—नेहरू जी के अमरीका, कनाडा, तथा इग्लैंड की यात्रा पर जाने पर सरदार पटेल ७ अक्तूबर से १५ नवम्बर, १९४९ तक भारत के स्थानापन्न प्रधान मत्री बने रहे।

१९५० २८ अप्रैल को सरदार के अहमदाबाद आने पर उन्हे १५ लाख रुपये की थैली दी गई।

—अप्रैल में सरदार ने भारत-पाकिस्तान व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये।

—१९ मई को सरदार ने कुमारी अन्तरीप जाकर वहा कन्याकुमारी के मदिर मे पूजन किया।

—२० से २२ सितम्बर तक सरदार ने नासिक काग्रेस में भाग लिया।

—१६ अक्तूबर को काग्रेस अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तमदास टडन ने अपनी नई कार्य समिति में उनको पुन काग्रेस का कोषाध्यक्ष बनाया।

—९ नवम्बर को उन्होने दिल्ली के रामलीला मैदान में दयानन्द निर्वाण दिवस के उपलक्ष में भाषण करते हुए चीनी आक्रमण की भविष्य वाणी की।

—१२ दिसम्बर, को सरदार पटेल वायु परिवर्तन के लिए बम्बई गये।

—१५ दिसम्बर को प्रात काल ९-३७ पर उनका स्वर्गवास हुआ।

—१५ दिसम्बर को ही भारतीय ससद् ने उनके सम्बन्ध में शोक प्रस्ताव पास किया।

—१५ दिसम्बर को ही सायकाल ७-४० मिनट पर भारत के राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद, प्रधानमत्री पडित नेहरू, अनेक प्रान्तो के राज्यपालो, मुख्यमत्रियो तथा मत्रियो की उपस्थिति में उनके एकमात्र पुत्र श्री डाह्याभाई पटेल ने उनकी चिता में अग्नि दी।

नामानुक्रमणिका

नामानुक्रमणिका